खण्ड १ — अंक ८
२९ फरवरी, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड १ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने या २५ नये पैसे (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

(खण्ड १—अंक १ से २०—१७ फरवरी से १५ मार्च, १९५६ तक)

अंक १—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४१ से ४६, ४८ से ५३, ५५ से ६० — १–२१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ — २१–२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १ से २८, ३० से ४०, ४७, ६१ से ७२ — २३–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २९ — ४०–४८

दैनिक संक्षेपिका ... — ४९–५२

अंक २—सोमवार, २० फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७६, ७८, ७९, १०१, ८०, ८२ से ८५, ८७ से ९१ ... — ५३–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७७, ८६, ९२ से १००, १०२ से १०७ — ७४–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३० से ४८ — ७९–८४

दैनिक संक्षेपिका — ८५–८६

अंक ३—मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०८, ११०, १११, ११३, ११५, ११६, ११८, १२१ से १२६ और १२८ से १३१ — ८७–११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०९, ११२, ११४, ११७, ११९, १२०, १२७, १३२ से १३४, १३६ से १४० और १४२ से १४९ — ११०–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५५, ५७ से ६४ — ११७–२२

दैनिक संक्षेपिका — १२३–२४

पृष्ठ

अंक ४--बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५० से १५३, १५५, १५६, १६२ से १६८, १७१ से १७४, १७६, १७७, १७९ से १८२, १५४ और १६० १२५–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १५७ से १५९, १६१, १६९, १७० और १७८ ... ... १४७–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ८१ १४९–५५

दैनिक संक्षेपिका १५६–५७

अंक ५--गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १८४ से १९५, १९७, २०७ से २१० और १८३ ... ... १५८–७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १९६, १९८ से २०१ ... १७९–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से ९४ ... १८०–८४

दैनिक संक्षेपिका ... १८५–८६

अंक ६--शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१८ से २३०, २३४ से २३८ ... ... १८७–२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २१७, २३१ से २३३, २३९ से २४५ ... ... २०९–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०८ २१२–१६

दैनिक संक्षेपिका २१७–१८

अंक ७--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २८५ से २९६, २९८ से ३०१, ३०४, ३०६, ३१२, ३०८ से ३११ ... ... २१९–४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या २४६ से २८४, २९७, ३०२, ३०३, ३१३ से ३१५, ३१७, ३१८, ८१ २४०–५३

अतारांकित प्रश्न संख्या. १०८ से १६७ २५३–७६

दैनिक संक्षेपिका २७७–८०

पृष्ठ

अंक ८—बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ से ३२२, ३२४ से ३२७, ३२९, ३३०, ३३२, ३३४, ३३६ से ३३९, ३४३ से ३४७, ३४९ २८१–३०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ४२८, ३३१, ३३३, ३३५, ३४० से ३४२, ३४८, ३५० से ३६९ ... ३०३–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६९ सें १८६ ३१२–१७

दैनिक संक्षेपिका ३१८–१९

अंक ९—गुरुवार, १ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७२, ३७४ से ३७८, ३८१, ३८२, ३८४, ३८६ से ३९२ ३२०–४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३, ३७९, ३८०, ३८३, ३८५, ३९३ से ३९९ ३४२–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०७ ३४६–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५५

अंक १०—शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०० से ४०३, ४०५, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१४, ४१५, ४१७, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२८ ... ३५६–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४०४, ४०७, ४१०, ४१३, ४१६, ४१८, ४२०, ४२५, ४२६ ... ३७७–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८ से २२९ ३७९–८४

दैनिक संक्षेपिका ३८५–८६

पृष्ठ

अंक ११—शनिवार, ३ मार्च, १९५६

प्रश्न का मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ ३८७–८९

दैनिक संक्षेपिका ३९०

अंक १२—सोमवार, ५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ से ४३७, ४३९, ४४०, ४४२ से ४४४, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५२ से ४५४, ४६१, ४६३ से ४६५, ४६७ ... ३९१–४१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२९ से ४३२, ४३८, ४४१, ४४५, ४४७, ४५५ से ४५९, ४६२, ४६६ और ४६८ से ४७२ ४१२–१८

अतारांकित प्रश्न संख्या २३० से २५३ ४१८–२४

दैनिक संक्षेपिका ४२५–२७

अंक १३—मंगलवार, ६ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४, ४७६ से ४८१, ४८३, ४८५, ४८८ से ४९०, ४९२ से ४९४, ४९६, ४९८, ४९९, ५०२, ५०५, ५०७ और ५०८ ४२८–५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३, ४७५, ४८२, ४८४, ४८६, ४८७, ४९१, ४९५, ४९७, ५००, ५०१, ५०३, ५०४, ५०६, ५०९ से ५३० ... ... ४५०–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ से २९९ ४६०–७८

दैनिक संक्षेपिका ४७९–८१

अंक १४—बुधवार, ७ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३५, ५३६, ५३९, ५४०, ५४२, ५४४, ५४६, ५४७, ५५२ से ५५४, ५५६, ५५८, ५६०, ५२१, ५३७, ५३८... ... ४८२–५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ५३२, ५३४, ५४१, ५४५, ५४८, ५४९, ५५१, ५५५ ५०१–०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० से ३१९ ५०३–१०

दैनिक संक्षेपिका ... ५११–१२

अंक १५—गुरुवार, ८ मार्च, १९५६

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पदत्याग ५१३

अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति ५१३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७२, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२, ५८५, ५८७, ५७० और ५८४ ५१३–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२, ५६६, ५६९, ५७४, ५७७ से ५८१, ५८३, ५८६ और ५८८ ५२९–३२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२० से ३२५ ५३३–३४

दैनिक संक्षेपिका ५३५–३६

अंक १६—शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९० से ५९४, ५९९ से ६०१, ६०४ से ६०६, ६०८ से ६१०, ६१३ से ६१६, ५८९, ६०२, ६०३ और ६०७ ५३७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ५९८, ६११, ६१२ और ६१७ ५५८–५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३४६ ५५९–६५

दैनिक संक्षेपिका ५६६–६७

अंक १७—सोमवार, १२ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२३, ६२४, ६२६, ६२८, ६३०, ६३२, ६३४ से ६३६, ६३८ से ६४५, ५५९, ६२१ ५६८–८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६२२, ६२५, ६२७, ६३१, ६३३, ६३७ ... ... ५८९–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४७ से ३६२ ५९१–९७

दैनिक संक्षेपिका ५९८–९९

पृष्ठ

अंक १८—मंगलवार, १३ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६, ६४९, ६५०, ६५३, ६५२, ६५५, ६५६, ६५८, ६६०, ६६१, ६६३ से ६६५, ६६७ से ६७४ और ६७६ से ६७९ ६००–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७, ६४८, ६५१, ६५४, ६५७, ६५९, ६६२, ६६६, ६७५ और ६८० ६२१–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३७९ ६२३–२८

दैनिक संक्षेपिका ६२९–३०

अंक १९—बुधवार, १४ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८४ से ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ६९८ से ७०३, ७०७ से ७०९, ६८३, ६८८, ६८१, ६९५ ... ... ६३१–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९४, ६९६, ६९७, ७०४ से ७०६ और ७१० ... ... ६५२–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ४०८ ... ६५५–६४

दैनिक संक्षेपिका ६६५–६६

अंक २०—गुरुवार, १५ मार्च, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७११ से ७१४, ७१६ से ७२०, ७२२, ७२३, ७२५ से ७२९, ७३१, ७३४, ७३२, ७१५, ७२१ और ७२४ ... ... ६६७–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ ... ६८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०९ से ४१८ ६८६–९०

दैनिक संक्षेपिका ... ६९१

M20LSD—190—7-3-58—GIPF.

लोक-सभा

बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उर्वरक कारखाने

†*३१९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले विभिन्न उर्वरक कारखानों के स्थान के सम्बन्ध में कोई अंतिम विनिश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विनिश्चय किया गया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चंद्र)** : (क) हां ।

(ख) नांगल में उर्वरक-हेवी वाटर कारखाने के अतिरिक्त, दो और उर्वरक कारखाने, एक रूरकेला में, जो इस्पात कारखाने से गैसों का उपयोग करेगा, और दूसरा नेवेली में, जो लिग्नाईट परियोजना का एक अंग है, स्थापित करने का निश्चय किया गया था । इनकी उत्पादन क्षमता क्रमश: वार्षिक ८०,००० टन और ७०,००० टन नाइट्रोजन होगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या ये कारखाने सरकार स्वत: चलायेगी या गैर-सरकारी लिमिटेड कंपनियां होंगी जिनमें सरकार के शेयर होंगे ?

†**श्री सतीश चंद्र** : वे सरकारी स्वामित्व की कंपनियां होंगी ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय कितना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे ठीक-ठीक संख्या याद नहीं है किन्तु वह प्रत्येक के लिये २० करोड़ रुपये के लगभग होगा ।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : उर्वरक कारखाने की स्थापना के संबंध की राजस्थान की स्थिति क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जैसा कि मैंने पहले लोक-सभा में बताया था, अगली योजना के समय में राजस्थान में कोई उर्वरक कारखाना खोलने की संभावना नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जी० डी० सोमानी** : क्या विशेषज्ञों ने मंत्रालय को जो मंत्रणा दी है उसके अनुसार राजस्थान में उत्पादन की अनुमानित लागत सबसे कम होगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे सकता हूं कि परियोजना के लिये चुने गये किसी स्थान के लिये जो खर्च होगा उससे वह कहीं अधिक है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों.....

†**श्री कामत** : मुख्य प्रश्नकर्ताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : समिति की सिफारिशों के बावजूद विजयवाड़ा क्यों नहीं चुना गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समिति ने वैकल्पिक स्थानों के रूप में विजयवाड़ा का भी सुझाव दिया था । यदि इनमें से कोई परियोजना कार्यान्वित न हो, तब वह विजयवाड़ा में स्थापित की जा सकेगी । सर्वप्रथम विजयवाड़ा का ही सुझाव नहीं किया गया था ।

†**श्री कामत** : क्या यह सच नहीं है कि लगभग एक साल पहले होशंगाबाद जिले में इटारसी के पास गुर्रा के आसपास की भूमि के अधिग्रहण के लिये एक अधिसूचना जारी की गयी थी, जिससे कि उस जिले में यह उर्वरक कारखाना बनाया जा सके, यदि हां, तो उसे क्यों रद्द कर दिया गया ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कारखाना स्थापित करने के लिये जिन स्थानों के बारे में विचार किया गया था, उनमें इटारसी भी एक था । किन्तु केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी ।

†**श्री कामत** : क्या सरकार को मालूम है कि राज्य सरकार ने यह विशिष्ट अधिसूचना गत वर्ष मार्च के आसपास ही, होशंगाबाद में उपनिर्वाचन के ठीक पहले, जारी की थी ? क्या सरकार को मालूम है कि चारों ओर यह धारणा फैली हुई है कि उपनिर्वाचन में कांग्रेस दल के हार जाने के कारण यह प्रस्थापना समाप्त कर दी गई ?

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि नेवेली में कारखाना स्थापित करने में किन बातों पर विचार किया गया जब कि संपूर्ण नेवेली परियोजना के सम्बन्ध में हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि उसका विकास किया जायेगा अथवा नहीं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : वर्तमान संकेतों के अनुसार हमें नेवेली परियोजना की सफलता के बारे में पूरा-पूरा विश्वास है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : यदि कोई राज्य सरकार या गैर-सरकारी संस्था उर्वरक कारखाना खोलना चाहे, तो क्या भारत सरकार अनुज्ञाया अनुज्ञप्ति देगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है । उसके गुण दोषों के अनुसार उस पर विचार किया जायगा ।

सेठ गोविंद दास : जहां तक इन फैक्ट्रियों के स्थान का सम्बन्ध है, उन स्थानों का निर्वाचन किन सिद्धांतों पर किया जाता है ?

श्री सतीश चन्द्र : रा मैटीरियल्स कहां मिलते हैं, कास्ट आफ प्रौडक्शन क्या आता है, कहां बने सामान का कंजम्शन अधिक होता है, आसानी से कहां कच्चा माल पहुंचाया जा सकता है, वगैरह वगैरह बहुत से फैक्टर्स हैं । कमेटी ने जो इस मामले की जांच के लिये बैठाई गई थी इन बातों पर गौर किया और उसके बाद अपनी सिफारिशें दीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो यह सुझाव दिया है कि यू० पी० में एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री खोली जाय उसके बारे में क्या विचार है ?

श्री सतीश चन्द्र : इस प्लान में कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में खुलने की आशा नहीं है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने किन-किन स्थानों के बारे में विचार किया था ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं तत्काल नाम नहीं बता सकता । लगभग दस या बारह स्थानों के बारे में विचार किया गया था ।

†**श्री कामत** : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

†**एक माननीय सदस्य** : उत्तर स्थगित कर दिया गया है ।

सामुदायिक रेडियो सेट

*३२०. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री उस घोषणा के सम्बन्ध में जिसमें यह कहा गया था कि अगली पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार एक हजार जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में सामुदायिक रेडियो सेट लगाने का है, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा बड़े पैमाने पर सस्ते और अच्छे रेडियो सेट बनवाने के लिये कोई व्यवस्था की है जिससे कि वांछित उद्देश्य पूरा हो जाय ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : बड़े पैमाने पर रेडियो सेट बनाने से वे सस्ते पड़ते हैं, इस विचार से सस्ते और बढ़िया पंचायती रेडियो सेटों की बनावट और पुर्जे आदि का एक प्रतिमान तैयार किया गया । इस प्रतिमान को रेडियो कारखानेदारों ने भी स्वीकार किया है । भारत सरकार पंचायती रेडियो खरीदने के लिये आधा दाम देती है, यह सहायता लेने वाले राज्यो को जितने सेटों की जरूरत है उन सब के लिये इकट्ठे उक्त प्रतिमान के रेडियो सेट सप्लाई करने के लिये डाइरेक्टर जनरल सप्लाइज एंड डिस्पोजल्स के जरिये टेंडर मांगे गये । इस साल सबके कम दाम का टेंडर १२० रु० प्रति रेडियो सेट का आया है। इसमें लाउड स्पीकर का मूल्य शामिल नहीं । जब कारखानेदारों का काम जम जायेगा तथा मांग और बढ़ेगी तो सम्भव है और भी सस्ते पंचायती रेडियो बन सकें ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो पंजायती रेडियो सेट्स बनवाये जा रहे हैं या बनवाये जायेंगे, उनमें कितने प्रतिशत माल बाहर से आया करेगा ?

डा० केसकर : उसमें ज्यादातर चीजें यहीं की हैं और रहेंगी लेकिन अभी तक रेडियो वाल्व्स, जो सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है, यहां नहीं बनते ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेडियो वाल्व्स बनाने के लिये सरकार ने किसी निजी कारखाने को आज्ञा दी है, या देने की आशा है, ताकि अगली पंच वर्षीय योजना के अन्दर यह वाल्व्स हमारे यहां बननें लग ।

डा० केसकर : एलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री जो खुल रही है, उसमें रेडियो वाल्व्स बनाने का भी प्रोपोजल है ।

श्री भगत दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो पंचायती रेडियो सेट्स बनने वाले हैं, उनका निर्माण स्वयं विभाग द्वारा होगा या किसी प्राइवेट फर्म को यह काम दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : विभाग उस को बनाने का कुछ इन्तजाम नहीं कर रहा है। वैसे प्राइवेट फर्म्स को नहीं बल्कि जहां-जहां अच्छी रेडियो मैनुफैक्चरिंग कम्पनीज अपने देश में हैं, और उनमें से कुछ सरकारी भी हैं, यानी राज्य सरकारें उनको चला रही हैं, उनको भी यह काम दिया जायेगा।

†**श्री कामत** : ये सामुदायिक रेडियो सेट हमारे हजारों गांवों में, विशेषतया चुनाव काल में, प्रचार तथा प्रसार के शक्तिशाली माध्यम हैं, इस पर विचार करते हुए क्या सरकार ने, सभा में कई बार की गई इस मांग पर भी विचार किया है कि सभी राजनीतिक दलों को प्रसारण की समान सुविधायें दी जानी चाहियें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री कामत** : देहात में प्रसारण ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न रेडियो सेट बनाने के सम्बन्ध में है प्रचार के सम्बन्ध में नहीं।

†**श्री कामत** : मैं किसी दूसरे समय पूछंगा।

†**श्री वीरस्वामी** : मद्रास राज्य के कितने गांवों में सामुदायिक रेडियो सेट लगाये जायेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक जो कम्यूनिटी रेडियो सेट्स सप्लाई किये गये हैं वह कितनी आबादी वाले गांवों को दिये गये हैं और अब जो दिये जायेंगे उनके लिये कितने रेडियो सेट्स की आवश्यकता होगी ?

डा० केसकर : यह तफसील बताना तो मुश्किल है क्योंकि इसका इन्तजाम इस प्रकार है कि हम रेडियो सेट्स राज्य सरकारों को देते हैं, उनका आधा दाम हम देते हैं और बाकी आधा दाम वह देती हैं। कहां सेट्स लगाये जायेंगे यह राज्य सरकारें निश्चित करती हैं, हम इसका निश्चय नहीं करते। और कितने सेट्स चाहियें यह भी उन्हीं पर निर्भर है। इस साल हमारे पास १२ हजार रेडियो सेट्स की मांग आई है।

निर्यात संवर्धन संस्था

†*३२१. **श्री राधा रमण** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने हस्तनिर्मित वस्तुओं के विक्रय को बढ़ावा देने के लिये निर्यात संवर्धन संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव के पक्ष में है, और

(ग) यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना होने की आशा है तथा इसके निर्देश-पद क्या होंगे ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निकट भविष्य में बनने वाली एक समिति सविस्तार योजना बनायेगी।

†**श्री राधा रमण** : हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है, तथा इनका निर्यात किन विदेशों को किया जा रहा है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : यह एक अलग प्रश्न है, परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व लोक-सभा में बताया जा चुका है कि मुख्यतया अमरीका तथा मध्य पूर्व के कुछ अन्य देश, भारत से हस्तनिर्मित वस्तुओं का आयात करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधा रमण** : हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सरकार कितने समय में अन्तिम रूप देने का विचार करती है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : यह ठीक बताया नहीं जा सकता, परन्तु मैं लोक-सभा को बता देना चाहता हूं कि हस्तशिल्प बोर्ड से प्रार्थना की गई है कि वह इस सविस्तार योजना का पुनरीक्षण करे तथा निकट भविष्य में मंत्रालय को स्वीकृति के लिये भेज दे ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस संस्था का निर्माण होने के पश्चात् क्या कोई कारीगर , व्यक्तिगत रूप से अपनी वस्तुओं का निर्यात, इस संस्था के द्वारा, कर सकेगा ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : यही तो उद्देश्य है क्योंकि यह देखा गया है कि वैयक्तिक कारीगर अपनी वस्तुओं का निर्यात करने की स्थिति में नहीं होते हैं । आशा है कि यह संस्था सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या हस्तशिल्प बोर्ड, इस कार्य को करने के लिये सक्षम नहीं है क्योंकि हस्त-निर्मित वस्तुओं का निर्यात बड़ा सीमित है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : इस मामले पर विचार किया गया था परन्तु ऐसा महसूस किया गया कि इस सम्बन्ध में, इस मामले पर विचार करने के लिये एक अलग संस्था की आवश्यकता है ।

†**श्री राधा रमण** : सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में, हस्तशिल्प बोर्ड ने इस संस्था के स्वरूप, जैसे, यह पंजीबद्ध समिति होगी अथवा नहीं तथा इसके कार्यकर्त्ता कौन होंगे, के सम्बन्ध में, ठीक-ठीक क्या सुझाव भेजे हैं ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : कितने ही प्रस्ताव हैं । मैं माननीय सदस्य को यह स्मरण दिला देना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों से यह मामला विचाराधीन है तथा इस पर अन्तः मंत्रालय स्तर पर चर्चा भी हो चुकी है । एक सुझाव निगम (हस्तशिल्प की वस्तुएं), आदि की रचना के सम्बन्ध में था । और भी सुझाव थे । इसीलिये इस मामले को अन्तिम रूप देने में समय लग रहा है जिससे संस्था बनाने के लिये हमें उचित आधार मिल सके ।

कोयले की खानों का एकीकरण

†*३२२. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, कोयले की छोटी खानों के एकीकरण के प्रश्न पर विचार करने के लिये, श्री बलवन्त राय मेहता के सभापतित्व में, नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि उपरिलिखित भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं तथा यह कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) समिति को सौंपी गई समस्या एक उलझी हुई समस्या है जिसमें विधि सम्बन्धी तथा वित्तीय मामले उलझे हुए हैं । बंगाल, बिहार क्षेत्रों में लगभग ७५० से अधिक चालू कोयले की खानें हैं । समिति द्वारा नियुक्त उप-समितियां, सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार करती हैं । वर्तमान स्थिति के अनुसार, आशा है कि समिति जून १९५६ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : मध्य प्रदेश की कोयले की खानों को इस जांच में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : बंगाल-बिहार क्षेत्रों में समस्या बड़ी गम्भीर है तथा सरकार ने वहीं से प्रारंभ उचित समझा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या समिति बड़ी तथा छोटी कोयले की खानों के एकीकरण के मूल सिद्धांतों पर विचार करेगी अथवा वें इन ब्यौरों पर भी विचार करेगी कि एकीकरण किस प्रकार होना चाहिये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोयले की खानों के मालिकों, प्रविधिकों, तथा कोयला उद्योग से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार करें और सरकार को अपनी निश्चित सिफारिशें भेजे ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये आवंटित की जाने वाली कोयले की मात्रा के सम्बन्ध में, सरकार के अनिश्चय का इस समिति की जांच पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि अपेक्षित कोयले के प्रश्न के सम्बन्ध में, सरकार किसी निर्णय पर नहीं आई है तथा वह पूछते हैं कि क्या, इस अनिश्चय का एकीकरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : दोनों समस्यायें एकदम अलग-अलग हैं । यह ठीक है कि कोयले की खानों के एकीकरण से उत्पादन में बहुत अधिक सहायता मिलेगी ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या समिति कोयले की खानों के धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भी विचार करेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, नहीं । समिति का इस समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

परियोजनाओं के लिये यंत्र

†*३२४. **श्री गिडवानी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित यंत्रों की सूची, जिसकी सिफारिश निर्माण संपन्न तथा यंत्र समिति ने की थी, पर विचार कर लिया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये तब से सरकार ने कोई नई समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). विभिन्न परियोजनाओं द्वारा अपेक्षित यंत्रों की किसी सूची की सिफारिश निर्माण संयंत्र तथा यंत्र समिति ने नहीं की है । मेरी धारणा है कि माननीय सदस्य नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों तथा यंत्रों की महत्त्वपूर्ण मदों के प्रभावीकरण के प्रश्न की बात कर रहे हैं । समिति ने इस सम्बन्ध में सरकार को गुप्त रूप से कुछ सिफारिशें भेजी हैं । मंत्रियों के समन्वय बोर्ड ने, अक्तूबर १९५४ में हुई बैठक में यंत्र समिति के प्रतिवेदन के साथ-साथ इन पर भी विचार किया था । बोर्ड के निर्णयानुसार विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक स्थाई समिति मामले पर सविस्तार विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी, जिसमें सिंचाई और विद्युत तथा वित्त मंत्रालयों और संभरण तथा निबटारे के महानिर्देशालय (डी० जी० एस० डी०) के प्रतिनिधि शामिल थे । इस स्थायी समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : पुरानी समिति के सदस्य कौन थे ? क्या यह सच है कि जिन यंत्रों की सिफारिश उन्होंने की थी वह अस्वीकार कर दिये गये क्योंकि, जैसे कि कुछ समाचार पत्रों ने लिखा था, अधिकांश यंत्र उन सालों के थे जिन्होंने कि उनके रिश्तेदार ऊंचे-ऊंचे वेतनों पर नियुक्त थे ?

†**श्री हाथी** : समिति के कुल १७ सदस्य थे जो कि सरकार की विभिन्न मुख्य परियोजनाओं के इंजीनियरों सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के सभापति, वित्त मंत्रालय तथा संभरण और निबटारों के महानिर्देशक की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जो प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है वह गोपनीय है। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किन यंत्रों की सिफारिश की गई है। इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि हमें यह देखना है कि कुछ यंत्रों को स्वीकार कर लेने अथवा अस्वीकार कर देने से कहीं एकाधिकार की प्रवृत्ति को तो बढ़ावा नहीं मिलता है। सम्पूर्ण मामले पर सरकार सावधानी से विचार कर रही है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या इन परियोजनाओं को चलाने के लिये सरकार के पास यंत्रों का कोई केंद्रीय संग्रह है ?

†**श्री हाथी** : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में एक निदेशालय है जिसको विभिन्न परियोजनाओं में फालतू यंत्रों की जानकारी मिलती रहती है। वह निदेशालय अन्य परियोजनाओं में इनको ही भेजने का अथवा बेचने का प्रयत्न करता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस समिति ने अपेक्षित यंत्रों की संख्या के प्रश्न पर ही केवल विचार किया है अथवा इस तथ्य पर भी विचार किया है कि हम ऐसे यंत्रों से भी काम चला सकते हैं जिनमें कम पूंजी लगती हो तथा कुछ समय और बढ़ा देने पर जिससे समान परिणाम निकाले जा सकते हों ?

†**श्री हाथी** : समिति को यंत्रों की संख्या का निश्चय नहीं करना था। उसे यंत्रों की चलने की क्षमता, यंत्रों की आर्थिक कार्य पटुता तथा अन्य बातों पर विचार करना था जिससे किसी विशेष प्रकार के बने यंत्रों को प्रभावी कृत किया जाये। समिति को इस बात पर भी विचार करना था कि इस प्रकार के उपकरणों तथा यंत्रों के भारत में उत्पादन को हम किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं उन मिट्टी हटाने वाले यंत्रों की संख्या जानना चाहती हूं जिनका प्रयोग समस्त भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में किया जा रहा है। क्या यह संख्या पर्याप्त है अथवा क्या हमें इस सम्बन्ध में और अधिक यंत्रों की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या उनका आयात किया जायेगा ?

†**श्री हाथी** : इस समय, देश में, यंत्रों की सही संख्या बताना कठिन है। मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

†*३२५. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ३० नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न में निर्देशित उद्योगों के सम्बन्ध में, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद ने परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिये हैं;

(ख) क्या सूती कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुनःस्थापन के लिये कोई योजना भी बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) निम्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रारंभिक प्रस्ताव तथा प्राक्कलन, कुछ विदेशी सार्थों से प्राप्त हुये हैं :—

†मूल अंग्रेजी में

(१) इस्पात की ढलाई के कारखानों, भट्टियों तथा ढांचे बनाने वाले कारखानों की स्थापना।

(२) लकड़ी के गूदे का बनाना इन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) योजना के ब्यौरों का एक टिप्पण लोक-सभा पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अधुबन्ध संख्या ४३]**

†**श्री एन० बी० चौधरी** : क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की उप-समिति ऋणों की स्वीकृति देने से पहले यह भी विचार करेगी कि ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित करने से रोजगार की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : स्पष्ट है कि नौकरियों का क्षेत्र और बढ़ जायेगा।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : ऋणों की स्वीकृति देते समय मशीनें आदि तैयार करने वाले संस्थापनों को कहां तक प्राथमिकता दी गई है ?

†**श्री कानूनगो** : मशीनें आदि बनाने के उद्योगों के विकास के लिये गढ़ाई और ढलाईघरों की स्थापना करना आवश्यक है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या इस निगम ने अभी तक किसी उद्योग को वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। यह अभी प्रस्थापनाओं पर विचार कर रहा है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : कपड़े तथा पटसन की मिलों के वैज्ञानिकन के लिये कितनी राशि दी जाने का विचार है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : इस समय इस राशि की अधिकतम सीमा २५ करोड़ रुपये है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग कितना रुपया उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों को और कितना रुपया भारी बुनियादी उद्योगों को अग्रिम-धन के रूप में दिया जायगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : निगम द्वारा कपड़ा तथा पटसन उद्योगों के अतिरिक्त और किसी भी उद्योग को अग्रिम धन देने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैंने पहले ही बता दिया है इस कार्य के लिये हमारा वर्तमान प्राक्कलन २५ करोड़ रुपये का है।

श्री डलेस का भारत आगमन

†***३२६. श्री केशव अय्यंगार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अमेरिका के विदेश मंत्री श्री डलेस ने भारत आने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो वह कब आ रहे हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चंदा)** : (क) जी, हां।

(ख) मार्च के दूसरे सप्ताह में। वास्तव में वह यहां ९ तारीख को आयेंगे और १० तारीख की शाम को चले जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या यह सत्य है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री आइजनहोवर ने प्रधान मंत्री को इसी वर्ष अमरीका आने के लिये आमन्त्रित किया था और प्रधान मंत्री द्वारा उस आमन्त्रण को अस्वीकार करने के बाद ही अमेरिका के विदेश मंत्री श्री डलेस ने हमारी सरकार को यहां आने की इच्छा प्रकट की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने इस पक्ष में कई बातें पूछी हैं। एक अंश का उत्तर है 'हां' और एक का 'नहीं'। काफी अरसा पहले, लगभग ६ महीने हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे अमेरिका आने के लिये कहा था। मैंने उन्हें इन्कार नहीं किया है। मैंने उस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया है। मैंने उनको लिखा है "मुझे वहां आकर बड़ी प्रसन्नता होगी। किन्तु मैं भविष्य में किसी समय आऊंगा।" मैंने कोई निश्चित तिथि नहीं बताई है। वास्तव में मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को भारत आने के लिये निमन्त्रण भेजा था। किन्तु बाद में वह बीमार पड़ गये। किन्तु यह सब कुछ बहुत पहले हुआ था। इस सब का श्री डलेस के भारत आने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं इस आगमन का उद्देश्य समझ सकता हूं? क्या यह २ दिसम्बर, १६५५ को संयुक्त रूप से दिये गये डलेस-कुन्हा वक्तव्य के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में भी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसे आगमनों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इसमें ऐसे विषयों की ही चर्चा होती है जिनमें दोनों पक्षों को दिलचस्पी हो। क्योंकि श्री डलेस ऐशिया के इस भाग के समीप हैं। अतः यह सोचा गया है कि हमें एक दूसरे से बातचीत करने का लाभ उठाना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*३२७. **श्री डाभी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने अपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप ज्ञापन में यह सुझाव रखा है कि देश में धन पर एक वार्षिक कर लगाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एम० मिश्र)** : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप ज्ञापन में देश की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए एक वार्षिक कर लगाने की सम्भावना का परीक्षण करने के लिये सुझाव रखा गया था। अभी तक इस प्रस्ताव का विस्तारपूर्वक परीक्षण करना शेष है।

†**श्री डाभी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कब तक निश्चय हो जायेगा ?

†**श्री एस० एन० मिश्र** : हम इस समय कोई समय-सीमा नहीं बता सकते हैं।

चावल के चोकर का निर्यात

†*३२६. **श्री इब्राहीम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के चोकर के निर्यात की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिल और हाथ से कूटे हुए चावलों के चोकर के लिये भिन्न-भिन्न कोटा नियत किये गये हैं;

(ग) अभी तक निर्यात किये गये चोकर की मात्रा; और

(घ) क्या भूसी के निर्यात से भारत में चारे की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) चावल के चोकर की निर्यात की अनुमति केवल जुलाई १६५४ से दिसम्बर १६५५ तक दी गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मिल तथा हाथ से कूटे गये दोनों प्रकार के चोकर के निर्यात की अनुमति दी गई थी, किन्तु उनके लिये भिन्न-भिन्न कोटा नहीं नियुक्त किया गया था।

(ग) दिसम्बर १६५५ तक ३०,१७६ टन की चावल की चोकर निर्यात की गई थी।

(घ) उतनी ही चावल की भूसी को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जो देश की आन्तरिक आवश्यकता से अधिक बचे। देश के अन्दर उसकी सप्लाई का लगातार ध्यान रखा जाता है।

†**श्री इब्राहीम** : भारत में चावल की चोकर की वार्षिक खपत कितनी है ?

†**श्री करमरकर** : मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं। मेरे विचार में उनके जानने से कोई लाभ भी नहीं होगा। यदि यह सूचना मिल सकी तो मैं सभा को बता दूंगा।

श्री हेडा : कुछ अर्से पहले इस सिलसिले में यहां एक सवाल किया गया था कि यह जो राइस ब्रेन यहां से एक्सपोर्ट होता है इसका बाहर क्या उपयोग किया जाता है अलावा उसके जो कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है। उस वक्त यह वादा किया गया था कि इस बारे में जांच की जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जांच की गयी और अगर की गई तो क्या मालूम हुआ कि इसका क्या उपयोग किया जाता है ?

श्री करमरकर : मुझे याद है कि इस बारे में एक सावल आया था और शायद मैंने कहा था कि हमें पता नहीं है कि इसका बाहर क्या इस्तेमाल होता है। इसका मुझे अभी तक भी पता नहीं है। अगर माननीय सदस्य ज्यादा पार्टीकुलर हों तो मैं इसकी जांच करने की कोशिश करूंगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह चोकर किन देशों में निर्यात किया गया है ?

†**श्री करमरकर** : १६५४-५५ के दौरान में चावल की चोकर ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और बेलजियम को भेजा गया है।

†**श्री एन० बी० चौधरी** : इस देश में चावल की चोकर की कितनी मात्रा होती है ?

†**श्री करमरकर** : मैं चावल के उत्पादन की मात्रा तो बता सकता हूं किन्तु चावल के चोकर की नहीं। इस सम्बन्ध में मैंने जो कुछ खपत के बारे में कहा है वही बात उत्पादन के लिये भी कही जा सकती है।

कोयला

†*३३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में कोयले के लाने ले जाने के वैज्ञानिकों के लिये क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या इस उद्देश्य से रेलवे तथा उत्पादन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के बीच कोई बैठक हुई है ?

†**उत्पादन उपमन्त्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) कोयले के लाने ले जाने के वैज्ञानिक के लिये सरकार द्वारा यह कार्यवाही की गई है—

(१) उपभोक्ताओं को केवल निकटतम कोयला क्षेत्रों से ही कोयला लेने की अनुमति दी गई है।

(२) दूर के क्षेत्रों से कोयला लाने की तभी अनुमति दी जाती है जब आवश्यक प्रकार का कोयला निकटवर्ती क्षेत्र से न मिल सके।

(३) जहां तक सम्भव हो, कोयले को पूरी गाड़ियों में ही भेजा जाता है।

(ख) जी, हां।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बैठक का क्या परिणाम रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र :** दोनों मंत्रालय समय समय पर एक दूसरे से परामर्श करते रहे हैं। इनका उद्देश्य यही रहा है कि रेलों को व्यर्थ ही इधर उधर न भेजना पड़े और उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सके।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय द्वारा कोयला आयुक्त (कमिश्नर) को क्या सुझाव दिये गये थे ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** कुछ डिब्बे कोयला आयुक्त के पास रख छोड़े गये हैं। वह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उनका आवंटन करता है।

†**श्री राघवैया** : क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन मिला है कि आन्ध्र के तम्बाकू उत्पादन क्षेत्र में कोयला नहीं पहुंच रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**डा० रामा राव**: क्या यह बात सरकार के ध्यान में आ चुकी है कि कोयले के किसी गलत पत्तन पर पहुँच जाने के कारण कोयले की यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो गई है क्योकि वह कोयला समीपतम पत्तन में न पहुँच कर किसी दूसरी पत्तन पर पहुँच गया था और वहां से उसे गाड़ी द्वारा लाया जाना पड़ा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष उदाहरण का पता लगा है तो वह उसे हमारे ध्यान में ला सकते हैं। मुझे किसी ऐसी घटना का नहीं पता है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले की यातायात सम्बन्धी ये सुविधायें देश की वर्तमान मांग से कितने प्रतिशत कम हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : रेलवे प्रशासन कितने डिब्बे कोयला आयुक्त को कोयला ले जाने के लिये दे सकता है, यह परस्पर बातचीत से निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार कम से कम और अधिक से अधिक डिब्बों की संख्या निश्चित कर दी जाती है। वास्तव में कोयला आयुक्त प्राय: कम-से-कम डिब्बे ही प्राप्त कर सकते हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अब भी कोल की सप्लाई बहुत कम है और इसलिये कंज्यूमर्स को परेशानी हो रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : रेलवे से जितने भी वैगन्स मिलते हैं उनके द्वारा कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है।

चर्खा

*३३२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **उत्पादन** मंत्री २६ अगस्त, १६५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊन कातने के लिये इटली और इंगलैंड में उन्नत श्रेणी के चर्खे पर प्रयोग करने के लिये अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने जो आश्वासन दिया था उसको कार्यान्वित करने में तब से क्या कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन प्रयोगों और उनके परिणामों के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा की टेबल पर रखा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). कुछ विदेशों से, जिनमें इटली और इंगलैंड भी सम्मिलित हैं, अभी पूछ-ताछ की जा रही हैं। अभी तक कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : जब पिछले प्रश्न का उत्तर दिया गया था उस समय यह बताया गया था कि विशेष कर इटली और इंगलैंड में इस प्रकार के ऊन के चरखे हैं जो बहुत अच्छा कातते हैं और जिनकी स्पीड भी अधिक है। क्या मैं जान सकता हूं कि जब उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी तो इस प्रकार का आश्वासन क्यों दिया गया।

श्री आर० जी० दुबे : यह सही बात है लेकिन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने इस बारे में अभी जांच चालू रखी है। पिछली बार भी इसके बारे में काफी जांच की गयी थी लेकिन अभी तक खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को विदेशों से इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल रही है।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बारे में कोई कदम तेजी से उठाये जा सकेंगे ताकि निश्चित परिणाम पर जल्दी से पहुंचा जा सके ?

श्री आर० जी० दुबे : हां, प्रयत्न तो किया जा रहा है।

फ्रांसीसी बस्तियां

*३३४. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी बस्तियों के कानूनी हस्तांतरण के बारे में भारत सरकार और फ्रांस में कोई अन्तिम करार हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कानूनी हस्तांतरण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). भारत सरकार की ओर से मई १९५५ में इस बारे में एक संधि का मसौदा फ्रांस की सरकार को भेजा गया था। फ्रांसीसी सरकार इस जमाने में अपनी भीतरी और बाहरी आवश्यक समस्याओं में उलझी हुई थी। इस वजह से इस पर कुछ ज्यादा बात-चीत नहीं हो सकी। हम से फ्रांसीसी सरकार की ओर से कहा गया है कि अब इसमें अधिक देर नहीं होगी।

श्री विभूति मिश्र : अब तो फ्रांस सरकार को अपने चुनाव के बखेड़े से फुरसत हो गई है, और भारत सरकार क्या वहां की सरकार को लिख रही है कि इसमें शीघ्रता करें ताकि जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर किये जा सकें ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आपकी राय यकीनन् उनको पहुंच जायगी।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मुझे उत्तर समझ में नहीं आया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना है ?

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : जी हां। क्या सरकार का ध्यान फ्रांसीसी राजदूत के पिछले दिसम्बर को त्रिवंद्रम में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सामान्य निर्वाचन के बाद इस प्रश्न पर विचार करने के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी ? यदि हां, तो क्या उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली है तथा क्या फ्रांस का राजनीतिक वातावरण एक सुन्दर हल खोजने के पक्ष में हो गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न छोटा होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह क्या प्रश्न है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह उत्तर से स्पष्ट हो जायेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह स्पष्ट है कि इस मामले में फ्रांस की सरकार ही पहल कर सकती है । हम भी पहल कर सकते हैं । हमने पहल की भी है । उन्होंने हमें सूचना दी है कि वह शीघ्र ही इस मामले को हाथ में लेना चाहते हैं । सभा को शायद पता होगा कि फ्रांस के विदेश मंत्री लगभग १५ दिन के अन्दर दिल्ली आने वाले हैं ।

†**श्री नम्बियार** : क्या यह सत्य है कि सरकार ने लोगों को दिये गये वचन पूरे नहीं किये हैं कि यथार्थ अथवा विधि-अनुसार हस्तान्तरण के पश्चात् भी अच्छे हालात बने रहेंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न विधि-अनुसार हस्तान्तरण से सम्बन्ध रखता है ।

†**श्री नम्बियार** : सरकार यथार्थ हस्तान्तरण के समय दिये गये वचनों को पूरा नहीं कर सकती है । क्या सचमुच ऐसे उदाहरण हैं । लोग चाहते हैं कि पहले की अच्छी बातें वहां चलती रहें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता है । प्रश्न यह है कि विधि-अनुसार हस्तान्तरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

राज्य व्यापार निगम

†*३३६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राज्य व्यापार निगम बनाने की प्रस्थापना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) अति शीघ्र ही ।

†**श्री बंसल** : यह राज्य व्यापार निगम किन-किन वस्तुओं का व्यापार करेगा और इसकी रचना किस प्रकार होगी ?

†**श्री करमरकर** : हम उसे उचित समय पर प्रकाशित करेंगे । यह मामला अभी विचाराधीन है ?

†**श्री बंसल** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह शीघ्र ही एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना करने वाले हैं । यदि, वास्तव में, वह स्थापित होने वाला है तो इस सभा को बताया जाये कि वह राज्य व्यापार निगम किन-किन वस्तुओं का व्यापार करेगा, किन-किन देशों के साथ राज्य व्यापार किया जायेगा तथा उसकी रचना किस प्रकार होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि ये बातें शीघ्र ही बता दी जायेंगी ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार निगम की स्थापना से सम्बन्ध रखने वाली किन-किन प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : ऐसा निगम बनाने की प्रस्थापना है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये सभा में एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है ?

†**श्री करमरकर** : इसके सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० के० बसु** : क्या सरकार इस निगम के क्षेत्र के अन्दर उन सभी निर्यात योग्य वस्तुओं को लाने का विचार रखती है, जिनका विदेशी मंडियों में प्रायः उतार चढ़ाव होता रहता है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : निगम स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही है कि सरकार इस क्षेत्र में प्रवेश करे । अतः स्वभावतः सरकार केवल उन्हीं वस्तुओं को ही चुनेगी जिनमें उसे कोई हानि न हो अथवा सामरिक महत्व की तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए जिनका व्यापार अपने हाथ में लेना सरकार के लिये उचित होगा ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या वित्तीय बातों तथा अन्य प्रशासनीय मामलों के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गयी है ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां ।

†**श्री एम० एल० द्विवेदी** : वह क्या है ?

†**श्री करमरकर** : इसके सम्बन्ध में यथासमय जानकारी दे दी जायेगी । संविधान, वित्त तथा मदों आदि से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातें विचाराधीन हैं । माननीय सदस्य को ज्ञात हो गया होगा कि मैं इसके सम्बन्ध में इसी समय सब कुछ बताने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि यह गोपनीय है ।

कोयला

*३३७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिये किन-किन कोयला खानों से अतिरिक्त कोयला निकालने का विचार है, और प्रत्येक खान से कितना अतिरिक्त कोयला निकाला जायगा;

(ख) यह बात निश्चित करने के लिये कि इन खानों में लक्ष्य पूर्ति के लिये पर्याप्त भंडार है, क्या विशेषज्ञों की राय ली गई है; और

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ को इन कोयला-क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र के कोयला-भंडार के सम्बन्ध में कोई शंका है और यदि हां, तो वे कोयला-क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) वर्तमान कोयले की खानों और आस-पास के क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि करने के अतिरिक्त कोर्वा, कोरिया, झलिमिली, विसरामपुर, कथारा, रामगढ़, और कर्णपुरा में नई खानें खोल कर, अधिक कोयला निकालने का विचार है । प्रत्येक खान से कितना-कितना कोयला निकाला जायगा, इस पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जहां तक सरकार को पता है कोई नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या पबलिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) के लिये कोई सीलिंग (उपरिसीमा) मुकर्रर की गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) में ज्यादा से ज्यादा जितना निकाला जा सके, उतना कोयला निकालने का विचार है । कितना कोयला कोलियरीज निकाल सकती हैं और कितना पब्लिक सेक्टर में निकले वह तो जितना रुपया इस काम के लिये अलग-अलग उपलब्ध होगा उस पर निर्भर करेगा ।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो खानों का जिक्र किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन खानों से ज्यादा से ज्यादा कितना कोयला निकल सकेगा, इसका क्या कोई अन्दाज किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सतीश चन्द्र : आगे जितना भी कोयला निकलने वाला है, वह सब इन्हीं खानों से निकलेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आपने अभी जिन कोयले की खानों का उल्लेख किया है उनमें से निकाले जाने वाले अतिरिक्त कोयले की मात्रा का प्राक्कलन क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हमारा लक्ष्य २३० लाख टन का है । अतिरिक्त कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में यह विचार है कि आज जितना कोयला निकाला जाता है उससे २३० लाख टन कोयला अधिक निकाला जाना चाहिये । इस मात्रा में से लगभग ७० लाख टन अतिरिक्त कोयला रानीगंज तथा झरिया के कोयला-क्षेत्रों से प्राप्त होगा तथा शेष कोयला अन्य कोयला-क्षेत्रों से प्राप्त होगा ।

रेशम

†*३३८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस के बुनकर संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचने योग्य सुन्दरतम वस्तुएं बनाने के लिये सर्वोत्तम रेशमी धागे की मांग कर रहे हैं;

(ख) जिस प्रकार के रेशमी धागे की मांग है, क्या वह आयात किया जाता है अथवा इसी देश में तैयार किया जाता है;

(ग) गत वर्ष उस सर्वोत्तम धागे की कितनी मात्रा आयात की गयी थी तथा कितनी मात्रा देशीय धागे द्वारा पूरी की गयी थी; और

(घ) बनारस के बुनकरों ने अपनी वस्तुओं को विदेशों में बेच कर कितना विदेशी विनिमय प्राप्त किया है ?

†**उत्पादन मंत्री के संभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) जी, हां ।

(ख) बनारस के बुनकर आयात किये गये तथा देशीय दोनों प्रकार के रेशमी धागे का प्रयोग करते हैं ।

(ग) बनारस में औसतन लगभग ३ लाख पौंड आयात किये गये धागे तथा लगभग १·८ लाख पौंड देशीय धागे की वार्षिक खपत होती है ।

(घ) निर्यात व्यापार सम्बन्धी आंकड़े देश के प्रत्येक स्थान के हिसाब से पृथक्-पृथक् नहीं रखे जाते । १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष के दौरान में २०-२५ लाख रुपये की रेशमी वस्तुएं निर्यात की गयी थीं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोत्तम रेशम के निर्माण के लिये कोई व्यवस्था की गयी है क्योंकि हमें प्रति वर्ष इतना अधिक रेशम विदेशों से मंगाना पड़ता है ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : मैं इसका उत्तर तुरन्त नहीं दे सकता । निश्चय ही उसमें इसकी व्यवस्था की गई है और नीति को ध्यान में रखते हुए हम पहले ही अधिक से अधिक उपबन्ध रख रहे हैं ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : मंत्रालय को रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगा देने के सम्बन्ध में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

†**श्री आर० जी० दुबे** : इस सम्बन्ध में आज एक और प्रश्न का भी उत्तर देना है । मैं माननीय सदस्य को केवल यही बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मैसूर की किसी रेशम निर्माता संस्था से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : बनारस के अतिरिक्त किन-किन स्थानों से रेशमी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं ?

†**श्री आर० जी० दुबे** : मैं समझता हूं मैसूर से भी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-चीन करार

†*३३९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भारत-चीन करार के सम्बन्ध में बात-चीत करने वाले नौ देशों के जेनेवा सम्मेलन के सह-सभापति से वियतनाम के निर्वाचन-गतिरोध के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार का उत्तर ब्रिटेन के विदेश कार्यालय को तथा लन्दन स्थित रूसी दूतावास को २१ फरवरी, १९५६ को भेज दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उस पत्र की एक प्रति सीधे ही मास्को में श्री मोलोटोव के पास भी भेज दी गयी थी ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या सरकार ने यह सुझाव दिया है कि इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये श्री मोलोटोव और श्री सेलविन लायड में एक अनौपचारिक ढंग की बैठक होनी चाहिये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां । जब भी वहां पर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है हम उसे जेनेवा सम्मेलन के दो सह-सभापतियों को निर्देशित कर देते हैं । इस समय श्री मोलोटोव तथा श्री सेलविन लायड इसके दो सह-सभापति हैं । प्रस्तुत मामला भी हमने उन्हीं को निर्देशित किया है तथा उसके सम्बन्ध में उनका परामर्श मांगा है ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या इसके सम्बन्ध में श्री डलेस से औपचारिक रूप से विचार विमर्श किया जायेगा यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार का हस्ताक्षर करता नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री डलेस से होने वाली चर्चा की कोई कार्यावली तो है नहीं, परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि हमारी पारस्परिक बातचीत में इसे कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न होगा ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : क्या सरकार को इस बात का संतोष है कि दोनों सह-सभापतियों अर्थात् श्री मोलोटोव तथा श्री सेलविन लायड की विचारधारा में साम्य है और क्या वे यह नहीं समझते 'सीटो' के देशों को इस बात की आशंका है कि वियतनाम में स्वतंत्र निर्वाचन की 'सीटो' समझौते पर प्रतिक्रिया होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सरकार अन्य लोगों के मतों को जानने में असमर्थ है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना है कि श्री मोलोटोव तथा श्री सेलविन लायड इस पर विचार करने के लिये शीघ्र ही मिलने वाले हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे ज्ञात नहीं कि वे कब मिल रहे हैं ।

†**श्री कामत** : वियतनाम में निर्वाचन सम्बन्धी गतिरोध के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या दक्षिणी वियतनाम के प्रेसीडेंट डाइम द्वारा लगाये गये इस आरोप में, जिसके सम्बन्ध में कि समाचार-पत्रों में खबर छपी है, कोई सचाई है कि जहां तक पाथेट-लाओस का सम्बन्ध है उत्तर में साम्यवादियों ने जेनेवा करार की कार्यान्विति में बाधा डाली है अथवा डाल रहे हैं ? मुझे आशा है कि मैं इस नाम का उच्चारण ठीक प्रकार से कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सर्व प्रथम क्योंकि माननीय सदस्य नाम को ठीक प्रकार से उच्चरित करने के उत्सुक हैं, इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि श्री डाइम को श्री जेम कहते हैं। दूसरी बात यह कि माननीय सदस्य ने इस बात की ओर निर्देश किया है कि श्री डाइम अपने राज्य नहीं अपितु किसी अन्य राज्य लाओस के सम्बन्ध में क्या सोचते हैं। लाओस के सम्बन्ध में दोनों पक्षों पर आरोप तथा प्रति आरोप लगाये जा रहे हैं। परन्तु वियतनाम के सम्बन्ध में प्रमुख बात यह है कि श्री डाइम जेनेवा करार को बिल्कुल मानते ही नहीं। यही सब से बड़ी कठिनाई है। वह यह कहते हैं कि वह इसके उपबन्धों से बाध्य नहीं हैं।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : क्या श्री डाइम ने इस करार के सह-सभापतियों को इस बात के कोई कारण बताये हैं कि जुलाई १९५६ में निर्वाचन क्यों न किये जायें, तथा क्या उन कारणों की जांच की गयी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि श्री डाइम ने दोनों सह-सभापतियों से प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: क्या कहा होगा। मुझे इसके सम्बन्ध में कोई भी औपचारिक सूचना नहीं मिली है, परन्तु वास्तविक कठिनाई तो यह है कि श्री डाइम इस करार के अधीन अपने दायित्वों तथा आभारों को स्वीकार ही नहीं करते, यद्यपि दक्षिणी वियतनाम सरकार ने इस करार के फलस्वरूप होने वाले लाभ स्वीकार कर लिये हैं। प्रमुख लाभ है युद्ध समाप्ति तथा उसके उपरान्त युद्ध बन्दियों को अपने-अपने देश में वापिस भेजना। इन सभी लाभों को स्वीकार कर लिया गया है। अब साधारण स्थिति में तो गत जुलाई में उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम में वार्तालाप प्रारम्भ हो जाना चाहिये था ताकि निर्वाचन आगामी जुलाई में हो सकें, परन्तु अभी तक कोई वार्तालाप प्रारम्भ नहीं हुआ है और यह स्पष्ट है कि अब आगामी जुलाई में निर्वाचन करना असम्भव है। तो भी सर्व प्रथम बात जिसका निर्णय करना है वह यह है कि लोग जेनेवा करार का मान करने का आभार समझें तथा फिर उस आभार को कार्यान्वित करें।

भारतीय फिल्में

*३४३. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिमी एशिया में भारतीय फिल्मों की बहुत मांग है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : पश्चिम एशियाई देशों को जो सद्भावना व्यापार मंडल गया था उस की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस क्षेत्र में भारतीय फिल्मों की खपत हो सकती है। इस मण्डल में फिल्म उद्योग का भी एक सदस्य था।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी एशिया में वह कौन-कौन से देश हैं जहां पर यह मंडल गया था और जहां पर भारतीय चलचित्रों की खपत है ?

डा० कसकर : चूंकि यह एक व्यापार मंडल था इसलिये मेरे पास इस की कोई तफसील नहीं है कि यह कहां गया था। अगर माननीय मेम्बर इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनको एक और सवाल करना पड़ेगा।

श्री भागवत झा आजाद : व्यापार मंडल की इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाये हैं जिन से यह मालूम हो कि पश्चिमी एशिया के देशों में भारतीय फिल्मों का वितरण और अधिक सुविधाजनक होगा।

डा० कसकर : यह मंडल व्यापार क लिये गया था। उसने बहुत से उद्योगों के बारे में सिफारिशें की हैं। फिल्मों के बारे में भी उसने कहा है कि खपत हो सकती है। इसके बारे में जो कुछ उसके विचार

†मूल अंग्रेजी में

थे उनका हमने फिल्म प्रोड्यूसर्स की जो भिन्न-भिन्न संस्थायें हैं उनके पास लिख कर भेज दिया है। और चूंकि यह व्यवसाय स्वतंत्र है सरकारी नहीं है, इसलिये उनके ऊपर निर्भर करता है कि इसके बारे में वह क्या कदम उठायेंगे ?

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि बाहर से जो ऐसी फिल्म्स आती हैं जिनका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और जिन से वह शैतानी और चोरी आदि भी सीखते हैं, उनको बैन (प्रतिबन्ध) करने के लिये, या जो फिल्म्स इस तरह की हिन्दुस्तान में बनती हैं उन पर रोक लगाने के लिये, कोई कदम उठाया जायगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह नहीं है।

†**डा० केसकर** : यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

†**श्री के० के० बसु** : किस देश ने भारतीय चित्रों का सर्वाधिक स्वागत किया।

डा० केसकर : इस समय बहुत थोड़े ही भारतीय चित्रों का निर्यात किया जाता है। चित्रों का अधिकतम संख्या में निर्यात पिछले दो या तीन वर्षों में ही हुआ और यह निर्यात रूस को हुआ है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वेस्टर्न (पश्चिमी) एशिया के देशों में भारतीय फिल्में पहुंचाने के लिये भारत सरकार और वहां की सरकारों के बीच कोई पत्र व्यवहार चल रहा है ?

डा० केसकर : चूंकि यह स्वतंत्र उद्योग है इसलिये इसके बारे में गवर्नमेंट कोई कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी फिल्में तैयार न हों जो बाहर भेजी जा सकें। अगर फिल्म इन्डस्ट्री (उद्योग) ऐसी फिल्म तैयार करने लगे जो कि बाहर भेजी जा सकती हो, तब यह सवाल उठेगा।

गोआ

†*३४४. **श्री वेलायुधन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ राज्य क्षेत्र के उस भाग में जहां कि पुर्तगालियों का प्रशासन नहीं है कोई प्राधिकारी प्रशासन कर रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : दादरा और नगर हवेली भारत की दो पुर्तगाली बस्तियों को, उस क्षेत्रों की जनता के सहयोग से निशस्त्र गोआ राष्ट्रवादियों ने अगस्त १९५४ में मुक्त किया था। उनका प्रशासन उन्हीं बस्तियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है।

†**श्री वेलायुधन** : अब उक्त क्षेत्रों का शासन कौन कर रहा है, क्या बम्बई सरकार वहां का प्रशासन कर रही है अथवा वहां कोई प्रशासनिक संगठन बनाया गया है ? बम्बई में गोआ के राष्ट्रवादियों ने यह मांग की थी कि वहां का प्रशासन वहां की जनता की सम्मति से होना चाहिये।

†**श्री अनिल के० चन्दा** : जिन लोगों ने उक्त क्षेत्रों को मुक्त किया, उन्होंने अपना एक बोर्ड बना लिया है लेकिन मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं जानता जो कि वहां का प्रशासन कर रहा हो।

†**श्री वेलायुधन** : वह इस विशेष राज्य क्षेत्र के प्रशासन पर बम्बई सरकार अथवा भारत सरकार का नियन्त्रण, पर्यवेक्षण अथवा सम्पर्क है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : भारत सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है।

†**श्री वेलायुधन** : क्या बम्बई के गोआ राष्ट्रवादियों ने यह मांग की थी कि उक्त क्षेत्रों का प्रशासन एक विशेष प्रकार से किया जाय तथा वर्तमान प्रशासन का प्रकार तथा रूप त्रटिपूर्ण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल के० चन्दा** : गोआ के यूनाइटेड फ्रन्ट के अध्यक्ष श्री आर० जी० कामत पत्रों में यह लिख रहे हैं कि इन स्वतंत्र किये गये क्षेत्रों में अस्थायी सरकार बनाई जानी चाहिये किन्तु यह स्पष्ट है कि वहां सरकार स्थापित करना उन लोगों का काम है जिन्होंने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्हें भारत में विलय करने के लिये ही स्वतंत्र किया गया था, क्या इन स्वतंत्र किये गये क्षेत्रों तथा भारत सरकार के बीच इन्हें ले लेने की बातचीत हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उनके साथ बातचीत करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। निसंदेह वहां की जनता भारत के साथ पूर्ण एकीकरण चाहती है लेकिन भारत सरकार ने गोआ के व्यापक प्रश्न के विलम्बित रहने के कारण कोई वैध कार्य करना नहीं चाहा। निसंदेह एक समय ऐसा आयेगा जब कि इस सब का भारत में विलय हो जायेगा।

मिट्टी हटाने की मशीनें

†*३४५. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर १६५५ में सरकार ने मिट्टी हटाने की मशीनों के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है।

†**श्री तुलसी दास** : भारत में मिट्टी हटाने की मशीनों के निर्माताओं की संख्या क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : पूरी मशीनें बनाने वाला कोई भी निर्माता नहीं है, किन्तु कई कारखाने हैं जो कि इनके पुर्जों के निर्माण की क्षमता रखते हैं।

†**श्री तुलसीदास** : क्या इन निर्माताओं को उक्त पुर्जे बनाने अथवा अपने कार्यक्रम में विस्तार करने में कठिनाई अनुभव हो रही है ?

†**श्री कानूनगो** : यथार्थ में इसी बात का पता लगाने के लिये समिति नियुक्त की गई है।

"सिन्दरी न्यूज"

†*३४६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "सिन्दरी न्यूज" के प्रकाशन का व्यय तथा आय क्या है;

(ख) कितनी प्रतियां छपती हैं तथा किस प्रकार वितरित होती हैं; और

(ग) कितनी प्रतियां चन्दा देने वाले ग्राहक को दी जाती हैं और कितनी प्रतियां उपहार स्वरूप भेजी जाती हैं।

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४४]**

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तरह के विचार और समाचार उसमें छापे जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री आर० जी० दुबे : सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी के अन्दर जो काम अलग-अलग डिपार्टमेंट्स (विभागों) में चलता है और वहां पर जो मुश्किलात पैदा होती हैं इसमें उनके बारे में वर्कर्ज (श्रमिकों) को मालूमात देने का प्रबन्ध किया जाता है और इसके साथ ही साथ फ़र्टिलाइजर के बारे में भी आम तौर पर मालूमात दी जाती हैं ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या यह सच है कि जो इसके सबस्क्राईबर्ज (ग्राहक) हैं वह सिर्फ वर्कर्ज ही हैं और उनकी रजामंदी के बगैर ही उनसे पैसे ले लिये जाते हैं ।

श्री आर० जी० दुबे : वर्कर्ज के अलावा बाहर के लोग भी सबस्क्राईबर्ज हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या सरकार का यह अभिप्राय है कि प्रत्येक उर्वरक कारखाने का एक पत्र होना चाहिये ।

†**श्री आर० जी० दुबे** : मैं अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में नहीं कह सकता हूं लेकिन सिन्दरी कारखाने में हमने इसका सूत्रपात किया है ।

†**ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर तीन सप्लीमेंटरी (अनुपूरक प्रश्न) पूछे जा चुके हैं ।

दियासलाई उद्योग

†*३४७. **श्री वीरस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यदि सरकार हाथ से बनी दियासलाइयों के लिये केन्द्रीय बिक्री संगठन की स्थापना नहीं करेगी तो सत्तूर तथा शिवकासी क्षेत्र के ६० दियासलाई के कारखाने कार्य करना बन्द कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) उक्त आशा का एक संकल्प इन दियासलाई के कारखानों के मालिकों की बैठक में पारित हुआ है ।

(ख) ये कारखाने अधिकांशत : 'ख' वर्ग श्रेणी कारखाने हैं और निजी व्यक्तियों के हैं । सरकार ने उन्हें सुझाव दिया था कि वे अपने माल की बिक्री के लिये एक संयुक्त स्कन्ध समवाय प्रारम्भ करें । मुश्किल यह है कि वे इस प्रयोजन के लिये संगठित नहीं हो सके ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या इन दियासलाई निर्माताओं की ओर से सरकार को एक बिक्री संघ की स्थापना की प्रार्थना का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिससे कि वे वेस्टर्न इंडिया मैच मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी से प्रतिद्वंद्विता कर सकें ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : जी, हां । कुछ व्यक्ति इस सम्बन्ध में मुझ से मिले थे ।

†**श्री नटराजन** : क्या यह सच नहीं है कि 'विमको' ने अपने शक्तिशाली संगठन के द्वारा दक्षिण में मूल्य घटाकर अपनी बिक्री बढ़ा दी है ।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री नटराजन** : क्या यह सच है कि १९३० से प्रारम्भ होने वाले वर्षों के शुरू में कर जांच, आयोग के समय, सरकार तथा 'विमको' के बीच एक अलिखित करार हुआ था कि 'विमको' अपना उत्पादन

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय खपत का पचास प्रतिशत तक ही सीमित रखेगी और यह कि अवशेष दस्तकारी उद्योग के लिये रक्षित रहेगा। यदि हां, तो क्या सरकार उसे कार्यान्वित करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**श्रीमती जयश्री** : भारत में कुल कितने कारखाने दियासलाइयां बनाते हैं तथा कितने आदमी वहां काम करते हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : उक्त प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या यह सच है कि दियासलाई निर्माताओं को अपने क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में दियासलाइयां निर्यात करने के लिये मालगाड़ी के डिब्बे भी नहीं दिये जाते हैं ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : यह प्रश्न रेलवे मंत्री जी से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री वेलायुधन** : उनके उत्पादन को बन्द करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या का क्या होगा ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : कदाचित मेरे माननीय मित्र ने मेरे प्रश्न को गलत समझा है । सरकार ने किसी चीज को बन्द करने का निर्णय नहीं किया है । गैर-सरकारी निर्माताओं ने जो कि इन लोगों को काम में लगा कर पैसे कमा रहे हैं, और दियासलाइयों का उत्पादन कर रह हैं, कहा है कि यदि कुछ नहीं किया जायेगा तो हम कारखाने बन्द कर देंगे ।

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोक-सभा इस विषय पर दिलचस्पी ले रही है इसलिये लोक-सभा की सूचना के लिये मैं यह भी बता दूं कि लगभग साढ़े तीन वर्ष पूर्व हमने इन लोगों को संगठित करने का प्रयत्न किया वस्तुत: मैं स्वयं मद्रास गया। ये कारखाने स्वयं कुछ भी रुपया देना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि सरकार ही सब रुपया दे। सरकार सहयोगी उपक्रमों का प्रशासन करने वाली किसी वर्तमान योजना के अन्तर्गत इस संस्था का प्रवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि उन कारखानों में शोषण चलता है। बाद में इस उद्योग की अवस्था काफी अच्छी हो गई थी। दियासलाईयां खूब बिक रही थीं, वे लोग स्मृद्धिशाली हो गये और वे इसके बारे में ये सब कुछ भूल गये और अब जब दाम गिरने लगे तो वे चाहते हैं कि सरकार धन से उनकी सहायता करे ।

सरकार किसी भी सहकारी उपक्रम की सहायता करने को प्रस्तुत है किन्तु वह ऐसे उपक्रम को सहायता नहीं दे सकती जिसका मुख्य उद्देश्य अनुचित लाभ कमाना हो ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : उक्त संकल्प के पारित होने के पश्चात से सरकार ने उन्हें बिक्री की सुविधायें देने के लिये, जिसकी कि उन्होंने इस संकल्प में मांग की प्रतीत होती है, क्या कार्यवाही की ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : माननीय सदस्य को यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं है। मैंने अभी सारी स्थिति समझाई है। कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प पारित करता है जिसका तात्पर्य है कि सरकार ४० लाख रुपये व्यय करने का वचन दे, उस पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है। उन्हें अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिये। यदि वे लोग कहें कि वे ३५, ३० या २५ लाख व्यय करने को तैयार हैं तब मैं औद्योगिक वित्त निगम अथवा राज्य वित्त निगम से उन्हें सहायता देने के लिये कह सकता हूं, लेकिन सरकार किसी ऐसे उद्योग में सहायता नहीं कर सकती जहां कि मुनाफा कमाना ही मुख्य उद्देश्य हो ।

रोडेशिया और न्यासालैंड में भारतीय

†*३४९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी रोडेशिया और न्यासालेंड की सरकारों ने ऐसी विधियां

---

†मूल अंग्रेजी में

पारित की हैं जिनसे कि भारतीयों के एक राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य क्षेत्र में गमनागमन पर प्रतिबन्ध लगता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)**: (क) दक्षिण रोडेशिया व्यक्तियों का अन्तर्राज्य क्षेत्रीय गमनागमन (नियंत्रण) अधिनियम, १९५४ की धारा ४ (१) (ग) के अधीन कोई व्यक्ति, जो कि उत्तरी रोडेशिया और न्यासालैंड में जन्मा हो अथवा का रहनेवाला हो और जो कि यूरोपीय अथवा अफ़्रीका का आदिवासी न हो, दक्षिणी रोडेशिया में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार उत्तर रोडेशिया तथा न्यासालेंड में रहने वाले भारतीयों के दक्षिणी रोडेशिया में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। उत्तरी रोडेशिया तथा न्यासालैंड की सरकार ने रोडेशिया और न्यासालैंड के फेडरेशन में कहीं भी रहने वाले भारतीयों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं।

(ख) भारत सरकार के लिये इस मामले में कोई कार्य करना सम्भव नहीं हो सका है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या यह सच है कि दक्षिण रोडेशिया की सरकार ने इस फेडरेशन के निर्माण के समय निश्चित आश्वासन दिया था कि जाति-पांति का भेद भाव मानने की नीति नहीं अपनाई जायगी, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय अफ़्रीकी फेडरेशन की सरकार को इस बारे में पत्र लिखा है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मुझे पक्का पता नहीं है कि ऐसा कोई आश्वासन दक्षिण रोडेशिया सरकार ने दिया था या नहीं। वास्तव में, यदि कोई ऐसा आश्वासन दिया गया हो, तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि वस्तुतः १९५४ से एक अधिनियम चल रहा है जिसके अधीन दक्षिणी रोडेशिया में भारतीय लोगों के आप्रवास पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या कोई साधारण आश्वासन दिया गया था कि केन्द्रीय अफ़्रीकी फेडरेशन में जाति-पाति के भेद-भाव की कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई जायगी, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय अफ़्रीकी फेडरेशन को इस बारे में लिखा है ?

†**श्री अनिल के० चन्दा** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे ऐसे किसी आश्वासन का ज्ञान नहीं है।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं इतना कह सकता हूं, कि उस समय इस आशय के अस्पष्ट वक्तव्य दिये गये थे कोई आश्वासन तो नहीं, किन्तु अस्पष्ट साधारण वक्तव्य दिये गये थे।

वर्तमान विधि के बारे में कहा जा सकता है कि इसमें कोई भेद-भाव नहीं माना जाता, किन्तु वास्तव में ऐसा होता है। परन्तु यह केवल भारतीयों पर ही लागू नहीं होता, यह दूसरे लोगों पर भी लागू होता है। किन्तु यथार्थ में इस का बोझ भारतीय और दूसरे एशियाई लोगों पर पड़ता है।

दूसरी कठिनाई यह है कि केन्द्रीय अफ़्रीकी फेडरेशन में भेद-भाव करने वाली बहुत सी बातें हैं, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में भी। जब हम सरकार को सूचित करते हैं तो वह खेद प्रकट करती है और कहती है हमें इसका खेद है किन्तु हम असमर्थ हैं, जिसका यह अर्थ हुआ कि लोग ऐसा करते हैं या नगर-पालिका ऐसा करती है अथवा और कोई ऐसा करता है, किन्तु सरकार ऐसा नहीं करती। हां सरकार ने यह कहा है कि यह सत्य है।

केवल कुछ दिन पहले, केन्द्रीय अफ़्रीकी फेडरेशन के कुछ प्रमुख सदस्यों ने पृथक्करण के बारे में दक्षिणी अफ़्रीकी सरकार के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा "हम केन्द्रीय अफ़्रीकी फेडरेशन में इस नीति का अर्थात्, पृथक्करण की नीति का पालन नहीं करेंगे"।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः ये बड़ी भ्रमोत्पादक और परस्पर विपरीत प्रवृत्तियां हैं, किन्तु सामान्य प्रवृत्ति निश्चय ही भेद-भाव के पक्ष में है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रावनकोर-कोचीन में छोटे पैमाने के उद्योग

†*३२३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये त्रावनकोर कोचीन राज्य की सरकार को जो अनुदान या सहायता दी गई थी, राज्य सरकार ने उसका पूर्णतः उपयोग नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिसम्बर १९५५ के अन्त में, मंत्री महोदय ने राज्य के प्रतिनिधियों की मद्रास में एक बैठक बुलाई थी और उनसे उन परिस्थितियों का वर्णन करने के लिये कहा था, जिनके कारण राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस बैठक का अन्तिम परिणाम क्या निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). मद्रास, आन्ध्र, मैसूर और त्रावनकोर-कोचीन सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक २७ दिसम्बर, १९५५ को मद्रास में मुख्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के निमित्त भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं को कार्यान्वित संबंधी प्रगति की समीक्षा करने के लिये बुलाई गई थी । वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने, जिन्होंने बैठक का सभापतित्व किया, योजनाओं की कार्यान्विति में अधिक प्रगति की आवश्यकता पर जोर दिया ।

पंजाब के विस्थापित कृषक परिवार

†*३२८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब या पंजाबी विकास के ऐसे विस्थापित कृषक परिवारों की संख्या क्या है, जिनके भूमि सम्बन्धी दावे पूर्वी पंजाब (भूमि दावे पंजीयन) अधिनियम, १९४८, के अन्तर्गत पंजीबद्ध हो चुके हैं और पश्चिम पाकिस्तान में रह गई सम्पत्तियों के लिये जिनकी पड़ताल पंजाब सरकार द्वारा कर ली गई है, जिन्हें राजस्थान के गंगानगर जिला में अस्थायी रूप से भूमि आवंटित की गई है; और

(ख) ऐसे आवंटनियों की संख्या कितनी है, जिन्हें अब गंगानगर में अर्ध स्थायी आवंटन दिये गये हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) ८१५ परिवार ।

(ख) शून्य । विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों के नियम ६४ में हाल ही में संशोधन किया गया है और इन आवंटनियों को स्वामित्व का अधिकार देने के लिये अब कार्रवाई की जायगी ।

इस्पात आयात

†*३३१. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत रूस से इस्पात का आयात करने के बारे में एक करार करने का विचार रखता है; और

(ख) यदि हां, तो आयात की कितनी मात्रा होगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: (क) तथा (ख) जी हां । १९५६ से १९५८ तक १० लाख टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम पंचवर्षीय योजना पर व्यय

†*३३३. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना पर पुनरीक्षित अनुमानित व्यय क्या होगा;

(ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सामान्य राजस्वों से कितना-कितना धन खर्च होगा; और

(ग) (१) ऋण, (२) विदेशी सहायता, तथा (३) घाटे की बजट व्यवस्था, से कुल कितना धन खर्च किया जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) २१२० करोड़ रुपये । इसमें पहले तीन वर्षों के वास्तविक आंकड़े, १९५४-५५ के पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५५-५६ के बजट प्रक्कलन के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

(ख) ६२६ करोड़ रुपये, जिसमें चालू राजस्वों से ४९० करोड़ रुपये, रेलवे से ११६ करोड़ रुपये और विविधि पूंजी प्राप्तियों से २० करोड़ रुपये की राशियां सम्मिलित हैं ।

(ग) (१) ४८७ करोड़ रुपये, जिसमें जनता से ऋणों के २०३ करोड़ रुपये, और अल्प बचत तथा अनिधिबद्ध ऋण के २८४ करोड़ रुपये सम्मिलित हैं ।

(२) २३० करोड़ रुपये ।

(३) ७७७ करोड़ रुपये । यह घाटा ऋण अधिक लेकर, प्रतिभूतियां बेच कर और नकद बकाया राशि से निकाल कर पूरा किया जायेगा ।

ढ़लाई प्रोद्योगिकी

†*३३५. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलिस्तान में स्टैफर्डशायर में वौल्वरहैम्पटन म्यूनिसिपल कालेज में ढलाई प्रोद्योगिकी का विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ विद्यार्थी चुन कर भेजे गये हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है और उनके प्रशिक्षण की कितनी अवधि है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, हां । जो व्यक्ति भेजे गये हैं वे विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि इस व्यवसाय में पहले से लगे हुए शिल्पिक हैं ।

(ख) संख्या ६

प्रशिक्षण की अवधि : पांच व्यक्तियों की १० महीने और एक व्यक्ति की लगभग २ वर्ष ।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*३४०. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के और हथकरघा उद्योगों से सम्बन्धित योजनाओं की कार्यान्विति के साथ जिन राज्य सरकारों का सीधा सम्बन्ध है, उनके प्रतिनिधियों का प्रादेशिक सम्मेलन जनवरी १९५६ में बम्बई में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन मुख्यतया हथकरघां और छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिये बुलाया गया था । बैठक में राज्य सरकारों से प्रगति की गति को तेज करने पर जोर दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैलम में इस्पात संयंत्र

†*३४१. **श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सैलम में स्थापित किये जाने वाले लोहा और इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में वहां निम्न उदग्र भट्टी (लो शैफ्ट फर्नेस) स्थापित करने की योजना अन्तिम रूप में तैयार हो चुकी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अभी नहीं, श्रीमान् ।

रेशम उद्योग

†*३४२. **श्री एन० राचय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशन उद्योग के लिये संरक्षण की मांग करने वाले मैसूर के रेशम उद्योग के प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें रेशम उद्योग को संरक्षण दिये जाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) १९३४ से रेशम-कृमि पालन उद्योग को संरक्षण पहले से ही प्राप्त है, किन्तु अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें आयात किये गये धागे पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने की मांग की गई है ।

(ख) सरकार बाजार का विनियमन करने के लिये कच्चे रेशम की थोड़ी सी मात्रा का आयात कर रही है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड देशी रेशम पर होने वाले किसी कुप्रभाव को रोकने की दृष्टि से बाज़ार के रुख की ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात् थोड़ी-थोडी मात्रा में रेशम का स्टाक खोलता है । पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं समझा जाता ।

एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन

†*३४८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :**
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन का अगला सत्र स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन का अगला सत्र बुलाने की कोई तिथि-निश्चित नहीं की गई थी ।

डी० डी० टी०

*३५०. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने १९५४-५५ में विदेशों से कितनी डी० डी० टी० का आयात किया;

(ख) उसी कालावधि में भारत में कितनी डी० डी० टी० का उत्पादन हुआ;

(ग) क्या भारत में एक और डी० डी० टी० की फैक्टरी स्थापित करने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो वह कहां पर स्थापित की जायेगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिये ७,०२० टन डी० डी० टी० (७५ प्रतिशत चूर्ण) का आयात किया गया ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) त्रावणकोर-कोचीन में आल्वे स्थान पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नमक उत्पादन

†*३५१. **श्री नम्बियार** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवंडाकुलम (टूटीकोरिन-मद्रास राज्य) के वालीबार संगम से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें नमक उत्पादन के लिये भूमि दिये जाने के बारे में सुझाव दिये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) मई १९५१ में प्राप्त हुई संगम की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी क्योंकि वह भूमि १९५० में एक सहकारी संस्था को पट्टे पर दी जा चुकी थी ।

नमक

†*३५२. **श्री सी० आर० नरसिंहम्** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आये चक्रवात के कारण मद्रास राज्य में नमक बनाने वालों को जितनी हानि हुई है, क्या उसकी जांच की गई है ;

(ख) क्या प्रभावित नमक निर्माताओं ने किसी सहायता और रियायत की मांग की थी; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (१) नमक निर्माताओं की हालत सुधारने के लिये सहायक-अनुदान और ब्याज-मुक्त ऋण मंजूर किये गये हैं;

(२) सरकारी रक्षित स्टाकों को और निर्धारित स्तर से नीचे के नमक को जिस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था, खोल दिया गया है;

(३) फैक्टरी की चारदीवारी के अन्दर जिन खाइयों, बांधों और सड़कों आदि को हानि हुई थी, उनकी मरम्मत की जा रही है ।

कपास का आयात

*३५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का पाकिस्तान से कपास आयात करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). जी, हां । भारत-पाकिस्तान व्यापार करार की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान से ७/८ इंची और इससे लम्बे रेशे की कपास आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है ।

टेलीविजन

*३५४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** :
श्री झूलन सिंह :
श्री आर० एस० तिवारी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :
श्री वोडयार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में टेलीविजन आरम्भ करने का है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह विषय किस स्थिति में है;

(ग) क्या यह सच है कि फिलिप्स इलेक्ट्रीकल कम्पनी ने इसके लिये आवश्यक सामान देने का वचन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) इस का काम दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है।

(ग) तथा (घ). कुछ साज़-सामान बेचने का एक प्रस्ताव आया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

हारवैल के यू० के० एटौमिक रिऐक्टर स्कूल में भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिनियुक्ति

†*३५५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों को हारवैल के यू० के० एटौमिक रिसर्च एस्टैबलिशमैन्ट रिऐक्टर स्कूल के कोर्स में शामिल होने के लिये भेजा गया है या क्या वे स्वयं वहां गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या क्या है ?

***प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). ब्रिटेन में हारवैल के रिऐक्टर स्कूल के कोर्स में शामिल होने के लिये सरकार ने तीन वैज्ञोनिकों को प्रतिनियुक्त किया था।

एटौमिक रिऐक्टर

†*३५६. { **श्री राधा रमण** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे एटौमिक (अणु) रिऐक्टरों की स्थापना की संभावना पर विचार कर रही है जिनमें अभिजनन के लिये और विद्युत जनित्र के रूप में यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का उपयोग हो;

(ख) बम्बई में आजकल जो रिऐक्टर (स्विमिंग पूल रिऐक्टर) बनाया जा रहा है वह कब कार्य करना आरम्भ करेगा; और

(ग) इस योजना का प्राक्कलित व्यय क्या होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां।

(ख) लगभग इस वर्ष के मध्य तक।

(ग) लगभग २६ लाख रुपये। इसमें उन इंधन तत्वों के दाम सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें ब्रिटेन अणु शक्ति प्राधिकारी से किराये पर लिया जायेगा।

आयात का विनियमन

†*३५७. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे रेशम, कास्टिक सोडा, सोडा एश, सोडियम बाइकारबोनेटे आदि कुछ वस्तुओं के आयात के विनियमन के सम्बन्ध में क्या सरकार ने अपनी योजना का निर्धारण किया है;

(ख) क्या यह सच है कि योजना दामों के उतार चढ़ाव को नहीं रोक सकी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का योजना को जारी रखने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) इन योजनाओं के परिणामों के सम्बन्ध में निर्णय करने में अभी और समय लगेगा।

(ग) जी हां।

भारतीय उद्योग मेला

†*३५८. { **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री वेलायुधन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारतीय उद्योग मेले में प्रदर्शित अपनी कुछ वस्तुएं भारत सरकार को भेंट की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन देशों का नाम क्या है; और

(ग) ये वस्तुएं क्या-क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) अमरीका, चीन और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य।

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५**]

कपास का आयात

†*३५९. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में भारत में कपास की कितनी मात्रा विदेशों से मंगवाई गई;

(ख) आजकल कपास के दाम चढ़ने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या जिन देशों से कपास का आयात हुआ है उन देशों में भी दामों में वृद्धि हुई है; और

(घ) कीमतों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५४-५५ के कपास के वर्ष में ६,१५,४३५ कपास की गांठें विदेशों से मंगवाई गईं।

(ख) तथा (ग). जिन देशों से कपास का आयात किया गया था वहां पर दाम चढ़ गये थे और परिणामस्वरूप भारत में भी दाम अधिक हो गए।

(घ) प्रश्न के (ख) तथा (ग) भागों के उत्तरों को देखते हुए सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकती। विदेशी कपास के दामों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

टेल्को

†*३६०. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की मैसर्ज टाटा लोकोमोटिव एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड ने मैसर्ज डैमलर बैन्ज ए० जी० (पश्चिमी जर्मनी) की सहकारिता से देश में अपने वर्तमान काम-काज के विस्तार के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर अपनी स्वीकृति दे दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जी, हां। मैसर्ज टाटा लोकोमोटिव एन्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के पास एक पारी के आधार पर डीजल से चलने वाले ३००० ट्रक तैयार करने

†मूल अंग्रेजी में

का लाइसैंस था और उन्होंने दो पारियों में काम करने की अनुमति दिए जाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था। दिसम्बर, १६५५ में उन्हें अनुमति दे दी गई थी।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के निकट सीमा घटनायें

†*३६१. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २८ नवम्बर, १६५५ को कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सीमा का उल्लंघन किया था और भारतीय सैनिकों ने उन पर गोली चलाई थी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : २८ नवम्बर, १६५५ को कई पाकिस्तानी घास काट रहे थे और अखनूर के निकट सीमा के लगभग आध मील भीतर हमारे प्रदेश में उन्होंने एक भारतीय विशिष्ट सशस्त्र गश्ती टुकड़ी को चुपके से घेर लिया। अपने आप को छड़ाने के लिये हमारी गश्ती टुकड़ी ने एक गोली चलाई और फलस्वरूप एक पाकिस्तानी की मृत्यु हुई। घटना में किसी भी भारतीय सैनिक का हाथ नहीं था।

गोआ

†*३६२. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह बात मालूम है कि सिंगापुर, अदन और हौंगकौंग में कुछ भारतीय नागरिक गुप्त रूप से गोआ के साथ व्यापार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) और (ख). सरकार को मालूम है कि अदन और सिंगापुर में कुछ भारतीय नागरिकों ने गोआ को सामान भेजा है। भारतीय नागरिकों को गोआ को सामान का निर्यात न करने का सुझाव दिया गया है। हौंगकौंग से गोआ को निर्यात के सम्बन्ध में इस समय कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। बम्बई सरकार और भारत सरकार के समुचित विभागों से प्रार्थना की गई है कि वे बम्बई से अदन के रास्ते गोआ भेजे जाने वाले सामान के निर्यात पर निगाह रखें।

तम्बाकू

*३६३. **श्री जी० एल० चौधरी :**
श्री डाभी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी की तम्बाकू के निर्यात के लिये सरकार नई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से सम्पर्क स्थापित किया गया है; और

(ग) इस दिशा में कहां तक सफलता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). मिस्र, अदन, ईरान, इराक, तुर्की, पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कम्बोडिया और चीन के बाजारों का हमारे व्यापारिक अफसरों द्वारा सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन पता चला है कि उन्हें इन बाजारों में बीड़ी की तम्बाकू में कोई गहरी रुचि नहीं दिखायी दी है। फिर भी अभी और कोशिशें की जा रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़े की किस्म पर नियन्त्रण

†*३६४. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :**
श्री अस्थाना :
बाबू राम नारायण सिंह :
श्री एम० इस्लामुद्दीन :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़े के निर्माण पर कोई किस्म का नियन्त्रण लगाती है; और

(ख) यदि हां, तो यह नियन्त्रण कैसा होता है और किस प्रकार लगाया जाता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). मिलों द्वारा सूती कपड़े के निर्माण के सम्बन्ध में कपड़ा मिलों को ताने और बाने के धागों के 'काउन्ट' (नम्बर) और कंघी (रीड-पिक) के अन्तर के सम्बन्ध में कुछ निर्धारित विशेष विवरणों के समनुरूप होना अपेक्षित होता है। निर्यात के लिये अभिप्रेत कपड़े के सम्बन्ध में यह देखने के लिये कि क्या वह प्रमाप किस्मों के अनुसार है या नहीं निरीक्षण सम्बन्धी एक स्वैच्छिक व्यवस्था भी है। कपड़ा विदेश भेजने वाला कोई भी व्यक्ति या विदेशी खरीदार जो कपड़े की किस्म की गारंटी चाहे उसे मुफ्त सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

महात्मा गांधी के सम्बन्ध में उपाख्यान

†*३६५. **श्री एस० सी० सामन्त :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा महात्मा गांधी के सम्बन्ध में उपाख्यान और कथाएं इकट्ठी करने का प्रयत्न किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जीवित समकालिक व्यक्तियों से अप्रकाशित उपाख्यानों को इकट्ठा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और

(ग) ३० जनवरी, १९५६ को महात्मा गांधी की बरसी के अवसर पर जो उपाख्यान और कथायें प्रसारित की गईं उनकी संख्या क्या थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**:(क) से (ग). ३० जनवरी के समारोहों के एक भाग के रुप में आकाशवाणी ने गांधी जी के उपाख्यानों को, और जहां कहीं जीवित समकालिक व्यक्तियों द्वारा गांधी जी के अप्रकाशित सच्चे उपाख्यानों का प्रसारण संभव हो, उन्हें प्रसारित करने का एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों से तदनुसार कुछ उपाख्यान प्रसारित किये गये थे। विचार यह है कि बाद में एकत्रित उपाख्यानों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाये।

भाखड़ा बांध परियोजना पर व्यय

†*३६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २५ जुलाई, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध परियोजना पर अनुमानित व्यय के पुनरीक्षण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो वृद्धि की अनुमानित धनराशि कितनी है और वृद्धि के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) पुनरीक्षित अनुमान तैयार किया जा चुका है परन्तु उसका अभी अनुमोदन नहीं किया गया है ।

(ख) १९५४ में १५८·८८३४ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था और अब अनुमानित लागत १७३·५४८३ करोड़ रुपये है, अर्थात् १४·६६४९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । यह वृद्धि परियोजना के क्षेत्र के बढ़ाये जाने के कारण है अर्थात् गंगूवाल और कीटला के बिजली घरों में एक अतिरिक्त इकाई और भाखड़ा के बिजली घर में चार अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना तथा दाहिने किनारे के बिजली घर में असैनिक निर्माण-कार्यों पर अतिरिक्त व्यय ।

इंजीनियरी कर्मचारीवर्ग समिति

†*३६७. **श्री बंसल :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री वोडयार :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री माधव रेड्डी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग द्वारा नियुक्त की गई इंजीनियरी कर्मचारीवृन्द समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इंजीनियरी कर्मचारीवृन्द समिति ने अभी तक अपनी अन्तरिम सिफारिशें ही भेजी हैं ।

(ख) समिति की अन्तरिम सिफारिशों की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-७२/५६]**

मुसलमानों का धर्म परिवर्तन

†*३६८. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री एम० आर० कृष्ण :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पाकिस्तान के समाचारपत्रों में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को हिन्दू बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन मिथ्या समाचारों का खण्डन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा)** : (क) और (ख). हाल ही में पाकिस्तान के प्रेस नें दिल्ली के उर्दू दैनिक में दिसम्बर, १९५५ के अन्त में प्रकाशित इस आशय की खबर का विस्तृत प्रचार किया कि राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को हिन्दू बनाया जा रहा है । इस बीच में भारतीय समाचारपत्र ने उस खबर का सत्यापन कराया और उसे मिथ्या पाकर उसका खंडन किया जिसको पाकिस्तान के अनेक समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया । हमारे कराची स्थित उच्चायुक्त और लाहौर स्थित उप-उच्चायुक्त ने भी प्रेस वक्तव्यों में भारत में मुसलमानों के धर्म परिवर्तन की खबर का खण्डन किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय श्रमिक बल (नेशनल लेबर फोर्स)

†*३६९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री एक राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग (नेशनल लेबर फोर्स) की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय बताने की कृपा करेंगे ?

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : अभी तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रमिक बल (नेशनल लेबर फोर्स) की स्थापना के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

भारी पानी का संयत रिऐक्टर

†१६९. **श्री बलवन्त सिंह महता :**
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :
श्री एस० वी० रामस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में बहुत जल्दी ही एक भारी पानी का संयत रिऐक्टर स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके किस स्थान में स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) उपोत्पाद के रूप में प्राप्त भारी पानी का प्रति टन मूल्य लगभग क्या होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) बम्बई के पास ट्राम्बे में अणुशक्ति संस्थापन में ।

(ग) नांगल के उर्वरक तथा भारी पानी संयंत्र में जो भारी पानीउत्पन्न किया जायेगा उसके प्रतिटन मूल्य का अनुमान परियोजना प्रतिवेदनों के, जो प्रविधिक परामर्शदाताओं से मांगे गये हैं, प्राप्त होने और उन पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है ।

सूती कपड़ा

†१७०. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ के पत्री-वर्षों में मिल के कपड़े, शक्ति-चालित करघे के कपड़े और हाथ के करघे के कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) विभिन्न प्रकार के कपड़ों—मोटा, मध्यम, बढ़िया और बहुत बढ़िया—के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या कपड़े के उत्पादन में बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों की ओर झुकाव हो रहा है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २ ; अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों की ओर झुकाव हाथ के करघे के कपड़े के मामले में हो रहा है ।

वाणिज्यिक गुप्तवार्ता और साँख्यिकी महानिदेशालय जांच

†१७१. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक गुप्तवार्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के कार्यकरण की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जांच करने के लिये निर्मित तदर्थ समिति ने एक स्थायी परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वह परामर्शदात्री समिति निर्मित की गई है ; और

(ग) उस परामर्शदात्री समिति की अभी तक कितनी बैठकें हुई हैं और उसके द्वारा क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) केवल एक ही बैठक हुई है जिसमें समिति ने निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित मामलों की चर्चा की :—

(१) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के करों की जानकारी कराने वाली एक पुस्तिका का संकलन;

(२) विदेशी व्यापार के खातों में प्रयुक्त वस्तुओं के वर्गीकरण की चालू पद्धति के स्थान पर प्रतिमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण पर आधारित एक विस्तृत सूची का प्रयोग; और

(३) वाणिज्यिक गुप्तवार्ता कार्य का विस्तार और उसमें सुधार।

कोनार बांध

†**१७२. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २४ नवम्बर, १९५५ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न ८९ के उत्तर के सम्बन्ध में दामोदर घाटी निगम के कोनार बांध के उद्घाटन समारोह पर अनुमानित व्यय के पद संख्या १,३ और १० के अलग-अलग आंकड़े बताने की कृपा करेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : आवश्यक जानकारी दामोदर घाटी निगम से इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र लोक-सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय चलचित्र उद्योग

†**१७३. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चलचित्र उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) सरकार (१) अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने और (२) शिक्षोपयोगी सस्ते चलचित्रों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिये अन्ततः क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) एक राष्ट्रीय चलचित्र बोर्ड और एक चल-चित्र संस्था के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है और चलचित्र जांच समिति की सिफारिश के अनुसार कच्ची फिल्म और सिनेमा प्रोजेक्टरों के निर्माण की संभावनाओं की भी जांच की जा रही है।

(ख) अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन की अनुमति आजकल भी नहीं दी जाती है। एक चलचित्र उत्पादन ब्यूरो के निर्माण का भी विचार किया जा रहा है जो ऐसे चलचित्रों के उत्पादन के उपक्रम को रोकेगा। चलचित्र विभाग स्वयं और गैर-सरकारी उत्पादकों के माध्यम से शिक्षोपयोगी चलचित्रों के उत्पादन का विस्तार करेगा और बाल-चलचित्र समिति बालकों के लिये मनोरंजक चलचित्रों का उत्पादन-कार्य ले रही है।

इस्पात उत्पादन

†**१७४. श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री भारत में १९५५ में हुआ इस्पात का कुल उत्पादन बताने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : १२,६०,३५८ टन ।

सिलाई की मशीनें

†**१७५. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू अनुज्ञापन अवधि में सिलाई की मशीनों के आयात के लिये तदर्थ लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है; और

(ग) उन प्रतिष्ठापित आयातकों के नाम, जिन्हें लाइसेंस जारी किये गये हैं, क्या हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय दूतावास

†**१७६. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट मामले की, विदेश में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी की पत्नी द्वारा अचल सम्पत्ति के खरीदे जाने की जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच की उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त सम्पत्ति उक्त अधिकारी के दामाद द्वारा उक्त अधिकारी की पत्नी के नाम से खरीदी गई थी । किन्तु तो भी यथासमय इस सौदे की सूचना सरकार को दी जानी चाहिये थी । उक्त अधिकारी को इस बात की सूचना दे दी गई थी । उसके बाद से उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी है ।

मैथान परियोजना

†**१७७.** { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री तुषार चटर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून-जुलाई १९५३ में दामोदर घाटी निगम की मैथोन परियोजना में श्रमिकों की संख्या क्या थी;

(ख) उक्त अवधि में, अस्थायी रूप से रखे गये विभागीय कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) इस समय दोनों वर्गों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे व्यक्तियों की, जिसके आगामी छः महीनों में आवश्यकता से अधिक हो जाने की संभावना है, संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी का आश्वासन दिया गया है;

(च) आवश्यकता से अधिक हुए व्यक्तियों में से जिन्हें नौकरी मिल गई है उनकी संख्या क्या है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(छ) क्या दामोदर घाटी निगम के पास आवश्यकता से अधिक हो गये व्यक्तियों की गति-विधियों की जानकारी रखने का कोई तरीका है ?

†**सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ५,४४२ जिसमें ठेकेदार के मज़दूर भी शामिल हैं।

(ख) २,४१७।

(ग) ९,३६७ जिसमें ठेकेदार के मज़दूर भी शामिल हैं।

(घ) ६,०००।

(ङ) दामोदर घाटी निगम ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है। किन्तु अतिरेक प्रविधिक कर्मचारियों को वैकल्पिक रोज़गार प्राप्त कराने के लिये मंत्रालय सभी संभव उपायों की खोज कर रहा है।

(च) ४१।

(छ) जी, हां।

अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग

†**१७८.** **श्री डी० सी० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने शांतिपूर्ण प्रयोग के अणु गवेषणा की गुप्त बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिये, अन्य देशों की सरकारों से समझौते किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अणु गवेषणा में सहयोग देने और सहकारिता करने के लिये भारत अन्य देशों के निकट सम्पर्क में है और उनमें से कुछ के साथ उसने अपौचारिक समझौते किये हैं।

(ख) सम्बन्धित देशों में कनाडा, फ्रांस, नार्वे, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं।

पेप्सू में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†**१७९. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेप्सू में विस्थापितों के पुनर्वास पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**। इस जानकारी को एकत्रित करने में, जो आसानी से उपलब्ध नहीं है, जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा।

सिंदरी उर्वरक कारख़ाना

†**१८०. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंदरी उर्वरक कारखाने के विभिन्न विभागों में इस समय कितने विदेशी सेवायुक्त हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : एक।

मद्यनिषेध जांच समिति का प्रतिवेदन

†**१८१. श्री कामत** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने मद्यनिषेध जांच समिति के प्रतिवेदन पर अपने विचार वयक्त कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के बारे में प्रत्येक राज्य की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र)** : (क) हां, केवल उड़ीसा की राज्य सरकार के अतिरिक्त ।

(ख) राज्यों द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]

हिंदुस्तान मोटर कारें

†**१८२. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ और १९५५ में निर्यात की गई हिंदुस्तान मोटर कारों की संख्या; और

(ख) जिन देशों को उक्त कारें निर्यात की गई उनके नाम ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) और (ख). १९५४ और १९५५ में हिन्दुस्तान मोटर कारों के कोई वाणिज्यिक निर्यात नहीं हुए ।

मोटर कारें

†**१८३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५५ से दिसम्बर, १९५५ तक की अवधि में निर्मित और आयात की गई विभिन्न प्रकार की मोटर कारों की संख्या क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में विदेशों को निर्यात की गई हिन्दुस्तान लैंडमास्टर मोटर कारों की संख्या कितनी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, १९५५ में हिन्दुस्तान लैंडमास्टर मोटर कारों का कोई वाणिज्यिक निर्यात नहीं हुआ ।

निष्क्रान्त सम्पति

†**१८४. श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक नीलाम की गई निष्क्रांत सम्पत्तियों की संख्या;

(ख) उनमें से ऐसी सम्पत्तियों की संख्या जिन्हें विस्थापित व्यक्तियों ने अपने दावों के बदले में ख़रीदा है;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अब तक कब्ज़ा दे दिया गया है; और

(घ) नीलाम के लगभग कितने समय के बाद कब्जा दिया गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ७,९२८ ।

(ख) ६,१३१ ।

(ग) १,७७३ ।

(घ) नीलाम के बाद कब्जा दिये जाने में लगभग दो महीनों का समय उस स्थिति में लगता है जबकि सम्पत्ति की कीमत किसी एक दावेदार के लिये, जिसके कोई सह-अंशधारी न हों और जिसने अन्य राज्यों में पुनर्वास सम्बन्धी लाभ प्राप्त न किये हों निश्चित की गई हो । कई मामलों में कई दावेदार

---

†मूल अंग्रेजी में

मिलकर किसी सम्पत्ति को खरीद लेते हैं और ऐसी स्थिति में लगभग चार से लेकर छः महीनों का समय लग सकता है। यदि इन दावेदारों के कोई सह-अंशधारी विभिन्न राज्यों में हों तो इससे भी अधिक समय लग सकता है।

इंग्लैंड स्थित भारतीय उच्च आयोग

†**१८५. श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४-५५ में, इंगलैंड स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय में व्यय हुई धनराशि कितनी है; और

(ख) यदि १६५१ के बाद उक्त व्यय में लगातार वृद्धि ही हुई हो तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इंगलैंड स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के कार्यालय पर, होने वाला व्यय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित विभिन्न अनुदानों में विकलित किया जाता है। १६५४-५५ में, वैदेशिक कार्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अनुदान के प्रति ५१,५८,६५७ रुपये का कुल व्यय हुआ था और इसमें मुख्य महामान्यालय, प्रचार संगठन, विधि सलाहकार के विभाग और ऐतिहासिक सलाहकार पर हुआ व्यय शामिल है। इसके अतिरिक्त, उसमें अन्य मदों जैसे औपनिवेशिक विभागीय शुल्कों, विदेश सेवा परिवीक्षाधीनों, निराश्रित भारतीयों की सहायता और उनके प्रत्यावर्तन, डब्लिन स्थित भारत के दूतावास और अन्य विविध व्यय, पर हुआ विविध व्यय भी शामिल है।

(ख) १६५१-५२, १६५२-५३ और १६५३-५४ के तत्स्थानी आंकड़े क्रमश : ५३,६६,६४० रुपये, ४६,६०,७७६ रुपये और ५०,६३,७६० रुपये हैं। १६५२-५३ में १६५१-५२ की अपेक्षा व्यय में कुछ कमी हुई थी और यह कमी, आर्थिक सलाहकार, चिकित्सकीय सलाहकार और शिक्षा विभाग के कार्यालय पर हुए व्यय को अन्य मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित अनुदानों में स्थानांतरित किये जाने और आकस्मिकताओं पर होने वाले व्यय में मितव्ययिता किये जाने के फलस्वरूप हुई थी। १६५२-५३ के व्यय की तुलना में १६५३-५४ और १६५४-५५ के व्यय में जो थोड़ी वृद्धि हुई है वह ब्रिटिश अधिकोष नियमों के अनुसार स्थानीय कर्मचारियों को वेतन दिये जाने की मंजूरी और सामान्य वेतन वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप हुई है।

भिलाई इस्पात कारखाना

†**१८६. श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात परियोजना में इस समय काम करने वाले दक्ष और अदक्ष मजदूरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे मजदूरों के लिये विहित मजूरी क्रम क्या हैं;

(ग) उक्त मजदूरों में से कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश से भर्ती किये गये हैं; और

(घ) भर्ती और चुनाव करने वाले अधिकारी कौन हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)** : (क) चूंकि अब समस्त कार्य राज्य सरकार के विभागों अथवा ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है इसलिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २९ फरवरी, १९५६]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२८१--३०३
३१९	उर्वरक कारखाने	२८१–८३
३२०	सामुदायिक रेडियो सेट	२८३–८४
३२१	निर्यात संवर्धन संस्था	२८४–८५
३२२	कोयले की खानों का एकीकरण	२८५–८६
३२४	परियोजनाओं के लिये यंत्र	२८६–८७
३२५	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	२८७–८८
३२६	श्री डलेस का भारत आगमन	२८८–८९
३२७	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२८९
३२९	चावल के चोकर का निर्यात	२८९–९०
३३०	कोयला	२९०–९१
३३२	चर्खा ...	२९१–९२
३३४	फ़्रांसीसी बस्तियां	२९२–९३
३३६	राज्य व्यापार निगम	२९३–९४
३३७	कोयला ...	२९४–९५
३३८	रेशम ...	२९५
३३९	भारत-चीन करार	२९६–९७
३४३	भारतीय फिल्में	२९७–९८
३४४	गोआ	२९८–९९
३४५	मिट्टी हटाने की मशीनें ...	२९९
३४६	"सिंदरी न्यूज"	२९९–३००
३४७	दियासलाई उद्योग ...	३००–०१
३४९	रोडेशिया और न्यासालैंड में भारतीय ...	३०१–०३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३०३-१७

तारांकित प्रश्न संख्या		
३२३	त्रावनकोर-कोचीन में छोटे पैमाने के उद्योग	३०३
३२८	पंजाब के विस्थापित कृषक परिवार	३०३
३३१	इस्पात आयात ...	३०३
३३३	प्रथम पंचवर्षीय योजना पर व्यय	३०४
३३५	ढलाई प्रोद्योगिकी	३०४
३४०	छोटे पैमाने के उद्योग ...	३०४
३४१	सैलम में इस्पात संयंत्र ...	३०५
३४२	रेशम उद्योग ...	३०५
३४८	एशियाई-अफ़्रीकी सम्मेलन	३०५
३५०	डी० डी० टी०	३०५
३५१	नमक उत्पादन ...	३०६

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)		
३५२	नमक ...	३०६
३५३	कपास का आयात	३०६
३५४	टेलीविजन	३०६–०७
३५५	हारवैल के यू० के० एटौमिक रिऐक्टर स्कूल में भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिनियुक्ति	३०७
३५६	एटौमिक रिऐक्टर	३०७
३५७	आयात का विनियमन	३०७–०८
३५८	भारतीय उद्योग मेला ...	३०८
३५९	कपास का आयात	३०८
३६०	टेल्को	३०८–०९
३६१	जम्मू तथा काश्मीर राज्य के निकट सीमा घटनाएं	३०९
३६२	गोआ ...	३०९
३६३	तम्बाकू	३०९
३६४	कपड़े की किस्म पर नियंत्रण ...	३१०
३६५	महात्मा गांधी के सम्बन्ध में उपाख्यान...	३१०
३६६	भाखड़ा बांध परियोजना पर व्यय	३१०–११
३६७	इंजीनियरी कर्मचारीवर्ग समिति	३११
३६८	मुसलमानों का धर्म परिवर्तन ...	३११
३६९	राष्ट्रीय श्रमिक बल (नेशनल लेबर फोर्स)	३१२
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१६९	भारी पानी का संयत रिऐक्टर	३१२
१७०	सूती कपड़ा	३१२
१७१	वाणिज्यिक गुप्तवार्ता और सांख्यिकी महानिदेशालय-जांच ...	३१२–१३
१७२	कोनार बांध ...	३१३
१७३	भारतीय चलचित्र उद्योग	३१३
१७४	इस्पात उत्पादन	३१३–१४
१७५	सिलाई की मशीनें	३१४
१७६	भारतीय दूतावास	३१४
१७७	मैथान परियोजना ...	३१४–१५
१७८	अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग ...	३१५
१७९	पेप्सू में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	३१५
१८०	सिंदरी उर्वरक कारखाना	३१५
१८१	मद्य निषेध जांच समिति का प्रतिवेदन ...	३१५–१६
१८२	हिन्दुस्तान मोटर कारें ...	३१६
१८३	मोटर कारें ...	३१६
१८४	निष्क्रांत सम्पत्ति ...	३१६–१७
१८५	इंगलैंड में भारतीय उच्च आयोग	३१७
१८६	सिलाई इस्पात कारखाना ...	३१७

M8LSD–190–6–5–57–GIPF.

खण्ड १ — अंक १२
२९ फरवरी, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २ — प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(खण्ड १ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

३७ नये पैसे (देश में) दो शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

[खंड १—१५ फरवरी, १९५६ से ३ मार्च, १९५६ तक]

	पृष्ठ
संख्या १—बुधवार, १५ फरवरी, १९५६	
राष्ट्रपति का अभिभाषण	१–५
अध्यक्ष महोदय से सन्देश	६
श्री नटेशन का निधन	६
विशेषाधिकार प्रश्न ...	६–७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ...	७
स्थान प्रस्ताव—	
पुर्तगाली सशस्त्र सेना द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण	८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	८–१०
लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक	१०
प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक	११
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक	११
दैनिक संक्षेपिका ...	१२–१५
संख्या २—गुरुवार, १६ फरवरी, १९५६	
श्री मेधनाद साहा का निधन	१७
दैनिक संक्षपिका ...	१८
संख्या ३—शुक्रवार, १७ फरवरी, १९५६	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर राज्य में गोली चलाना –	१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२०–२२, २३
ग़ैर-सकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन ...	२१, ४६–४७
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक	२१
बिक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक	२१–२२
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक	२२
जीवन बीमा निगम विधेयक ...	२२
लोक-सभा का कार्य	२३, ४६
विशेषाधिकार का प्रश्न ...	२३
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, ...	२४–४२
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	४३–४६
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प	४७–६४
दैनिक संक्षेपिका	६५–६६

संख्या ४--शनिवार, १८ फरवरी, १९५६

	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन	६८
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	६७–७०
खंड १--२९	७०–९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	९७
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विधि जीवी परिषद् (राज्य विधियों का मान्यीकरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९७–१०४
खंड १--२ और अनुसूची ...	१०४–०५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ...	१०५
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१०५–०६
खंड १--२	१०६–०७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	१०७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	१०७–१०
भारतीय रेडक्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११०–१३
खंड १--९ और अनुसूची १--३ ...	११३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११४–१५
सेंट जान एम्बूलेंस एसोशिएसन (भारत) विधियों का स्थानान्तरण विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव	११५–१९
खंड १--२ और अनुसूची ...	११६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	११६–१७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	११७–२५
दैनिक संक्षेपिका ...	१२६
संख्या ५--सोमवार, २० फरवरी, १९५६	
आचार्य नरेन्द्र देव का निधन	१२७–२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१२९
कार्य मंत्रणा समिति--	
इकतीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१२९
दो सदस्यों की नज़रबन्दी से रिहाई ...	१२९
राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में प्रस्ताव ...	१३०–७०
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७०–८३
खंडों पर विचार	१८३–८७
दैनिक संक्षेपिका	१८८

पृष्ठ

संख्या ६---मंगलवार, २१ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... १८९–९०
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक--रायें १९०
राज्य-सभा से संदेश १९०
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९५६ १९१
प्राक्कलन समिति
उन्नीसवां प्रतिवेदन १९१
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक--
खण्ड १९१–९३
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १९३–९६
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव १९६–२३५
दैनिक संक्षेपिका ... २३६–३७

संख्या ७---बुधवार, २२ फरवरी, १९५६

स्थगन प्रस्ताव--
कच्छ की खाड़ी के छाड़बेट में पाकिस्तानी सेना का बलात् प्रवेश २३९–४१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २४१–४२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चालीसवां प्रतिवेदन ... २४२
समिति के लिये निर्वाचन--
दिल्ली विकास अस्थायी प्राधिकार ... २४३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव २४३–९१
दैनिक संक्षेपिका ... २९२–९३

संख्या ८---गुरुवार, २३ फरवरी, १९५६

सदस्य की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट ... २९५
रेलवे आय-व्ययक का उपस्थापन ... २९५–३१३
राष्ट्रपति का अभिभाषण सम्बन्धी प्रस्ताव ३१३–५६
दैनिक संक्षेपिका ... ३५७

संख्या ९---शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३५९
राज्य-सभा से सन्देश ३५९
भारत लाख उपकर (संशोधन) विधेयक ... ३५९
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकाएं ३५९–६०
नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ... ३६०–७७
खण्ड २ और १ ... ३७७
पारित करने का प्रस्ताव ३७७–७८
पूंजी निर्गम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ३७८–८५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
चवालीसवां प्रतिवेदन ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १७०क का रखा जाना) ३८५
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४२७क का रखा जाना) ३८६
विधान-मंडलों की कार्यवाही (प्रकाशन-संरक्षण) विधेयक ... ३८६
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५, आदि के स्थान पर नई धारा रखना)--
विचार करने का प्रस्ताव ३८६-४०१
अनुपूरक अनुदानों की मांगें ४०१
श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४०१-०६
दैनिक संक्षेपिका ४०७-०८

संख्या १०--सोमवार, २७ फरवरी, १९५६

श्री जी० वी० मावलंकर का निधन ४०९-१६
दैनिक संक्षेपिका ४१७

संख्या ११--मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

श्री लालचन्द नवलराय का निधन ४१९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४१९-२०
राष्ट्रपति से सन्देश ४२०
राज्य-सभा से सन्देश ४२०
भारतीय रुई उपकर (संशोधन) विधेयक ४२१
एक सदस्य की गिरफ्तारी ४२१
प्राक्कलन समिति--
बीसवां प्रतिवेदन ४२१
समिति के लिये निर्वाचन
राष्ट्रीय सेना छात्र दल की केन्द्रीय मंत्रणा समिति ४२१
कृषिउत्पाद (विकास तथा गोदामों में रखने की व्यवस्था) निर्गम विधेयक ४२१-२२
पूंजी निर्गन (नियंत्रण का जारी रखना) संशोधन विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४२२-२३
खण्ड २, ३ और १ ... ... ४४३
पारित करने का प्रस्ताव ... ४४३
बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव ४४४-६३
दैनिक संक्षेपिका ४६४-६५

संख्या १२--बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक ४६७
विक्री-कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४६८-८८
खण्ड २, ३ और १ ४८९-९२
पारित करने का प्रस्ताव ४९२
सभा का कार्य ४९२
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ४९२-५१०
१९५६-५७ के सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०-३२
वित्त विधेयक ५३२
दैनिक संक्षेपिका ५३३

संख्या १३--गुरुवार, १ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५३५
प्राक्कलन समिति--
इक्कीसवां प्रतिवेदन ५३५
सभा का कार्य--
बैठक का समय ५३५
१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें ५३६...७६
विनियोग विधेयक ५७६
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५७६-९१
दैनिक संक्षेपिका ५९२

संख्या १४--शुक्रवार, २ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ५९३-९४
राज्य-सभा से सन्देश ५९४
विनियोग विधेयक ... ५९४
जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव ५९५-६१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--
पैंतालीसवां प्रतिवेदन ६१२
सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं
की जांच के लिये समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प ६१३-३५
मद्य निषेध के लिये अंतिम तिथि निश्चित करने के बारे में संकल्प ६३५
दैनिक संक्षेपिका ६३६

संख्या १५--शनिवार, ३ मार्च, १९५६

स्थगन प्रस्ताव ६३७-३८
सभा-पटल पर रखा गया पत्र ६३९

वित्त विधेयक में छपाई की गलतियों के बारे में वक्तव्य ... ६३९

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव ६३९–६८

खण्ड २ से १६ और १ ६६८–७७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ६७७–७८

दैनिक संक्षेपिका ६७९

M87LSD—190—21-3-58—GIPF

लोक-सभा

बुधवार, २९ फरवरी, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्यान्ह

सभा-पटल पल रखा गया पत्र

दामोदर घाटी निगम का बजट प्राक्कलन

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: मैं श्री नन्दा की ओर से दामोदर घाटी निगम अधिनियम १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अधीन वर्ष १९५६-५७ के लिये दामोदर घाटी निगम के बजट प्राक्कलन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस/७०/५६]**

गैर-सरकरी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतालीसवाँ प्रतिवेदन

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पैंतालीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

प्रतिभूति संविदायें विनियमन विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन* का उपस्थापन

†**श्री सी० सी० शाह** (गोहिलवाड सोरठ) : मैं, प्रतिभूतियों के लेन-देन के कारोबार को विनियमित करके, विकल्पों का निषेध करके तथा तत्सम्बन्धी कुछ अन्य विषयों का उपबन्ध करके, प्रतिभूतियों के अवाँछनीय सौदों को रोकने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के सूचना-पत्र के तारीख २९-२-१९५६ के असाधारण अंक में प्रकाशित ।

बिक्री कर विधियां मान्यीकरण विधेयक——समाप्त

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा बिक्री कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक पर अग्रेतर विचार प्रारम्भ करेगी । इस विधेयक पर चर्चा के लिये अब केवल ढेढ़ घंटे अवशेष हैं ।

तत्पश्चात् सभा जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक पर ४/३० बजे म० प० तक चर्चा करेगी । तत्पश्चात् ५ बजे वित्त मंत्री बजट उपस्थापित करेंगे । अब श्री हेडा बिक्री कर विधियाँ मान्यीकरण विधेयक पर भाषण जारी रखेंगे ।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : कल मैं यह अर्ज कर रहा था कि आमतौर पर यह खयाल फैला हुआ है कि हुकूमत चाहे जो कुछ करे वह अपने काम को निभा कर ले जा सकती है । इस सिलसिले में मुझे एक आध चीज़ और अर्ज़ करनी है ।

कल जब इस विधेयक के ऊपर हाउस (सभा) में बहस हो रही थी तो उसके दौरान में एक सदस्य ने दरियाफ्त (मालूम) किया था कि जिस कम्पनी ने यह दावा दायर किया और जिसके हक में यह फैसला हुआ, अगर उस कम्पनी को सेल्स टैक्स (बिक्री कर) देना होगा और अगर देना होगा तो उसको यह सारा झंझट मोल लेने से क्या फ़ायदा हुआ ? उसके जवाब में उसी वक्त कहा गया था कि उसको यह सन्तोष मिलेगा कि फैसला उसके हक़ में हुआ । लेकिन मैं उनको यह बतलाना चाहूंगा कि केवल सन्तोष मात्र से किसी व्यापारिक संस्था के लिये काफ़ी नहीं हो सकता । दरअसल इसमें वह कहावत चरितार्थ होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल । उन्होंने एक दावा दायर किया एक प्वाइंट क्लियर (स्पष्टीकरण) कराया लेकिन खुद उन्हें उससे कोई फायदा नहीं हुआ और उनके सामने जो एक समस्या थी, जो एक सवाल था वह ज्यों का त्यों बना रहा और वह हल नहीं हो पाया । दूसरी तरफ़ जब हम हुकूमत की पोज़ीशन स्थिति का ख्याल करते हैं तो उसके सम्बन्ध में ऐक दूसरी कहावत चरितार्थ होती है और वह यह है कि 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' । जो काम होने हमने किया वह अगर ठीक था और दस्तूर के तहत (अधीन) था, तब तो चलिये अच्छा हुआ लेकिन अगर वह दस्तूर के तहत भी ठीक नहीं था तब भी आगे चलकर हम यहां आकर उसका रिट्रोस्पेक्ट एफैक्ट (भूतलक्षी प्रभाव के साथ) ठीक करा सकते हैं । बरहाल आम लोगों में यह ख़्याल फैल रहा है कि हुकूमत चाहे कोई काम करले और वह चाहे कानून दस्तूर के तहत जायज़ हो या न हो, उसके खिलाफ़ कोई चारेकार हासिल नहीं है । इस सिलसिले में मेरा केवल इतना निवेदन है कि कम से कम वह सेल्स टैक्स जो अभी वसूल नहीं हुआ है, उसके बारे में हुकूमत (सरकार) को और तरीक़े से गौर करना चाहिये ।

इस विधेयक के एम्स एंड आब्जेक्ट्स (उद्देश्य) के अन्दर जो शब्द लिखे हैं और बिल (विधेयक) की बाडी के अन्दर जो शब्द लिखे हैं, उनमें ज़रा सा फ़र्क है । एम्स एंड आब्ज़ेक्ट्स के अन्दर "लैवी एंड कलैक्शन" (आरोपण और संग्रहण) इस तरह से "एंड" (और हैव शब्द डाला हुआ है जब कि बिल की बाडी में) "बीन लैवीड आर कलेक्टैड" (आरोपित या संग्रहीत) यह शब्द डाले हुये हैं । एम्स एंड आब्जेक्ट्स को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि जो इंटर स्टेट टैक्स (अन्तर्राज्यीय बिक्री कर) आयद हो चुका लैवी हो चुका और वसूल हो चुका, वह तो वसूल हो चुका और उसको अब जायज़ कर दिया गया है लेकिन वह टैक्स जो सिर्फ़ आयद हुआ है और अभी वसूल नहीं हुआ है उसके बारे में एक ऐसा ख़्याल पैदा होता है कि शायद उसको वसूल नहीं किया जायगा । लेकिन बिल का जो दूसरा क्लाज़ (खंड) है उसको देखने के बाद स्पष्ट तौर पर मालूम होता है कि जो अभी वसूल नहीं हुआ है उसको वसूल किया जा सकता है और उसकी अदायगी से नजात या माफ़ी नहीं मिल सकती । उसके बारे में मैं अर्ज़ करूंगा कि जिन से सेल्स-टैक्स वसूल हो चुका है और जो रक़म सरकार के पास मौजूद है, उसके बारे में मुझे कुछ ख़ास कहना नहीं है और वास्तव में यह काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक बार जो पैसा हुकूमत के पास चला जाय, वह उससे वापिस लिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : सरकार रिफंड (वापस कर) देती है ।

श्री हेडा : सरकार के पास चले गये पैसे को वापिस लेने के लिये बड़ी दिक्कत और दुश्वारी पैदा होती है और किसी भी तरह की वसूली हो तकावी हो या दूसरे महसूलात हों, हमने देखा है कि हालांकि सरकार इन की वसूली करते वक्त यह कह देती है कि भाई इनकी अदायगी कर दो, मुमकिन है आगे चल करके हमें इससे कोई नजात मिल सकेगी और यह माफ हो जायेंगे और यही वजह है कि जो आदमी ऐसा समझ कर महसूल वगैरा अदा कर देता है, वह तो आगे चल कर नुक़सान में रहता है लेकिन जो आदमी अदा नहीं करता और कोई न कोई हीले बहाने बना कर उसकी अदायगी को टालता जाता है, उसको आगे चल कर किसी मौके पर फायदा पहुंच सकता है जिसका मतलब यह हुआ कि जो न्याय होता है वह उलटा हो रहा है । जो ठीक तौर पर अदा करता है वह तो नुक़सान में रहता है और जिसने ठीक तौर पर अदा न करके किसी न किसी तरीक़े से उसकी अदायगी को रोके रक्खा वह फायदे में रहता है । इस सम्बन्ध में मैं यह अपील करूंगा कि कम से कम जो सेल्स टैक्स आयद हो चुका वह तो हो चुका लेकिन जो अभी तक वसूल नहीं हुआ है, उसको वसूल करने की कार्यवाही न की जाय और ऐसा करके हम यक़ीनन सुप्रीम कोर्ट का जो इस सम्बन्ध में डिसिशन (निर्णय) हुआ है, उसकी हम इज्जत करेंगे । यहां पर यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को इज्जत तो हम करते ही हैं और हम उनके फैसले की भी इज्जत करते हैं और उसी के लिये तो यह बिल हम हाउस की मंजूरी के लिये लाये हैं । आपका ऐसा फरमाना बजा है लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह इज्जत महज़ टेकनिकल (पारिभाषिक) है जब कि आप यह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हमारे रास्ते में अड़ंगा लगाया था, उसको हमने दूर कर दिया है । इस तरह की यह जो भावना है और इज्जत है, जिस तरीके से पूरी इज्जत होनी चाहिये थी, वह नहीं हो पाई है । अभी जैसा कि श्री बंसल ने कहा और एक दूसरे साहब ने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ा क़दम उठाने का सवाल नहीं है, खाली तीन, चार करोड़ रुपये का सवाल है और मैं तो कहता हूं कि जो हम आलरैडी (पहले ही) वसूल कर चुके हैं, उसके सम्बन्ध में हम कोई कार्यवाही न करें, लेकिन जो अभी वसूल होना बाकी है, और वह बहुत छोटी रक़म निकलेगी और उसमें नुक़सान की कोई खास बात नहीं है, उसको हम अब वसूल न करें । जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ ठहरा लिया है उसको हम रिट्रोस्पेक्टिव (भूतलक्षी) तौर पर जायज़ करार देकर बक़ाया की वसूलयाबी न करें और हमारा ऐसा करने से कम से कम कुछ लोगों को राहत मिलेगी और ऐसा करके हम सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक अमल करेंगे और मैं समझता हूं कि हम इससे मुल्क के अन्दर खुशनूदी (सद्भावना) हासिल करेंगे । इन्हीं चन्द एक अल्फ़ाज़ (शब्दों) के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह जो आपके रूबरू (सामने) आज क़ानून मौजूद है, इसके जब मैंने एम्स एंड आबजेक्ट्स (उद्देश्य) को देखा तो मैं यह समझा था कि चूंकि यह मुश्किल है कि जो रुपया कलैक्ट (जमा) हो चुका है वह किस को वापिस किया जाय । मिडिलमेन (दलाल) को अगर वापिस किया जाय तो कंज्यूमर्स (उपभोक्ता) को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा और इस वजह से आनरेबुल फ़ाइनेंस मिनिस्टर (माननीय वित्त मंत्री) साहब का यह कहना था कि चूंकि असल अशखास (व्यक्तियों) को जिनसे कि यह रुपया वसूल किया गया है उनको नहीं मिलेगा । बल्कि ऐसे अशखास को मिलेगा जो फिलवाक्य (यथार्थ में) इसके हक़दार नहीं हैं और इस दलील में कुछ जवाब था कि उस रुपये को वापिस न किया जाता, जो कि मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट का फ़र्ज इतना ही है कि अगर किसी शख्स से उसने नाजायज़ तौर पर रुपया वसूल किया है तो गर्वनमेंट को वह उसी शख्स को वापिस दे देना चाहिये जिससे कि उसने वसूल किया हो । यह इक्वैटी (भावना) है कि जिस से गर्वनमेंट ने रुपया वसूल किया और जिस शख्स ने कंज्यूमर्स से वसूल किया और उनके माबैन है यह दिक्कत पेश थी कि वह किस को दें और किन को न दें, यहां तक गवर्नमेंट का तालुक है, यह रुपया उनको मिलना चाहिये जिनसे कि गवर्नमेंट ने वसूल किया, मैं इस डेलिकेटनेस (बारीकी) आनरेबल मिनिस्टर के फाईन

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

टेम्परामेंट (अच्छी प्रकृति) और डेलिकेसी आफ़ लॉ (कानून की बारीकी) की उनकी दलील को समझने को तैयार हूं कि असल शख़्स को अगर रुपया नहीं पहुंचता तो अच्छा है कि वह रुपया गवर्नमेंट के पास ही रह जाय, यह मिनिस्टर साहब का नुक्तेनिगाह (दृष्टिकोण) था जो कि मैं इसके साथ एग्रीमेंट (सहमत) में नहीं हूं, ताहम इसमें कुछ जवाज़ था लेकिन जब जनाब के तशरीफ़ ले जाने के बाद एक दो सवाल उठे तो पता लगा कि इसके अन्दर इतना ही नहीं है बल्कि जो आज ऐसे कानून मौजूद हैं जिनकी कि बाबत सुप्रीम कोर्ट ने क़रार दे दिया कि वह दुरुस्त क़ानून नहीं हैं और लालेस लाज़ (विधि रहित कानून) हैं और उनके अन्दर कोई एलिमेंट आफ जस्टिस (न्याय तत्व) नहीं है जिसकी कि बेसिस आधार पर उनको क़ायम रख सकें और उनके तहत किसी को अख़्तयार नहीं था कि उस रुपये को वसूल करता, उन लाज़ के मातहत जो शख़्स अभी तक टैक्स देने के लिये लाएबिल हैं, उनसे इस टैक्स को अभी वसूल किया जायगा, तो ऐसी हालत में आनरेबुल मिनिस्टर साहब की जो असली दलील थी कि गवर्नमेंट कैसे उस टैक्स की रक्म को उन ही लोगों को वापिस दे जिनसे कि उसने वाक़ई में वसूल किया, वह दलील बेमानी हो जाती है और वह दलील दरअसल इस क़ानून के वास्ते नहीं पेश की जा रही है बल्कि वह दलील तो गवर्नमेंट की तरफ़ से उस इकट्ठा किये हुये रुपये को हज़म करने के वास्ते पेश की जा रही है। गवर्नमेंट को यह बख़ूबी मालूम है कि जिन लोगों से इस टैक्स का रुपया वसूल नहीं हुआ है और जो इसकी ज़द (सीमा) में आते हैं, अगर गवर्नमेंट उनसे रुपया वसूल न करे तो ठीक मानों में यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इज्जत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद और बावजूद इसके कि हमारी राय में वह क़ानून दुरुस्त नहीं है, वह इल्लीगल (अवैध) टैक्स है, अगर फिर भी हम वसूल करते चले जांय तो मैं समझता हूं कि यह "टैविसिटी आफ़ ला" (विधि की अवहेलना) है और गवर्नमेंट हरगिज़ जस्टिफ़ाइड (न्यायसंगत) नहीं है कि उन लोगों से एक ऐसे कानून के मातहत जो कि दुरुस्त नहीं है, उस के मातहत अगर कोई लाए-ब्लिटी (दायित्व) पैदा होती है तो मैं अर्ज़ करता हूं कि वह ईल्लीगल इक्ज़ैक्शन है और अनजस्टिफाइड इक्ज़ैक्शन है। एक ऐसे कानून के मातहत जो कि इल्लीगल ठहराया गया है उसके मातहत लाएब्लिटी को कलैक्ट करना मेरी समझ में इनजस्टिस को परपिचुएट (अन्याय को बढ़ावा देना) करना है। फिलवाकै जब मैं ने इस आसपेक्ट (पहलू) को सोचा तो मुझे मालूम हुआ कि यह मुनासिब नहीं है कि कानून इस तरह की इजाज़त दे और हम दिन दहाड़े ऐसा काम करें जो कि कतई नाजायज़ है। इस वास्ते मैं ने दो अमेंडमेंट (संशोधन) हाउस की खिदमत में भेजे हैं। उनमें से एक यह है कि लफ़्ज़ "लैवीड आर कलेक्टेड (आरोपित अथवा संग्रहीत) के बजाय "लेवीड एंड कलेक्टेड" (आरोपित और संग्रहीत) समझा जाये। फिर मैंने सोचा कि इतने लफ़्ज इस्तैमाल करने की भी जरूरत नहीं है और इसलिये मैंने अपने अमेंडमेंट पर एक अमेंडमेंट दिया जिसमें मैं ने यह कहा है कि जहां कहीं भी लफ़्ज "लैवीड आर" हों वहां से उनको हटा दिया जाये और सिर्फ लफ्ज़ "कलेक्टैड" रखा जाये। हालांकि मैं इसके हक में भी नहीं हूं क्योंकि इस रुपये का रखना नाजायज़ होगा। अगर ऐसा किया गया तो इसका साइकालाजीकल (मनोवैज्ञानिक) नतीजा यह होगा कि लोग टैक्स इवेजन (कर से बचना) की बात सोचेंगे और ऐसा करने में वे अपने को जस्टीफाइड समझेंगे क्योंकि यहां पर ऐसा कानून है जिसके माताहत टैक्स वसूल नहीं हो सकता लेकिन उसके मातहत जो टैक्स लिया गया उसको दुरुस्त करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किया गया तो यह देश के लिये एक बड़ी भारी मिसफार्च्यून (दुर्भाग्य) होगी। हम एक इम्मारल (अनैतिक) कानून के मातहत इम्मारेलिटी (अनैतिकता) को जबाज़ दे रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह अल्फाज़ "लेवीड आर" खत्म कर देने चाहिए।

मुझे इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट से (राज्य सरकारें) भी हमदर्दी नहीं है। आज जब हमारे सामने सेकिंड फाइव इअर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) मौजूद है, कोई शख़्स ऐसा नहीं होगा, जो चाहेगा कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज़ (संसाधन) कम किये जायें। अगर गवर्नमेंट को चार पांच करोड़ रुपया ऐसे तरीके से मिलता है जो कि जायज़ है तो हर एक चाहेगा कि उस रुपये से फाइनेन्स मिनिस्टर

का खजाना पुर हो ताकि वह फाइव इअर प्लान को अच्छी तरह से चला सके । आज २९ फरवरी को मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर कई करोड़ का टैक्स ज्यादा लगाया जायेगा । जो ४५० करोड़ रुपया सैकिंड फाइव इअर प्लान के लिये टैक्सों के ज़रिये वसूल करना तै किया गया है, आज उसकी पहली ८० या ९० करोड़ की किश्त शायद लगायी जायेगी । मैं उन टेक्सेज़ को सपोर्ट (अनुमोदन) करूंगा । लेकिन मैं इन तीन या चार करोड़ रुपये के टैक्स को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि यह हमारे मुल्क के स्ट्रक्चर (ढांचे) को जो कि मारल और लॉ पर बेस्ड (निति और विधि पर आधारित) है ठेस पहुंचायेगा और वह स्ट्रक्चर कायम नहीं रहेगा ।

कल रात मैंने उस बहस को पढ़ा जो कि दफा २७४ ए० बी० और दफा ३०१ और ३०२ और २६४ पर गौर करते वक्त कांस्टीट्यूएंट असेम्बली (संविधान सभा) में हुई थी । उस वक्त मैंने दफा १६ को, जो कि फंडामेंटल राइट्स (मूलभूत अधिकार) के मुताबिक है, मजबूत करने के लिये कोई बीस अमेंड पेश किये थे क्योंकि मैं समझता था कि यह कानून दफा १६ के उसूल (सिद्धांत) के खिलाफ था । मैं चाहता था कि अगर हम हिन्दुस्तान को एक मुल्क बनाना चाहते हैं तो उसमें हर एक इन्सान को इंटर स्टेट ट्रेड और कार्मस (अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य) का हक होना चाहिये । मैंने उस वक्त बहस के दौरान में कहा था कि हालत यह है कि पंजाब के जिले हिसार में चना ६ रुपये मन बिकता है तो वही चना मद्रास में २२ रुपये और कलकत्ते में २० रुपये मन बिकता है । मैंने कहा था कि अगर आप इस मुल्क को एक बनाना चाहते हैं तो इस तरफ की सहूलियत होनी चाहिये कि एक जगह की पैदावार और खुशहाली का दूसरे हिस्से भी फायदा उठा सकें । अब एस० आर० सी० रिपोर्ट पर बहस के दौरान में मालूम हुआ कि आप ज़ोन (खंड) बनायेंगे । तो क्या अब रीजनवार (प्रदेशवार) टैक्स लगायेंगे । मैं समझता हूं कि ऐसे टैक्स ठीक नहीं हैं । अगर एक स्टेट की पैदावार दूसरी स्टेट में जाती है तो उस पर टैक्स लगाना वाजिब नहीं है । ऐसी कार्रवाई से देश की एकता नहीं बढ़ सकती । इसीलिये मैं चाहता था कि दफा १६ एबसोल्यूट (निरपेक्ष) हो । उस वक्त जो नौजवान अशखास थे जैसे श्री शिव्वन लाल सक्सेना और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का वगैरह उन्होंने मेरी बात को सपोर्ट किया लेकिन जो बड़े-बड़े बुजुर्ग थे जैसे श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और श्री अलाडी कृष्णस्वामी उन्होंने इस चीज़ को पसन्द नहीं किया और यह मौजूदा चीज़ पास हुई जो कि अब मौजूद है । लेकिन जो अब मौजूद है उस पर भी अमल नहीं हो रहा है । उस वक्त मैंने यह अर्ज किया था कि यदि राज्यों को दूसरे राज्यों के नागरिकों पर कर लगाने की छूट मिल गई तो यह एकता तथा एक राष्ट्र की बात निरर्थक हो जायेगी । मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह उसूल देश में कायम हो कि सारा हिन्दुस्तान एक है तो इससे बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि जो कानून आपने बनाया है उस पर अमल करें । जो कानून हमने बनाया था अगर उसका मुकाबला हम उस कानून से करें जो कि हम इस बिल के जरिये बनाना चाहते हैं तो हम पायेंगे कि यह कानून उसके सख्त बर्खिलाफ है । हमने कांस्टीट्यूशन की दफा २८६ में लिखा है :

> "जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित करे उसके अतिरिक्त राज्य की कोई विधि किन्ही वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर वहाँ कोई करारोपण न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी जहाँ ऐसा क्रय-विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में होता है ।"

जनाब वाला, इसके अलावा इसमें एक प्रावाइज़ों भी है जिसकी तरफ कल तवज्जह नहीं दी गयी । वह इस तरह है :

> "परन्तु राष्ट्रपति आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर, जो किसी राज्य द्वारा इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले उद्ग्रहीत किया जा रहा था, इस बात के होते हुये भी कि ऐसे कर का आरोपण इस खंड के उपबंधों के प्रतिकूल है, १९५१ के मार्च के ३१वें दिन तक उद्गृहीत किया जाता रहेगा ।"

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

कल जनाब वाला ने यह करार दे दिया कि जिस चीज़ को हाउस प्रास्पेक्टिवली (भविष्य के लिये) पास कर सकता है उसको रिट्रास्पेक्टिवली (भूतलक्षी प्रभाव के लिये) भी पास कर सकता है। यही बात एटार्नी जनरल (महान्यायवादी) साहब ने भी फरमायी थी। हो सकता है कि यह बात दुरुस्त हो। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी ऐक्ट की नेचर (अधिनियम के प्रकार) से यह जाहिर हो कि उसके लिये यह उसूल लागू नहीं किया जा सकता तो मेरी राय में उसमें इस उसूल की कैद नहीं लगायी जानी चाहिये जैसी कि लगाने की कोशिश की जा रही है।

यह जो प्रोवाइजो (परन्तुक) है वह जाहिर करता है कि वह कानून जो कि उस वक्त मौजूद थे जब कि हमने यह प्रोवाइजो रक्खा था, उन पर इस प्रोवाइजो की रू से कुछ रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) लग गये। यानी ३१ मार्च, १९५१ तक यह कानून जारी रहेंगे और उसके बाद इस कानून की रू से वह जारी नहीं रहेंगे। वह कानून टु दैट एकस्टेंट रिपील (उस सीमा तक रद्द) हो जायेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर यह दुरुस्त है तो कोई सवाल रिट्रास्पेक्टिव का पैदा ही नहीं होता। हमें अख्त्यार नहीं है कि इस कानून की रू से हम किसी कानून को रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट दें सकें। कल कंस्टीट्यूशन की दफा २० का हवाला दिया गया था, लेकिन यहां यह मौजूद है कि इस प्रोवाइजो की रू से पहले जो कानून थे वह खत्म हो गये और जब वह खत्म हो गये तो वह वैलिडेट (मान्य) नहीं हो सकते। ३१ मार्च, १९५१ को जो चीज मौजूद नहीं थी उसे हम वैलिडेट कर सकते। और मुझे डर है कि अगर यह कानून हम ने पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जाकर यह उसूल वैलिड नहीं करार दिया जायेगा और यह कहा जायेगा कि इस ला के हम पाबन्द नहीं हैं।

इस के अलावा जैसा मैंने अर्ज किया कि जो २८६ है उसके अन्दर नेचर ऑफ प्राविजन (उपबन्ध का प्रकार) कुछ ऐसा है कि उस को हम रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं दे सकते। उसके अन्दर लिखा है कि आइन्दा के वास्ते जो कानून बनेंगे, इस कानून के अन्दर तरमीम की गई, एक वह कानून जो मौजूद थे और एक वह जो आइन्दा बनेंगे। जो मौजूद थे उनके वास्ते प्रोवाइजो बना कि वह खत्म हो जायेंगे ३१ मार्च, १९५१ को और जो आइन्दा बनेंगे उनके लिये यह कहा गया कि जब पार्लियामेंट (संसद) यह प्रोवाइड (उपबन्ध) कर दे कि स्टेट ऐसा कर सकती है तो वह ऐसा कर सकेगी। तो वह तो फ्यूचर (भविष्य) के वास्ते थे।

उपबन्ध केवल भविष्य का ही निर्देश करता है। वह किसी प्रकार भी भूतकाल का निर्देश नहीं करता है। इसके अन्दर अपने आप दर्ज है कि रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं दिया जा सकता। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह उसूल क्या था। जो उसूल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया वह यह था कि पार्लियामेंट को इंटरडिक्शन (निषेधाज्ञा) हटाने का कानून है और अगर पार्लियामेंट कानून बना दे तो फेटर हट जायेगी। और कानून बन सकेगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि हम फेटर हटने का नाजायज फायदा लेंगे और जनाब ने फैसला भी दिया। लेकिन जहां तक कानून बनाने का सवाल है, इस पार्लियामेंट का स्टेट के ऊपर टैक्स लगाने का या उस के बारे में कोई कानून बनाने का हक ही नहीं है। तो जिनके वास्ते हमें कानून बनाने का हक नहीं है उन के मुतालिक कानून को हमें वैलिडेट करने का भी हक नहीं हो सकता। फिर इस के सिवा मैं जनाब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि टैक्सेशन कानून के बारे में यह दर्ज है कि टैक्स के प्राविजन्स को इन फेवर आफ दि सब्जेक्ट इंटरप्रेट (विषयों के समर्थन में निर्वचन) किया जायेगा। और सभी बातों के समान रखते हुये कर विधियों का विषयों के समर्थन में निर्वचन किया जाय। तो यह एक मुसल्लम उसूल माना हुआ सिद्धांत है। इस के सिवा दूसरा उसूल यह है कि जिस चीज को हम डाइरेक्टली (प्रत्यक्ष रूप में) नहीं कर सकते उस को हम इन्डाइरेक्टली (अप्रत्यक्ष रूप में) भी नहीं कर सकते। अगर हम डाइरेक्टली कोई टैक्स नहीं लगा सकते हैं तो फिर हम उस टैक्स के इन्डाइरेक्टली वसूल करने की इजाजत भी नहीं दे सकते। इसलिये किसी भी नुक्तानिगाह से जनाब गौर फरमायें, यह जो लॉ है

उस को इस हाउस को पास (पारित) नहीं करना चाहिये। अगर इस के लिये हाउस के पावर्स (शक्तियां) भी हों, तो भी उस को इसे नहीं पास करना चाहिये।

कल हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बतलाया था कि एक वक्त था जिस वक्त, उन्होंने और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों की तकालीफ को देख कर स्टेट्स को लिखा था कि इस तरह से टैक्स का वसूल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन उस पर स्टेट्स ने क्या जवाब दिया ? कई स्टेट्स ने तो कहा कि बहुत अच्छा हम आप की राय को कबूल कर लेते हैं, लेकिन कई स्टेट्स ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे और टैक्स लगाते चले जायेंगे। जो शख्स जान बूझ कर प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की ऐडवाइस को कबूल नहीं करता, आज वही यहां पर यह चाहता है कि हम यहां पर यह पास कर दें कि वह लोग नाजायज़ रुपया अपने पास रक्खें। मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि यह कतई जायज़ नहीं होगा इस को पार्लियामेंट को हर्गिज़ नहीं मानना चाहिये। किसी भी इल्लीगल (अवैध) चीज को लीगेलाइज (वैध बनाने) करने से सारे देश में यह चीज़ फैल जायेगी कि इसे देश के अन्दर सिर्फ रुपया वसूल करने का कानून है, और कोई कानून नहीं है। मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी रकम के वास्ते इस तरह का ख्याल लोगों के अन्दर पैदा हो। अगर आप आज १०० करोड़ रुपया टैक्स लगा दें तो वह हिन्दुस्तान खुशी से देने के लिये राजी हो जायेगा, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुल्क के अन्दर यह साइकालोज़ी (भावना) न पैदा कीजिये जिस के अन्दर लोग समझें कि ग़लत तरीके से टेक्स कलेक्ट (इकट्ठा) करना जायज है और हमारी पार्लियामेंट एक ऐसे टैक्स पर अपनी मुहर लगा सकती है, उसके कलेक्शन की इजाजत दे सकती है जो कि कानूनन जायज़ है, जो लगना नहीं चाहिये था, जिसके लगने के बाद एक पैसा जो वसूल किया इंटरस्टेट ट्रेड या किसी भी ट्रेड से, वह देश की एकता के वर्खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मैं अर्ज करूंगा कि इस टैक्स के नेचर को देखते हुये, इस की सारी बैकग्राउंड (पृष्ठभूमि) को देखते हुये, इस चीज को देख कर कि आज के दिन हम एक क्राइसिस (मुसीबत) में फंसे हुये हैं, एक ऐसी चीज पर हम अपनी मुहर लगायें जिससे देश की एकता में फर्क आये, जिसके अन्दर वगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के स्टेट अंधाधुंध टैक्स लगायें, यह मुनासिब नहीं है।

आज दो तीन बरस हुये इसी तरह का एक प्रोविजन हमारे कृष्णमाचारी साहब ने पेश किया था जिस के अन्दर जो कई टैक्स गलत तरीके से लगा दिये गये थे और गलती से वह वसूल होते रहे थे, उन को लीगलाइज़ करने के वास्ते कहा गया था। उस वक्त भी मैंने यही हुज्जत की थी कि ऐसा रुपया जो टेन्टेड मनी है, जो दफा २६५ के वर्खिलाफ है, दफा २६५ में साफ़ तौर पर लिखा हुआ है :

'विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न संग्रहीत किया जायेगा।' अब यह अथारिटी आफ लॉ (विधि के वैध प्राधिकार) हम बनाने चले हैं। हम जान बूझ कर ऐसा लॉ बना सकते हैं जो लालेस ला हो। और यहां पर उनका वैलिडेट कराने में भी बड़ा फर्क है। लेकिन कुछ लाज ऐसे हैं जो बाद में बन नहीं सकते हैं। उनके अन्दर कोई फेटर्स (रोक) हों, उन को हम हटा सकते हैं। लॉ बनने के बाद इनवैलिडेट (अमान्य) हो सकते हैं, लेकिन जो पहले के लाज (विधियाँ) हैं, जो कान्स्टिट्यूशन के वजूद में आने के पहले थे वह सब के सब नानएग्जिस्टेंट (अविद्यमान) हो गये, इल्लीगल हो गये। अब जो चीज कायम नहीं रही, उस को वजूद में लाने का किसी का अख्त्यार नहीं है और यह चीज जायज़ नहीं होगी कि हम ऐसे फेल करें जो कि एक तरह से लीगली ममनू (प्रतिबन्धित) हैं, और ममनू न भी हो, लेकिन जो ऐबसोल्यूटली इम्मारल (नितांत अनैतिक) हैं। जहां तक इस लॉ का सवाल है, हमारे लिये यह मुश्किल है कि हम करार दें कि जो नाजायज़ लॉ है वह यहां कायम रहे। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि सन् १९५३ तक यह जायज़ था। जब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कुछ सन् १९५३ में किया गया वह भी ग़लती से किया, लेकिन जो गलती हो गई वह किसी और की नहीं हमारी गवर्नमेंट की थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि आखिर अब क्या किया जाय, चाहे किसी भी बिना पर हो वह तो

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

वसूल हो ही गया । इस के वास्ते मुझे कोई हमदर्दी नहीं है । मैं चाहता हूं कि वह सारा रुपया गवर्नमेंट अपने खजाने से वापस करे । अगर गवर्नमेंट ईमानदारी की बात करती है तो उस के लिये यही रास्ता है । यह रुपया इल्लीगल लॉ के बमूजिब वसूल किया गया है, ईमानदारी का नहीं है, हमें इसको अपने पास नहीं रखना चाहिये । हां अगर इस का वापस करना मुश्किल है, जैसी कि दलील हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने दी कि यह रुपया असल आदमी को नहीं जायेगा, तो उसके साथ मेरी हमदर्दी है, यह दलील कुछ बजन रखती है, अगर इस रुपये को वसूल रखना चाहते हैं तो उसे रख लें, लेकिन आइन्दा इस रुपये को वसूल करते जायें और टैक्स कलेक्ट करें, इस डिस्क्रिमिनेशन (पक्षपात) को मैं नहीं समझा । अगर कोई उज्र करता है कि फलां आदमी तो छूट गया, मुझ पर यह रकम क्यों लगाई जा रही है, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है । टैक्स वाला कहता है कि हमसे क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हो, हम तुम को यह टैक्स क्यों दें, तो आप को चाहिये कि आप उस टैक्स को मंसूख कर दें । पर अगर जिनसे वसूल किया गया है उसका पता न चले तो यह बात दूसरी है । लेकिन यहां पर डिस्क्रिमिनेशन का सवाल नहीं है । जिनसे आप टैक्स वसूल करना चाहते हैं उनसे उस कानून की बुनियाद पर टैक्स वसूल करना जिस का कोई वजूद न हो, यह जायज़ नहीं है । जान बूझ कर हम उस पर अपनी मुहर नहीं लगा सकते । इस बारे में मेरी फीलिंग इतनी ज़बर्दस्त है कि मैं आप से अर्ज़ नहीं कर सकता । इस कानून के अन्दर अगर यह आर्गूमेंट (तर्क) दिया जाता है कि कोई भी आदमी लायबुल है तो यह इस कानून में लैकुना (त्रुटि) है । जब कोई लायबिलिटी (दायित्व) किसी पर रक्खी जाती है तो वह कानून की रू से रक्खी जाती है, वरना कोई लायबिलिटी किसी पर नहीं हो सकती है और सरकार कोई रुपया वसूल नहीं कर सकती है । फर्ज कीजिये कि एक कम्पनी ने आप के ऊपर दावा किया दस लाख रुपये का । अदालत ने हुक्म दे दिया कि वह रुपया लौटा दिया जाय । ऐसी हालत में आप के वास्ते कोई रास्ता नहीं था कि आप उसे लौटाते नहीं । मैं तो फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की बात सुन कर हैरान हो गया कि जिस शख्स ने रुपया क्लेम किया है वह झूठी शहादत लायेगा । अगर आप समझते हैं कि वह झूठी शहादत लाया है तो आप का फर्ज़ है कि आप कहिये कि यह गलत है, उससे कोई रकम वसूल नहीं की गई और उसको डिगरी (आज्ञप्ति) का फायदा नहीं होना चाहिये यह कहना मैं समझता हूं कि गलत है । अगर उसके फेवर में डिगरी है तो रुपया रिफ्यूज करना ठीक नहीं है । जहां तक उस आदमी का सवाल है अगर यह शक्ल बन जाय कि उस के हक में डिगरी हो जाय, तो उसको आपसे उस डिगरी के रुपये को हासिल करना चाहिये । ऐसी सूरतों में आप चाहते हैं कि जजमेंट (निर्णय) की डिगरी को आप अपने कानून से बेकार कर दें । लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वखिफा चलें । मैं नहीं चाहता कि जहां यह लॉ कहता है कि सारे का सारा लॉ ३१ मार्च, १९५१ को खत्म होगा, वहां १ अप्रैल को वह दिखाई दे और कायम रहे । हम न उस को बिगाड़ सकते हैं और न वैलिडेट कर सकते हैं । इस लॉ को वैलिडेट करना कांस्टिट्यूशन (संविधान) के खिलाफ होगा । मैं नहीं समझता कि कांस्टिट्यूशन के बखिलाफ कोई कानून लागू रह सकता है । नतीजा यह होगा कि अगर हम यह पास करेंगे कि यह कानून कायम रहे तो हमारे ऊपर यह इल्जाम होगा कि हमने आंख खोल कर ऐसा फैसला किया जिसको हमें नहीं करना चाहिये था । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हाउस इसको माने या न माने, जितना क्लेम (दावे) का माउंट (राशि) है उसे वापस देना मुनासिब समझे या न समझे, अगर नहीं समझता तो वापस न दे, लेकिन हाउस हर्गिज हर्गिज इस बात की पार्टी न बने कि कांस्टिट्यूशन के बखिलाफ भी इस कानून को जायज़ करार दे और जो फिलवाक्या जायज़ नहीं है उस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दे । जो उसूल यहां पर रखा जा रहा है मैं उस की सक्त मुखालिफत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० पांडे** (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली-उत्तर) : मैं समझता हूँ कि इस संसद् को इस प्रकार का विधान बनाने की क्षमता और अधिकार प्राप्त है इसको सिद्ध करने के लिये श्री सीतलवाड जैसे किसी विख्यात वकील की आवश्यकता नहीं थी ।

इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क़ानूनी दाँव पेच के अनुसार इस पर विचार करना उचित हो सकता है, परन्तु हमको यह भी देखना है कि क्या नैतिक मानदण्ड के अनुसार इस कार्य को करना उचित होगा अथवा नहीं ।

प्रत्येक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका का अपना अलग-अलग स्थान होता है । मुझे धन की वापसी या परेशान किये जाने की बात से कोई मतलब नहीं है । मेरा सम्बन्ध तो केवल अपने देश में न्यायापालिका की स्थिति से है । क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय को व्यर्थ करना हमारे लिये उचित है ? क्या ऐसा करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है ?

मेरी बात केवल यही है । यदि आप इस देश में न्यापालिका की प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहते हैं, तो ऐसे अवसर कम ही आने दीजिये जबकि हमें उसके निर्णयों को व्यर्थ करना पड़े ।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : उच्चतम न्यायालय के परस्पर-विरोधी निर्णयों का क्या होगा ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : प्रश्न सबसे हाल के निर्णय का है । लोक-सभा ऐसा अनेक बार कर चुकी है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सामान्य चर्चा में मेरी कोई अभिरुचि नहीं है । मैं तो यहाँ पर केवल सुनने के लिये हूँ ।

मैं यहाँ किये गये किसी कार्य अथवा किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी भाषण से यह धारणा नहीं उत्पन्न होने देना चाहता हूँ कि संसद् किसी भी भांति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अतिक्रमण करना अथवा किसी प्रकार से उनका विरोध करना चाहती है या किसी प्रकार से उनका अपमान करना चाहती है । परन्तु कभी-कभी ऐसे मामले होते हैं जबकि उच्चतम न्यायालय को ही कहना पड़ता है कि वर्तमान विधियों के अनुसार कोई कार्य नहीं किया जा सकता है । उच्चतम न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि संसद् को ऐसी विधि अधिनियमित नहीं करनी चाहिये । ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जाना चाहिये कि संसद् जानबूझ कर मनमाने ढंग से कोई कार्य करती है। उसके मन में सदैव उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के लिये सम्मान और आदर का भाव रहा है ।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : धारणा यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि संसद् को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिये एक विधि पारित करनी चाहिये । मेरे विचार में यह धारणा ग़लत है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । बात यह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय हमको यह बताये कि हमें यहाँ किस प्रकार का विधान बनाना है । मैंने जो बात कही थी वह केवल यह थी कि उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर निर्णय नहीं दिया था कि इस प्रकार के विधान को भूतलक्षी प्रभाव देना अनुचित है अथवा नहीं । यदि यह प्रश्न वहाँ उठा होता और उच्चतम न्यायालय ने यह कहा होता कि वर्त्तमान संविधान के अनुसार कोई भी विधान इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव से पारिप नहीं किया जा सकता है तो निश्चय ही इस विधान को प्रस्तुत न किया गया होता और हम ऐसी विधि को पारित नहीं कर सकते थे ।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)** : केवल इतना ही नहीं, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह भी बता दूं कि इस बात की ओर उच्चतम न्यायलय का ध्यान आकृष्ट किया गया था;

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पाटस्कर]

परन्तु उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इसके फलस्वरूप राज्यों की अर्थ-व्यवस्था में इस सीमा तक गड़बड़ी उत्पन्न हो जायगी । पृष्ठ ६८२ की द्वितीय कण्डिका इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देगी । इसमें कहा गया है कि :

> "हम से यह कहा गया है कि हमारे पिछले निर्णय के आधार पर सभी राज्य सरकारें अपनी-अपनी सीमा के भीतर किये जाने वाले क्रय-विक्रय पर बिक्री कर वसूल रही हैं और यदि इस निर्णय को पलटा गया तो इन राज्यों की अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो जायगी और वह उस कर को लौटाने के लिये जिम्मेदार हो जायेंगी जिसे कि वह वसूल कर चुकी हैं । परन्तु इस तर्क का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । इस न्याालय ने अभी तक यह निर्णय नहीं दिया है कि यदि किसी विधि या संविधान के न्यायापालिका द्वारा ग़लत अर्थ लगाये जाने के फल-स्वरूप पारस्परिक ग़लती के कारण यदि कुछ लेन देन किया जाय तो उसको लौटाना ही पड़ेगा । यदि इस तर्क के अनुसार धन लौटाना कानूनन आवश्यक ही हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में सरकार भी केवल उसी हद तक शिकायत कर सकती जितना कि किसी एक व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार होता है । अंत में, यदि राज्य की अर्थव्यवस्था में ही गड़बड़ी हो जाय तो संसद् से अपील की जानी चाहिये, जिसको अनुच्छेद २८६ (२) के अनुसार उपयुक्त विधान बनाने का पर्याप्त अधिकार प्राप्त है ।"

और यहाँ पर यही किया जा रहा है ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : जनता के मन में यह धारणा नहीं होनी चाहिये कि यह संसद् उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार की मानहानि करना चाहती है । हम को लोक-सभा में ऐसे विधान प्रस्तुत नहीं करने चाहियें जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में गड़बड़ी उत्पन्न कर सकें ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : क्या संसद् की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता उच्चतम न्याया-लय की भावनाओं द्वारा निर्धारित की जाती है ?

†**श्री सी० डी० पांडे** : यह बात सच है, परन्तु संविधान का विधायक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी न्यायापालिका पक्ष है । कुछ भी हो, उच्चतम न्यायालय भी तो हमारी ही रचना है । परन्तु उस रचना का सम्मान करना ही होगा क्योंकि लोकतंत्र हमारी स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध लगा देता है । यह सच है कि हम कोई भी विधान बना सकते हैं । हम संविधान में संशोधन तक कर सकते हैं । हम उच्चतम न्यायालय को समाप्त कर सकते हैं । परन्तु.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यहाँ उच्चतम न्यायालय को घसीट लाने की आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य अपने आप को केवल इस विधेयक के औचित्य तक ही सीमित रखें । पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यह संकेत किया था कि अन्तर्राज्य वाणिज्य और व्यापार मुक्त रूप से होना चाहिये । यदि लोक-सभा को अनुच्छेद २८६ (२) के अन्तर्गत कोई बात ठीक न लगी हो तो वह उस मामले का निर्णय करने के लिये अधिकार प्राप्त कर सकती है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कि लोक-सभा को स्वयं निर्णय करना है इसमें उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार घसीटने की आवश्यकता नहीं है जैसेकि हम उसके निर्णयों के प्रतिकूल कोई कार्य कर रहे हों ।

†**श्री सी० डी० पांडे** : मैं तो केवल लोक-सभा को यही बता रहा था कि क्या ऐसा करना हमारे लिये उचित होगा ? यह निर्णय करना, कि क्या हम चाहे जब संविधान में संशोधन करते चले जायें अथवा ऐसे विधान बनाते चले जायें जो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में गड़बड़ी उत्पन्न कर दें, इस संसद् का कार्य है । मैं समझता हूँ कि यह प्रथा वांछनीय नहीं है । कम से कम भविष्य में तो हमें ऐसे सभी विधानों पर पूरा ध्यान देना चाहिये जिनका सम्बन्ध न्यायालयों के निर्णयों से हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मैं हृदय से इस विधान का समर्थन करता हूँ। उच्चतम न्यायालय ने एक विधान के सम्बन्ध में निर्णय देते हुये कहा था कि यह वसूली ग़लत और विधिनुकूल नहीं है। इसके लिये संसद् का कोई पूर्व विधान होना चाहिये था। उच्चतम न्यायालय ने केवल इतना ही कहा था। यहाँ उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा और अपमान का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और न ही हम उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में कोई गड़बड़ी करने जा रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पूरा सम्मान करते हुए विधि को उसके निर्णय के अनुरूप बना रहे हैं।

यहाँ केवल दो ही प्रश्न हैं, वैधानिकता का प्रश्न और व्यावहारिकता कठिनाई का प्रश्न—और इन पर ध्यान देने के लिये यह संसद् बाध्य है। विरोधी पक्ष और इस पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने जिस मुख्य बात पर आग्रह किया है वह यह है कि किसी पूर्व विधि न होते हुये भी वसूली की गयी है और इसलिये हम उस अवैध वसूली को वैध नहीं बनायेंगे। हमें केवल वैधानिक बातों का ही कड़ाई से पालन नहीं करना है वरन् उसमें कुछ सामान्य वृद्धि भी लगानी है। यदि संसद् विधि बना कर किसी राज्य को कर वसूल करने का अधिकार दे सकती है तो निश्चय ही वह किसी राज्य द्वारा वसूले गये अवैध कर को वैध भी बना सकती है। संसद् के अधिकारों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके बाद प्रश्न औचित्य का आता है—क्या ऐसा करना नैतिक दृष्टि से उचित होगा अथवा नहीं। यहीं व्यावहारिक कठिनाई का प्रश्न भी उत्पन्न होता है। प्रत्येक राज्य का कर वसूल करने का अपना अलग ढंग होता है, अलग स्वरूप होता है। अब मेरे मित्र कहते हैं कि हमको उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना चाहिये। हम १९५३ के निर्णय का सम्मान करें अथवा १९५५ के निर्णय का? दो वर्षों में तो उन्होंने अपने मोर्चे ही बदल दिये हैं।

†**श्री नन्दलाल शर्मा** (सीकर) : बाद वाले निर्णय का।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : ठीक है। परन्तु, १९५५ का निर्णय दिये जाने से पूर्व आप यह कहते कि हम को १९५३ के निर्णय का सम्मान करना चाहिये। इसीलिये कठिनाई उत्पन्न होती है और हमको व्यावहारिक मनुष्य होने के नाते संसद् में विधान बना कर इस कठिनाई को हल करना है। हमें इस पर केवल शुद्ध वैधानिक दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिये। लगभग ४ या ५ करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं। अब यदि अचानक आप राज्यों से यह कह दें कि वह इस धन को लौटा दें तो इससे इन राज्यों के आय-व्ययक में गड़बड़ी पड़ जायेगी। इस धन को उन राज्यों के आय-व्ययक में सम्मिलित कर लिया गया है, इनके आधार पर कुछ योजनायें और अन्य चीजें बनायी गयीं हैं। इसलिये यदि आप केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के ही कारण इन राज्य सरकारों को रुपया लौटा देने को कहें तो इसके व्यावाहारिक परिणाम क्या होंगे? आप इन पक्षों को ढूंढ़ भी नहीं सकेंगे जिनको कि यह धन वापस लौटाया जाना चाहिये। आप ने यदि उनको ढूंढ लिया तो भी व्यर्थ है क्योंकि आप केवल उनको ही धन लौटा सकते हैं जिनसे आपने उसे वसूल किया हो अर्थात व्यापारियों और मध्यवर्त्तियों को। क्या आप उनको यह धन लौटा देंगे? यदि आप ऐसा करेंगे तो यह भी अनैतिक कार्य होगा। यह लोग वह नहीं हैं जिन्होंने कि अपनी जेबों से यह कर दिया था। क्या आप प्रत्येक ख़रीदार को ढूंढ़ कर उस का एक आने दो आने लौटायेंगे? यही वह व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं और इन्हीं को हल करने के लिये यह विधान प्रस्तुत किया गया है।

वैधानिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संसद् को इस विधान को बनाने का अधिकार है। व्यावहारिक कठिनाइयों के सम्बन्ध में मुझे विश्वास है कि दो मत हो ही नहीं सकते हैं। कुछ राज्यों के आय-व्ययक पर इसका बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये यह विधान लाया गया है। हम उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। हम केवल उसका सम्मान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० बी० रामस्वामी]

ही कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी यह नहीं कहा है कि हम को इस अधिनियम को वैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। उस ने केवल इतना ही कहा है कि इस कर की वसूली अवैध है। यह पतालगाना हमारा काम है कि इस निर्णय के परिणाम क्या होंगे।

शोलापुर के मामले के सम्बन्ध में, उच्चतम न्यायालय ने यह बताया है कि प्रतिकर का अर्थ क्या है और यदि हम उनके फैसले को मान्यता देते हैं कि प्रतिकर बाज़ारभाव के अनुसार होने चाहियें तो हमारी एक कल्याणकारी राज्य बनाने की योजनाओं का क्या होगा? उन को बन्द कर देना पड़ेगा न्यायाधीशों ने अपने फैसले के परिणामों पर विचार नहीं किया था। यह सरकार को विचार करना है कि इसके परिणाम क्या होंगे। इसलिये यदि हम शोलापुर के मामले पर चुप हो जाते हैं तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर देना होगा क्योंकि बाज़ार भाव के अनुसार प्रतिकर देना संभव नहीं होगा।

सब से बड़ी कठिनाई यह होगी कि कितने ही व्यक्ति धन वापसी के सम्बन्ध में सरकार से मांग करेंगे तथा राज्य सरकारों को इस समस्या का सामना करने में बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के फैसलों में विभिन्नता होगी।

उच्चतम न्यायालय के १९५३ के फैसले के परिणामस्वरूप व्यापारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि प्रत्येक राज्य, विभिन्न प्रकार से अभिलेखों की मांग करेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नवीन विधेयक में व्यापारियों की कठिनाइयों का ध्यान रखा जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम १·१५ म० प० पर वाद-विवाद समाप्त कर देंगे। अब श्री सी० सी० शाह बोलेंगे।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** : कल यह बताया गया था कि इस विधेयक के लिये और समय निर्धारित किया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अधिक कुछ कहना नहीं है क्योंकि धनराशि एकत्रित की जा चुकी है तथा कठिनाई यह है कि उसको किस प्रकार वापस दिया जाये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : धन इकट्ठा करना बन्द कर देना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि इसके लिये भी समय निश्चित है।

†**श्री एम० आर० मुनिस्वामी** (वांडीवाश) : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकेंगे कि अन्तः राज्य व्यापार पर ६ सितम्बर, १९५५ से बिक्री कर नहीं लिया जायेगा।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छे। अब श्री सी० सी० शाह बोलेंगे।

†**श्री सी० सी० शाह** : (गोहिलवाड-सोरठ) इस विधेयक का उद्देश्य सीमित है क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति का निवारण करना चाहता है जो कि उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है। इस विधेयक पर दो प्रकार से आपत्तियां उठाई गई हैं। एक इसकी वैधता के सम्बन्ध में तथा दूसरी इसके औचित्य के सम्बन्ध में। जहाँ तक वैधता का सम्बन्ध है मुझे कोई संदेह नहीं है कि संसद इसको पारित करने में सक्षम है। इस प्रकार केवल औचित्य का प्रश्न रह जाता है। यह एक भूतलक्षी विधान है तथा इसलिये क्या यह उचित होगा कि एक कर के लिये जिसको अवैध घोषित कर दिया गया है। संसद एक भूतलक्षी विधान बनाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि क्या इस प्रकार का भूतलक्षी विधान

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाने के लिये क्या कोई आधार तैयार किया गया है। भूतलक्षी विधान बनाना तो हमारा अखंड अधिकार है। इस से उच्चतम-न्यायालय का अनादर नहीं होता है और यह तर्क उपस्थित करना विधान तथा न्यायालयों के कार्यों को गलत समझना है।

अनुच्छेद २८६ के द्वारा राज्यों में बिक्री कर लगाने पर चार प्रकार के नियंत्रण लगते हैं। प्रथम नियंत्रण यह है कि यह राज्य से बाहर बिक्री पर नहीं लगाया जा सकता है। दूसरे यह आयात अथवा निर्यात के समय बिक्री पर नहीं लगेगा। तीसरे यह अन्तः राज्य व्यापार अथवा वाणिज्य पर नहीं लगेगा। चौथे यह आवश्यक वस्तुओं पर नहीं लगेगा। इस समय हम अन्तः राज्य के बिक्री कर से ही सम्बन्धित हैं। संविधान के अनुच्छेद ३०१ के अधीन, भाग १३ के उपबन्धों के अतिरिक्त, अन्तः राज्य व्यापार तथा वाणिज्य पर पद कर नहीं लगेगा। परन्तु हम इससे भी सहमत थे कि कुछ परिस्थितियों में राज्य अन्तः राज्य बिक्री पर भी लगा सकता है। परन्तु राज्य संसद की अनुमति से ही इसको लगा सकता है। अनुच्छेद २८६ (२) के परन्तुक के अधीन हमने यह व्यवस्था भी की थी कि राष्ट्रपति, अन्तः राज्य बिक्री पर कर लगाने के सम्बन्ध में वर्तमान विधियों को ३१ मार्च, १९५१ तक मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में, एक आदेश जारी करेंगे। इसलिये यह स्पष्ट था कि ३१ मार्च १९५१ के पश्चात् यदि संसद कोई विधि पारित नहीं करेगी तो कोई भी राज्य, अन्तः राज्य बिक्री पर कर लगाने का अधिकारी नहीं होगा। संसद ने ३१ मार्च १९५१ के पश्चांत इस प्रकार की कोई विधि पारित नहीं की है। और इसीलिये संसद ने यह उचित नहीं समझा कि अन्तः राज्य बिक्री पर कर लगाने की किसी विधि को पारित करने का अधिकार किसी राज्य को दे।

१९५३ में उच्चतम न्यायालय का फैसला हुआ जिसके अनुसार न्यायाधीशों ने यह बताया कि अनुच्छेद २८६ के उप खण्ड (१) के निर्वचन के अनुसार यदि भुगतान किसी अन्य स्थान पर हुआ हो तो जिस राज्य को सामग्री पद मिलेगी, वह राज्य उसे अपनी सीमा में हुई बिक्री समझ सकता है। परन्तु इसमें यह नहीं कहा गया कि अन्तः राज्य क्रय अथवा बिक्री पर राज्य कर लगा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने दूसरे फैसले में क्या बताया? उन्होंने यह कहा है कि उन का पहला निर्वचन गलत था और जिस राज्य को यह सामग्री मिलेगी, अपने राज्य में भुगतान होने पर भी कर नहीं लगा सकता है। १९५३ के फैसले के पश्चात्, राज्यों ने अपनी सीमाओं के अन्दर होने वाले भुगतानों पर बिक्री कर लेना प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार मेरा विचार है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले तक राज्यों ने कर नहीं उगाहा था।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह ठीक नहीं है। कुछ मामले हुये थे।

†**श्री सी० सी० शाह** : वह अन्तः राज्य विक्रय के मामले नहीं होंगे।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यही तो प्रश्न था। किसी को भी यह स्पष्ट नहीं था कि अन्तः राज्य व्यापार क्या था और क्या नहीं था। दोनों प्रकार की बिक्रियों में भी चाहे वह अन्तः राज्य व्यापार, राज्य के अन्दर हुआ हो अथवा राज्य के बाहर, भेद करने का प्रश्न था। एक ही सौदा दोनों प्रकार का समझा जा सकता है।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं सहमत हूँ कि अन्तः राज्य बिक्री, राज्य के अन्दर भी हो सकती है। परन्तु १ अप्रैल १९५१ से, उच्चतम न्यायालय के फैसले तक, किसी भी राज्य ने, मेरे विचार से राज्य से बाहर कर उगाहने की नहीं सोची थी।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ऐसा हुआ था कि कई राज्यों को, इस विचार के आधार पर कि वह स्पष्टीकरण के अधीन आते हैं, बहुत से सौदों को बिक्री कर विधि के अन्तर्गत लाने का प्रोत्साहन मिला था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं सहमत हूँ । परन्तु व्यापारिक समुदाय को कठिनाई हुई थी । सरकार ने भी यह सोचा था कि इस फैसले से कठिनाई हुई थी और प्रधान मंत्री ने भी राज्यों से अपील की थी कि इस फैसले को लागू न करें । अब उच्चतम न्यायालय ने अपनी ग़लती को ठीक कर लिया है और व्यापारी समुदाय की कठिनाई दूर हो गई है ।

इस विधेयक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं ? हम अन्तः राज्य विक्री कर लगाने वाली सभी विधियों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें, इस समय, केवल उसी कारारोपण को मान्य घोषित कर देना चाहिये जो इस फैसले के द्वारा हो रहा है । परन्तु हम आज इसको इसलिये आवश्यक समझ रहे हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने ग़लत फैसले को ठीक कर दिया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मामला कल समाप्त किया जा चुका है ।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं इस अधिनियम की उपलक्षणाओं पर विचार कर रहा हूँ तथा इसकी मान्यता पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह केवल निश्चित अवधि में उगाहे गये कर को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न है । कल इस से भी व्यापक एक मामले का निपटारा किया गया था । केवल प्रश्न यह है हम ऐसा करें अथवा नहीं । माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि विधि सदैव के लिये है ।

†**श्री सी० सी० शाह** : मेरा यही निवेदन है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा मामला है जिसके आधार पर यह विधि पारित की जा रहीं है । मेरा कथन है कि इस विधि का स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिये कि इसके द्वारा इतने अधिक अधिकार प्राप्त हों कि कोई भी राज्य अब ऐसी विधि पारित कर सकता है जिसके द्वारा १ अप्रैल १९५१ से ६ सितम्बर १९५५ तक उगाहा गया कर भी मान्य कर दिया जाये ।

मैं मानता हूँ कि सरकार को धन वापिस देने में कठिनाई होगी परन्तु विधेयक को पारित करने के लिये यह पर्याप्त आधार नहीं है । मैं इस विधेयक का समर्थन केवल इसी आधार पर करना चाहता हूँ कि यदि व्यापारियों ने, उपभोक्ताओं से कर उगाह लिया है तो उसे व्यापारी न रख लें । यूनाइटेड मोटर्स के मामले के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुये राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया था कि वह अन्तर्राज्य सौदों पर कर लगायें । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले पर विचार करे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय वित्त मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं केवल यही कहूँगा कि यदि माननीय सदस्य को वर्तमान विधि तथा भविष्य की विधि की चिन्ता है तो उन्हें एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये कि किसी राज्य की कोई वर्तमान विधि आदि को अमान्यता प्रदान नहीं की जायगी । इस पर वह विचार करे वह उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अवधि १९५१ से १९५५ तक निर्धारित की गयी है । यह काफी है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यदि वह ऐसा सोचते हैं कि इस अधिनियम के लागू होने पर, उसी विधि का जिसको हम मान्यता दे रहे हैं, राज्य भूतलक्षी संशोधन दे सकते हैं.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे अब कर किस प्रकार उगाह सकते हैं ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरे विचार से वह नहीं उगाह सकते, परन्तु यदि चाहें तो संशोधन का सुझाव दे सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : उपाध्यक्ष महोदय, कल जब आप अनुपस्थित थे, मैंने माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि क्या इस विधेयक के अनुसार अग्रेतर वसूली वैध होगा। उन्होंने कहा था 'जी हाँ'।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं वर्तमान विधि के अधीन वसूली के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूँ। माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न नवीन प्रश्न है। ऐसा ज्ञात होता है कि उनका विचार है कि जैसे हम इस विधि को पारित करें, वैसे ही कोई भी राज्य, कुछ अन्य वस्तुओं को उसमें जोड़ने के लिये विधि का संशोधन करे और अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन उसे वैध मानें। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। परन्तु यदि वह इस प्रश्न पर आग्रह करना चाहते हैं तो "कोई भी वर्तमान विधि नहीं"। "No existing Law" संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी इस में दिलचस्पी नहीं कि कोई राज्य इस विधेयक के अधीन भविष्य में कोई विधि पारित कर दे।

†**श्री सी० सी० शाह** : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में सभी अन्तः राज्य क्रय-विक्रय आ जाते हैं। यूनाइटेड मोटर्स मामले के द्वारा यह अनुमति मिल गई थी कि इस प्रदेश के अन्दर होने वाले भुगतान पर बिक्री कर लिया जा सकता है। इस विधि से अन्तः राज्य के सभी सौदों पर कर लगता है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यदि हम सब इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में वसूली बन्द होनी चाहिये तो यह एक अच्छी बात है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अभी हमारे मित्र साहब ने बतलाई है यह हमें भी दिक़ कर रही थी। मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार का लॉ बनाया जा रहा है उससे किसी भी स्टेट को यह अख्तियार हो जाता है कि वह भी कोई ला बना लो और उसको रिट्रोस्पेक्टिव ईफेक्ट (भूतलक्षी प्रभाव) दे दे। जहां पर कभी टेक्स नहीं लिया जाता था। कभी कोलेक्ट (इकट्ठा) नहीं किया जाता था, कभी असेस नहीं किया जाता था वहां की गवर्नमेंट को भी अब यह अख्तियार हो जायेगा कि वह भी इस लॉ के मुताबिक एक नया लॉ बना ले और उसको रिट्रोस्पेक्टिव ईफेक्ट दे दे और कोलेक्ट करना और असेस करना शुरू कर दे। इससें कितने लोगों को हैरानी होगी, कितनी तकलीफ उनको होगी, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (गया-पश्चिम) : क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पर यह पहले ही से एग्ज़िस्ट (विद्यमान) न करता हो वहां पर भी इसे पहले से ही ईफेक्ट दे दिया जाये ?

श्री झुनझुनवाला : इस में लिखा हुआ है कि इस पीरियड के लिये लॉ बन सकता है और इस के मुताबिक स्टेट लॉ बना सकती है। अगर इस पीरियड के लिये लॉ बनाया जा सकता है तो इस पीरियड में जितनी भी ट्रांसेकशंज़ (सौदे) हुई हैं वह सब वैलिड (मान्य) समझे जायेंगे और उन पर टेक्स लिया जा सकेगा। यदि यह बात ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, लेकिन अगर ठीक है तो मैं समझता हूं कि अगर इसको ठीक कर लिया जाये तो अच्छा है। मैं इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं समझता क्योंकि शाह साहब ने या किसी और मेम्बर ने इस बारे में अमेंडमेंट नहीं दी। इस लिये इसको माना नहीं जा सकता है। इस लिये मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय में सोच ले और जो ठीक समझे वही करे, नहीं तो लोगों को बहुत हैरानी होगी और उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो इंटर स्टेट ट्रांसेक्शज हैं उनको ऊपर अगर यह सब चीज़ें लागू हो जायेंगी तो इसका उन पर क्या असर पड़ेगा। कल जितनी भी बातें हुईं उनसे गवर्नमेंट का अभिप्राय, गवर्नमेंट की इंटेनशंस क्लीयर (इच्छायें स्पष्ट) नहीं हुईं। अगर गवर्नमेंट की यह इटेंशन नहीं है लेकिन यह चीज़ बिल से साबित होती है तो वैसी हालत में मैं प्रार्थना करता हूं कि आवश्यक सुधार करके इस बिल को पास करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० सी० सोधिया** : उद्देश्यों और कारणों के वितरण को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान राज्य विधियों के अधीन ६ सितम्बर, १९५५, के बाद कोई और कर इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा ।

श्री झुनझुनवाला : हमारे मित्र ने स्टेटमेंट आफ आबजेक्टेस (उद्देश्यों और कारणों के विवरण) को पढ़ा है परन्तु यह तो लॉ नहीं है । जब यह लॉ बन जायेगा तो अगर कोई मामला कोर्ट में जायेगा तो कोई स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस को नहीं पढ़ेगा । वहां पर जो कुछ इस लॉ में लिखा हुआ है और जो इसके वर्डिंग (शब्द) हैं उनको ही पढ़ा जायेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक में भी इसी प्रकार के शब्द हैं । "उस अवधि के अन्दर" शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिये । चाहे कोई भी विधि हो, वह इस मात्रा तक नहीं मान्य होगी ।

श्री झुनझुनवाला : मैंने अपने दो एक आदमियों से सलाह की है और उन्होंने भी वही बात कही है जो शाह साहब ने कही है और उन्होंने ने मुझे बतलाया है कि इसका यह अर्थ निकल सकता है । मैं तो कोई लाय्यर (वकील) नहीं हूँ । लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बातें शाह साहब ने बताई हैं उनका अगर यह अर्थ निकल सकता है तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट को इस चीज़ को अच्छी तरह देख लेना चाहिये ताकि इसके ऊपर फिर झगड़ा न हो ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कल यह तय हो चुका है कि यह जो लॉ है यह सुप्रीम कोर्ट में जा कर नल एण्ड वायड (शून्य) हो जायेगा । मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन प्रार्थना करता हूं कि गवर्नमेंट इस पर भी विचार कर ले ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कोई व्यक्ति, यदि वह किसी कानून के खिलाफ़ काम करे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसको बचा सके । लेकिन यदि स्टेट कोई ऐसा काम करे जिसके बारे में कि उसको काफी अख्तियारात हैं और प्रेजीडेंट को और पार्लियामेंट को भी अख्तियार हैं और इस तरह की छोटी छोटी बातों में कानून के खिलाफ जाये तो इसका नैतिक ईफेक्ट (प्रभाव) क्या होगा लोगों के ऊपर और स्वयं स्टेट के ऊपर इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं । इस तरह के गैर-कानूनी काम करना, मेरे विचार में, स्टेट को शोभा नहीं देते हैं ।

हमारे पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक एमेंडमेंट दिया है जो कि लेवीड आर कोलेक्टिड (लगाये और इकट्ठा किये गये) के बारे में है । जो रकम वसूल हो गई है उसके बारे में तो रह कहा जा सकता है है कि साहब इसको वापस करने में बड़ी दिक्कत होगी ।

परन्तु "लैवी" (लगाने) के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिये । जो वसूल नहीं हुआ है वह आगे वसूल नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री के० सी० सोधिया : वसूल तो हो चुका है ।

श्री झुनझुनवाला : मैं यह जानता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट (निर्णय) सन् १९५५ में हुआ उसके बाद बहुत से व्यापारियों ने सोचा कि जो टैक्स वे कलेक्ट कर रहे थे वह वे नहीं कर सकते थे । इसलिये उन्होंने उसको वापस कर दिया । अब आगे उनसे वही टैक्स मांगा जायेगा जिसको कि उन्होंने वापस कर दिया है । इस प्रकार के बहुत से केसेज़ (मामले) हमारे सामने आये हैं और उनकी जानकारी हम को है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कुछ वसूल हो गया है वह तो ठीक है परन्तु जो वसूल नहीं हुआ है उसे वसूल नहीं करना चाहिये । जो अमेंडमेंट ठाकुरदास जी भार्गव ने दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कुमारी एनी मैस्करीन** (त्रिवेन्द्रम) : मैं इस विधेयक का विरोध इस कारण करती हूं कि मेरे राज्य की २५ प्रतिशत आय बिक्री कर के द्वारा होती है। पुरातन काल से सरकार विधान सभा बनाती आई है परन्तु यह विधान इस प्रकार का है जिस पर विचार करते समय हमें न्यायपालिका के फैसले पर भी विचार करना होगा तथा न्यायपालिका को भी इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कर वैध है अथवा नहीं। परिस्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि दोनों को ही अपने कार्यों के औचित्य को सिद्ध करने में कठिनाई हो रही है। न्यायपालिका की गलती पर उच्च न्यायालय उस गलती को ठीक करता है तथा विधान-मंडल की ग़लती पर, विधि का निरसन किया जाता है। यदि भविष्य के लिये निधि बनाई जाती है तो ठीक होता, परन्तु भूतलक्षी रूप से इसे लागू करना एक ग़लती है।

बिक्री कर जनता देती है तथा त्रावनकोर-कोचीन राज्य में छूट बहुत कम दी जाती है। बम्बई में २९ प्रतिशत, त्रावनकोर-कोचीन २५ प्रतिशत तथा मद्रास २० प्रतिशत, आय बिक्री कर से होती है। बम्बई तथा मद्रास की तुलना में हमारा राज्य बड़ा छोटा है और यह विधेयक ऐसे कर को मान्यता देने जा रहा है जिसको उगाहा जा चुका है और जिसको भविष्य में भी जनता देती रहेगी। इसलिये यह मेरे राज्य के प्रति अन्याय है। माननीय वित्त मंत्री जनता के प्रतिनिधि भी हैं इसलिये उन्हें इस पर पुनः विचार करना चाहिये और इस विधि को पारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : इस विधेयक का समर्थन करते हुये मेरा विचार है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ६ सितम्बर, १९५५ को न्यायालय ने फैसला दिया तथा अध्यादेश ३० जनवरी, १९५६ को जारी किया गया।

†**श्री सी० सी० शाह** : मेरे विचार से, पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन से कोई लाभ नहीं होगा। कल वित्त मंत्री ने ठीक कहा था अन्तिम ३ पंक्तियां केवल सावधानी के लिये रखी गई हैं। केवल आरोपण अथवा संग्रह शब्दों को ही न हटा कर यदि अन्तिम तीन पंक्तियों को ही हटा दिया जाये तो भी आरोपण तथा संग्रह तो तब तक रहेगा जब तक अधिनियम का प्रथम भाग है।

†**श्री पास्टकर** : इस समय इस पर विचार नहीं हो रहा है।

†**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : संशोधन के समर्थन का कारण यह है कि संभव है खरीदारों से लिये गये बिक्री कर को व्यापारियों ने वापस दे दिया हो क्योंकि अन्तः राज्य व्यापार में खरीदारों की संख्या अधिक नहीं होती है। इसलिये मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जिन व्यापारियों ने वसूल किया गया कर वापस कर दिया होगा उनकी क्या स्थिति होगी। दूसरे इस फैसले के पश्चात् इतना समय व्यर्थ क्यों नष्ट किया गया और शीघ्र अध्यादेश जारी क्यों नहीं किया गया।

पंडित सी० एन० मालवीय (रायसेन) : इतनी बहस के बाद भी मैं यह नहीं समझ सका कि यह बिल इम्मारल (अनैतिक) या अनरीजनेबिल (अयुक्तियुक्त) कैसे है। मेरे ख्याल से तो जो स्थिति बन गयी है उसके लिहाज़ से यह कानून बिल्कुल ज़रूरी है और इसको पास होना चाहिये। मैं, श्री ठाकुर दास जी का जो अमेंडमेंट है उसका और जो अमेंडमेंट श्री शाह साहब ने दिया है उसका भी विरोध करता हूं, इसलिये कि जहां तक कानूनी पोजीशन का सवाल है वह तो साफ है, और जहां तक बेइन्साफी और इम्मारेलिटी का सवाल है उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले एक जजमेंट है और पार्लियामेंट को इस बात का हक है कि वह इंटर स्टेट (अन्तर्राज्यिक) टैक्स लगाने का कानून पास कर सकती है तो यह इल्जाम जो कि गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाता है कि वह खामोश बैठी रही और उसने कोई कदम नहीं उठाया, वह सही नहीं है। आप टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी (कर जांच समिति) की तीसरी वाल्यूम (खण्ड) को देखें। उससे आपको मालूम होगा कि कांस्टीट्यूशन

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित सी० एन० मालवीय]

पास होने से पहले सेल्ज़ टैक्स की स्थिति क्या थी और उसके पास होने के बाद क्या स्थिति है । उसके बाद कुछ मुकदमे अदालत में गये और सुप्रीम कोर्ट के जज़मेंट से कुछ राज्यों ने यह इंटरप्रिटेशन (निर्वचन) निकाला कि जो माल उनके राज्य में दूसरे राज्यों से आता है उस पर वह टैक्स लगा सकते हैं और इस बिना (आधार) पर उन्होंने दूसरे राज्यों के व्यापारियों से रिटर्न (विवरण) मांगना शुरू किया । इससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत महसूस होने लगी और यह बात गवर्नमेंट के नोटिस में आई । इस दिक्कत को दूर करने के लिये सन् १९५३ में एक कानफरेंस हुई और उसमें यह चीज़ तै की गयी कि अगर कोई व्यापारी एक स्टेट में माल भेजता है तो उससे रिटर्न न मांगा जाये बल्कि उस की स्टेट में असेस करके ही टैक्स असेस कर लिया जाया करे ।

सवाल यह नहीं था कि वे एकदम लीगैलिटी (वैधता) में फंस जाय । डिमांड (मांग) यह थी कि जैसे भी सम्भव हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट को इस फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) को कार्यान्वित करना है और इसको आगे बढ़ाना है और ज़ाहिर है कि उसके लिये हमें रुपये का इन्तज़ाम करना है और इसी सद्-उद्देश्य को लेकर यह टैक्स लगाया गया है । इसके साथ ही साथ जहाँ कि ऐसे लोगों के साथ हाउस म हमदर्दी दिखाई गई है कि जो सेल्स टैक्स देते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो इसकी अदायगी को इवेड (अपवंचना) करते हैं उनके लिये आपने क्या इन्तज़ाम किया है और मैं पूछना चाहूंगा अपने उन दोस्तों से जो कि इन इवेडर्स के लिये चाहते हैं कि अब उनसे इस टैक्स की वसूली न हो, उनको सपोर्ट करके क्या वे इस इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और देश का अहित नहीं कर रहे हैं ?

टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन ने अपनी रिपोर्ट क वाल्यूम ३ में पेज (पृष्ठ) २५ पर आख़िर में बतलाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कांस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस (संविधानिक प्रतिबंध) थे उनसे हमें दिक्कतें हुई हैं और मैं उनको बतलाते हुये हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल रेलेवेंट पोर्शन (संगत अंश) पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है :

> "दूसरे, इन प्रतिबंधों के कारण कर से बचने और प्रायः सब राज्यों के राजस्वों को अप्रत्यक्ष रूप में क्षति पहुंचाने का बड़ा अवसर था । एक राज्य के व्यापारियों ने दूसरे राज्यों के अपंजीबद्ध व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सीधे माल बेचना आरम्भ कर दिया । इसी प्रकार, मूल्यवान वस्तुओं के उपयोक्ताओं ने , अपने स्थानीय व्यापारियों से माल खरीदने के बजाये दूसरे राज्यों के व्यापारियों से सीधे माल मंगवाना आरंभ कर दिया । राज्य के अन्दर की गई माल की बिक्री को लेखा पुस्तकों में राज्य के बाहर के फर्जी व्यापारियों को बेची गई दिखाने और फिर व्यापारियों के द्वारा माल उसी राज्य के अन्दर उपभोक्ताओं को पुनः बेचे जाने की रीति चल पड़ी । मोटर गाड़ियों, आभूषणों, घड़ियों आदि बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में यह रीति आम हो गई । जो सौदे अन्तर्राज्यिक व्यापार के अन्दर दिखाये जा सकते थे, उन में, निर्यात करने वाले राज्य पर अनुच्छेद २८६ के अन्तर्गत बिक्री कर लगाने की पाबंदी थी; और यदि इन सौदों के कारण दिया गया माल व्यक्तिगत उपभोक्ताओं या अपंजीबद्ध व्यापारियों द्वारा प्राप्त किया गया लिखा दिया जाता, तो आयात करने वाला राज्य उन पर कोई कर नहीं लगा सकता था । इस प्रकार इनमें से बहुत से सौदे बिक्री कर से बिल्कुल ही बच गये ।"

इस तरीके से एक स्टेट का रेवेन्यूज़ से डिप्राइव करना (राजस्वों से वंचित) उसको महरूम करना और इस तरीक़े से खुद तरकीब निकाल कर मुल्क के बहुत बड़े विकास के काम को रोकना, यह इम्मोरलिटी है या मुल्क के दूसरे फाईव ईयर प्लान को कामयाब बनाने के लिये नेकनीयती से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से गाईड (शिक्षा लेकर) होकर और उसके अल्फ़ाज़ का ठीक इंटरप्रेटेशन (निर्वचन) निकाल करके एक ऐसा तरीका निकाला जाय जो सब दिक्कतों को दूर करने वाला हो, वह इम्मौरेल (अनैतिक) है ? मैं पूछना चाहता हूं कि टैक्स को इवेड (अपवंचन) करना और क़ानून की आड़ लेकर धोखेबाजी

की कोशिश करना क्या इम्मौरेल (अनैतिक) नहीं है? मैं समझता हूं कि यह जो बिल पेश किया गया है बिलकुल मुनासिब है और साथ ही यह भी इम्मौरेल नहीं है जो हम उस ज़माने के लिये वैलिडेट (मान्य) कर रहे हैं। जाहिर है कि जो टैक्स दे चुका है उसको वह वापिस नहीं हो सकता और जिन डीलर्स (व्यापारियों) ने टैक्स को वसूल कर लिया है वह भी उन्हीं के पास है और वह गवर्नमेंट के पास नहीं आया है और सरकार को उसको ज़रूर उनसे वसूल करना चाहिये। मेरी समझ में डिस्क्रिमेनेशन (भेदभाव) तो तब होगा जब कुछ लोगों से तो टैक्स वसूल कर चुके हैं और जो बाकी रह गये हैं उनसे वसूल न किया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल के जो अल्फाज़ हैं वह बिलकुल दुरुस्त हैं और मैं उनका पूरे तौर से समर्थन करता हूं। इसमें जो दफायें रक्खी गई हैं, वह इंसाफ की बनियाद पर क़ायम है। देश के हित को ध्यान में रखते हुये इस तरह का टैक्स वसूल करना इम्मौरेल नहीं है। और न ही इसमें सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह का रिफ्लेक्शन (कुप्रभाव) है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया है और हम उसके दिखाये हुये मार्ग के अनुसार कानून बना रहे हैं और यह हमारे अख़्तियार में है। मैं इस बिल में कोई ऐसा हिस्सा या दफा ऐसी नहीं पाता जिसके बारे में हमारे कुछ साहबान ने फरमाया है कि यह जस्टिफाईड (उचित) नहीं है। यह इम्मोरेल या अनरीज़नेबुल नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि इसके ख़िलाफ जो आर्गुमेंट्स (तर्क) दिये गये हैं वे इम्मौरल हैं और नेशन और देश के हित के खिलाफ हैं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह स्पष्ट है कि हम एक बहुत ही जटिल विषय का विवेचन कर रहे हैं। एक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान बनाने वालों का जो कुछ आशय था वह संविधान के शब्दों में पूरे तौर से व्यक्त नहीं किया गया है। संभव है कि इस विषय का विवेचन करने वाले विभिन्न उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय समय समय पर यह निश्चय न कर सके हों कि इस विशिष्ट अनुच्छेद के शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाय; कम से कम उनके न्यायाधीश अवश्य ही इस विषय में समय-समय पर संदिग्ध रहे। प्रायः ऐसा होता है कि एक उच्च न्यायालय के खंड-बैंच का निर्णय कुछ होता है और बाद में संपूर्ण बैंच का कुछ और निर्णय होता है। पता नहीं कि इस निर्णय का भी क्या होगा। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि इस विषय पर फिर विचार किया जाये तो कदाचित उसका दूसरा पहलू तब स्पष्ट हो जाये जो आज हमें स्पष्ट नहीं है। अतः विधानमंडल का समय-समय पर यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उस कठिनाई को दूर करे जो शब्दों के उस प्रकार ठीक-ठीक प्रयोग करने की, जिस प्रकार कि उनका प्रयोग किया जाना चाहिये, मनुष्य की असमर्थता से उत्पन्न होती है।

इसके दो तरीके हैं। एक तो यह कि संविधान में कुछ संशोधन किया जाय और दूसरा यह कि ऐसी अन्य विधियां बनाई जायें जो आवश्यक हों। जहाँ तक संविधान का सम्बन्ध है, इसमें संदेह नहीं कि अन्तर्राज्यीय बिक्री-करों के सम्बन्ध में जब हम कोई व्यापाक विधेयक प्रस्तुत करेंगे तो हमें संविधान में ही परिवर्तन करने का सुझाव देना होगा। किन्तु जैसा कि आपने बताया है, वह एक भिन्न विषय है जिस पर तर्क उसके गुण दोषों के आधार पर ही करना होगा। यही बात प्रमापीकरण के प्रश्न तथा अन्य विभिन्न विषयों के लिये लागू होती है।

अब संविधान की भाषा और विभिन्न न्यायालयों द्वारा की गयी उसकी व्याख्या के सम्बन्ध में मैं दो निर्णयों को दो महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है, बंबई राज्य वगैरह बनाम युनाइटेड मोटर्स (भारत) लिमिटेड वगेरह ३० मार्च, १९५३ :

"अतः हमारी यह राय है कि अनुच्छेद २८६ (१) (क) यदि व्याख्या के साथ पढ़ा जाये, ऐसे राज्य को, जहां उपभोग के लिये माल दिया गया हो, छोड़ कर सभी राज्यों को ऐसे क्रयों तथा विक्रयों पर कर लगाना प्रतिषेध करता है जिसमें कि अन्तर्राज्यिक तत्व ग्रस्त हों। बाद वाला राज्य ऐसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सी० डी० देशमुख]

विक्रय या क्रय पर कर लगाने के लिये स्वतंत्र रहेगा तथा इस सम्बन्ध में उसे शक्ति व्याख्या से नहीं बल्कि अनुच्छेद २८६ (३) से, जिसे कि सूची २ की प्रविष्टि ५४१ के साथ पढ़ा जाये, प्राप्त होती है हमारी राय है कि खंड २ का प्रवर्तन व्याख्या में अधिनियमित विधि परिकल्पना के परिणामस्वरूप अपवर्जित है और वह राज्य, जहां वस्तुएं उपभोग के लिये वास्तव में दी जाती हैं, अन्तर्राज्यिक विक्रय या क्रय कर लगा सकता है"। उन्होंने उसके दो अलग-अलग दो टुकड़े बनाये, अन्तर्राज्यिक सौदों के सामान्य क्षेत्र उसे अलग किया, उसे खंड १ के अधीन लाया और कहा कि चूंकि वह राज्य के अन्दर विक्रय था, इसलिये उस पर कर लगाया जा सकेगा ।

दूसरा निर्णय बंगाल इमिन्यूटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य वगैरह, ६ सितम्बर, १६५५ के मामले में उच्चतम न्यायालय का है । वह इस प्रकार है :

"पूर्वोक्त सभी कारणों से हमारा यह दृढ़ मत है कि जब तक संसद खंड (२) द्वारा उसमें निहित शक्तियों के प्रयोग में बनायी गयी विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक कोई राज्य वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर न कोई कर लगा सकेगा या न उसे कर लगाने का अधिकार होगा जब कि ऐसे विक्रय या क्रय आन्यर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणीज्यिक के दौरान में हुये हों और बम्बई राज्य बनाम यूनाइटेड मोटर्स (भारत) लिमिटेड के मामले में बहुसंख्यक निर्णय, जहां तक कि वह विपरीत निर्णय है, सिद्धान्त अथवा अधिकार पर अच्छी तरह आधारित नहीं माना जा सकता है ।"

आगे कहा गया है :

"बिहार राज्य अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान में हुये विक्रय या क्रय के सम्बन्ध में राज्य से बाहर के व्यापारियों पर बिक्री कर न लगाये यद्यपि वस्तुएँ बिहार में उपभोग के लिये विक्रय या क्रय के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप दी गयी हों ।"

दूसरे शब्दों में, उन्होंने इन दोनों को एक साथ मिला दिया है और उन्हें एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है ।

अतः परिणाम यह मालूम होता है कि ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहियें । अनुच्छेद २८६ (२) के अधीन संसद को मान्यीकरण विधि बनानी होगी; और कर लगाने वाले राज्य में उपभोग के लिये वस्तुओं का दिया जाना आवश्यक होगा ।

अब जहां तक पहले का सम्बन्ध है, वह स्थान का विषय है कि माल कहां दिया गया और उपभोग कहां हुआ । वह तथ्य निर्धारित करने का विषय है । हम दूसरी कमी अर्थात् मान्यता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वह अन्तार्राज्यिक सौदा हो जाता है । उन करों को और उनके संग्रहण को वैध बनाने के लिये हम अब उन सौदों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं ।

इस दृष्टिकोण से हम इस आशंका का कोई कारण नहीं देखते कि राज्य अपने प्राधिकार की सीमा से आगे बढ़ जायेंगे । माल देना और उसका उपभोग करना आवश्यक होगा; तभी केवल राज्य को उस पर कर लगाने का अधिकार होगा, जबकि इस विधेयक के पारित हो जाने पर उन्हें संसद् की विधि के रूप में प्राधिकार प्राप्त होगा । अतः मैं श्री सी० सी० शाह की इस आशंका से सहमत नहीं हूं कि राज्यों को अब इसका क्षेत्र विस्तृत करने अथवा ऐसे सौदों को, जिनके बारे में उन्होंने अनुच्छेद २८६ (१) की व्याख्या के अधीन न सोचा हो, उनके आरोपण और संग्रहण के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिये भविष्य में विधियाँ पारित करने का प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि उनका भुगतान और उपभोग राज्य के अन्दर अवश्य होना चाहिये । यह एक शर्त लगायी गयी है और जब तक यह शर्त पूरी की जाती है, कोई कारण नहीं है कि राज्य उस पर कर क्यों न लगाये ।

दूसरी बात यह है कि हम इन तारीखों को क्यों ले रहे हैं। यह पूछा गया कि यदि यह ठीक है कि केवल निर्णय दिये जाने के बाद ही सभी राज्यों ने ये कर लगाना प्रारंभ किया, तब हम १ अप्रेल, १९५१ और १ अप्रैल, १९५३ के बीच की अवधि का ही विवेचन क्यों कर रहे हैं। सच यह है कि स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। मेरे विचार से राज्यों और उनके विधि परामर्शदाताओं को कोई भी इस बात के लिये क्षमा कर सकता है कि विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधीशों ने इसको जितना स्पष्ट किया है उससे अधिक स्पष्टता उन्होंने इसमें नहीं लायी है।

हमने जो जानकारी एकत्र की है उससे यह दिखायी पड़ता है कि युनाइटेड मोटर्स (भारत) लिमिटेड मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार १ अप्रैल, १९५३ से प्रायः सभी राज्य केवल गैर-निवासी व्यापारियों से ही अन्तर्राज्यिक सौदों पर बिक्री-कर लेते रहे हैं। किन्तु एक या दो राज्य अन्य राज्यों से अधिक साहसी थे। जहां अन्तर्राज्यिक सौदों पर उस व्याख्या के अधीन विक्रय कर या क्रय कर उस तारीख के पहले भी लगाया जाना था, वहां हम १ अप्रैल, १९५१ से १ अप्रैल, १९५३ की अवधि के लिये कोई त्रुटि नहीं रख सकते जब कि इस विधेय को पारित करने का व्यावहारिक प्रभाव १ अप्रैल, १९५३ से १६ सितम्बर, १९५५ के बीच किये गये संग्रहण को मान्यता देना होगा। इन परिस्थितियों में वह संशोधन स्वीकार करना वांछित न होगा।

एक और बात यह है कि केवल गत वर्ष अगस्त में ही हमने राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ किया। किन्तु १९५३ के प्रथम निर्णय के बाद हमने उन्हें सलाह दी कि वे अपने को रोकें। हम जानते थे कि उस निर्णय के परिणामस्वरूप अन्तर्राज्यिक सौदों पर कर लगाने की प्रथा बहुत बढ़ जायगी और हमें यह भी बताया गया कि सारे देश भर में व्यापारियों को कितनी परेशानी होगी। अतः हमने एक राजकीय सम्मेलन किया और अधिकतर राज्यों को अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सहमत होने के लिये राज़ी किया। जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, पश्चिमी बंगाल को यह कर लगाने या वसूल करनें में कोई दिलचस्पी नहीं थी; किन्तु कुछ राज्यों ने इसमें बहुत आमदनी देखी और वे आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उन में से अधिकतर हमारे साथ प्रक्रिया विषयक मामलों में सहमत हो गये थे।

उसके बाद हमें कर जाँच आयोग की सिफारिशें मिलीं और तब हमने यह सोचा कि अन्तर्राज्यिक सौदों पर कर लगाने के सम्बन्ध में इस विषय में अब थोड़ा बहुत सुधार करना आवश्यक है। उस पर विचार करने के लिये हमें समय मिलना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखते हुये इस बीच समस्या अधिक न उलझ जाये हमने राज्य सरकारों को यह सलाह दी कि वे यथासंभव बिक्री कर न लगायें अथवा अपना विधान वापस ले लें।

कर जांच आयोग की सिफारिशों को समझ कर कुछ राज्य तुरन्त सहमत हो गये। कुछ अनिच्छुक थे जबकि केन्द्र उनके राजस्व का घाटा पूरा न कर दे जो हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह उनके और नागरिकों के बीच का विषय था। अतः अगस्त सितम्बर तक, जब कि यह निर्णय सामने आया, यह स्थिति थी।

निर्णय प्राप्त होते ही प्रत्येक राज्य ने यह समझा कि वह अब ये कर लगाना और वसूल करना जारी नहीं रख सकेगा।तब धीरे धीरे हमारे पास प्रार्थनाएं आने लगीं। हम नहीं जानते थे कि कितना वसूल किया गया था और वे उसकी उपेक्षा कर सकते थे या नहीं। यह सब जानकारी एकत्र करने में हमें कुछ समय लगा। इसी कारण अध्यादेश जारी करने में कुछ अधिक समय लगा। फिर भी हमने अध्यादेश जारी किया क्योंकि संसद् के समवेत होने तक प्रतीक्षा करना हमने उपयुक्त नहीं समझा। इस विशिष्ट मामले में विलंब के आरोप का उत्तर मैं इस प्रकार देता हूं।

अब केवल दो ही बातें शेष हैं अर्थात् यह करारोपण और उसकी वसूली तथा अग्रेतर कर निर्धारण आदि। हम प्रतिबन्ध हटा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के निर्बन्धन लगाने या कुछ अर्हता रखन के लिये हम नवीन

[श्री सी० डी० देशमुख]

विधान नहीं बना रहे हैं। परिस्थितियों के कारण हम केवल उन निधियों को एक साथ ला रहे हैं। हम यही कहते हैं कि आपने जो भी विधि पारित की है हम उसे मान्य समझेंगे। हम यह नहीं कहते कि कि छः पाई के बजाय आप पांच पाई रखिये और इसे शामिल करने के बजाय उसे निकाल दीजिये, क्योंकि उससे हालत पहले की अपेक्षा अधिक खराब हो जायगी।

अतः मैं मानता हूँ कि यदि चार या पांच साल पहले हमने रचनात्मक ढंग से किया होता तो इस प्रकार की चीज न की होती। उस समय हमने उसमें कई परिवर्तन किये होते। अब उस स्थिति का पुन-निर्माण कभी संभव नहीं है। इस विषय में इतनी अधिक अनिश्चितता है कि यदि हम यथास्थित बातों को मान्यता दें तभी न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। अतः हमारे सामने यही एक मात्र मार्ग है कि या तो हम इस विधेयक को अस्वीकार करें या उसे पारित कर दें। इस विधेयक को पारित करके हमारे हाथ में कोई ऐसा साधन नहीं आ जाता है जिस से कि हम राज्यों को भेदभाव की नीति बर्तने के लिये विवश कर सकें। हम यह नहीं कह सकते कि आप लोहे पर कर लीजिये और कपड़े पर न लीजिये। यह ऐसा विषय नहीं है जो इस विधेयक के द्वारा हम उन पर लाद सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आशय यह है कि ऐसा किया जा सकेगा, यदि वह विधि के अधीन संभव हो ? अब दो बातों की आशंका है। एक यह कि भविष्य में संग्रहण मान्यता देने वाली इस विधि के आधार नहीं किया जाना चाहिये और जो कुछ लौटाया गया है, उसे फिर नहीं वसूल किया जाना चाहिये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं नहीं जानता कि भविष्य में संग्रहण क्या होगा। व्यापारी या तो पंजीकृत होते हैं या अपंजीकृत होते हैं। बाद में यह मालूम हुआ कि वह बिक्री कर के अधीन हो गया है। कुछ राज्यों की जानकारी में ऐसे मामले आ सकते हैं जहां कुछ व्यापारियों पर यह कर लगाया जाना चाहिये किन्तु ऐसे मामले बहुत ही थोड़े होंगे। न्याय के हित में मैं इसमें कोई सुधार करना आवश्यक नहीं समझता। मैं यह नहीं कहता कि वह संभव नहीं है किन्तु मेरे विचार से वह अपेक्षित या उचित नहीं है।

मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि माननीय सदस्यों ने इस विषय में भी नैतिकता का प्रश्न उठाया है। वैधता के प्रश्न तो मैं समझता हूं। वैध स्थिति के विषय में आपने कठिनाई दूर करने का निर्णय किया है। जहाँ तक नैतिकता का सम्बन्ध है, हम इस विचार को प्रश्रय न दें। मैं कहता हूं कि राज्य जो कुछ विधिपूर्वक एकत्र कर सकता था एकत्र करने का अधिकारी है। जब उसने एकत्र किया, वह यह समझता था कि वह विधिपूर्वक एकत्र कर रहा है।

आगे उच्चतम न्यायालय ने दूसरा दृष्टिकोण रखा और उसके लिये वह संभव था। उसकी धारणा के अनुसार वही सत्य था। अतः सदाचार अथवा नैतिकता का यहां कोई प्रश्न नहीं है। मैं निर्णयों के शून्यी-करण के प्रश्न का निर्देश नहीं करूंगा। हम उच्चतम न्यायालय को उसी आधार पर सहयोग दे रहे हैं जिसका उल्लेख स्वतः निर्णय में ही किया गया है। अब अन्तर्ग्रस्त धन बहुत अधिक है। हम कभी न जान सकेंगे कि यह धन अंत में कहां जायगा जब कि वह लौटाया जायगा। कोई कारण नहीं कि समाज उन संग्रहणों से क्यों न लाभ उठाये जब कि व उस समय वैध और मान्य ढंग से किये गये हों। अतः मैं इस विधेयक को पारित करने में मैं कोई आपत्ति नहीं देखता।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : इस विधेयक के पारित हो जाने से कुल कितनी धनराशि एकत्र की जा सकती है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ४ या ५ करोड़ रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अन्तर्राज्यिक व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान, वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर लगाने या कर लगाने का प्राधिकार देने वाली राज्य विधियों को मान्यता देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २

राज्य विधियों का मान्यीकरण, आदि

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १३ में, और जहां कहीं ये शब्द "levied or collected" [लगाये गये या वसूल किये गये] शब्दों के स्थान पर "levied and collected" [लगाये गये और वसूल किए गए] रखा जाये तथा पृष्ठ १, पंक्ति १३ में और जहां कहीं ये शब्द आये "levied or" [लगाया गया या] शब्दों कों हटा दिया जाये ।

जो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है उसको मैंने गौर से सुना है। इस चीज़ को सब मानते हैं कि जो कोलेक्टिड मनी (इकट्ठी की गई राशि) है उसका वापिस किया जाना मुश्किल है क्योंकि अगर इसे वापस किया गया तो इससे जो मिडलमैन है उसी को फायदा होगा । इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो मिडलमैन है उसके खिलाफ आम तौर पर लोग रहते हैं । इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है । लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि १९५३ में जो ट्रुथ (सचाई) था वह आज १९५५ में नहीं है । जो आज ट्रुथ नहीं है उसका किया जाना गैर-कानूनी है । असल बात यह है कि जो कानून था वह दुरुस्त नहीं था । सन् १९५५ में यह फैसला किया गया कि जो कानूनन बना है वह दुरुस्त नहीं है । और जो टैक्स आपने वसूल किया है वह ठीक नहीं किया । अब जब कि ट्रुथ आपको मालूम हो गया है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप क्यों उससे भाग रहे हैं । जो वसूल हो चुका है वह तो वापस नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को मैं मानता हूं । लेकिन मैं पूछता हूं कि आयंदा के लिये आपका क्या फैसला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गलत तरीके से उपभोक्ता से जो धन इकट्ठा किया जा चुका है वह दुकानदारों के पास है । क्या हमें उसे उनके पास छोड़ देना चाहिये ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अर्ज़ करता हूं कि मुझे ऐसे केसिस मालूम हैं कि जहां पर जो टैक्स १९५१ के बाद उन लोगों को जिन से कि यह वसूल किया गया था, वापस कर दिया गया है । अभी अभी मेरे नोटिस में आया है कि एक आदमी ने २५,००० रुपया एक आदमी को वापस किया है ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ऐसे मामले बहुत कम हैं, जिनमें उपभोक्ता ने, जो साधारणतया स्वयं छोटा व्यापारी होता है, और जिसके पंजीबद्ध व्यापारी के साथ लगातार सम्बन्ध होते हैं, स्वयं अपनी अगली अदायगी में से वह रकम काट ली हो । वह बाद वाले लेन देन में ठीक की जा सकती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहुत से केसिस हैं जिन में लोगों ने यह समझकर कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया है, उन्होंने दूसरे लोगों को जिनसे कि वसूल किया था, यह रुपया वापस कर दिया है । अगर यह चीज़ साबित हो जाये कि उन्होंने वापस कर दिया है तो अगर उनसे यह रुपया वसूल किया जाये तो यह क्या इन्नोसेंट (निर्दोष) लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होगी । इसके अलावा मुझे यह भी नहीं मालूम है कि क्या १९५१ से १९५३ तक यह जो टैक्स है यह वसूल किया गया है या नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उत्तर सरल है। जब तक सरकार से वापिसी न मिल जाती तब तक उन्हें रुपया वापिस नहीं करना चाहिये था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री मेरी बात को समझ नहीं पाये हैं।

आपने वसूल करना है, आपने वसूल किया नहीं है। यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है इसके मुताबिक जिन लोगों ने वसूल किया है उन्होंने तो वापस कर दिया लेकिन अब इस कॉनून के पास हो जाने के बाद आप इसके मातहत फिर इस रकम को वसूल करेंगे।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं कह रहा हूँ कि जब उसने वसूल किया. तो उसने सरकार को दे दिया। उसे सरकार के साथ अपनी स्थिति कां पूर्ण निश्चय करने से पूर्व, निर्णय की घोषणा होने पर, इसको वापिस करने का कोई अधिकार नहीं था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ मामलों में कर लगाया जा चुका है किन्तु एकत्र नहीं किया गया है, और कुछ मामलों में कर इकट्ठा करने के बाद वापिस कर दिया गया है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : ऐसे मामले बहुत कम हैं। ऐसे मामलों के लिये उपबन्ध करने से विधि में त्रुटि रह जाती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कम से कम एक मामले का तो मुझे ज्ञान है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जिससे कर वसूल नहीं किया गया है २५,००० रुपये वापिस किये गये हैं। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं।

*लेकिन उसूल यह होना चाहिये कि जो लोग बेगुनाह हैं उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिये चाहे उनकी तादाद कितनी थोड़ी क्यों न हो।

तो मैं अर्ज़ करता हूं कि जब सच बात मालूम हो गई है तो उन लागों से इस टैक्स को वसूल करना, जो इसे वापस कर चुके हैं, क्या यह मारेलेटी (नैतिकता) है ? मुझे एक श्लोक याद आ गया है :

सर्वेत्रैश विहिता रीतिः धर्मस्य धनमाजामभीतिः

इसमें उनको मारेलेटी मालूम नहीं होती है। मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि दफा २६५ का क्या बनेगा। जो चीज़ बाई ला (विधि द्वारा) वसूल नहीं की जा सकती उसको वसूल करना वाजिब नहीं। इससे लोगों का विश्वास उठ जाता है। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि यह एक लालेस ला (विधिहीन विधि) होगा। यह ला नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं और जिस की रू से सब चीज़ जायज़ करार दी जा रही है। यह कभी नहीं होना चाहिये। इसके मानी यह हैं कि पार्लियामेंट को जो डिसक्रीशनरी पावर्ज़ हैं (स्वविवेक की शक्तियां) और जिन को उसे एक्सरसाइज़ (प्रयोग) करना चाहिये था उनको उसने इस्तेमाल नहीं किया है। यह सब फिक्शन है, गैर कानूनी चीज़ है और हमें इसे नहीं करना चाहिये।

हमारे पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक सैक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू एक्ट में लिखा हुआ है उसको (सत्यता का प्रमाण) प्रिज़म्पशन आफ ट्रूथ माना जाये। एक गांव है पंजाब में, उस की वजह तस्मिया में लिखा है, जिसका नाम भूतव है कि एक भूत एक बांस पर चढ़ता और उतरता रहता था और इसी वजह से उस गांव का नाम भूतव रख दिया गया। वह प्रिज़म्पशन थी। यह जो ला हम य बना रहे हैं यह तो लालेस चीज़ है। और बेबुनयाद फिक्शन पर कायम किया जा रहा है है न पहले पार्लियामेंट ने इजाजत दी और न दे सकती थी। मुझे तो इ एक कहानी याद आती है। एक राजा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरह का और वह अपने इलाके में घूमने के लिये जाया करता था। एक बार वह अपने इलाके में एक गार्डन (बाग) में गया और वहां जो माली था उससे उसने पीने के लिये पानी मांगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

*यहां से उनका हिन्दी भाषण प्रारम्भ होता है।

उस माली ने एक अनार लिया और उसका रस निकाला जिससे कि गलास भर गया और राजा को दे दिया। इससे राजा ने समझा कि जो मामला लगाया गया है वह कम है और उसने हुक्म दे दिया कि इसकी दर बढ़ा दी जाये। इसके बाद दुबारा जब वह राजा वहां गया और पानी मांगा तो उस माली ने फिर एक अनार लिया और जब उससे रस निकाला तो उससे ग्लास का आठवां हिस्सा भी नहीं भरा। उसने पूछा कि क्या वंजह हुई, तो माली ने कहा कि राजा की निगाह ठीक नहीं है।

आपका दावा है कि हमारा मारल और पीसफुल ऐप्रोच (नैतिक तथा शान्तिपूर्ण दृष्टिकोण) है और आप कहते हैं कि हम मारल स्टेंडर्ड से दूर नहीं जाते और डाइसी की डेफीनीशन के मुताबिक ला पर चलते हैं। इसलिये आज आपको उसी ऐप्रोच (दृष्टिकोण) को कायम रखना चाहिये। तीन चार करोड़ रुपये की क्या बात है। आज अगर आप जायज़ तौर से सौ करोड़ रुपये का भी टैक्स लगायेंगे तो उसको लोग राजी राजी देंगे। लेकिन आप डाउटफुल (संदेह युक्त) तरीके से रुपया लेना चाहते हैं जिसको कि आप खुद कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। आप कांस्टीट्यूशन बना कर उसकी हमारे हाथ से बेइज्जती करवाना चाहते हैं। आप यह कानून कांस्टीट्यूशन की दफा २८६ के पार्ट २ के खिलाफ बना रहे हैं। कल जो बहस हुई उसमें पार्ट १ पर ही ध्यान दिया गया पर पार्ट २ के प्रावीजन (उपबंधों) का ख्याल भी नहीं किया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : एक उच्च न्यायालय का निर्णय है कि अनुच्छेद २८६ (१) स्वतंत्र है और जहां यह अन्तर्राज्यिक था वहां ही लागू होता था किन्तु उच्चतम न्यायालय का निर्णय इससे विपरीत है।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : उच्चतम न्यायालय के भिन्न-भिन्न अवसरों पर किये गये निर्णयों में मतभेद है।

†**श्री सी० सी० शाह** : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में भी मतभेद है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह ठीक तरीका नहीं है।

अगर इस तरह से माना जाय तो फर्ज कीजिये कि इस हाउस में एक कानून पास होता है और एक तरफ ५१ मेम्बर राय देते हैं दूसरी तरफ ४९ राय देते हैं, उस हालत में क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कानून दो आदमियों ने पास किया है। मेरे दोस्त कहते हैं कि चार जजों में से तीन की एक राय थी और एक की एक राय थी। लेकिन जो फैसला हो चुका वह तो मातिक (स्पष्ट) है। उस पर नुक्ताचीनी करना ठीक नहीं होगा।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जो फैसला मुल्क के फायदे के लिये हो वही अच्छा फैसला है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसमें श्रेयस और प्रेयस का सवाल है। वह फैसला ठीक नहीं है जिससे नाजायज तरीके से रुपया आता हो बल्कि वह फैसला ठीक है जो मारल कोड पर बेस्ड (नैतिक सिद्धांत पर आधारित) है। जो दे चुका वह तो दे चुका। लेकिन मुझे जो खराबी मालूम होती है वह यह है कि आप आयन्दा भी वसूल करना चाहते हैं। खुसूसन उस शख्स से जो कि रिफंड कर चुका है। उससे आप ऐसा रुपया वसूल करना चाहते हैं जिसकी कि लेंड की हाइएस्ट जूडीशियरी (उच्चतम न्यायपालिका) इजाजत नहीं देती। इसलिये मैं चाहता हूं कि आयन्दा वसूल न किया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस मेरे अमेंडमेंट को मंजूर करेगा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं माननीय सदस्य के सिद्धान्तों और शंका-आशंकाओं से सहमत नहीं हूँ। अतः मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[**उपाध्यक्ष महोदय** ने संशोधन मतदान के लिये रखा और वह अस्वीकृत हुआ]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : दूसरा संशोधन अभी-अभी दिया गया है और सरकार उसे स्वीकार नहीं करती। अतः प्रथा के अनुसार, मैं उसे मतदान के लिये नहीं रखता।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३ और १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, वित्त सम्बन्धी कार्यवाही पर चर्चा आरम्भ करने से पूर्व हमें बहुत सा काम पूरा करना है। हमारे पास वैसे ही समय की कमी है हमारे पास और सिवा इसके कोई और चारा नहीं है कि शनिवार, ३ मार्च, १६५६ को सभा सरकारी कार्यवाही पर विचार-विमर्श करे।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मेरा यह निवेदन है कि सभा सोमवार को अध्यक्ष महोदय के निधन के कारण स्थगित हुई थी और उस दिन के काम की कमी को पूरा करने के लिये शनिवार को बैठक करना अच्छा नहीं मालूम होता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम शनिवार को सोमवार की कमी पूरी करने के लिये नहीं बैठ रहे हैं अपितु इसलिये बैठ रहे हैं कि हमारे पास काम बहुत है।

वित्त मंत्री जी अब अपने नाम में पड़े अगले विधेयक को प्रस्तावित करेंगे।

---

*जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि जीवन बीमा व्यवसाय, जिसका राष्ट्रीयकरण होने वाला है, का जनहित में प्रबन्ध संभालने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का प्रयोजन गत १६ जनवरी, १६५६ को निर्मित जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) आध्यादेश को अधिनियम में परिणीत करना है। अध्यादेश का जारी करना इस देश में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की ओर पहला प्रारम्भिक कदम था। अब मैं यह बतलाऊँगा कि किन कारणों से सरकार ने यह बड़ा निर्णय किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

राष्ट्रीयकरण का निर्णय करने के पश्चात सरकार ने अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया कि जब तक संसद् द्वारा आवश्यक विधान पास किया जाये क्या उस बीच में कोई अंतरिम कार्यवाही आवश्यक है। सामान्य प्रक्रिया यह होती कि यह उपबन्ध करते हुये एक विधेयक पुर:स्थापित किया जाता कि पुर: स्थापना की तिथि के पश्चात् कम्पनियों के प्रबन्धकों द्वारा किये गये सौदे सरकार पुन: खोल सकती है यदि यह प्रतीत हो कि ये सौदे दुर्भाव से किये गये थे। जब कि इस प्रकार का उपबन्ध अन्य प्रकार के अधिकतर व्यवसाय के लिये पर्याप्त होता, हमारा ख्याल था कि जीवन बीमा के बारे में यह अपर्याप्त होगा। कम नीति-कुशल बीमा कम्पनियों का गत अनेक वर्ष का हमारे अनुभव से हमें यह विश्वास हो गया था कि इस प्रकार के उपबन्ध से परिसम्पत् का बड़ी मात्रा में कम होना नहीं रोका जा सकेगा। ऐसा करने से बीमा कम्पनियों के प्रबन्धक कई तरीकों से धन कमा सकते थे, शायद पालिसीदारों के हितों की उपेक्षा करके हो सकता है कि शेयर धारियों के हितों की उपेक्षा करके सौदों पर अवश्य ही पीछे की तारीखें डाल दी जाती और उस तारीख तक धन का जो दुरुपयोग किया गया था उसके सम्बन्ध में कल्पित हिसाब बना दिया जाता। वास्तव में मेरे कामों में कुछ प्रबन्धकों की शिकायतें आयी हैं कि अपना हिसाब ठीक करने के लिये उन्हें २४ घन्टे भी नहीं दिये गये। रुपये का दुरुपयोग कुछ थोड़े से ही प्रबन्धकों तक सीमित नहीं था जैसा कि एक प्रमुख आर्थिक पत्र ने लिखा है जिसमें से मैं अभी पढ़ कर सुनाऊँगा। मैं बता दूं कि यह पत्र वह है जो राष्ट्रीयकरण के अत्यन्त विरुद्ध है तथा जिसने सरकार के इस निर्णय की आलोचना की है। इस पत्र का कहना है :

"कुछ व्यवसायी जो कि अपने अंतर्गत बीमा कम्पनियों की सहायता से शेयरों में सट्टेबाज़ी करते थे एकाएक गिरफ्त में आ गये हैं। इन लोगों की प्रथा यह रही है कि वह बिना उन दलालों को बतलाये जिनके नाम पर कि संविदे किये जाने हैं, शेयरों को पहले बेच या खरीद लेते हैं। यदि उस सौदे में लाभ हुआ, तो यह अपने नाम में वसूल कर लिया जाता है। लेकिन यदि हानि हुयी तो बीमा कम्पनी के नाम डाल दी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि सरकार द्वारा बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के समय इनमें से कुछ सट्टेवालों को ख्याति प्राप्त प्रतिभूतियों में एक लम्बे अरसे से अच्छी स्थिति प्राप्त की। चूंकि सरकार ने उन्हें बीमा कम्पनियों के बही-खातों में परिवर्तन करने का समय नहीं दिया, डा० देशमुख ने अपने विमुद्रीकरण अध्यादेश के अनुभव का लाभ उठाया है। उनके सम्मुख अपनी खरीदों का परिसमापन करने के अतिरिक्त और कोई चारा न था।"

इस सुस्थापित तथा सुज्ञात प्रथा पर और कुछ कहना अनावश्यक है। किन्तु उस पहलू के अतिरिक्त, अर्थात परिसम्पत् का कम होना, हमें एक और यह डर था कि अच्छे प्रकार के प्रबन्धक अपनी कम्पनियों में दिलचस्पी खो देंगे। और राष्ट्रीकरण तथा इस विधेयक के पुर: स्थापन के मध्य जो पांच या छ: महीने का समय गुजरता उसमें पालिसीदारों के हितों को हानि पहुँचती। प्रबन्ध को तत्काल अपने हाथ में लेकर सरकार इस अंतरिम काल में न केवल बीमा कम्पनियों के सामान्य कार्यकरण के लिये आवश्यक कदम उठा सकेगी। अपितु उन्हें सुचारु तथा सत्यशीलता पर आधारित कर सकेगी।

बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध लेने के बाद जो चीज़ें हमने पायी उनमें से कुछ से सदस्यगण अवश्य ही अवगत होंगे। एक बीमा कम्पनी के बारे में, जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई में था, हमने पाया कि ३०,००,००० रु० के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियाँ गायब थीं। कलकत्ते से दो मामलों की सूचना मिली जिनमें प्रत्येक में १५,००,००० रु० गायब थे। उत्तर प्रदेश के एक चौथे मामले में एक प्रबन्ध संचालक जो कम्पनी की १२,००,००० रु० की प्रतिभूतियाँ लेकर गया हुआ था अभी तक वापस नहीं लौटा है और अब पुलिस उसकी तलाश में है। यह सही है कि यह-गबन अध्यायदेश जारी होने के पूर्व हुआ था, किन्तु यदि ये लोग अकस्मात ही अध्यादेश की गिरफ्त में नहीं आगये होते तो अवश्य ही हिसाब में इधर-उधर करके इन सौदों को एक ऐसा रूप दे दिया जाता। जिसे हमारे सामने एक दूसरी तसवीर आती। एक दूसरे मामले में, प्रबन्ध लिये जाने से ठीक पूर्व एक प्रबन्धक ने एक लाख रुपये के मूल्य की

[श्री सी० डी० देशमुख]

सरकारी प्रतिभूतियाँ बेच दी और बराबर मूल्य की कृष्य-भूमि खरीद ली। जाँच करने पर परिसमापक को मालूम हुआ कि बेचने वाले का उस भूमि पर कभी अधिकार नहीं रहा तथा जो राशि दी गयी थी भूमि का मूल्य उसका एक छोटा अंश मात्र भी नहीं था। एक और मामले में २०,००,००० रु० के मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों कथित रूप से एक बैंक में जमा कर दी गयी थी। बाद को परिसमापक ने पाया कि सरकारी प्रतिभूतियों का पता हीं नहीं है, किन्तु कुछ शेयर थे और वे भी स्पष्ट नहीं मालूम होता था कि किस के थे। लेकिन जिन बैंकों में ये प्रतिभूतियाँ रखी बतायी गयी थीं और लेखापरीक्षक के सम्मुख इस बारे में जिन बैंकों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये थे उन बैंकों ने एकदम इससे इनकार कर दिया कि ये प्रतिभूतियाँ उनके यहाँ रक्खी गयी थीं। दूसरे शब्दों में बैंक प्रमाण-पत्र जाली बना लिये गये थे।

इस प्रकार के मामलों से सावधान रहने के लिये ही अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता पड़ी और फिर भी हमने केवल न्यूनतम आवश्यक अधिकार ही धारण किये तथा राष्ट्रीयकरण से उठने वाले समस्त उपबन्धों पर विचार-विमर्श जीवन बीमा निगम विधेयक पर चर्चा के समय के लिये छोड़ दिया।

चूंकि यह प्रथम और प्रारम्भिक कदम है, सदन मुझ से यह अवश्य जाना चाहेगा कि राष्ट्रीयकरण करने का बड़ा निर्णय क्यों किया गया। इस विषय पर पत्रों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों तथा अन्य लोगों द्वारा विचार प्रकट किये जाते रहे हैं। किन्तु इन सब चर्चाओं में एक इस चीज़ की कमी रही है कि बीमा व्यवसाय को व्यापक रूप से नहीं परखा गया है। किसी कम्पनी विशेष के अथवा बीमा हितों के किसी वर्ग विशेष के अथवा वास्तविकताओं से परे केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से ही इस विषय पर विचार किया गया है। हम इस सम्बन्ध में अनुकूल स्थिति में थे क्योंकि अधिनियम को प्रशासित करने के कारण हम समस्त उद्योग को व्यापक रूप से इसके विभिन्न पहलुओं में देख सकते थे। इसलिये हम पालिसीदारों, शेयरधारियों, कमीशन एजेंटों, वास्तव में प्रत्येक सम्बन्धित हित, का दृष्टिकोण मापने की स्थिति में थे। और इस सब के अध्ययन से हमें ज्ञात हुआ कि जीवन बीमा का प्रबन्ध पर्याप्त उत्तरदायित्व अथवा क्षमता के साथ नहीं किया जा रहा। हमने यह महसूस किया कि इस व्यवसाय को दृढ़ आधार पर स्थित करने के उपायों का निर्धारण करने के लिये इसके मामलों की विस्तृत जाँच करना आवश्यक है।

मुझे सभा को शायद यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि यह जाँच हमने इसलिये प्रारम्भ नहीं की कि हमने इस व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई धारणाएँ पहले से बना रखी थीं अथवा हम इसके मामलों में जबरदस्ती हस्तक्षेप करना चाहते थे। हमने अपने सम्मुख ये प्रश्न रक्खे। क्या भारत में जीवन बीमा पूर्ण सक्षमता के साथ कार्य कर रहा है जिससे कि यह औसत व्यक्ति की बचत को अधिकाधिक आकर्षित कर सके? यदि नहीं, तो इसके ऐसा करने में क्या रुकावटें हैं? ये कमियाँ किस प्रकार की हैं और नियंत्रण अधिक मजबूत करके इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है? अथवा भारत में जो जीवन बीमा का प्रबन्ध पाया जाता है ये कमियाँ क्या उसका अभिन्न अंग समझी जायें? मैं यह भी दावा कर सकता हूँ कि इन सब बातों का अध्ययन हमने एक लम्बे अरसे तक तथा व्यापक रूप से किया था। सबसे पहले सक्रिय रूप से इस प्रश्न पर सन् १६५१ में विचार किया गया। तब से बराबर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम जाँच में ही राष्ट्रीयकरण इसका स्पष्ट निदान प्रतीत होने लगा था। किन्तु हम शीघ्रता से कोई कार्य नहीं करना चाहते थे। इस लम्बी अवधि में हमने सारे पहलुओं का अध्ययन किया, प्रत्येक विचारधारा को देखा और जिन कम्पनियों का प्रबन्ध हमारे हाथ में था उसका अनुभव भी संकलित किया। जिस निष्कर्ष पर हम अंत में पहुँचे उससे हमारी शंकाएँ सुदृढ़ हो गयी। वर्तमान शासन व्यवस्था में बीमा कम्पनियों से जो भाग अदा करने की आशा की जाती है वह वे नहीं कर रही थीं और हमने यह अनुभव किया कि इस स्थिति को सुधारने के लिये भूतकाल की तरह और कानूनों की सहायता लेने से काम नहीं चलेगा। न्यास की धारणा जो कि बीमा कम्पनियों का आधार होना चाहिये, उसका वहाँ नितान्त अभाव

था। वास्तव में अधिकतर प्रबन्धक इस बात में कोई अंतर ही नहीं कर सकते थे कि न्यास के रुपये में तथा ज्वाइंट स्टाक कम्पनी के रुपये में जिसका स्वामित्व स्वयं शेयरधारियों का होता है —क्या अंतर है।

अब मैं विस्तार पूर्वक यह बताऊँगा कि इस कदम को उठाने के क्या कारण थे। बीमा कम्पनियां उन स्तरों तक नहीं पहुँची जो एक सुव्यवास्थित बीमा कम्पनी को अपनाने चाहिये। सर्वप्रथम, व्यवसाय को अधिकतम मितव्ययता के साथ चलाया जाये जिसमें यह पूरी तरह ध्यान रक्खा जाये कि रुपया पालिसीदारों का है। बीमे की किश्तों की रकम उससे अधिक नहीं होनी चाहिये जितनी जीवनांकिक आधार से उचित हो। रुपया इस प्रकार विनियोजित किया जाये जिससे कि पूंजी के सुरक्षण के साथ-साथ पालिसीदारों को अधिकतम लाभ हो। पालिसीदारों के प्रति इसकी सेवा द्रुत व सूक्षम हो तथा अपनी सेवा द्वारा यह बीमा को खूब लोकप्रिय बना दे।

अब, पहली बात लीजिये। मैं समझता हूँ हमारी जीवन बीमा कम्पनियों के कारनामे इस सम्बन्ध में बहुत बुरे रहे हैं। भारतीय कम्पनियों के प्रबन्ध-व्यय तथा किश्तों की आय का अनुपात २७ प्रतिशत है जब कि इंग्लैन्ड की कम्पनियों का १५ प्रतिशत तथा अमेरिका की कम्पनियों का १८ प्रतिशत है। खर्चे की सीमाओं पर कानूनी पाबन्दी लगा देने से भी उपव्ययता में कमी नहीं आती है। कम्पनियों द्वारा इस ऊँचे अनुपात के अनेक कारण दिये जाते हैं किन्तु मुझे इसका कारण अपव्ययता ही प्रतीत होता है। बाहर काम करने वाले अधिकतर एजेंट असली नहीं हैं और उनका मुख्य प्रयोजन अवैध रूप से दी जाने वाली छूटों का साधन मात्र होना ही है। स्वयं इस उद्योग द्वारा ही बनाये गये नियमों के अनुसार ब्राँच कार्यालय तथा एजेंट के बीच केवल एक ही बिचौली का उपबन्ध था जिससे कि बार-बार प्राप्त करने के लिये की जाने वाली इस तेज़ दौड़ को रोका जा सके किन्तु मुझे खेद है कि उद्योग ने शीघ्र ही इसका उल्लंघन कर दिया। ब्राँचों के अब कितने ही ब्राँच सेक्रेटरी, संयुक्त ब्राँच सेक्रेटरी तथा सहायक ब्राँच सेक्रेटरी हो गये हैं और कारबार हासिल करने के लिये ताबड़तोड़ जारी है।

इतना व्यय होने पर यह आशा अवश्य ही की जायेगी कि पालिसीदारों के हितों की भली प्रकार रक्षा हो। किन्तु यहाँ भी इन कम्पनियों के कारनामें अच्छे नहीं हैं। पालिसी बिक जाने के बाद की सर्विस बहुत खराब रही है तथा व्यपगत पालिसियों की संख्या बहुत अधिक रही है। जब पालिसीदार बीमा कराता है तो उस का बीमा उस प्रकार की खरीद नहीं होती है जैसे एक शेयर खरीद लिया गया हो अथवा उपभोग की कोई अन्य वस्तु खरीद ली गई हो। प्रीमियम वास्तव में बचत का एक तरीका है और जब कि इस बचत के प्रत्येक रुपये में से चार आने खर्चे में आ जाते हैं तथा केवल बारह आने दिये जाते हैं तो छोटी बचत करने वालों को होने वाली हानि का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है।

जहाँ तक बीमे की किस्तों की दरों का सम्बन्ध है वह दुनियाँ के सभी समुन्नत देशों में पायी जाने वाली किस्तों की दरों से अधिक हैं। यह सच है कि भारत में मृत्युसंख्या का अनुपात उनमें से अधिकांश देशों के मृत्युसंख्या के अनुपात से अधिक है पर इस बात का समुचित ध्यान रखते हुये भी विशेषज्ञों का विचार है कि हमारे यहाँ बीम की किस्तों की दरें ज्यादा हैं।

इसके बाद विनियोजनों की बात लीजिये, हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे कदाचार हैं जिनका परिहार्य नहीं हो सकता जब सर्व प्रथम १९५१ में प्रबन्धकों द्वारा किये गये विनियोजनों के विस्तृत विवरण हमें प्राप्त हुये तो हम उन्हें देख कर आश्चर्य में पड़ गये। सभी प्रकार की प्रतिभूतियों—अच्छी, बुरी और उदासीन—पर ऋण दिये गये थे। कभी कभी बिना किसी प्रतिभूति के शेयरों, खेतों की भूमियों व नौकाओं या चल प्रतिभूति जैसे गन्ने की खड़ी फसलों और पुस्तकालयों पर भी ऋण दिये गये थे। १९५० में ऋणों के सम्बन्ध में उपबन्धों को कड़ा करने पर हम समझते थे कि यह प्रवृत्तियाँ लुप्त हो जायेंगी। पर वे लुप्त नहीं हुई। केवल उनका स्वरूप बदल गया। बीमा कराने वालों का धन उपक्रमों में बिना इस बात

[श्री सी० डी० देशमुख]

का ध्यान किये लगाया जाता था कि उन उपक्रमों का वास्तविक महत्व क्या है। अनावश्यक रूप से प्रतिभूतियों का उलटफेर, अपर्याप्त प्रतिभूतियों पर ऋण का देना और बढ़े हुये मूल्यों पर सम्पत्ति की खरीद की जाती थी। यह कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा धन की बरबादी की गयी या धन को फंसा दिया गया। मकान-सम्पत्तियों और उसके बाद शेयरों और ऋण-पत्रों—जिनमें से कुछ का कोई भी स्पष्ट मूल्य नहीं है—और इस प्रकार के कार्यों में विनियोजनों में कदाचार के लिये काफी गुंजाइश रहती है।

इन सभी विनियोजनों और बड़े-बड़े खर्चों का जो अपरिहार्य परिणाम होना था वही हुआ। १९४४ से १९५४ तक के दस वर्ष के दौरान में २५ बीमा कम्पनियाँ अवसायित हुई और इतनी ही कम्पनियों ने अपना व्यापर दूसरी कम्पनियों को सौंपा जिसमें से अधिकांश मामलों में बीमा ठेके में कमी भी कर दी गयी। मैं समझता हूँ कि ऐसा एक मामला एक विदेशी कम्पनी के सम्बन्ध में सभा के सामने भी आया था। इस समय जो कम्पनियाँ बीमे का काम कर रही हैं उनमें से ७५ कम्पनियाँ अपने गत मूल्यांकन के समय किसी बोनस की घोषणा नहीं कर सकीं। इसका मतलब यह है कि इन बीमा कम्पनियों ने अपनी किस्तों में जितना व्यय करने का उपबन्ध किया था उतना ही व्यय नहीं किया बल्कि उन अतिरिक्त किस्तों में से भी व्यय किया जिन्हें सालाना बीमाधारियों ने बोनस पाने की आशा से जमा किया था।

अब, हमें बीमा कम्पनियों के इस दावे पर विचार करना है कि उन्होंने इस देश में बीमा को लोकप्रिय बनाने के लिये किसी से कम काम नहीं किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने काफी काम किया है? अच्छी तरह से विचार करने पर आप देखेंगे कि उन्नति उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी। जीवन बीमा एक सामाजिक आवश्यकता है और विशेषकर आज जब कि संयुक्त परिवार प्रणाली जो अप्रत्यक्ष बीमा के रूप में अभी तक अंशत सहायता करती जा रही थी, अब बड़ी तेजी से टूट रही है और हर एक आदमी के सामने आर्थिक अनिश्चितता और असुरक्षा है। अन्य उन्नतिशील देशों में बीमा कम्पनियों ने ऐसी योजनायें बनाई हैं जिनसे कम आर्थिक साधनों वाले लोग भी थोड़ी थोड़ी राशियों का बीमा करा सकें। उन योजनाओं के अन्तर्गत साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किस्ते देनी होती हैं और वह भी लोगों के घरों से इकट्ठा की जाती हैं। इस प्रकरा के कार्य को समान्यतया औद्योगिक बीमा कहा जाता है क्योंकि वह लोग अधिकतर औद्योगिक कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार का काम ब्रिटेन में किये गये कुल जीवन बीमा के काम का ४० प्रतिशत और जर्मनी में किय गये कुल जीवन बीमा के काम का ३५ प्रतिशत है। भारत में इस काम को करने का प्रयत्न भी नहीं किया गया। ७० भविष्य निधि समितियाँ है जो कहती है कि वे समाज के गरीब वर्ग की आवश्यकतायें पूरी करती है पर सच यह है कि उन्होंने अभी तक उनका शोषण ही किया है। इन समितियों का इतिहास बड़ा गंदा रहा है। शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में उनकी संख्या ५०० से अधिक थी और अब ७१ रह गयी है। उनमें से अधिकांश का या तो दिवाला हो गया है या होने वाला है और उनकी कुल आस्तियाँ एक बीमा कम्पनी की एक महीने की आय के बराबर है।

इस समय भारत में प्रति व्यक्ति बीमा २५ रुपये है जब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ८,३६५ रुपये और कनाडा में ६,६४७ रुपये आस्ट्रेलिया में २,५४४ रुपये और ब्रिटेन में १,८४० रुपये है। आप यह कह सकते हैं कि यह एक उचित तुलना नहीं है क्योंकि उन देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है। पर, इस बात को ध्यान में रखते हुये भी, वर्तमान समय में बीमा की गई राशियों की राष्ट्रीय आय से तुलना करन पर हमें पता लगता है कि भारत के बीमा की गयी राशि राष्ट्रीय आय की १० प्रतिशत है जब कि कनाडा में यह राशि १०८ प्रतिशत और ब्रिटन में ९५ प्रतिशत है। अत:, यह स्पष्ट है कि भारत में बीमा को प्रगति अन्य देशों की तुलना में इतनी कम होने का कारण प्रति व्यक्ति कम आय होना नहीं है। इसका संतोषजनक उत्तर यह है कि हमारे देश की बीमा कम्पनियाँ अल्प कालीन विचारों

के आधार पर हैं और उनकी गतिविधियाँ शहर के क्षेत्रों तक ही सीमित थी और शहरों में भी कुछ विशष श्रणी के लोगों तक ही ।

पालिसीदारों की सेवा के सम्बन्ध में कुछ कम्पनियाँ दावे के भुगतान को एक विशेष प्रकार से स्थगित करती या टालती है । जब तक कि उन पर कानून का दबाव नहीं डाला जाता । १९५४ में हमारे विभाग में हजारों शिकायतें आई थी कि बहुत सी कम्पनियाँ दावों के भुगतान में विलम्ब कर रही हैं या भुगतान नहीं कर रही हैं । आस्ट्रेलिया में जहाँ पर जीवन बीमाधारियों की संख्या लगभग इतनी ही है, बीमा के आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार वहाँ दावे का भुगतान न करने के सम्बन्ध में १९५४ में सिर्फ एक शिकायत हुई है । बीमा कम्पनियों द्वारा दावेदारों को संतोषजनक उत्तर न मिलने पर बहुत से मामले धारा ४७क के अन्तर्गत बीमा नियंत्रक के पास भेजे गये । अधिकांश मामलों में बीमा कम्पनियों की ही गलती मिली । अतः स्पष्ट है कि भारत में हम बीमा कम्पनियों से सम्बन्धित वह अच्छी परम्परा नहीं पैदा कर सके जो संसार के अन्य देशों में हैं ।

विनियोजनों के सम्बन्ध में—छोटे विनियोजन के सम्बन्ध में—हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से बहुत बड़ी राशि पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है और उस नियंत्रण का भी वह व्यक्ति अधिकतर इस प्रकार उपयोग करता है जैसा कि किसी न्यासी को नहीं करना चाहिये ।

यह भी दावे के साथ कहा गया है कि अग्रेतर विधान बना कर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण को कड़ा करके स्थिति में सुधार किया जा सकता था । ऐसे सभी नियंत्रण या विनियम व्यर्थ हैं । इनसे वह बात रोकी जा सकती है जो बाहर से बुरी दिखाई पड़ती है पर इससे स्तर को ऊंचा नहीं उठाया जा सकता । यह तो उनको स्वयं करना पड़ेगा सरकार तो केवल विकास का रक्षण कर सकती है । ब्रिटेन में जीवन बीमा पर बहुत ही थोड़ा नियंत्रण है पर फिर भी उनका स्तर बहुत ऊंचा है । १९१२ में हमने ब्रिटेन के नमूने पर काम शुरू किया था पर 'स्वतन्त्रता तथा प्रचार' का सद्धान्त ब्रटेन के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिये काफी नहीं सिद्ध हुआ । अतः विस्तृत राज्य नियंत्रण के लिये हमें विधान बनाना पड़ा । १९३८ में एक व्यापक—या जिसे हम व्यापक समझते थे—बीमा अधिनियम बनाया गया । उस समय इस अधिनियम को अति कठोर विधान समझा गया था और यह आशा की गयी थी कि इससे सभी कुप्रबन्ध दूर हो जायेंगे । पह हम कुछ बीमा प्रबन्धकों की प्रतिभा का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सके थे । गत १८ वर्षों में अधिनियम को १० बार संशोधित करना पड़ा और हर बार उपबन्ध को कड़ा बनाया गया पर प्रत्येक बार साधन सम्पन्न प्रबन्धकों ने एक न एक रास्ता निकाल ही लिया । उदाहरण के लिये, जीवन बीमा कम्पनी पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण रहे इस बात को रोकने के लिये १९५० के संशोधक अधिनियम ने यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि कोई कभी व्यक्ति बीमा कम्पनी की पूंजी के ५ प्रतिशत से अधिक का शेयर होल्डर नहीं बन सकता । इसके बाद भी उन्हीं व्यक्तियों या उन्हीं दलों का बीमा कम्पनियों पर पहले की ही भांति नियंत्रण बना रहा । परिवार के सदस्यों, मित्रों या कर्मचारियों के नाम से शेयर लेकर इस अधिनियम के साथ वंचना की गयी । हमारे देश में बेनामी के बड़े-बड़े विशेषज्ञ हैं । उसी अधिनियम में एक उपबन्ध का समावेश किया गया जिसके द्वारा बीमा कम्पनियों के पदाधिकारियों को बहुत अधिक उपलब्धियों का भुगतान करने का निषेध किया गया । इस उपबन्ध के साथ भी फरज़ी नियुक्तियाँ करके वंचना की गयी और उनके वेतनों को पूर्णतः या अंशतः वे लोग ले लेते थे जो कम्पनियों का नियंत्रण ही करते थे ।

अब मैं एक दूसरा उदाहरण दूंगा । अधिनियम में मना किया गया है कि कोई बीमा कम्पनी उन कम्पनियों को ऋण न देगी जिनमें उस बीमा कम्पनी के निदेशक स्वयं भी निदेशक हों । कुछ मामलों में इस उपबन्ध का भी वंचन इस प्रकार किया गया कि उन कम्पनियों ने ऋणपत्र जारी किये और बीमा कम्पनियों ने इन ऋण पत्रों को खरीद लिया । एक मामले में तो ऐसा हुआ कि एक कम्पनी के ऋण पत्रों को खरीदने वाली केवल बीमा कम्पनियाँ ही थी ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस व्यापार को एक अन्य दृष्टिकोण से देखने पर भी हमें कानून नियंत्रण की प्रभाव हीनता दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि गत १० वर्षों में २५ बीमा कम्पनियाँ अवसापित हो गयी और २५ अन्य कम्पनियों को अपना कारबार दूसरी कम्पनियों को सौंपना पड़ा और अधिकांश मामलों में बीमा के ठेके में कमी कर दी गयी। इन कम्पनियों के ६०,००० गरीब बीमा धारियों को विभिन्न मात्राओं में हानि हुई। मैं एक सबसे बड़ा मामला आप के सामने रखता हूँ। ११ बीमा कम्पनियों के मामलों में प्रबन्ध का काम संभालने के लिये प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ी। ऐस नियुक्तियों के कारण जाली लेन देन, गलतियाँ, फरजी व्यक्तियों का ऋण देना, अन्धाधुन्द व्यय, दिवालियापन कुप्रबन्ध आदि थे। कुछ अन्य कम्पनियों की हालत भी ऐसी ही थी कि उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाय पर या तो इसलिये कार्यवाही नहीं की गयी कि प्रबन्धकों से कहा गया कि वह अपनी सारी गड़बड़ियों को ठीक कर लें या इसलिये कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। अतः आज स्थिति ऐसी है कि हमारा स्तर ब्रिटेन के स्तर से बहुत नीचा है। यदि कुछ थोड़ी सी कम्पनियों का ही स्तर नीचा होता तो अग्रेतर विधान से कुछ लाभ हो सकता था पर मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि आज अच्छी तरह से प्रबन्धित कम्पनियों की संख्या बहुत ही कम है। विधान या नियंत्रण द्वारा अब हम अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकने की आशा नहीं करते। इस तर्क पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता कि वह थोड़ी सी अच्छी प्रकार से प्रबन्धित कम्पनियाँ बहुत काफी कारबार करती हैं, क्योंकि आज लाखों व्यक्तियों के बीमे असुरक्षित हैं और इससे लाखों परिवारों पर असर पड़ेगा। इस अवस्था को जारी रहने देने का कोई औचित्य नहीं है। बीमा एक ऐसा कारबार है जिसमें कभी भी हानि होने की संभावना नहीं होनी चाहिये और जिसमें किसी भी पालिसीदार की जिंदगी भर की बचत को कभी भी खतरा नहीं होना चाहिये। काफी समय तक कानूनी नियंत्रण का परीक्षण किया गया है पर अब आगे भी उसे जारी रखना कठिन होगा।

बीमा एक आवश्यक सामाजिक सेवा है प्रत्येक कल्याणकारी राज्य को अपनी जनता के लिये यह सेवा उपलब्ध करनी चाहिये और एक बार जब यह बात निःसंदेह रूप से स्पष्ट हो गयी है कि इसका प्रबन्ध अन्य किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता तो राज्य को चाहिये कि राज्य इस सेवा का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। अतः अपेक्षित उच्च प्रथाओं के आधार पर बीमा कम्पनियों के ठीक प्रकार न चल पाने के कारण सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ी, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इसका राष्ट्रीयकरण करना स्वयं एक समुचित बात है। लाभके विचार को छोड़कर और राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत सेवा की कुशलता को एक मूल आधार बना कर बीमा के संदेश को दूर-दूर तक, शहरों से आगे उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना संभव होगा।

जीवन बीमा बीमा कराने वाले में सुरक्षा की भावना पैदा करता है पर इसके लिये उसे अपने कष्टमय दिनों के लिये थे धन इकट्ठा करने की मजबूरी भी होती है। आज इस देश में ३० लाख से भी कम व्यक्तियों का बीमा हुआ है। यदि हम यह संख्या दूनी भी कर लेंगे तो हम बचत को काफी बढ़ा लेंगे। पर इस योजना के विस्तार के लिये तो और भी ज्यादा संभावनायें हैं। शहरों में भी अभी बहुत से कमाई करने वाले लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र तो इस दृष्टि से अभी तक बिल्कुल ही अछूते हैं। गैर-सरकारी उपक्रम ने यह भी दावा किया है कि उसे विश्वास है कि आगामी १० वर्षों में वह जीवन बीमा के चालू कारबार को जो इस समय १,२०० करोड़ रुपये से कुछ अधिक है ८,००० करोड़ रुपये कर देगा और ५ रुपये प्रति व्यक्ति बीमा से २०० रुपये प्रति व्यक्ति बीमा कर देगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद जीवन बीमा केवल इतना ही नहीं इससे ज्यादा भी करने में सफल हो जायेगा और ऐसा करके हम अपनी योजना—द्वितीय और—आगामी योजनाओं—को कार्यान्वित करने के लिये जनता द्वारा की गयी बचत से काफी बड़ी राशियाँ प्राप्त कर सकेंगे।

अब मैं फिर अध्यादेश की बात लेता हूँ और मैं आप को बताऊँगा कि १९ जनवरी के इसके प्रख्यापित होने के बाद अभी तक क्या हुआ है। जैसा कि आप को पता है कि इस अध्यादेश के कारण जीवन बीमा का सारे कारबार का प्रबन्ध सरकार के हाथ में आ गया है और इसलिये कि कारबार में कोई गड़बड़ी न हो यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि मौजूदा प्रबन्ध ही कारबार की देखभाल करेगा पर सरकार के एजेंट के रूप में। प्रबन्धकों को रोजाना का कार्य अपने उत्तरदायित्व पर करने की अनुमति दे दी गयी थी पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों, जैसे निधियों का विनियोजन करने या किसी सामान्य परम्परा के अपवाद के रूप में कुछ करने में वह सरकार द्वारा नामजद किये गये अधिकृत व्यक्तियों के अनुमोदन पर ही कार्यवाही कर सकेंगे। २० जनवरी को ही ऐसे अधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया था। हमने उन्हें गुप्त रूप से मनोनीत किया और कुछ एक महीनों तक प्रशिक्षण दिया और उन्हें एक निश्चित समय पर अपने पदों का भार संभालने के आदेश मिल गये थे। इसलिये किसी भी बीमा कम्पनी के कार्यकरण की तारतम्यता में कोई भंग नहीं हुआ। समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की कल्पनायें की गई हैं कि ये व्यक्ति अपने स्थानों को २० तारीख को ही कैसे पहुँचे और यह अंदाजा लगाया गया है कि इन व्यक्तियों को एक विशेष हवाई जहाज द्वारा पहुँचाया गया। परन्तु वास्तविक तथ्य मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने रेल से ही यात्रा की और १७ तारीख की शाम से ही दिल्ली से बाहर जाना प्रारंभ कर दिया था। उनमें से केवल थोड़े से व्यक्तियों ने ही हवाई जहाज से यात्रा की तथा वह यात्रा नियमित अनुसूचित उड़ानों वाले हवाई जहाजों से ही की और अपने साथ उन अधिकार पत्रों को लेकर जो उन्हें अध्यादेश के समुचित रूप से प्राधिक होने के पश्चात् उपलब्ध हुये थे। इसलिये मैं कह सकता हूँ कि गोपनीयता बहुत अच्छी तरह रखी गई। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि हमने ऐसा प्रबन्ध किया था कि बीमाधारियों को तनिक भी असुविधा न हो, और मैं समझता हूँ कि हम उसमें सफल होने का दावा कर सकते हैं। अध्यादेश के प्रकट होने के तुरन्त पश्चात् हमने बीमा कम्पनियों का भार संभालने के लिये अभिरक्षकों की नियुक्ति करना प्रारंभ किया। कोई १२६ बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध अभी भी अभिरक्षकों द्वारा किया जाता है और चूंकि यह कुल बीमा-व्यापार का ९६ प्रतिशत हो जाता है, यह कहा जा सकता है कि अब उच्च-स्तरीय प्रबन्ध प्रत्यक्षतः सरकार के हाथ में है। अभिरक्षकों का चुनाव बीमा कम्पनियों के ऊँचा वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से किया गया है। वे वित्त मंत्रालय के सामान्य पथ-प्रदर्शन के अन्तर्गत एक दल की तरह मिलकर कार्य कर रहे हैं और एक एकरूप नीति का सूत्रपात हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, एकरूप प्रव्याजि (प्रीमियम) दरें तथा एकरूप बीमा शर्तें विनिहित की गई हैं।

विनियोजन के मामले में भी एकरूप नीति का विकास किया जा रहा है। बीमा के लाभों का, किसी विशेष कम्पनी के सम्बन्ध में नहीं बल्कि सामान्य रूप में, प्रचार करने वाले विज्ञापन निकलने लगे हैं। ऐसा कहा गया है कि नये बीमों का कार्य ठप्प हो गया है। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता हो रही है कि यह बात ठीक नहीं है। बहुत थोड़े समय के बाद ही पहले जैसी गति से बीमा-व्यापार पुनः प्रारम्भ हो गया है और शंकाओं के समाधान और स्थिति स्पष्ट होते ही यह गति तीव्रतर हो जायेगी और देश के कुछ भागों में होने भी लगी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि दावों का भुगतान तुरन्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में अभी तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। परन्तु मैं एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि दिवालिया कम्पनियों के बीमाधारियों को उस समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि ऐसी कम्पनियों की पूरी जांच न हो जाय। सभा के सामने जो विधेयक है वह प्रायः अध्यादेश के उपबन्धों की पुनरावृत्ति करता है। फिर भी, २० जनवरी, १९५६ से लेकर अभी तक की छोटी सी अवधि में प्राप्त किये अनुभवों के आधार पर हम अभिरक्षकों को कुछ अतिरिक्त शक्तियां उस प्रकार की देना चाहते हैं जैसी कि बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासकों को प्राप्त थीं। यह स्पष्टतः आवश्यक है कि अभिरक्षक गोलमाल रकमों को पुनः प्राप्त करने के लिये, शीघ्रता से और उचित तरीक से, कार्यवाही करने में जहां कहीं भी ऐसी कार्यवाही आवश्यक हो, समर्थ हों, इन शब्दों के साथ मैं लोक-सभा से अपने प्रस्ताव का संस्तवन करता हूँ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इसके लिये १२ घण्टे का समय निश्चित है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य विचार-प्रक्रम और शेष कार्यवाही के लिये कितना कितना समय चाहते हैं ?

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : विचार-प्रक्रम के लिये दस घण्टे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो क्या दो घण्टे अन्य प्रक्रमों के लिये पर्याप्त होंगे ? मैं यह नहीं चाहता कि फिर खण्डशः विचार में अध्यक्ष को जल्दी करनी पड़े । इसलिये, हमें विचार-प्रक्रम के लिये ८ घण्टे रखने चाहियें ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : दस घण्टे ही रहने चाहियें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है । दस घण्टे चर्चा के लिये, १।। घण्टा खण्डशः विचार के लिये और १/२ घण्टा तीसरे वाचन के लिये ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : मैं इस विधेयक का स्वागत करने के लिये सन्तोष और आशंका के मिश्रित भाव से खड़ा हुआ हूं । राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध बीमा-कर्मचारियों की ओर से बहुत से तर्क रखे गये । परन्तु, यदि वे समस्त तर्क ठीक भी होते, तो भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता क्योंकि उससे बीमा व्यापार में प्रचलित भ्रष्टाचार समाप्त होगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

बड़े-बड़े बीमा व्यवसायियों ने थोड़ी सी पूंजी लगा कर जीवन बीमा निधि का बहुत सा धन हथिया लिया है जिससे वे अनेक प्रकार से रुपया कमाते हैं । इसको दूर करने के लिये सरकार ने यह कानून बनाया कि इस निधि का आधा धन सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाय । परन्तु इससे बचाव का रास्ता निकाल लिया गया । रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता था और फिर उन सरकारी प्रतिभूतियों को पृष्ठांकन द्वारा हस्तान्तरित कर दिया जाता था और वह रुपया अन्य व्यापार में लगा दिया जाता था । इस रुपये का प्रयोग प्रायः सट्टे में किया जाता था जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गई । वित्त मंत्री ने 'कामर्स' पत्रिका से कुछ उद्धरण पढ़ कर सुनाये जो यह बताते ह कि बड़े-बड़े बीमा व्यवसायी बीमाधारियों का रुपया सट्टे में लगाते थे और पेशेवर सट्टेबाजों को भी रुपया देते थे तथा उसमें जो हानि होती थी उसे कम्पनी पर मढ़ देते थे । अस्तु राष्ट्रीयकरण के अध्यादेश से उन्हें चोट पहुंची है और कुछ बड़े-बड़े बीमा व्यवसायियों ने यह सुझाव रखा है कि यदि सरकार हमारे विनियोजनों को पंसद नहीं करती तो वह ऐसा क्यों नहीं कहती कि शत प्रतिशत कोष सरकारी प्रत्याभूतियों में विनियोजित किया जाय । इसका उद्देश्य स्पष्ट है । जिस तरह पहले व्यवहार चलता था वैसे फिर भी चलता रहेगा ।

वित्त मंत्री का यह कहना ठीक नहीं है कि कानूनों द्वारा बीमा व्यापार का उचित नियंत्रण किया जा सकता था । उन्हीं के एक सहयोगी—वाणिज्य और उद्योग मंत्री—ने एक वक्तव्य में कहा था कि हमने बीमा व्यापार के सम्बन्ध में अनेक कानून पास किये परन्तु उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ । सरकार बीमा-धारियों के रुपये का दुरुपयोग रोकने का कोई ऐसा कानून नहीं सोच सकी जिससे बचाव न किया जा सके । वाणिज्य और उद्योग मंत्री के इस वक्तव्य से बड़े-बड़े बीमा व्यवसायियों के समस्त तर्कों का खण्डन हो जाता है जो उन्होंने राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध दिये हैं ।

ऊपर मैंने जीवन-बीमा व्यापार में प्रचलित कतिपय कदाचारों का संकेत किया । अब मैं एक अन्य कदाचार का उल्लेख करूंगा और वह है बिना कार्य के पद निर्मित करके उनमें आदमियों को नियुक्त करके

---

†मूल अंग्रेजी में

वेतन देना। मैंने पिछले सत्र में इसके उदाहरण दिये थे। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में अलग कर दिया जायगा।

अब मैं अधिक महत्वपूर्ण तर्कों पर आता हूँ। सर्वप्रथम; बीमा राष्ट्रीयकरण से जो निधि सरकार के हाथ में आयेगी यदि उसको उचित उपक्रमों में विनियोजित किया जाय तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को बहुत लाभ होगा। समस्त बीमा कम्पनियों की जीवन निधि ३८० करोड़ रुपये की है जो बहुत बड़ी है। इसके अतिरिक्त प्रव्याजि (प्रीमियम) की आय भी है जो बढ़ती ही जायगी क्योंकि हमारे देश में जीवन बीमा व्यापार के विस्तार की संभावनायें बहुत हैं। अभी हमारे यहां कुल आबादी के लगभग एक प्रतिशत व्यक्तियों ने ही बीमा कराया है जब कि अन्य देशों में यह प्रतिशतता ८० तक है। यदि हमारे देश का बीमा-व्यापार ८ गुना बढ़ जाय, जैसा कि वित्तमंत्री ने संभावना प्रकट की, तो उससे प्रतिवर्ष ३५० से ४०० करोड़ रुपये तक वार्षिक प्रव्याजि (प्रीमियम) मिल सकेगी। यदि हम यह कुल धनराशि समाज के लिये उपयोगी उद्यमों में लगा दें तो उससे देश की आर्थिक उन्नति होगी। वर्तमान समय में, जबकि हम विदेशी सहायता मांग रहे हैं, यह धनराशि बहुत उपयोगी हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि इससे बीमा व्यवसायियों का जो एकाधिकार स्थापित हो गया है वह टूट जायगा। मैंने अभी अभी बताया था कि किस प्रकार बड़े बड़े बीमा व्यवसायी थोड़ी सी पूंजी से बड़ी-बड़ी निधियों का नियंत्रण करते हैं। उदाहरणार्थ ओरिएन्टल जीवन बीमा कम्पनी की प्रदत्त पूंजी कुल ६ लाख रुपये की है जबकि उनकी जीवन-निधि १०० करोड़ से ऊपर की है। ऐसा ही हाल सब बड़ी कम्पनियों का है। फिर, वे बैंकों और औद्योगिक समूहों से सम्बद्ध रहते हैं जैसे डालमिया, बिरला, टाटा आदि के अनेक प्रकार के व्यापार हैं। पूंजी के उस प्रकार के केन्द्रीयकरण को समाप्त करके उसे राष्ट्रोपयोगी कार्यों में लगाया जाना चाहिये।

राष्ट्रीयकरण से एक लाभ और भी होगा कि बीमा कम्पनियों का जिन औद्योगिक उपक्रमों में अंश होगा उन पर भी सरकार नियंत्रण कर सकेगी। सरकार को चाहिये उस क्षेत्र के संसाधनों को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये उपयोगी कार्यों में लगाये।

इन बातों के कारण ही मैं इस विधेयक के प्रति सन्तोष की भावना रखता हूँ और समझता हूँ उससे सभी को सन्तोष होगा। परन्तु मेरी कुछ आशंकायें भी है कि क्या इस वांछनीय उद्देश्य की पूर्ति वास्तव में हो सकेगी ?

अध्यादेश में तथा प्रस्तुत विधेयक में अभिरक्षकों की नियुक्ति का उपबन्ध है। यह आवश्यक तो है परन्तु जिस प्रकार के व्यक्ति अभिरक्षक नियुक्त किये गये हैं उससे आशंकायें उत्पन्न होती हैं।

अभिरक्षकों की नियुक्ति में सरकार को यह सिद्धान्त अपनाना चाहिये था कि जो व्यक्ति नियुक्त किये जायें वे राष्ट्रीयकरण के समर्थक हों। यदि आप ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षक नियुक्त करेंगे जो राष्ट्रीयकरण का विरोधी हो तो उससे कार्य की क्या सिद्धि होगी ? परन्तु बड़ी-बड़ी कम्पनियों में एसे ही व्यक्ति अभिरक्षक नियुक्त किये गये हैं।

ओरिएन्टल कम्पनी को ही ले लीजिये। उसके मुख्याधिकारी श्री वैद्यनाथन.....

†**सभापति महोदय** : किसी व्यक्ति की नाम लेकर आलोचना न की जाय जब तक कि उसको सभा में अपनी सफाई देने का अवसर न दिया जाय।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं कोई अपमानजनक आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

†**सभापति महोदय** : मैं तो चेतावनी दे रहा हूँ। आप आवश्यक अर्हताओं का संकेत तो कर सकते हैं परन्तु किसी व्यक्ति का नाम लेकर यह कहना कि उसमें उनका अभाव है अनुचित होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त** : ओरिएन्टल में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है जिसने १९४५ में राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध एक लेख बीमा वर्ष—पुस्तक में लिखा था तथा जो २ फरवरी, १९५६ की 'कैपीटल' पत्रिका में पुनः प्रकाशित किया गया ।

†**श्री वेंकटरामन** (तंजोर) : आदमी अपना मत बदल भी तो लेता है ।

†**श्री साधन गुप्त** : यह ठीक है, परन्तु इस मामले में तो उस व्यक्ति ने दो महीने पूर्व ही अपने मत को दुहराया है

हिन्दुस्तान कोआपरेटिव सोसाइटी के अभिरक्षक ने भी हाल ही में राष्ट्रीयकरण क विरुद्ध एक लेख लिखा था ।

फिर नेशनल इन्श्योरेन्स के अभिरक्षक को ले लीजिये । उसने राष्ट्रीकरण के विरुद्ध एक प्रेस वक्तव्य दिया था जो कि वित्त मंत्री की बीमा राष्ट्रीयकरण की घोषणा के साथ ही प्रकाशित हुआ ।

ओरिएन्टल के मामले में उस व्यापार-संस्था को मुख्याधिकारी के ही अभिरक्षक नियुक्त किया गया है । राष्ट्रीयकरण के कुछ ही पूर्व या उसका पूर्वानुमान करके ही ओरिएन्टल ने एक पारस्पारिक-करण (म्युचुअलाइज़ेशन) योजना तैयार की । प्रत्येक १०० रुपये के प्रदत्त अंश के लिये ४ प्रतिशत ब्याज का ८,८०० रुपये के मूल्य का ऋण-पत्र रखने का प्रस्ताव किया गया और तब ऋण-पत्र धारियों का नियंत्रण जारी रहेगा जबतक कि ऋण-पत्रों का निस्तारण न किया जाय । उसके अनेक लाभ होंगे । सर्वप्रथम, लाभांश की दर ४/८८ अर्थात् प्रदत्त पूंजी की ३५२ प्रतिशत होगी । दूसरे, ऋणपत्रधारियों का अंशधारियों के समान ही नियंत्रण बना रहेगा । तीसरे यदि राष्ट्रीयकरण हुआ तो ऋणपत्रों के ऊंचे दामों के कारण अतिरिक्त प्रतिकर दिया जायगा । ऐसी योजना से सम्बन्धित व्यक्ति को अभिरक्षक बनाना मेरी समझ से राष्ट्रीयकरण का अच्छा प्रारंभ नहीं है ।

एक अन्य विशेषता यह है कि अभिरक्षकों की नियुक्ति इस प्रकार की गई है कि एक शृंखला सी बन जाती है । कलकत्ता में एक व्यक्ति मेट्रोपोलीटन का अभिरक्षक नियुक्त किया गया है जो नेशनल का मुख्याधिकारी था और मेट्रोपोलीटन का परामर्शदाता-प्रबन्धक (कन्सल्टिंग एक्चुएरी) आर्यस्थान का अभिरक्षक होकर गया है और आर्यस्थान का मुख्याधिकारी नेशनल में अभिरक्षक बन कर आता है । वे परस्पर मित्र भी हैं ।

†**श्री कामत** : (होशंगाबाद) मैं समझता हूँ यह पारस्पारिक-करण (म्युचुअलाइज़ेशन) है ।

†**श्री साधन गुप्त** : जब भी किसी व्यापार संस्था में कोई त्रुटि रह जायेगी, उनके लिये एक दूसरे की त्रुटि को छिपा लेना कोई कठिन कार्य न होगा । यदि उन दोनों ही संस्थाओं में त्रुटियां होंगी, तब तो उनके छिपे उन लिये उन त्रुटियों को पारस्परिक सहायता से छिपा लेना और भी सुगम होगा । क्या राष्ट्रीय करण का कार्य चलाने का यही तरीका है ?

दूसरी बात यह है कि बहुत से समवायों के मुख्य पदाधिकारी अन्य समवायों के अभिरक्षक बना दिये गये हैं : इससे हानि यह होगी यदि किसी समवाय विशेष में कोई त्रुटि होगी तो वह अभिरक्षक उसे जान न सकेगा क्योंकि सम्पूर्ण कार्य के सम्बन्ध में तो केवल मुख्य पदाधिकारी को ही ज्ञान है और अभिरक्षक को उसके सम्बन्ध में पूरा ज्ञान नहीं देगा ।

वित्त मंत्री ने न जाने क्यों यह घोषणा की है कि संभवतः बीमा पत्रों को कम करना पड़े । हो सकता है कि कुछ एक ऐसे समवाय हों जिनकी आस्तियां उनके दायित्वों की अपेक्षा कम हों । परन्तु अब जब कि हम सभी बीमा समवायों को ले रहे हैं तो कई एक ऐसे समवाय भी तो होंगे जिनकी आस्तियाँ दायित्वों की अपेक्षा अधिक होंगी अतः उनके द्वारा अन्य समवायों की क्षति-पूर्ति की जा सकेगी । और

---

†मूल अंग्रेजी में

फिर एक बात और है कि समवाय अपनी आस्तियों का मूल्यांकन बहुत कम लगाते हैं और दायित्वों का मूल्यांकन अत्यधिक लगाते हैं ।

परन्तु कोई फालतू आस्तियां न भी उपलब्ध हों तो भी उस उत्तरदायित्व को संभालना तथा बीमा-धारियों को उन का पूर्ण धन प्रदान करना सरकार का ही दायित्व होगा । बीमा-धारियों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये ।

अन्त में मेरा यही कथन है कि राष्ट्रीयकरण को इस प्रकार से कार्यान्वित करना एक अशुभ प्रारम्भ है । क्योंकि इससे बीमा-धारियों को राष्ट्रीय-कृत बीमा में विश्वास नहीं रहेगा ।

सरकार ने ओरियन्टल बीमा कम्पनी के देरों के आधार पर ही बीमे की किस्तों को निर्धारित करने का जो निर्णय किया है उसमें प्रथम कठिनाई यह है कि अभी तक सभी समवायों की ओरियन्टल कम्पनी की विवरण-पत्रिकायें प्रदान नहीं को गयी हैं । दूसरी कठिनाई यह है कि सभी अभिकर्ता ओरियन्टल की दरों से परिचित नहीं है । तीसरी बात यह है कि बीमा-धारियों को यह मिथ्या भ्रांति हो गयी है कि केवल ओरियन्टल ही एक अभिज्ञात समवाय है । चौथी बात यह है कि ३० से ५० वर्ष तक के आयु वर्ग के लिये २० वर्ष की अवधि वाली पालिसी की किस्तें ७८ समवायों में ओरियन्टल की किस्तों की अपेक्षा बहुत कम है । पांचवीं बात यह है कि इस सिद्धान्त का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बीमे के दर ओरियन्टल दरों से एक रुपया कम हो ।

सरकार ने एक और भारी गलती की है और वह यह है कि उसने सामान्य बीमा को राष्ट्रीयकरण से मुक्त कर दिया है । राष्ट्रीयकरण का वास्तविक कारण यही था कि बीमा समवाय कदाचारों में व्यस्त हैं, परन्तु सामान्य बीमा समवाय तो और भी अधिक कदाचारों में व्यस्त हैं । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें राष्ट्रीयकरण से क्यों मुक्त किया जा रहा है । यदि सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता तो इससे हम विनियोजन के लिये पर्याप्त धन प्राप्त कर सकते थे । और उससे अत्यधिक लाभ होता । यह इस बात से स्पष्ट है कि विदेशी लोग अग्नि बीमे के सम्बन्ध में भारतीय मार्किट में प्रवेश करने को उत्सुक हैं ।

फिर सामान्य बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण न करने से बहुत से सहायक सामान्य बीमा समवाय समाप्त हो जायेंगे, क्योंकि सभी सहायक सामान्य बीमा समवाय जीवन बीमा समवायों पर ही निर्भर करते हैं ।

अब जब कि इन दोनों पक्षों की पृथक्-पृथक् किया जा रहा है तो कठिनाई यह होगी कि सहायक समवायों के सामान्य बीमा भाग को सम्पूर्ण प्रशासनीय खर्च वहन करना पड़ेगा जिसे वह वहन न कर सकेगा और उसके परिणामस्वरूप वे समवाय समाप्त हो जायेंगे ।

क्या आप ने इस बारे में भी कोई विचार किया है कि सामासिक समवायों के कर्मचारियों को किस आधार पर बांटा जायेगा, और अंश पूंजी को कैसे बांटा जायेगा ?

सरकार पहल ही एक प्रशासक क द्वारा सामासिक समवाय चला रही है तो क्या वह सामान्य बीमा भाग को भी उसी प्रकार से नहीं चला सकती ?

मैं तो यह भी कहूँगा कि सरकार को केवल बीमा-उद्योग का ही नहीं अपितु बैंकों का भी राष्ट्रीय-करण करना चाहिये । आशा है कि सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी ।

अब मैं राष्ट्रीयकृत समवायों के प्रशासन के सुधार के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ । प्रथम सुझाव यह है कि वर्तमान अभिरक्षकों को जो कि राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं, हटा कर उन के स्थान पर ऐसे अभिरक्षकों को नियुक्त किया जाये जो कि वास्तव में राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं । दूसरा यह कि अभिरक्षकों को भूतपूर्व मुख्य पदाधिकारियों से पूछताछ करने का पूरा अधिकार दिया जाये । तीसरा यह

[श्री साधन गुप्त]

कि अभिरक्षकों के पारस्परिक सम्पर्क को तोड़ दिया जाये । चौथा यह है कि बीमा पत्रों में कोई कमी न की जाय । पांचवा यह कि अभिरक्षकों को यह निदेश दिया जाये कि वे कर्मचारियों के सहयोग से कार्य को अच्छी प्रकार से चलायें, और कार्य में किसी प्रकार की कोई ढिलाई न आये । छटा सुझाव यह है कि किस्तों के दर जब तक उचित आधार पर नये रूप से निर्धारित नहीं किय-जाते, तब तक पुराने दर ही चलने दिये जायें । फिर कर्मचारियों के विशेषाधिकारों का पूरा संरक्षण लिया जाये । विशेषकर उन कर्मचारियों तथा भूत-पूर्व पधिकारियों के मध्य में हुये करारों का पूरा मान लिया जाये । उन के वेतनों का पूरा ध्यान रखा जाये । किसी भी कर्मचारी को ६० वर्ष की आयु से पूर्व निवृत्त न किया जाये । और जहाँ कोई निवृत्ति सुविधा न हो, वहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति सुविधायें अथवा उपदान दिये जायें ।

†**सभापति महोदय** : इनमें से अधिकतर मामले दूसरे विधेयक के विषय हैं ।

†**श्री साधन गुप्त** : निश्चय ही ये मामले दूसरे विधेयक क विषय हैं परन्तु वे इस से भी संगत हैं क्योंकि अभिरक्षकों को इन सभी बातों को ध्यान में रखना है ।

प्रस्तावित प्रतिकर के सम्बन्ध में मैं समझ नहीं सका कि इन समवायों को इतने ऊँचे दर पर प्रतिकर देने की क्या आवश्यकता है । २००० की किस्त आय के लिये एक रुपया देना बहुप महंगा पड़ेगा मैं तो समझता हूँ कि इसके लिये थोड़ा सा प्रतिकर ही पर्याप्त होगा ।

अन्त में मैं केवल यही कहूँगा कि सरकार ने राष्ट्रीयकरण को एक सुन्दर रूप से प्रारम्भ नहीं किया है इससे राष्ट्रीयकरण के शत्रु अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं । यदि आप नौकरशाही तथा लाल फीताशाही को त्याग कर एक अत्यन्त कुशल तथा लचीले प्रशासन की व्यवस्था करें तो बीमा राष्ट्रीय-करण की योजना न केवल सफ़ल ही होगी, अपितु देश के लिये एक वरदान स्वरूप भी सिद्ध होगी । इसे सुचारुरूप से चलाने के लिये कर्मचारियों से पूरा सहयोग प्राप्त किया जाये । अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी सन्था से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये ।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जीवन बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण करने की क्या आवश्यकता थी । उन्होंने बताया है कि बीमा जगत में जिस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है, उसे दूर करने के लिये इस अध्यादेश को जारी करने के अतिरिक्त और कोई भी चारा न था । मैं भी उनके इस कथन से सहमत हूँ कि व्यवस्था को सुधारने के लिये इस अध्यादेश को जारी करना अनिवार्य था परन्तु सरकार ने जिस प्रकार से राष्ट्रीयकरण को लागू किया है मैं उसका विरोध करता हूँ ।

मैं नहीं समझ सका कि सरकार केवल जीवन बीमा समवायों का ही राष्ट्रीयकरण क्यों कर रही हैं, वह अन्य प्रकार के बीमा समवायों को राष्ट्रीयकरण से मुक्त कर के भेद-भावपूर्ण नीति को क्यों अपना रही है ।

हमारा दल इस बात पर ज़ोर देता है कि बीमा तथा बैंक दोनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये, क्योंकि दोनों ही हमारे राष्ट्रीय अर्थ के मूल स्तम्भ हैं, वे हमारे राष्ट्रीय विकास के आधार हैं । अतः उन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । सरकार तो केवल बीमे का राष्ट्रीयकरण कर रही है और उसमें से भी केवल एक छोटे से भाग का राष्ट्रीयकरण कर रही है ।

मेरा तो यही दृष्टि कोण है कि बीमा और बैंक समवाय ही देश के व्यापारिक क्षेत्र में कुछ अवांछनीय बातें उत्पन्न करने के लिये जिम्मेदार हैं । इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि बीमा तथा बैंक दोनों का ही एक साथ राष्ट्रीयकरण किया जाये और सरकार उनका प्रबन्ध गैर-सरकारी लोगों से लेकर स्वयं चलाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधेयक

वित्त मंत्री ने बताया है जीवन बीमा व्यवसाय के केवल इसी पक्ष का ही राष्ट्रीयकरण करने का प्रयोगात्मक आधार था। परन्तु मेरा यह कथन कि जब तक हम ऐसा सैद्धान्तिक आधार पर नहीं करेंगे तब तक हम इस राष्ट्रीयकरण को संतोषजनक ढंग से न चला सकेंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस प्रयोगात्मक दृष्टिकोण की त्याग कर सैद्धान्तिक दृष्टिकोण को अपनाया जाये। कोई भी कार्य करने से पूर्व हमारे सम्मुख एक आदर्श या सिद्धान्त होना चाहिये।

यदि आप अन्य देशों में विद्यमान राष्ट्रीयकरण का निरीक्षण करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि न्यूजीलैंड तथा कुछ हद तक फ्रांस को छोड़ कर और किसी भी देश में पूर्ण राष्ट्रीयकरण का सच्चा प्रयत्न नहीं किया गया है। फ्रांस में जब राष्ट्रीयकरण का प्रश्न राष्ट्रीय संविधान सभा के सम्मुख आया तो सरकार ने यह ख्याल व्यक्त किया कि बीमा व्यवसाय के द्वारा बीमा-पत्राधिकारियों को हर प्रकार सुविधायें देने के लिये यह आवश्यक है कि बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर भी विचार किया, और यह अनुभव किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये बिना बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण करने का कोई लाभ न होगा। इसीलिये फ्रांस सरकार ने विचार किया कि बीमा व्यवसाय के साथ ही साथ बैंक व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

न्यूज़ीलैंड में प्रारम्भ में जब बीमा व्यवसाय के कुछ एक पक्षों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस में नौकरशाही प्रारम्भ हो गयी, जो कि राष्ट्रीयकरण का सब से बड़ा शत्रु है। न्यूज़ीलैंड में अब इस बुराई को अनुभव किया गया है और वे विचार कर रहे हैं कि बीमा व्यवसाय पर नौकरशाही नियंत्रण अथवा विभाग की ओर से नियंत्रण बहुत कम मात्रा में होना चाहिये, और उसके लिये अब वे निगम स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

आज, जबकि हम भारत में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, मेरी वित्तमंत्री से यही प्रार्थना है कि वह इस बात पर अच्छी प्रकार से विचार करें कि इस राष्ट्रीयकृत कार्य को चलाने के लिये क्या व्यवस्था की जानी चाहिये। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया है कि इस अध्यादेश को जारी करने का मुख्य कारण समवाय द्वारा किये जा रहे कदाचार हैं। इन कारणों के प्रसंग में मैं यह बताना देना चाहता हूँ कि मुझे ज्ञात हुआ है कि इस अध्यादेश के जारी होने से पूर्व एक बहुत बड़े बीमा समवाय के एक प्रतिनिधि ने सरकार से यह पता करने का प्रयत्न किया कि क्या वास्तव में इस प्रकार का कोई अध्यादेश जारी होने वाला है। उसे इस बात की सूचना दी गयी कि वास्तव में वह जारी होने वाला है। इस प्रकार से उस बीमा समवाय ने अध्यादेश के जारी होने से पूर्व ही अपने लेखे ठीक कर लिये थे।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : माननीय सदस्य सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, अतः वह बतायें कि उन्हें यह जानकारी किस सूत्र से प्राप्त हुई है ?

†**सभापति महोदय** : साधारण नियम यह है कि जब भी कोई सदस्य को किसी तथ्य का वर्णन करना चाहे तो उसे पहले इस बात का पूर्ण निश्चय कर लेना चाहिये कि वह जो कुछ कह रहा है क्या वह सच है। इस आरोप से तो यही प्रतीत होता है कि उन्होंने इसके सम्बन्ध में केवल सुना ही है।

मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वह किसी पर ऐसे निराधार आरोप न लगायें।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। यदि यह बात गलत है, अथवा झूठी है, तो ठीक है। मैं इससे संतुष्ट हूँ।

बीमा के एक बड़े क्षेत्र को गैर सरकारी हाथों में छोड़कर आप वैसी ही जालसाजी तथा धोकाधड़ी को प्रोत्साहन दे रहे हैं। समूचे बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किये बिना केवल जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण करना निरर्थक है। मैं मानता हूँ कि सरकार के लिये इसका संचालन सरल है तथा इससे द्वितीय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी]

योजन के लिये पूंजी की प्राप्त हो सकती है तथापि जान पड़ता है कि सरकार बड़ा खतरा और दायित्व नहीं लेना चाहती है इसीलिये वह अन्य बीमा व्यवसायों को नहीं लेना चाहती है ।

जहाँ तक जीवन बीमे का प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रबन्धित बीमा व्यवसाय की दशा भी अच्छी नहीं है । इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि, इस बात को ध्यान में रख कर कि हम सारे देशवासियों को बीमे का लाभ प्रदान करना चाहते हैं, हमें छोटे छोटे समवायों को बड़े समवायों में विलीन कर देना चाहिये । प्रत्येक ऐसी संस्था के लिये निदेशकों का पृथक बोर्ड हो । इस प्रकार चार या पाँच निगम बने जिनसे उनकी आपस में भी प्रतिद्वंदिता हो; यदि केवल एक ही निगम बनेगा तो प्रतिद्वंदिता के अभाव में कायक्षमता तथा प्रबन्ध में मितव्ययिता नहीं आ सकती है ।

अन्त में मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूँगा कि वह समूचे बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करें तथा इसके साथ ही बैंक व्यवसाय का भी राष्ट्रीकरण करें क्योंकि ये दोनों व्यवसाय हमारी अर्थ-व्यवस्था को दो अभिन्न अंग हैं इन दोनों का ही राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये ।

श्री बी० डी० पाँडे (ज़िला अल्मोड़ा––उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, वैसे तो मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मैं इंश्योरेंस जैसे जटिल विषय के सम्बन्ध में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं लेकिन तो भी एक बात तो उनके इस कानून से स्पष्ट है कि उन्होंने बंदूक के एक वार से इतनी बड़ी मूर्गी मारी है कि वे मालामाल हो जायेंगे, राष्ट्र संपत्तिवान हो जायगा·····

एक माननीय सदस्य : मुर्गा या मुर्गी ?

श्री बी० डी० पाँडे : मुर्गा या मुर्गी कुछ ही कह लीजिये जो आपकी तबीयत चाहे, लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं है कि श्री सी० डी० देशमुख ने बहुत बड़ा शिकार मारा है और हमारे उस ओर बैठ हुये कम्युनिस्ट भाइयों को तो खुशी होनी चाहिये और इस मेज़र (विधान) का कतई विरोध नहीं करना चाहिये क्योंकि आज तो हम सब लोग रूसी हो गये हैं । यह जो इंश्योरेंस कम्पनीज़ का राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइज़ेशन हुआ है, यह वास्तव में श्री बुलगानिन और श्री ख्रुश्चेव की जीत हुई है और आज हम सब उनके चेले बन गये हैं । मैं स्वयं कोई कैपिटेलिस्ट (पूंजीपति) नहीं हूँ लेकिन हमें उनकी निन्दा न करके उनको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने यहां हमारे देश में इतने सारे उद्योग धंधे स्थापित किये और इंश्योरेंस को जन्म दिया । उन्होंने उसको पाला पोसा और हमको करोड़ों रुपये इसके ज़रिये पैदा करके दिये हैं और इस नाते हमें पूंजीपति भाइयों को गाली नहीं देनी चाहिये, बल्कि उनको धन्यवाद देना चाहिये । गाली अगर देनी है तो डालमिया को देनी चाहिये जिसके कि पाप से उनके ऊपर चौका फिर गया । गाली उनको देनी चाहिये, लेकिन और बाकी पूंजीपतियों को नहीं देनी चाहिये । इस विधेयक का एक विपरीत प्रभाव यह अवश्य पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर (गैर सरकारी क्षेत्र) काम नहीं करेगा और प्राइवेट लोग कोई कारोबार नहीं हथियायेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि ज्योंही उनके पास रुपया इकट्ठा होगा, सरकार उनसे छीन लेगी । इसका बुरा प्रभाव यह होगा कि समारे लोगों का ब्रेन (मस्तिष्क) आइडिल (सुस्त) हो जायगा, लोगों का ब्रेन काम नहीं करेगा और हमारे लोग कोई नया कारोबार नहीं खोल सकेंगे । यह बात भी हमें सोचनी चाहिये ।

मैं कोई कैप्टिलिस्ट, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण कांग्रेसमैन हूँ लेकिन पुराना आदमी होने के नाते मैंने पुराना ज़माना देखा है और इस नाते मैं आपको बतलाता हूँ कि आखिर इस देश के पूंजीपति वर्ग ने जो धन पैदा किया, वह नेशनलाइज़ेशन करके हमारे हाथ लग गया और इसलिये हमको उनको बुरा नहीं कहना चाहिये बल्कि उनको सदा अपने साथ बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि वे लोग फिर अपने पैसे को उद्योग-धधों में लगायें और फिर पैसा पैदा करें, ताकि आवश्यकता के समय फिर वे हमारी सहायता करें । हमें इनको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिये । यह पूंजीपति तो हमारे कमाऊ पूत हैं और हमें इनको अपनाना चाहिये । हमें इनको दुतकारना नहीं चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : कामधेनु गाय हैं ।

श्री बी० डी० पाँडे : जी, हां आप उदाहरण के लिये चार भाइयों में बराबर बराबर धन बांट दीजिये, इक्वैटिब्ल डिस्ट्रिब्यूशन आफ वेल्थ की थ्योरी (धन का समान वितरण का सिद्धान्त) के अनुसार आप बराबर बराबर चारों भाइयों में पैसा बांट देते हैं । आपके देखने में आता है कि दो भाई तो अपना सारा पैसा शराबखोरी और वेश्यागमन आदि दुर्व्यसनों में गंवा देते हैं, अपने हिस्से की जायदाद को फूंक देते हैं लेकिन दूसरे दो भाई कमाऊ पूत निकलते हैं और वे उस पैसे को अच्छे कामों में लगा कर और धन उपार्जन करते हैं । इसलिये सर्वत्र आप पायेंगे कि कमाऊ पूत का आदर होता है और उसको ठीक समझा जाता है और उड़ाऊ पूत को कोई ठीक नहीं समझता ।

यह जो १५ तारीख को नेशनलाइज़ेशन रूपी एक बम फेंका गया उससे हम सब लोग चकित हो गये । मैं मोटर में जा रहा था कि मेरी टोपी को देख कर एक आदमी ने यह कहा कि कांग्रेस वालों ने आज यह इंश्योरेंस छीन लिया है और अपने वास्ते नौकरी की एक नई मद खोज ली है : मेरा कहना यह है कि हमें लोगों के दिलों से और दिमागों से इस धारणा और आशंका को हटाना है कि हम पक्षपात करते हैं और इस व्यवसाय में अपने ही आदनियों को भरती करेंगे । यह जो अपने ही लोगों को भरती करने की भावना लोगों के दिलों में हमारे लिये है, उसको हमें हटाना है । हमको सबको समान रूप से रोज़गार सुलभ करना है । साथ ही यह भी परम आवश्यक है कि जब सरकार हमारी संपत्ति छीन रही है, तो उसको हमारी विपत्ति भी छीननी चाहिये । हमको पदवी मिलनी चाहिये, पैसा भी मिलना चाहिये और प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिये क्योंकि राज्य का धर्म तो धनं, धान्यं, यशं, कीर्तं बहुपुत्रलाभम् है । इनको तो राजा प्रजा को ग्रहण करावें । दूसरा राज्य का धर्म क्या है वह यह श्लोक बतलाता है : "रोगं, शोकं, दुःखं, दरिद्रं त दूरे बारिहरिमस्तु" इनको राज्य को हटाना चाहिये । राज्य में धन, विद्या, सुख शान्ति स्थापित करनी चाहिये । राज्य का यह कर्त्तव्य है कि जब वह लोगों से उनकी संपत्ति छीन रहा है तो उनको सब तरह का भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा आदि की चिन्ताओं से मुक्त कर दे और उनकी विपत्तियों को हरना चाहिये । आज सब लोग जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कितना खर्चीला है ? मैं जब पढ़ता था तब २०-२५ रुपये महीने में कालिज की पढ़ाई हो जाती थी लेकिन आज मुझे अपने लड़के को कालिज की पढ़ाई करने के लिये २०० रुपया माहवार भेजना पड़ता है आज की शिक्षा व्यवस्था कितनी अधिक खर्चीली हो चुकी है कि जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता । मेरे ज़माने में होने वाले शिक्षा व्यय में और आज होने वाले व्यय में ज़मीन आस्मान का फर्क है । आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जब हमारी सम्पति हरती है तो उसको हमारी बुद्धि को नहीं हरना चाहिये और उसको भी सारी व्यवस्था योग्यतापूर्वक चलानी चाहिये । सरकार जो व्यवसाय चलाती है उसमें उसको विशेष सावधानी और सतर्कता से काम लेकर चलाना चाहिये, जिससे उनमें उसको लाभ हो और घाटे की नौबत न आये । जिस समय श्री सी० डी० देशमुख आर्डिनेंस (अध्यादेश) लाये थे तो उसमें तो यह कहा गया था कि सब कर्मचारियों की मान, प्रतिष्ठा और पद सब सुरक्षित रहेगा लेकिन बाद में ऐसा कहना कि हम सोचेंगे कि किसको निकालना है और किसको रखना है, यह चीज़ अनुचित है । बिना जांच के, बिना चरित्रहीनता का दोष लगाये किसी को नौकरी से निकालना ठीक कार्य न होगा । अभी जो हमारे एक मित्र ने यहां पर कहा है कि सारे काम करने वाले चरित्रहीन हैं, दुरुस्त नहीं है और ऐसा आक्षेप करना बिलकुल अनुचित है । अभी हमारे श्री साधन गुप्त जो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं उन्होंने बड़ा सुन्दर व्याख्यान यहां पर दिया है लेकिन मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उनका यह आक्षेप न्यायसंगत नहीं है और अनुचित है । उन्होंने कहा है कि आप पुराने कर्मचारियों को हटा दीजिये । नरसिंह राव को हटा कर वहां पर हरिसिंह राव को रखिये लेकिन मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इससे काम नहीं चलेगा, सरकार को बीमा कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर मुख्य तौर से निर्भर रहना होगा और ज़ाहिर है कि सरकार के यह जो आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के लोग हैं, वे इस काम को नहीं चला सकते हैं । इंश्योरेंस

[श्री बी० डी० पांडे]

के व्यवसाय को तो यह हमारे पूंजीपति भाई ही सफलतापूर्वक चला सकते हैं। हमारे वैद्यनाथन तो बड़े योग्य आदमी हैं और हम जब और हमारी सारी सरकार रूसी हो गई, जवाहरलाल जी ने एक डंडे से सबको ठीक कर दिया, तो यह यक़ीनी बात है कि वे भी अपने विचार बदलेंगे और अपने को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ढालेंगे। सभी को अपने विचार आज की परिस्थिति को देखते हुये बदलने पड़ेंगे और निश्चय ही वे भी बदलेंगे। और मैं अपने कम्युनिस्ट दोस्तों से भी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी अपनी ओल्ड प्रीजुडिसेज़ (पुराने द्वेषों) को छोड़ें। मैं सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या उपद्रविस्ट नहीं हो सकता। इस वृद्धावस्था में भगवान के चरणों में पड़ कर अपनी शेष जिन्दगी बिताना चाहता हूं। मैं किसी की मान, प्रतिष्ठा या धन नहीं लेना चाहता और मैं तो अपने उन मित्रों से भी हाथ जोड़ कर कहूंगा जो हमको तानों की दावत देते हैं और मिर्च खिलाते रहते हैं कि उन्हें भी आख़िर एक दिन भगवान के वहां जाना है और इसलिये वे जो सदा इस तरह की बातें सोचा करते हैं, उनसे बाज़ आयें। मैं किसी से बिगाड़ करना नहीं चाहता हूं।

सरदार ए० एस० सहगल : कम्युनिस्ट लोग तो भगवान को मानते ही नहीं।

श्री बी० डी० पांडे : सरकार को यह उचित है कि कोई व्यक्ति अपने पद से न निकाला जाय और उसकी मान और प्रतिष्ठा न छीनी जाय और जनता में यह जो सरकार के प्रति आशंका फैल रही है कि नेशनलाइज़ेशन करके सरकार इसमें अपने आदमियों, चचा, भतीजों और रिश्तेदारों को नौकरियां दिलायेगी, उसको भी दूर करना चाहिये और जहां तक संभव हो वर्तमान कर्मचारियों को उनके पदों पर कायम रख कर उनसे काम को ठीक तरीके पर चलाना चाहिये।

एक ट्रिब्यूनल होगी जो अच्छी तरह से जांच करेगी कि कोई आदमी दुश्चरित्र तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है, कोई आदमी रिश्वत तो नहीं खाता है, इस की जांच करने के बाद अगर कोई आदमी निकालने लायक होगा तो उस को निकालाना होगा, नहीं तो नहीं निकालना होगा। आखिर वह भी तो हमारे भाई हैं, कोई दूसरे तो नहीं हैं। वही तो हमारी राज्य व्यवस्था को चलायेंगे। अगर कोई बेईमान है तो उसको गवर्नमेंट को निकाल देना चाहिये। लेकिन अगर हर एक आदमी को बेईमानी हम कहेंगे तो फिर आखिर कहां से आदमी आयेंगे राज्य चलाने के लिये ? वह हमारे ही भाई हैं, अच्छी तरह से राज्य चलायेंगे अगर यह काम चल गया तो रफ्ता रफ्ता बैंक भी इसी तरह से चलेंगे, अगर एकदम से हम इतना धन बटोरना चाहें तो वह तो नहीं हो सकता। पहले एक चीज को संभाल लें फिर अपने बैंकों को ही संभालेंगे, उस के बाद जितने मकान वाले हैं, दो दो, तीन तीन लाख की हवेली लिये बैठे हैं, उनकी भी बारी आयेगी। हम ने सब राजे महाराजाओं के राज्य छीन लिये, जमीदारों की जमीदारी भी छीन ली। मैं अभी हैन्सर्ड में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था कि आखिर वहां पर राज्य ने किस तरह से चीजों को राज्यीकरण किया। यहां पर तो हम ने आर्डिनेन्स पास करके एकदम से पूरे बीमा व्यवसाय को ले लिया। मैं आर्डिनेन्स-राज्य के भी खिलाफ हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में जब जमीदारी छीनी गई तो वहां पर एक प्रस्ताव किया गया और उसके अनुसार वहां पर एक कमेटी बैठाई गई, उसने इन्क्वायरी (जांच) की तो पता चला कि जमींदार लोग अपने किसानों के साथ अच्छा वर्ताव नहीं करते हैं और बैठे बैठे खाते पीते हैं। उनके ऊपर बहुत से इल्जामात लगाये गये, उस के बाद विधेयक बना, उस पर वहां पर बहसें हुई, सब कुछ हुआ, तब जाकर जमींदारी खत्म की गई। वैसे ही यहां पर भी होना चाहिये। एक दम से इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं होना चाहिये कि आर्डिनेन्स के जरिये से किसी चीज को समाप्त कर दिया जाय। मैं कोई कान्स्टीट्यूशनल पंडित (संविधानिक पंडित) नहीं हूँ, इसलिये मैंने लाइब्रेरी में जा करा हैन्सर्ड में भी ढूंढने का प्रयत्न किया कि आखिर वहां पर आयरन (लोहा) और कोल (कोयला) को नेशनलाइज करने के लिये के लिये क्या कोई आर्डिनेन्स पास किया गया था। लेकिन मुझे हैन्सर्ड में कहीं भी नहीं मिला कि कोई आर्डिनेन्स वहां पर इसके लिये पास किया गया हो। आर्डिनेन्स जो होता है उसमें एक बदबू होती है, वह एक तरह की आटोक्रेसी है, एकाधिपत्य है, प्रजातंत्र (डिमाक्रेसी) नहीं है। डिमाक्रेसी तो यह थी कि हम यहां पर

उस पर बहस करते, उसके बाद सब लोगों को राजी करके, कैपिटलिस्टों (पूंजीपतियों) को भी राजी करके, उनकी चीजों को छीनते। डिमाक्रेसी के माने तो यह हैं कि उन को अपनी तरफ खींच करके, है न कि डरा धमकाकर, कि अगर ऐसा न करोगे तो छः महीने की सजा हो जायेगी, अपना काम करते। डराना धमकाना तो वही नीति है जैसा रामायण में कहा है :

विनय न मानत जलधि जड़ गये तीनि दिन बीति,
बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति ।।

वह तो ऐसा ही हुआ कि घूम फिर कर हिंसा में आ गये। इसी तरह से हम लोगों ने इंश्योरेंस को ले लिया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उन लोगों को जो कि आप के शरण में आये हैं, अब जिनका धन सरकारी हो गया, विचार सरकारी हो गया, कारवार सरकारी हो गया, सब कुछ सरकारी हो गया, लोग सब आज्ञाकारी सेवक होवेंगें; सरकार की नौकरी में रहेंगे। चूंकि आज तक उन को सरकारी नौकरी नहीं मिली थी इस लिये वह प्राइवेट सेक्टर (गैर सरकारी क्षेत्र) में जाते थे, सरकार के पास उन को नौकरियां देने के लिये इतनी जगहें नहीं थीं, अगर यहां से भी निकाले गये तो यही होगा कि दोनों दीन से गये पांडे, न हलवा मिला न मांडे। ऐसा नहीं होना चाहिये, उनका मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब कुछ सुरक्षित होनी चाहिये। मेरा यही निवेदन है। यही मैं अर्ज करूंगा कि मैं तो बुड्ढा आदमी हूं, भगवान के यहां जाने वाला हूं, यही चाहता हूं कि देश खूब फले फूले, आनंद से रहे और हम सब लोग मिल कल आनंद से रहें। इधर से उधर बदलने में गड़बड़ी होगी। जो जहां हैं वहीं रहें, बाद को देखा जायेगा।

श्री अनिरुद्ध सिंह (दरभंगा पूर्व) : माननीय वित्त मंत्री ने जो आर्डिनेन्स लगा कर बीमा व्यवसाय के प्रबन्ध को सरकार के हाथ में ले लिया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके इस कार्य के लिये उन की तारीफ करता हूं। यह ठीक है कि इस व्यवसाय से सम्बन्धित कुछ व्यक्तियों ने सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ भी राय जाहिर की है जैसा कि पिछले कई महीनों के बीमा व्यवसाय के सलाना जलसे की रिपोर्ट को पढ़ने से मालूम होता ह। किन्तु आम तौर से बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के इस प्रथम चरण का व्यापक क्षेत्र में स्वागत ही हुआ है।

यह बात सर्वमान्य है कि किसी भी देश में निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी छिपाने का काम सबसे ज्यादा बीमा व्यवसाय ही करता है। खास कर वैसे देशों में जिसकी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था प्रारम्भिक तथा प्रिमिटिव स्टेजेज से गुजरती होती है। हमारा देश भी उसी अवस्था से गुजर रहा है। अतः यह लाजिमी था कि राष्ट्र की छोटी छोटी वस्तुओं को भी राष्ट्रीय उत्थान के काम लगाने के लिये बीमा व्यवसाय का प्रबन्ध सरकारी हाथों में लिया जाय। पश्चिमी देशों के बीमा व्यवसाय के इतिहास को देखने से भी पता चलता है कि जब उन राष्ट्रों में आर्थिक संकट आया है तो बीमा व्यवसाय ने आर्थिक संकट को हल करने में बहुत ही सक्रिय सहयोग दिया है, और इसलिये भी मैं सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करता हूं।

इस देश के बीमा व्यवसाय का इतिहास १०० वर्ष से कम का ही है, यह बात सही है कि प्रारंभ में हमारे देश की कंपनियों को बहुत कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ा है। इस देश के बीमा व्यवसाय को विदेशी सरकार से सहायता मिलना तो दूर रहा, पग-पग पर विदेशी कंपनियों का मुकाबला करना पड़ा। अतः आज इस व्यवसाय के प्रारंभिक अग्रणी के सामने हमारा माथा झुक जाता है। बीमा कंपनियों के प्रबन्ध के सरकारी हाथ में आने से पहले हमारे देश में अच्छी और बुरी दोनों तरह की कंपनियां थीं। कुछ कंपनियां हमारी ऐसी थीं जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी थीं और हमारे देश के लिये गौरव-स्वरूप थीं। उन का व्यवसाय विदेशों में भी होता था। किंतु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कुछ कंपनियों का प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं था। ऐसी कंपनियों में पालिसीहोल्डरों के हित को सर्वोत्तम नहीं माना जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसी कंपनियां बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर सकीं।

[श्री अनिरुद्ध सिंह]

यह बात सब जानते हैं कि कुछ एक कंपनियों को छोड़ कर तमाम कंपनियां व्यक्तिगत प्रभाव में थीं । ऐसी कंपनियों में पालीसीहोल्डरों के हित को प्रथम स्थान न दे कर व्यक्तिकत स्वार्थों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अधिक समय लेने वाले हैं, इसलिये अब सभा स्थगित होगी । और ५ बजे पुनः समवेत होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा पांच बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

लोक-सभा पांच बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

१९५६-५७ का सामान्य आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान् मैं भारत सरकार की १९५६-५७ के वर्ष की अनुमित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

मुझे केन्द्रीय सरकार के पांच वार्षिक बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के वित्तीय परिपालन पर बहुत अधिक प्रकाश डाला गया था । वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) की सिफारिश पर और विधिसम्मत या स्वेच्छापूर्ण अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को राजस्व साधनों का काफी अन्तरण हुआ है । इसके अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वालो ऋण सहायता क्रमशः बढ़ती जा रही है । केन्द्रीय सरकार यह सब इसलिये कर सकी कि संसद ने प्रति वर्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत कर-प्रस्तावों का विवेकपूर्ण अनुमोदन किया और हमने ऋण लेकर, जिसे हमारे विदेशी मित्र देशों या विदेशी संस्थाओं और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की उदारता और सद्भावपूर्ण सहायता ने अनुपूरित किया और सुविधाजनक बनाया, अपने वित्तीय साधनों में उचित ढंग से वृद्धि को । इस प्रकार हमारी योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के बजटों को जो महत्व प्राप्त हुआ है वह केन्द्रीय सरकार और राज्यों के अपने अपने वैधानिक क्षेत्रों द्वारा प्रकट होने वाले महत्व से कहीं अधिक है ।

विदेशी सहायता के अतिरिक्त स्वयं इस देश के निवासियों के उत्साहसर्द्धक सहयोग से प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू वितीय वर्ष के अन्त तक सामान्यतः सन्तोषजनक सीमा तक पूरी हो जायगी । अब तक इसके जो त परिणाम निकले हैं उनका विवरण देने में मैं सभा का समय नहीं लूंगा–उसकी अधिक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख राष्ट्रपति अपने भाषण में पहले ही कर चुके हैं । स्थूल रूप है, मेरा यह बता देना काफी होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से हमने देश की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के हेतु एक विशालतर भवन की सुदृढ़ नीव रख दी है ।

वर्तमान बजट का सम्बन्ध द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष से है । यह योजना संदद के अनुमोदन के लिये इसी अधिवेशन में प्रस्तुत की जायगी । योजना का प्रालेख प्रकाशित हो चुका है और सभा को समय आने पर इस पर पूरी तरह विचार करने का अवसर मिलेगा । इस समय यही समीकीन हीगा कि मैं केवल कुछ सामान्य बातों पर प्रकाश डालूं, जिससे मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे बजट की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाय ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में विकास और निवेश पर कुल मिला कर ४८,०० करोड़ रुपये के व्यय की परिकल्पना की गयी है । केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों की सभी अत्यावश्क मांगों पूरी

---

†मूल अंग्रेजी में

करना सम्भव नहीं हो सका । मैं केवल यही कह सकता हूँ कि सभी परिस्थितियों को देखते हुये ४८,०० करोड़ रुपये की यह योजना, जिसमें और विस्तार की संभावनायें तो हैं किन्तु वित्तीय साधन अनुरूप मात्रा में पूरी तरह दिखायी नहीं देते, मेरे विचार से (देश के अग्रगण्य अर्थशास्त्री भी यह मानते हैं) प्रायः ऐसी विशालतम योजना है जिसे देश यथार्थ रूप में ग्रहण कर सकता है । जिस योजना को हम प्रारम्भ करने जा रहे हैं वह वास्तव में एक साहसपूर्ण और विशाल योजना है और उसके लिये महान् एव सतत प्रयत्न की आवश्यकता है । अतएव यदि हम ऐसी योजना को पांच वर्ष की अवधि में सफलतपूर्वक पूरा कर सके तो यह गर्व तथा सन्तोष का विषय होगा । यदि कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों को निराशा हुई है तो मैं उन्हें केवल यह विश्वास दिलाता हूँ कि आयोजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) ने इस बात का प्रयत्न किया है कि सब को समान रूप से कम से कम असन्तोष हो ।

पांच वर्ष के लिये बनायी गयी योजना का लचीला होना आवश्यक है । इसे समय-समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ठीक ठाक करना होता है । किसी भी प्राक्कलन अथवा पूर्वानुमान में अनिश्चितताओं का होना स्वाभाविक है और योजना में दिये गये बंटनों, लक्ष्यों और उपलक्षित कल्पनाओं की अपरिवर्तनीयता के सम्बन्ध में दावा करना अवास्तविक है । योजना को एक ढांचा या एक मानचित्र समझना चाहिये जो यह संकेत करता है कि किस दिशा में, किस मात्रा में तथा साधन जुटाने के किन तरीकों से विकास करना है । हो सकता है कि ऐसा मानिचत्र सर्वांगपूर्ण न हो । कुछ प्रयोजनों के लिये पांच वर्ष का ढांचा या मानचित्र भी अपर्याप्त है और हो सकता है कि लम्बी अर्थात १५ या २० वर्ष की अवधि को ध्यान में रख कर सोचना आवश्यक हो । अर्थ-व्यवस्था के विकास की दिशा में प्रत्येक कदम नया क्षितिज हमारे सामने लाता है या नयी समस्यायें ला खड़ी करता है और हमें अर्थ-व्यवस्था में होने वाली इन बातों को ध्यान में रख कर मानचित्र को लगातार फिर से बनाना पड़ता है और जिस दृष्टिकोण से हम अपने कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं उसे ठीक ठाक करना पड़ता है ।

योजना, सरकारी व्यय का कार्यक्रम मात्र नहीं है । यह तो निश्चित साधनों और निश्चित दौरों में निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिये समाज के सभी वर्गों का सम्मिलित प्रयत्न है । कार्य के प्रत्येक दौर में न केवल कुल मिला कर बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी मांग और पूर्ति में सन्तुलन होना चाहिये । वास्तविक साधनों को योजना के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिये । क्योंकि, जैसा कि सर्वविदित है, महत्वपूर्ण कच्चे माल, या बिजली या परिवहन या विदेशी मुद्रा की उपलब्धि में साधारण सी रुकावट भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे सारे कार्यक्रम में गड़बड़ी आ सकती है । योजना की प्रगति के साथ साथ शिल्पिक (टेक्निकल) कार्य की भारी मात्रा में बराबर आवश्कता रहेगी जिससे कि साधनों का समन्वित विकास तथा उपयोग निश्चित हो सके । इस दृष्टि से तथा उन अनिश्चितताओं की दृष्टि से भी, जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है, इस योजना को एक व्यापक ढांचे के रूप में देखना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिये और अधिक निश्चित तथा विस्तृत योजनायें तैयार की जा सकें और क्रियान्वित की जा सकें ।

अर्थ-व्यवस्था के विकास की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना और भी अधिक साहसपूर्ण कदम है । इसके लिये निवेश की वर्तमान दर को, जो इस समय राष्ट्रीय आय का लगभग ७ प्रतिशत है, बढ़ा कर लगभग १२ प्रतिशत करना होगा । यह महान् उद्योग तभी सम्भव है जब समाज के सभी वर्ग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपभोग के विषय में आवश्यक नियंत्रण रखें । जनसंख्या में जितनी मात्रा में वृद्धि हो यदि राष्ट्रीय आय उससे अधिक मात्रा में बढ़ती रहे तो रहन-सहन के आज के औसत स्तर में कमी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । इसे तो ऊंचा उठना ही है । यही उद्देश्य आयोजना का भी है । फिर भी हमें इस थोड़े से समय के लिये इन दो बातों में से एक को चुनना है—उपभोग में वृद्धि और निवेश में वृद्धि, जिससे भविष्य में और अधिक लाभ होगा । योजना जिस सीमा तक अप्रयुक्त साधनों को उपयोग में लाने में सफल होती है, उसी सीमा तक निवेश वस्तुओं तथा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि

[श्री सी० डी० देशमुख]

सम्भव होती है । इसलिये कम विकसित अर्थ-व्यवस्था में निवेश में वृद्धि के लिये उपभोग में सर्वांगीण कमी को अनिवार्य समझना आवश्यक नहीं, यद्यपि यह सम्भव है कि समाज के अधिक सम्पन्न वर्गों के वर्तमान उपभोग स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । इतने पर भी आपेक्षिक नियंत्रण की आवश्यकता है, यद्यपि एक ऐसे देश के लिये, जो उपभोग के अतिशय निम्न स्तर से प्रारम्भ करता है ऐसा करना कठिन है । और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राजस्व विषयक नीति को व्यवस्थित करना है । धन रूप में आय चाहे जितनी बढ़ जाय उपभोग वस्तुओं पर समाज का व्यय उसी स्तर तक सीमित रहना चाहिये जिससे कि उपभोग की तत्काल उपलब्ध वस्तुयें न्यूनाधिक स्थिर मूल्यों पर खरीदी जा सकें ।

इस अवसर पर मैं योजना के सम्बन्ध में समस्त वित्तीय सम्भावना की समीक्षा नहीं करूंगा । फिर भी मैं इस तथ्य पर जोर दूंगा कि इतनी बड़ी योजना के लिये हमें आवश्यक साधन जुटाने के लिये अधिकतम उद्योग करना चाहिये । विदेशों से प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों से केवल कुछ सीमाओं के अन्दर और थोड़ी सी ही सहायता मिल सकती है । निस्सन्देह यह सहायता अत्यन्त महत्वपूर्ण और मूल्यवान है और हम इसका यथेष्ट स्वागत करते हैं । फिर भी अधिकांश व्यवस्था देश क भीतरी साधनों से ही करनी है । इस सम्बन्ध में क्रमिक कर-व्यवस्था को, अर्थात् ऐसी व्यवस्था को जो कर-साधनों को राष्ट्रीय आय के अनुपात से या उससे अधिक बढ़ाती है, महत्वपूर्ण योग देना है । यह भी आवश्यक है कि और भी अधिक सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयत्नों से हम समाज को धन बचाने के लिये प्रोत्साहन दें और उस बचत से लाभ उठायें । क्योंकि ये दोनों कार्य केवल क्रमशः ही सम्पन्न किये जा सकते हैं इसलिये योजना का परिपालन भी क्रमशः सावधानी से किया जाना चाहिये ।

आर्थिक प्रवृत्तियों तथा स्थितियों का ठीक-ठीक अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन है । परन्तु जहां तक अनुमान लगाया जा सकता है, मेरे विचार में यह विश्वास करना ठीक होगा कि हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना यथेष्ट रूप से अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों में आरम्भ करने जा रहे हैं । सिंहावलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि १९५३-५४ में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और १९५५ में देश की अर्थ-व्यवस्था को और अधिक शक्ति और बल मिला । कृषिजन्य पदार्थों के मूल्यों में अगस्त १९५३ के बाद से जो गिरावट आ रही थी वह मई १९५५ तक रुक गयी और वर्ष के बाकी हिस्से में मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखायी पड़ी । अधिकांश उद्योगों में उत्पादन काफी ऊंचे स्तरों तक पहुंच गया और अनुकूल परिस्थितियों के कारण कृषि उत्पादन कार्य सन्तोषजनक रहा । आयोजित परिव्यय की गति काफी तेज कर दी गयी, लेकिन इससे मुद्रा-बाहुल्य सम्बन्धी दबाव देखने में नहीं आया । कुल मांग और उपब्धि ऊंचे स्तरों पर सन्तुलित होती जा रही है । कोरिया युद्ध के समय की गरम बाजारी खत्म होने के बाद अर्थ-व्यवस्था में जो मन्दी नजर आने लगी थी वह प्रायः समाप्त हो गयी है । इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना ने अर्थ-व्यवस्था को काफी मजबूत बनाया है तथा और भी अधिक तेजी से विकास करने का आधार तैयार हो गया है ।

१९५४-५५ में कृषि उत्पादन का सूचक अंक ११३.९ अर्थात् पिछले वर्ष के सूचक अंक के लगभग बराबर पहुंच गया । पिछले वर्ष का सूचक अंक ११४.१ तक पहुंच गया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ । इस वर्ष ६५८ लाख टन अनाज पैदा हुआ, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से कुछ कम तो है पर प्रथम पंच-वर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य से ४० लाख टन से कुछ अधिक है । अन्न की सुलभ उपलब्धि के कारण सरकार १८ मार्च १९५५ को रहे-सहे नियंत्रण (कन्ट्रोल) हटाने में समर्थ हो गयी और गेहूं के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने, लेजाने पर से प्रतिबन्ध उठा लिये गये ।

१९५५-५६ में फसल अच्छी होने की आशा है । यदि उत्तर में भंयकर बाढ़ें और दक्षिण में विनाश-कारी तूफान न आते तो फसल और भी अच्छी होती ।

चालू वर्ष में व्यापारिक फसलों का उत्पादन और बढ़ा। तेलहन की उपज ५९ लाख टन और कपास की उपज ४३ लाख गांठ रही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य से क्रमशः ४ लाख टन और १ लाख गांठ अधिक है। चीनी का उत्पादन १९५३-५४ के १०·०१ लाख टन की तुलना में १५·९ लाख टन हो गया, जितना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जूट के उत्पादन में, जिसमें पिछले दो वर्ष से कमी थी, पिछले वर्ष की तुलना में १९५५-५६ में लगभग १२ लाख गांठ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति १९५५ में बनी रही। औद्योगिक उत्पादन का संशोधित सूचक अंक (इंडेक्स) अब उपलब्ध है। नये क्रम में ८८ वस्तुयें शामिल की गयी हैं, जबकि अन्तरिम सूचक अंकों में ३५ वस्तुएं शामिल थीं। इस क्रम के अनुसार १९५५ के पहले दस महीनों का औद्योगिक उत्पादन सूचक अंक (१९५१–१००) १२५.७ रहा, जबकि १९५४ के सारे वर्ष में यह ११२·९ रहा। इससे पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग ११ प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। लगभग सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तैयार इस्पात का उत्पादन १२ लाख ६० हजार टन होगा जो १९५४ के उत्पादन से भी अधिक है। १९५४ में तैयार इस्पात का उत्पादन १२ लाख ४३ हजार टन, अर्थात् पहले के वर्षों की अपेक्षा सबसे अधिक था। १९५५ में मिल में बने कपड़े का उत्पादन ५ अरब ८ करोड़ ७० लाख गज रहा, जो १९५४ के उत्पादन से ८ करोड़ ९० लाख गज अधिक और प्रथम पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य से ३८ करोड़ ७० लाख गज अधिक है। करघे से बने कपड़े के उत्पादन में भी इस वर्ष काफी वृद्धि हुई। इस का उत्पादन १ अरब ३७ करोड़ गज रहा, जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सबसे अधिक है। इस वर्ष सीमेंट का उत्पादन ४५ लाख टन हुआ, जो १९४७ के बाद एक बार फिर सबसे अधिक है। जूट, रासायनिक पदार्थों तथा कागज के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। इंजीनियरी उद्योग में भी विशेष उन्नति हुई।

रसायन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिये विशेष उपाय किये जा रहे हैं। गन्ने की खोई से लुगदी तथा कागज तैयार करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के मशीनी औज़ार तैयार करने की वर्तमान क्षमता के प्रश्न पर विचार करने तथा इस बुनियादी उद्योग का तेज़ी से विकास करने के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिशें करने के निमित्त अभी कुछ समय पहले एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन) ने कई योजनाएं हाथ में ले रखी हैं, जिनमें ढलाई के बड़े-बड़े कारखाने, लोहे के सामान की भट्ठियां और गियर काटने तथा ढांचे बनाने के कारखानों की स्थापना सम्मिलित है। इनसे भारी मशीनें बनाने के उद्योगों की नींव पड़ेगी। इस्पात के दो बड़े-बड़े कारखाने अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात की कमी नहीं पड़ेगी। अगले पांच वर्षों में सीमेंट के उत्पादन को बढ़ा कर ११५ लाख ९० हजार टन तक ले जाने के लिये इस वर्ष लाइसेंस भी दिये गये हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रोत्साहन और विकास के लिये इस वर्ष विशेष कार्रवाई की गयी। छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन) तथा तथा चार प्रादेशिक लघु उद्योग सेवाशालाएं (रीजनल स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इन्स्टिट्यूट्स) खोली गयीं। राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न छोटे उद्योगों के विकास के लिये कई योजनाएं मंजूर की गयीं। छोटे उद्योगों को उत्पादन में वृद्धि के लिये शिल्पिक सहायता दी गयी है और इस काम में सहायता देने के लिये विदेशों से विशेषज्ञ बुलाये जा रहे हैं। देश के विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों में औद्योगिक क्षेत्र (एस्टेट) बनाने की योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों की मार्फत बहुत ही बढ़े हुये पैमाने पर वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। सरकार खादी और ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प बोर्डों और राज्य सरकारों को अनुदान तथा ऋण देती रही और इस तरह खादी और ग्रामोद्योग तथा हस्तशिल्प के विकास को नियमित रूप से सहायता मिलती रही।

[श्री सी० डी० देशमुख]

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों नें भी पहले की अपेक्षा उत्पादन बढ़ गया है । सिंदरी उर्वरक कारखाने (सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्टरी) में १९५५ में ३,२२,००० टन अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ जो आयोजना के लक्ष्य से भी अधिक है । हिन्दुस्तान केब्ल फैक्टरी में, जिसमें सितम्बर १९५४ में उत्पादन आरम्भ हुआ था, काफी उत्पादन बढ़ा और आशा है कि वह चालू वर्ष में, फैक्टरी के लिये परिकल्पित ४७० मील केवल प्रतिवर्ष तैयार करने का लक्ष्य पार कर लेगी । पेनिसिलीन कारखाना, जिसमें १९५४ में उत्पादन आरम्भ हुआ था, योजना में निश्चित ४८ लाख मेगा यूनिट के लक्ष्य से पहले ही आगे बढ़ गया है । बंगलौर स्थित मशीन टूल फैक्टरी तथा पेरम्बूर के सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के कारखाने—इन्टिग्रल कोच फैक्टरी—में उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

सरकार ने दिल्ली स्थित डी० डी० टी० कारखाने की, जिसमें १९५५ से ही उत्पादन आरम्भ हुआ, उत्पादन क्षमता १,४०० टन तक बढ़ाने का निश्चय किया है । साथ ही सरकार ने इतनी ही उत्पादन-क्षमता का दूसरा कारखाना तिरुवांकुर-कोचीन में बनाने का निर्णय किया है । आगामी वर्ष जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण योजानएं आरम्भ की जायंगी उनमें सरकारी क्षेत्र में बिजली के भारी साज-सामान का कारखाना बनाना भी सम्मिलित है, जिसमें बिजली तैयार करने वाले यंत्र (जेनरेटर), ट्रांसफार्मर, स्विच गियर्स, नदी घाटी योजनाओं के लिये टर्बाइन्स तथा रेलों के लिये परिवहन का साज सामान तैयार किया जायगा । सदन को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र में इस्पात के सम्यन्त्रों की स्थापना के बारे में कार्रवाई करने के लिये इस वर्ष लोहा और इस्पात मंत्रालय बनाया गया है । तीन इस्पात कारखानों में से पहले कारखाने की, जो रूरकेला में बनाने का निश्चय किया गया है, योजना की अन्तिम रिपोर्ट हाल ही में स्वीकार कर ली गयी, और योजना स्थल पर सन्तोषजनक ढंग से काम हो रहा है । भिलाई में बनाये जाने वाले दूसरे कारखाने की योजना-रिपोर्ट के बारे में निर्णय कर लिया गया है और वहां योजना स्थल पर बनाया गया एक योजना प्रभाग (डिवीजन) अच्छी प्रगति कर रहा है । तीसरा कारखाना दुर्गापुर में बनाने का प्रबन्ध संतोषजनक ढंग से चल रहा है और इस बीच एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर दिया गया है जिसका मुख्याधिकारी एक प्रशासक है ।

स्पष्ट है कि अर्थ-व्यवस्था का औद्योगिक आधार प्रतिवर्ष प्रशस्त किया जा रहा है और इस प्रगति में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों ने महत्वपूर्ण योग दिया है ।

थोक मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति, जो १९५३ में शुरू हुई थी तथा जिसने १९५४ में जोर पकड़ा था, मई १९५५ तक रुक गयी, जबकि थोक मूल्यों का सूचक अंक घट कर ३४२ पर आ गया था । तब से सूचक अंक बराबर बढ़ता जा रहा है और दिसम्बर १९५५ में वह ३६८·४ अर्थात् दिसम्बर १९५४ के सूचक अंक के लगभग बराबर पहुंच गया । खाद्य पदार्थों का मूल्य सूचक अंक मई में २७६·१ से बढ़ कर दिसम्बर में ३२३·७ हो गया और औद्योगिक कच्चे माल का मूल्य सूचक अंक ३९६·४ से बढ़ कर ४३८·३ हो गया । उधर निर्मित वस्तुओं के मूल्य सारे वर्ष लगभग ज्यों के त्यों रहे । सम्पूर्ण वर्ष में मूल्य में कोई वास्तविक वृद्धि न होना सर्वसाधारण में मुद्रा-उपलब्धि के काफी विस्तार को देखते हुये महत्वपूर्ण है, जिसमें १९५५ में लगभग २०० करोड़ रुपये या ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि १९५४ में १२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।

थोक मूल्यों का उतार-चढ़ाव रहन-सहन के खर्च में परिलक्षित हुआ । रहन-सहन के खर्च का अखिल भारतीय सूचक अंक दिसम्बर १९५४ में ९७ से घट कर मई १९५५ में ९२ पर आ गया । इसका मुख्य कारण खाद्य के सूचक अंक में ७ प्रतिशत की कमी था । अक्टूबर १९५५ तक सामान्य सूचक अंक फिर बढ़ कर ९७ हो गया । बाद के आंकड़ों से पता चलता है कि रहन-सहन के खर्च के सूचक अंक, थोक मूल्यों की सामान्य प्रवृत्ति के साथ-साथ, इस वर्ष की अन्तिम तिमाही में बढ़ गये हैं । फिर भी १९५५ के सारे वर्ष का औसत स्तर १९५४ के स्तर से नीचे रहा ।

कृषि पदार्थों के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिये, जिससे पिछले वर्ष के शुरू में कुछ चिन्ता पैदा हो गयी थी, सरकार ने कई उपाय किये हैं, । चुने हुये केन्द्रों में गेहूं और मोटा अनाज खरीदा गया और कई कृषि पदार्थों के भारी मात्रा में निर्यात की स्वीकृति दी गयी । इन उपायों और विकास की तीव्र गति ने मूल्यों में गिरावट को रोक दिया है और अब मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है । मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार सतर्कता के रूप में कुछ केन्द्रों में बिक्री के लिये गेहूं का स्टाक देती रही है । ये उतार-चढ़ाव केवल इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि सरकार का मूल्य स्तर पर बराबर दृष्टि रखना और साथ ही वितरण के लिये अनाज का काफी भण्डार बनाये रखना बहुत आवश्यक है । ठीक समय पर की गयी प्रति-सन्तुलनकारी छोटी-सी कार्रवाई बाद में बड़े पैमाने पर और बहुमुखी कार्रवाई करने से बचा सकती है ।

इस समस्या का एक और पहलू है जिसका इस सम्बन्ध में उल्लेख किया जा सकता है । अनुभव से पता चला है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों को तुल्य स्थिरता प्रदान करने के उपाय तब तक पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं हो सकते जब तक ऋण तथा विपणन की समुचित रूप से सुसंगठित और समन्वित व्यवस्था न हो । अतः ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति के निर्णयों को ध्यान में रखते हुये सहकारिता के आधार पर विकास का एक समन्वित कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलू आ जाते हैं, जैसे ऋण, विपणन, प्रक्रिया, संग्रहण तथा वस्तुओं को गोदामों में रखना । इस कार्यक्रम की मुख्य बातें ये हैं—सभी स्तरों पर सहकार संस्थाओं की हिस्सा पूंजी में राज्यों की हिस्सेदारी, बड़े संगठित प्रारम्भिक एकक तथा सुदृढ़ केन्द्रीय और एपेक्स बैंकों की स्थापना द्वारा कृषि-ऋण व्यवस्था का पुनर्गठन, ऋण सहकार संस्थाओं से निकट सम्बन्ध रखने वाली विपणन संस्थाओं का संगठन, गोदाम बनाने तथा सहकार संस्थाओं के लिये गोदामों में माल रखने की सुविधाओं की व्यवस्था और सहकारिता कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये शालाओं और विद्यालयों की स्थापना । इस सम्बन्ध में सरकार और रिजर्व बैंक ग्रामीण सर्वेक्षण समिति की कई सिफारिशें क्रियान्वित कर चुके हैं । भारत का इम्पीरियल बैंक, भारत राज्य बैंक के रूप में (स्टेट बैंक आफ इंडिया) में पहले ही परिवर्तित किया जा चुका है और भारत का रिजर्व बैंक अधिनियम (रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट) संशोधित किया गया है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण—सुविधाओं का विस्तार हो सके । समिति की सिफारिशों के क्रमिक परिपालन से ही कृषि सम्बन्धी नीति के प्रभावपूर्ण परिपालन के लिये संगठन सम्बन्धी आवश्यक ढांचाखड़ा किया जा सकता है ।

अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति होने पर भी देश में नियोजन (एम्प्लायमेंट) की स्थिति चिन्ता का विषय बनी हुई है । देश के विभिन्न भागों में कई तदर्थ नियोजन सर्वेक्षण किये गये, लेकिन उनका सारी स्थिति आंकने या स्थिति का सामना करने के लिये नीति और योजना बनाने के लिये सरलता से उपयोग नहीं किया जा सकता । कम विकसित अर्थ-व्यवस्था में बेरोज़गारी और अल्प नियोजन का परिमाण, व्याख्या तथा कार्यविधि सम्बन्धी कठिन समस्याएं उपस्थित करता है । केन्द्रीय अंक संकलन संगठन (सेन्ट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन) तथा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण (नेशनल सेम्पल सर्वे) इन समस्याओं की ओर कुछ ध्यान दे रहे हैं लेकिन ऐसी व्यवस्था करने में जिससे तुलनात्मक और विस्तृत आंकड़े बराबर मिलते रहें कुछ समय लगेगा । नियोजन के सम्बन्ध में जो अपेक्षाकृत अपर्याप्त आंकड़े प्राप्त हुये हैं उनसे पता चलता है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । विभिन्न नियोजन केन्द्रों के चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या वर्ष के प्रारम्भ में ६.१ लाख से बढ़ कर वर्ष के अन्त में ६.९२ लाख हो गयी अर्थात् १३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस वृद्धि का कारण कुछ तो यह हो सकता है कि नाम रजिस्टर कराने की प्रवृत्ति या तत्परता बढ़ती जा रही है और कुछ यह भी कि कुछ लोग देहाती इलाकों से शहरी इलाकों में आ गये हैं । इसका कारण कुछ भी हो, विकास गति तीव्र करने तथा देश के आर्थिक ढांचे में विविधता लाने की आवश्यकता स्पष्ट है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ की थी, तो हमने सम्पूर्ण शोधन-सन्तुलन में भारी कमी का अनुमान लगाया था, लेकिन यह कभी उतनी नहीं हुई जितनी की हमें पहले आशंका थी । अधिकतर हमारे अन्न-उत्पादन में भारी वृद्धि के कारण, जिससे अनाज के आयात में काफी कमी हो गयी, तथा इन वर्षों में प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के कारण हमारी पौंड पावने में इन पांच वर्षों में लगभग १५० करोड़ रुपये की ही कमी हुई । अभी कुछ समय से आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था का सुधार हमारे विदेशी व्यापार में प्रतिबिम्बित हुआ है । १९५५ के पहले नौ महीनों में चालू खाते में देश के शोधन-सन्तुलन में २५ करोड़ रुपये का अधिशेष रहा और हो सकता है कि सारे वर्ष में ३५ करोड़ रुपये का अधिशेष रहे, जबकि इससे पहले के वर्ष में ४ करोड़ रुपये की कमी थी ।

हमारे पौण्ड पावने का स्तर सम्पूर्ण शोधन-सन्तुलन को प्रकट करता है । १९५५ के आरम्भ में यह ७३१ करोड़ रुपये और अन्त में ७३५ करोड़ रुपये था । चालू खाते में कहीं ज्यादा अधिशेष की बजाय इसमें केवल ४ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का कारण यह है कि पूंजी खाते में काफी कमी हुई है । सदन को स्मरण होगा कि भारत ने १९५४ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड) से २२·२ करोड़ रुपये की अपनी देनी फिर खरीद ली थी । १९५५ में १९.३ करोड़ रुपये की देनी फिर खरीद ली जिससे निधि के प्रति भारत का दायित्व केवल लगभग ६ करोड़ रुपये रह गया ।

हमारी डालर स्थिति में भी सुधार हुआ । १९५५ की पहली तीन तिमाहियों में चालू खाते में ३१ करोड़ रुपये का काफी अधिशेष रहा, जबकि १९५४ की इसी अवधि में ३ करोड़ रुपये का अधिशेष था । डालर शोधन-सन्तुलन में सुधार होने के परिणामस्वरूप भारत ने १९५५ में केन्द्रीय प्रारक्षित कोष (सेन्ट्रल रिजर्व) को ५ करोड़ ३० लाख डालर का अंशदान दिया जबकि १९५४ में कोष से १ करोड़ ५० लाख डालर निकाले थे । डालर देशों से माल मंगाने की नीति को उदार बनाने की दिशा में इस वर्ष और भी प्रगति हुई । यह कार्रवाई स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्यों द्वारा आम तौर पर अपनायी जाने वाली नीति के अनुरूप है डालर देशों से आयात के प्रति भेदभाव को और कम करना या डालर अदायगियों की नीति को उदार बनाना स्पष्टतः केन्द्रीय स्वर्ण-डालर प्रारक्षित निधि (सेन्ट्रल गोल्ड-डालर रिजर्वस) की सम्पूर्ण स्थिति पर निर्भर है ।

पिछले वर्ष की अपेक्षा व्यापार का स्तर और ऊंचा होने से शोधन की स्थिति में सुधार हुआ । १९५५ में आयात का कुल मूल्य १९५४ की तुलना में २८ करोड़ रुपये अधिक रहा । निर्यात में इससे भी अधिक वृद्धि हुई, जिसकी वास्तविक रकम ४१ करोड़ रुपये है । जिन वस्तुओं के कारण निर्यात में यह साधारण वृद्धि हुई उनमें वनस्पति तेल, जूट की बनी वस्तुएं, कपास और चपड़ा विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

इस समय शोधन की स्थिति सन्तोषजनक होने पर भी देश में विकास की गति में प्रस्तावित वृद्धि से भविष्य में शोधन-स्थिति पर बहुत दबाव पड़ेगा । सरकार निर्यात प्रोत्साहन के लिये तेजी से कार्रवाई कर रही है । निर्यात प्रोत्साहन परिषदें (एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल) तथा जिन्स बोर्ड (कामोडिटी बोर्ड) स्थापित किये गये हैं, प्रतिमानीकरण तथा किस्म नियंत्रण के महत्व पर अधिक बल दिया जा रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में पहले से ज्यादा भाग लिया जा रहा है । निर्यात ऋण प्रतिश्रुति योजना (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम) आरम्भ करने की बात अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये हाल ही में एक समिति बनायी गयी है । इतने पर भी इस बारे में कोई सन्देह नहीं कि यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ी तो न केवल विदेशी (मुद्रा) विनिमय खाते में में हमारा कोई अधिशेष नहीं रह सकेगा बल्कि हमें काफी कमी का भी सामना करना पड़ सकता है । हो सकता है कि साधारण स्थिति में जितनी कमी होती उससे भी ज्यादा कमी हो जाय, क्योंकि हमें कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना है । चाय के मूल्य गिर गये हैं और अन्य मुख्य वस्तुओं, जूट

और सूती कपड़ का निर्यात व्यापार अधिक प्रतिस्पर्धापूर्ण बनता जा रहा है। इसलिये हमें इन उद्योगों में आधुनिकीकरण और वैज्ञानिकन के लिये तुरन्त ही प्रभावपूर्ण कार्रवाई करनी है जिससे कि वे विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकें। विकास कार्यक्रम की गति तीव्र होने के साथ-साथ हमारी आयात सम्बन्धी आवश्यकताएं भी अनिवार्य रूप से बढ़ती जायंगी। इन्हीं सब बातों को देखते हुये निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देने और अन्य उपायों से विदेशी मुद्रा बचाने या अर्जित करने के लिये भरसक प्रयत्न करने का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

आलोच्य वर्ष में हमने पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से (इंटरनेशनल बैंक फार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट) कोई ऋण नहीं लिया। इस प्रकार भारत द्वारा इस बैंक से ६ वर्षों की अवधि में लिये गय लगभग १२ करोड़ ५० लाख डालर के कुल ऋण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसमें से अब तक वास्तव में ६४० लाख डालर निकाले गये हैं। लेकिन हमें आशा है कि कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विदेशी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में बैंक और भी महत्वपूर्ण भाग लेगा। हमने बैंक से एक शिष्ट मण्डल भेजने को कहा है जिससे कि वह हमारी आवश्यकताओं के बारे में अनुमान लगा सके और यह निश्चय कर सके कि वह पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किन कार्यों के लिये आर्थिक सहायता दे सकता है। आशा है यह शिष्टमण्डल जल्दी ही भारत आयेगा। विदेशी वित्तीय क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त आयोग (इन्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन) बना दिया गया है, जो अगले कुछ महीनों में कार्य आरम्भ कर देगा। इसका सदस्य देश होने के नाते हमें आशा है कि देश को और ज्यादा धन मिलने लगेगा।

भारत को अपने मित्र देशों, मुख्यतः अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से बराबर आर्थिक सहायता मिलती रही। अप्रैल १९५१ से मार्च १९५६ तक कुल मिलाकर २०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता का उपयोग किये जाने का अनुमान है, जबकि अब तक कुल मिलाकर ३०० करोड़ रुपये की रकम का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। १९५५-५६ में अमरीका सरकार ने भारत को विकास सहायता के रूप में ५ करोड़ डालर देने की स्वीकृति दी है। यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि इसमें से ३७५ लाख डालर या इसके बराबर का रुपया ऋण के रूप में दिया जायगा। कनाडा सरकार ने १९५५-५६ में पहले की ही तरह १ करोड़ ३० लाख डालर दिये। साथ ही उसने बम्बई स्थित परमाणु गवेषणा केन्द्र (एटमिक रिसर्च स्टेशन) में एन० आर० एक्स० रिएक्टर के लिये विशेष रूप से ७० लाख डालर दिये। आस्ट्रेलिया सरकार ने १८ लाख आस्ट्रेलियाई पौण्ड मूल्य पर मालगाड़ी के १००० और डिब्बे और आल इंडिया रेडियो के लिये कुछ साज-सामान देना स्वीकार कर लिया है। इसी तरह न्यूजीलैंड सरकार ने भी सूचित किया है कि दुग्धशाला विकास योजनाओं के लिये ४ लाख पौण्ड की अतिरिक्त रकम भारत को प्राप्त हो सकेगी। पिछले वर्षों में आरम्भ की गयी योजनाओं के के लिये फोर्ड निधि से बराबर सहायता मिलती रही। कोलम्बो योजना के अधीन हम भी अपने कुछ पड़ोसी देशों को सहायता दे रह हैं। अनुमान है कि १९५६-५७ में भारत को कोलम्बो योजना के अधीन, जिसमें अमरीका से प्राप्त होने वाली सहायता सम्मिलित है, ७५ करोड़ रुपये मिलेंगे। इधर हम दूसरे देशों को लगभग १·५ करोड़ रुपये की सहायता देंगे। भिलाई इस्पात योजना के लिये संयंत्र और साज-सामान के रूप में इस वर्ष हमें रूस सरकार से १० करोड़ रुपये की रकम के बराबर ऋण मिलेगा। विदेशों से प्राप्त होने वाली ऐसी सहायता, जो बिना किसी बन्धन के स्वच्छन्द रूप से दी और ली जाती है, अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये हमारे प्रयत्नों में मूल्यवान योग देती है और मुझे विश्वास है कि इस देश की अधिकांश जनता इसकी बड़ी सराहना करती है।

भारत सरकार ने स्टैर्लिंग क्षेत्र से पहले की तरह निकट सम्पर्क बनाये रखा। पिछले वर्ष सितम्बर में इस्तम्बोल में जो कामनवेल्थ वित्त मंत्री सम्मेलन हुआ था और जिसमें स्टैर्लिंग क्षेत्र की समान समस्याओं पर विचार किया गया था तथा ठोस आन्तरिक आर्थिक नीति की आवश्यकता का अनुभव किया गया था,

[श्री सी० डी० देशमुख]

उसमें भारत ने भी भाग लिया । इस सम्मेलन में पिछले कुछ समय से स्टैर्लिंग के सामने आन वालीं कठिनाइयों पर भी विचार किया गया था तथा दुनिया की मण्डियों में इसे इसकी पहली स्थिति में लाने के उपायों का निर्धारण किया गया ।

हम आर्थिक मामलों में अपने पड़ोसी देशों से निकट सम्पर्क बनाये रखने की अपनी पुरानी नीति पर चलते रहे । हमने अप्रैल १९५५ में बांडुंग में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन में भाग लिया, जिस में एशिया और अफ्रीका के देशों में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । उस सम्मेलन के प्रस्तावों के अनुसार हमने इन प्रस्तावों के अनुरूप नीतियों के परीक्षण तथा परिपालन के लिये एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया है । हम ने बर्मा सरकार को २० करोड़ रुपये का ऋण देना भी स्वीकार किया है, ताकि वह अपनी कुछ अस्थायी कठिनाइयां दूर कर सके ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की इस समीक्षा से पता चलता है कि पंचवर्षीय योजना की अब तक की अवधि में देश ने कितनी प्रगति की है । पिछले वर्षों में जो सफलताएं मिली हैं उनसे आशा होती है कि यदि हममें आवश्यक त्याग की इच्छा और निश्चय हो तो देश निश्चय ही और प्रगति कर सकता है । निष्क्रियता का दौर खत्म हो गया है । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल राष्ट्रीय आय में लगभग १८ प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि योजना में ११ प्रतिशत की वृद्धि की कल्पना की गयी है । अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गयी है । और ये सफलतायें आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाये रखने के साथ साथ प्राप्त हुई हैं । प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में समय समय पर मुद्रा-बाहुल्य तथा मुद्राकुंचन की स्थिति सामने आयी पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूर्व, स्थिति लगभग सन्तुलित प्रतीत होती है । हां, कुछ दबाव जरूर हैं, जिन पर यदि ध्यान न रखा गया और जिन्हें यदि रोका न गया तो वह परिकल्पित अधिक बढ़े हुये अतिरिक्त खर्च को देखते हुये आगे चल कर मुद्रा-बाहुल्य का रूप धारण कर सकते हैं ।

अब मैं चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों का उल्लेख करूंगा ।

सदन को स्मरण होगा कि चालू वर्ष के बजट में ४८१·५८ करोड़ रुपये के राजस्व और ४९८·९३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी थी जिससे राजस्व खाते में १७·३५ करोड़ रुपये की कमी रहती । सबसे हाल की जानकारी के आधार पर, अब मुझे आशा है कि वर्ष के अन्त तक १२·३१ करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा । यह सुधार, राजस्व में २०·०९ करोड़ रुपये की वृद्धि और व्यय में ९·५७ करोड़ रुपये की कमी का परिणाम है ।

सीमा-शुल्क के राजस्व की राशि अब १६५ करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो प्रायः वही, अर्थात् १६४·५ करोड़ रुपये है जो बजट में दिखलायी गयी थी । देश के निर्यात व्यापार के हित में इस वर्ष कई निर्यात-शुल्क समाप्त या कम कर दिये गये । इस प्रकार जूट की वस्तुओं, काली मिर्च, कहवा और लोहा तथा इस्पात के सामान पर लगने वाले निर्यात-शुल्क समाप्त कर दिये गये और तेल तथा खली, कपास आदि के निर्यात-शुल्कों में कमी कर दी गयी । बजट में चाय का निर्यात-शुल्क १० आना प्रति पौण्ड रखा गया था, किन्तु औसत दर इससे कम ही रही । इस सबका वास्तविक परिणाम यह हुआ कि निर्यात-शुल्क से राजस्व में ११ करोड़ रुपये की कमी हुई है । किन्तु कई मदों में, जैसे मोटर-स्पिरिट, मशीनरी और लोहा तथा इस्पात के आयात-शुल्कों में बराबर का सुधार होने से यह कमी प्रतिसन्तुलित, अर्थात् बराबर हो गयी है । अब अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से राजस्व में १४० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि बजट में १३२·२७ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था । लगभग ८ करोड़ रुपये की जो वृद्धि हुई है, उस में पेट्रोल और मिट्टी के तेल के १ करोड़ रुपये, कपड़े के २ करोड़ रुपये, चीनी के १·७५ करोड़ रुपये और पिछले बजट में लगाये गये नये उत्पादन-शुल्कों के २ करोड़ रुपये हैं । आयकर से प्राप्त होने वाले राजस्व की रकम वही १७३·७ करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो बजट में दिखलायी

गयी थी । अब अनुमान लगाया गया है कि सम्पत्ति-शुल्क से कवल २ करोड़ रुपया प्राप्त होगा, जबकि बजट में ३ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, किन्तु यह राजस्व प्रायः सब का सब राज्यों को मिल जाता है, इसलिये कमी होने से केन्द्रीय बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । डाक और तार विभाग का काम बढ़ने से, इस विभाग से प्राप्त होने वाले राजस्व की रकम बढ़ कर २·२७ करोड़ रुपये हो जायगी, जबकि बजट अनुमान ७० लाख रुपये का था । आयकर में से राज्यों का हिस्सा अब ५५·१६ करोड़ रुपया रखा गया है, जबकि बजट में ५६·९७ करोड़ रुपया आंका गया था । निष्क्रांतों की सम्पत्ति की बिक्री की रकम में ११·२ करोड़ रुपये की नाममात्र वृद्धि हुई है, जो व्यय की तरफ क्षतिपूर्ति कोष में इतनी ही रकम डाल देने से प्रतिसन्तुलित, अर्थात् बराबर हो गई है । अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत २·६४ करोड़ रुपये की कमी हुई है जिसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी हिसाब में विदेशों से मंगायी गयी चीनी की बिक्री से होने वाले लाभ के एक अंश को अगले साल दिखलाया गया है ।

अब इस वर्ष ४८९·३६ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है जिसमें असैनिक (सिविल) व्यय की रकम ३०४·२९ करोड़ रुपया और प्रतिरक्षा (डिफेंस) सेवाओं के व्यय की रकम १८५·०७ करोड़ रुपये होगी ।

असैनिक (सिविल) व्यय में—११·२ करोड़ रुपये की स्वतः सन्तुलित होने वाली मद को छोड़ कर, जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है—३·१६ करोड़ रुपये की बचत हुई है । यह अनेक परिवर्तनों का परिणाम है जिनमें से केवल मुख्य परिवर्तनों का उल्लेख ही मैं आवश्यक समझता हूं । दैवी विपत्तियों से होने वाली हानि के प्रभाव को दूर करने के लिये राज्यों को दी जाने वाली सहायता की रकम ४ करोड़ रुपये से बढ़ कर ७ करोड़ रुपये हो जायगी । इस वृद्धि का कारण यह है कि देश के कुछ भागों में भीषण बाढ़ें आयीं । विस्थापित व्यक्तियों पर होने वाले व्यय में, बजट की १०·३७ करोड़ रुपये की रकम में लगभग ३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । दूसरी ओर शिक्षा-व्यय में ३ करोड़ रुपये की कमी हुई है जिसका कारण यह है कि योजनाओं की, विशेषतः केन्द्रीय सहायता प्राप्त राज्यीय योजनाओं की प्रगति के अपेक्षाकृत मन्द रही । इसी तरह की बचत सामाजिक कल्याण बोर्ड और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों अनुदानों के अन्तर्गत हुई है । अनुमान है कि व्यय प्रभाकर में १·४ करोड़ रुपये की कमी होगी और इसी प्रकार की कमी असैनिक (सिविल) कार्यों के अन्तर्गत हुई है ।

प्रतिरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत, संशोधित अनुमानों से १७·६१ करोड़ रुपये की वास्तविक कमी का पता चलता है । इसका मुख्य कारण यह है कि सामान मिलना कठिन होने के कारण इसकी प्राप्ति पर उतना धन व्यय नहीं हुआ जितना व्यय होने का अनुमान किया गया था ।

आगामी वर्ष, वर्तमान कर-व्यवस्था के आधार पर मैं ४९३·६ करोड़ रुपये के राजस्व और ५४५·४३ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान करता हूं जिससे राजस्व खाते में ५१·८३ करोड़ रुपये की कमी रह जायगी ।

आगामी वर्ष सीमा-शुल्कों से १५० करोड़ रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान १६५ करोड़ रुपये है । १५ करोड़ रुपये की कमी का एक कारण तो यह है कि निर्यात-शुल्कों की समाप्ति का पूरे वर्ष का प्रभाव इस वर्ष पड़ा है; दूसरा यह कि चीनी का आयात बन्द कर दिया गया है; और तीसरा यह कि मोटर स्पिरिट के आयात में भी ऐसी ही कमी हुई है, क्योंकि देश में इसका उत्पादन बढ़ गया है । केन्द्रीय उत्पादन-शुल्कों से १४५·४५ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वर्ष का संशोधित अनुमान १४०·०० करोड़ रुपये है । इस वृद्धि का एक बड़ा कारण यह है कि मोटर स्पिरिट से ४ करोड़ रुपये और तम्बाकू से १·२ करोड़ रुपये की अधिक प्राप्ति होगी । आयकर से, आगामी वर्ष १८० करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का अनुमान है जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से ६·३ करोड़ रुपये अधिक है । डाक और तार विभाग से केवल ६५ लाख

[श्री सी० डी० देशमुख]

रुपये की राजस्व-प्राप्ति का अनुमान है, जबकि इस साल की रकम २·२७ करोड़ रुपये है। रलों द्वारा आगामी वर्ष दिया जाने वाला लाभांश ३९·६६ करोड़ रुपया आंका गया है जो चालू साल के संशोधित अनुमान से ३·५ करोड़ रुपये अधिक है। इस रकम का ३३·०९ करोड़ रुपया ब्याज के रूप में होगा जिससे व्यय की ओर ब्याज की अदायगी घट जायगी; बाकी रुपया राजस्व में अंशदान के रूप में चला जायगा। सम्पत्तिशुल्क से, अगले साल २·५ करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है जिसका अधिकांश राज्यों को मिल जायगा। निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति की बिक्री की रकम में ६·२ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी, किन्तु उससे जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राजस्व बजट पर वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी एक मात्र उल्लेखनीय बात आय कर से राज्यों को दिये जाना वाला अंश है जिसकी रकम ५५५·१६ करोड़ रुपये की तुलना में ५३·३५ करोड़ रुपये होगी। कमी का कारण यह है कि पिछले साल जो अधिक रुपया दे दिया गया था उसका समायोजन कर दिया गया है।

आगामी वर्ष के लिये मैं ५४५·४३ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय का अनुमान करता हूं जिसमें से २०३·९७ करोड़ रुपया प्रतिरक्षा सेवाओं पर और ३४१·४६ करोड़ रुपया असैनिक (सिविल) कार्यों पर खर्च होगा।

चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुमित व्यय में १८·९ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखालायी गयी है। इस वृद्धि का मुख्य कारण जल सेना और वायु सेना का सामान्य विस्तार है। सेना के बजट में भी कुछ वृद्धि हुई है जिसका कारण यह है कि सामान की खरीद सम्बन्धी जिन मांगों का रुपया चालू वर्ष में खर्च नहीं हुआ उसे अगले साल दिखलाया गया है। प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये जिस सामान की आवश्यकता पड़ती है भारत में उसके निर्माण में भी कुछ वृद्धि होने की आशा है।

आगामी वर्ष असैनिक (सिविल) व्यय में ४३·३७ करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी गयी है जिसमें पहले बतायी गयी निष्क्रान्त सम्पत्ति विषयक अपने आप सन्तुलित होने वाली मद शामिल नहीं है। सबसे अधिक वृद्धि का कारण विकास-व्यय की तीव्र गति है। सभी परिवर्तनों का अलग-अलग विस्तृत विवरण देकर मैं सदन को उबाना नहीं चाहता। सदा की भांति, पूरा ब्यौरा व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है। इस समय मैं केवल अधिक महत्वपूर्ण मांगों का ही उल्लेख करूंगा।

चालू वर्ष के ६९ करोड़ रुपये की तुलना में, असैनिक (सिविल) प्रबन्ध के अन्तर्गत, राष्ट्र-निर्माण तथा विकास सेवाओं पर, दूसरे शीर्षकों से अन्तरित ३·६ करोंड़ रुपये छोड़ कर, कुल लगभग १२ करोड़ रु० व्यय हो गया। शिक्षा सम्बन्धी धन की व्यवस्था में ६·४ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो बढ़ कर २१·६ करोड़ रुपये हो गयी है। इसमें बुनियादी, सामाजिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये राज्यों को अनुदान देने के लिये १०·४ करोड़ रुपया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये ३·५० करोड़ रुपया और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को वृत्तियां देने के लिये १·५ करोड़ रुपया सम्मिलित है। चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय करने के लिये ४ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है, कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं पर ४ करोड़ रुपया और अधिक खर्च होगा, और इसी प्रकार ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग धंधों के विकास पर १·३ करोड़ रुपया और खर्च होगा। वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये धन की व्यवस्था में २ करोड़ रुपये की और कोयला तथा खनिज पदार्थों का पता लगाने के लिये लगभग १ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। खादी तथा हथकरघा उद्योग के विकास के लिये राजस्व बजट में कुल ६·१ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, किन्तु यह रकम मिल के कपड़े पर लगाये गय विशेष उपकर (सेस) से बनी निधि से दी जायगी।

अभी मैंने २३ करोड़ रुपये की जिस वृद्धि का उल्लेख किया है उसके अलावा, सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं के लिये १.४ करोड़ रुपये की वृद्धि से १२·९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये ३·४

करोड़ रुपये की वृद्धि करके १०.२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को दिये जाने वाले अनुदान और सामाजिक तथा नैतिक आरोग्यसाधन पर होने वाले व्यय में १·६ करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। वृद्धि वाली दूसरी मदें हैं—वित्त आयोग के पंचाट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्यों को अनुदान देने के लिये ५ लाख रुपये और वन विकास पर खर्च करने के लिये १·८ करोड़ रुपये।

असैनिक (सिविल) व्यय की शेष वृद्धि में २.७ करोड़ रुपया, पूर्व बंगाल से विस्थापितों का निरन्तर आना जारी रहने के कारण, विस्थापितों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का है, १.४ करोड़ रुपया निर्वाचन सम्बन्धी व्यय का और शेष अन्य मदों के अन्तर्गत परिवर्तन होने का वास्तविक परिणाम है।

चालू साल के बजट में २२३·३ करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिये धन की व्यवस्था की गयी थी। इसमें २९ करोड़ रुपया उन सरकारी व्यापारिक योजनाओं का भी सम्मिलित है जिनका सम्बन्ध अधिकांश में अन्न से है। अनुमान है कि अब इन योजनाओं से, मुख्यतः कम परिमाण में गेहूं और चीनी का आयात करने से ११ करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होगी। अब अनुमान है कि रेलों के सम्बन्ध में लगभग ७२ करोड़ रुपये का पूंजी-परिव्यय होगा, जबकि बजट की रकम ६६ करोड़ रुपये थी, किन्तु कई अन्य मदों में व्यय में कमी होने से यह वृद्धि न केवल बराबर हो गयी, बल्कि कुछ अधिक प्राप्ति हो गयी। इस प्रकार विस्थापितों को नकद रुपया में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में, बजट की १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था में ६ करोड़ रुपये की बचत दिखलायी गयी है। संशोधन अनुमानों के आधार पर चालू वर्ष का पूंजी-परिव्यय अब १७० करोड़ रुपया रखा गया है।

आगामी वर्ष के लिये ३१६·७ करोड़ के पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है जिसमें ९·५ करोड़ रुपया सरकारी व्यापारिक योजनाओं के लिये, अधिकांश में केन्द्रीय भण्डार (सेण्ट्रल रिज़र्व) के निमित्त अन्न की हमारी सामान्य खरीद के हेतु है।

रेलों के पूंजी-परिव्यय के लिये चालू वर्ष के ७२ करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में ११३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के तीनों इस्पात संयन्त्रों (कारखाने की मशीनों) के लिये ४४ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। जीवन बीमा निगम (लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन) में लगाने के लिये ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निगम की स्थापना जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय होने के बाद की जा रही है। अनुमान है कि विस्थापित व्यक्तियों को नकद क्षतिपूर्ति के रूप में २० करोड़ रुपया दिया जायगा। आगामी वर्ष, प्रतिरक्षा-व्यवस्था के पूंजी-परिव्यय में ६ करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

पूंजी-परिव्यय की व्यवस्था के अतिरिक्त अनुमानों में, चालू वर्ष की ३५५ करोड़ रुपये की मूल बजट-व्यवस्था की तुलना में, राज्य सरकारों और दूसरों को, अधिकांश में योजना सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के हेतु ऋण रूप में देने के लिये इस साल की ३२७ करोड़ रुपये की संशोधित राशि सम्मिलित है। अगले साल इन कार्यों के लिये ३८६ करोड़ की व्यवस्था की गयी है। माननीय सदस्यों को इन ऋणों का सविस्तार विवरण व्याख्यात्मक ज्ञापन में मिलेगा।

योजना के सम्बन्ध में, राजस्व और पूंजी खाते से विशाल और वृद्धिशील परिव्यय के कारण यथासम्भव अधिक से अधिक मितव्ययता करने और विलम्ब तथा अकुशलता के कारण होने वाली बरबादी से बचने के प्रश्न का महत्व बढ़ जाता है। माननीय सदस्य इस प्रश्न के सम्बन्ध में स्वभावतः गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं और कर-व्यवस्था जांच आयोग ने भी इस बात की आवश्यकता बतलायी थी कि सार्वजनिक व्यय के समस्त प्रश्न पर, केन्द्रीय सरकार और राज्यों में भी सावधानी के साथ पूरी-पूरी छानबीन की जानी चाहिये। जैसा कि मैंने अनेक अवसरों पर बताया है, हम व्यय की वृद्धि पर बराबर दृष्टि रखते हैं और जहां सम्भव होता है वहां व्यय पर दैनिक नियंत्रण के

[श्री सी० डी० देशमुख]

अंग के रूप में हम मितव्ययता करते हैं। स्वराष्ट्र और वित्त मंत्रालयों के अधीन स्थापित हमारे यहां एक मितव्ययता एकक (इकोनौमी यूनिट) है, जो विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयों की कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकताओं का निरन्तर पुनर्निर्धारण करता है और मन्त्रिमण्डल सचिवालय (केबिनेट सेक्रेटेरिएट) में एक ही संगठन एवं प्रणाली (आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स) प्रभाग है, जो विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों के संगठन और प्रणालियों की निरन्तर समीक्षा करता है जिससे अलाभपूर्ण प्रणालियों से होने वाली बरबादी से बचा जा सके। मितव्ययता करने की दिशा में हमें अनुमान समिति (एस्टिमेट्स कमिटी) से भी सहायता प्राप्त होती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के परिपालन-क्रम में केन्द्र अथवा राज्य में प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय में किसी भी प्रकार की वास्तविक कमी की आशा नहीं की जा सकती। फिर भी आने वाले पांच वर्षों में बढ़ते हुये खर्च की इसी प्रगति से अपव्यय और बरबादी के बहुत से रास्ते खुल जायंगे, इसलिये इस प्रकार के व्यय पर और भी अधिक निगरानी रखने की आवश्यकता है जिससे यह निश्चित हो जाये कि करदाता को सुनियोजित परिव्यय से अधिक से अधिक लाभ होगा। हम लोग आयोजन आयोग (प्लानिंग कमीशन) से परामर्श करते रहे हैं और अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस मामले में कार्रवाई करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उच्च अधिकार प्राप्त एक विशेष समिति नियुक्त की जाय, जिसमें मंत्रिगण तथा केन्द्रस्थित आयोजन आयोग के उप-सभापति रहें और यह समिति विशेष रूप से चुने हुये दलों द्वारा पूरी-पूरी छानबीन की व्यवस्था करे जिसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में चलने वाले बड़े-बड़े योजना कार्यों के क्षेत्र में, राष्ट्रीय विकास परिषद् की सहमति से, निरीक्षण करना भी सम्मिलित हो। ये दल सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जो सम्बद्ध अन्वेषण के प्रत्येक समूह के लिये विशेष रूप से चुने जायंगे, मिला कर बनाये जायंगे और बाहर के विशेषज्ञों से भी इन्हें सहायता दिलायी जा सकती है। जैसे जैसे प्रत्येक जांच के परिणाम का पता लगता जायगा, केन्द्रीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति मितव्ययता करने के लिये प्रस्ताव सूत्रित करने के उद्देश्य से उन पर विचार करेगी जिससे केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्यों द्वारा, आवश्यकतानुसार, उनका परिपालन किया जा सके। जहां आवश्यक जान पड़ेगा वहां मन्त्रिमण्डल का आदेश अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद् का निर्देश ले लिया जायगा। ऐसा लगता है कि इन प्रस्तावों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिये, बहुत करके आयोजन आयोग के अन्तर्गत, मितव्ययता दलों की स्थापना का समावेश किया जा सकता है।

इस प्रसंग में मैं योजना को वित्तपोषित करने के, राज्यों के साधनों के किंचित् सम्बद्ध प्रश्न का उल्लेख करूंगा। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि राज्यों तथा निश्चय ही, केन्द्र के राजस्व बजट सन्तुलित होने चाहियें। यद्यपि निवेश-परिव्यय के लिये उधार लेना उचित है और कुछ समय के लिये ऐसे परिव्यय को वित्तपोषित करने के लिये किसी सीमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था (डेफिसिट फाइनेंसिंग) की आवश्यकता पड़ सकती है, किन्तु साधारण बुद्धि का तकाजा है कि चालू खर्च को कर लगा कर पूरा किया जाय। विकास कार्यों के लिये साधन बढ़ाने के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणाम के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में भी परिवर्तन होता रहना चाहिये। राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे १९५६-५७ के अपने बजट तैयार करते समय इन बातों का ध्यान रखें। राजस्व और पूंजी के बीच व्यय के पुनर्वर्गीकरण से अधिकांश राज्यों के राजस्व बजट को कुछ सीमा तक सहारा मिल सकता है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके हमने इस प्रश्न पर सावधानी से विचार किया है और एकरूपता तथा योजना के लिये आवश्यक विशाल एवं असाधारण व्यय की दृष्टि से हमने राज्यों को सुझाया है कि खर्च की कुछ मदों को राजस्व से पूंजी की तरफ ले जाया जा सकता है, उदाहरण के लिये निश्चित ढंग के २०,००० रुपये या इससे अधिक लागत के स्थायी परिसम्पदों पर होने वाले व्यय को। अन्तिम वित्त आयोग के पंचाट के परिणामस्वरूप साधनों को हस्तान्तरित करने के अलावा, केन्द्र राज्यों को अनुदान देने में भी समर्थ हो सका है, किन्तु इस प्रकार के अनुदान देने का केन्द्र का सामर्थ्य भी उसकी अपनी राजस्व स्थिति पर निर्भर है। जो कुछ भी हो, केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व साधनों के बंटवारे का प्रश्न वित्त आयोग के विचार

का विषय है, जिसके लिये संविधान में निश्चित व्यवस्था है। १९५६-५७ के वर्ष के लिये राज्यों के राजस्व बजट से वित्तपोषित होने वाली योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता वर्तमान प्रणाली के आधार पर दी जा रही है, यद्यपि इस सहायता के एक भाग का, पुनर्गठित एककों में—जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किये गये निश्चय के परिणामस्वरूप आगे चल कर इसी साल अस्तित्व में आयेंगे—अवश्य ही फिर से बंटवारा किया जायगा। १९५६-५७ का वर्ष, उस पंचवर्षीय अवधि का अन्तिम वर्ष होगा जिसके सम्बन्ध में प्रथम वित्त आयोग ने अपने पंचाट में सिफारिशें की हैं। राज्यों को दी जाने वाली सहायता के वर्तमान क्रम को केन्द्र कहां तक जारी रख सकता है या बढ़ा सकता है यह वित्त आयोग के पंचाट पर निर्भर करेगा। राष्ट्रपति ने दूसरे वित्त आयोग के सभापति पद पर श्री के० सन्तानम की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। आयोग के अन्य सदस्यों की घोषणा शीघ्र ही कर दी जायगी और आशा है आयोग निकट भविष्य में ही अपना कार्य आरम्भ कर देगा। आयोग को पुनर्गठित राज्यों के वित्त-साधनों पर विचार करना होगा और उसकी सिफारिशों को साधारणतः १९५७-५८ से क्रियान्वित किया जायगा। केन्द्रीय अनुदानों और केन्द्रीय करों के वितरण के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के आयोग के सामान्य कार्य के अतिरिक्त इससे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह लेने का भी विचार है। इनमें से पहला, जैसा कि मैं ने पिछले बजट भाषण में बताया था, सम्पत्ति-शुल्क की प्राप्तियों का वितरण है जिसके सम्बन्ध में हम अभी, अस्थायी रूप से, पिछले वित्त आयोग द्वारा आयकर के सम्बन्ध में हम बतायी गयी प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा विषय है वे शर्तें, जो राज्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण देने के लिये उपयुक्त रूप से निर्धारित की जा सकती हैं। राज्यों को, उनकी योजना के वित्त-पोषण के लिये बहुत से ऋण दिये जा रहे हैं या दिये जाते रहेंगे। अभी तक प्रत्येक ऋण की शर्तें तदर्थ, अर्थात् उसीं ऋण के सम्बन्ध में निर्धारित हुई हैं और हो सकता है कि कुछ मामलों मैं वे बोझिल जान पड़ी हों। एक स्वतन्त्र समिति, जो राज्य सरकारों के वित्त-साधनों पर विचार करेगी, राज्यों पर पड़ने वाले इन ऋणों के भार का ठीक-ठीक निर्धारण करके उनके औचित्य के सम्बन्ध में भी परामर्श दे सकेगी। इन समायोजनों और वित्त आयोग से इन्हें जो भी राहत मिल सके, यह स्पष्ट है कि राज्यों को, बढ़ते हुये आवर्तक दायित्व को संभालने के लिये, जो वर्तमान तथा भावी योजनाओं के कारण उनके राजस्व बजट पर पड़ेगा, अतिरिक्त कर लगाने पड़ेंगे। इस दिशा में उन्हें कर जांच आयोग द्वारा सुझायी गयी सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि कर जांच आयोग ने तो बहुत ही छोटी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कल्पना की थी।

चालू वर्ष के बजट में ३२७ करोड़ रुपये के सम्पूर्ण घाटे को राजकोष हुण्डियों से पूरा करने की व्यवस्था थी। संशोधित अनुमानों के आधार पर, अब आशा है कि सम्पूर्ण घाटा २२२ करोड़ रुपये का रह जायगा। चूंकि वर्ष का पूर्व शेष ५० करोड़ रुपये की न्यूनतम रकम से लगभग १८ करोड़ रुपये कम था, इसलिये राजकोष हुण्डियों का विस्तार लगभग २४० करोड़ रुपये तक पहुंचेगा।

पिछले वर्ष केन्द्रीय और राज्य सरकारों की आवश्यकतापूर्ति के लिये एक संयुक्त ऋण जारी किया गया था, किन्तु इस वर्ष केन्द्र और राज्यों द्वारा अलग-अलग ऋण लिये जाने की सामान्य प्रणाली का अनुसरण किया गया। केन्द्रीय सरकार ने १० वर्षीय ऋण, साढ़े तीन प्रतिशत राष्ट्रीय योजना ऋण-पत्र—द्वितीय क्रम, जारी किया। यह ऋण १०० करोड़ रुपये का था और इससे पूरा रुपया प्राप्त हुआ और १०३·७ करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकार की गयी। छोटी बचतों में भी काफी प्रगति हुई है और अनुमान है कि ६५ करोड़ रुपये की रकम इकट्ठी हो जायगी, जबकि बजट में ५२ करोड़ रुपये के संग्रह का अनुमान किया गया था। यद्यपि अब तक प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है, अगली योजना के लिये निश्चित किया गया कार्य बहुत बड़ा है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने योजना के प्रालेख में देखा होगा, दूसरी योजना की अवधि में ५०० करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है, और यह रकम चालू योजना के लक्ष्य की दुगुनी से भी बड़ी है। छोटी बचतों के आन्दोलन को बढ़ाने के लिये सरकार बहुत से उपाय कर रही है। देहात में पंचायतों, यूनियन बोर्ड के अध्यक्षों और ग्राम पाठशालाओं के शिक्षकों के माध्यम का उपयोग किया

[श्री सी० डी० देशमुख]

जा रहा है। केन्द्रीय परामर्श समिति के तत्वावधान मे महिला बचत आन्दोलन बराबर प्रगति कर रहा है और बचत-पत्रों की बिक्री के लिये १५० से अधिक स्वेच्छासेवी सामाजिक तथा महिला संगठनों को एजेण्ट नियुक्त किया गया है राज्य सरकारें इस आन्दोलन में सहयोग दे रही हैं और इनमें से कुछ ने, राष्ट्रीय बचत संगठनों के सहयोग तथा सामंजस्य से, छोटी-छोटी रकमें बचाने के आन्दोलन को बढ़ाने के लिये विशेष कार्यालय स्थापित किये हैं। आन्दोलन में सहायता देने के लिए राज्य तथा ज़िला स्तर की परामर्श समितियां बनायी जा रही हैं और सभी कार्यालयों तथा संगठनों में बचत समूह प्रणाली जारी करने का विचार है। फिर भी, दूसरी योजना का ऊंचा लक्ष्य तभी सिद्ध हो सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूरा-पूरा और हार्दिक सहयोग प्रदान करे। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि यह राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे आशा है कि सभी लोग इसमें उन्मुक्त भाव से पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। अतएव मैं प्रत्येक व्यक्ति से एक बार फिर अपील करता हूं कि वह अपना धन बचा कर छोटी-छोटी बचतों में लगाने का और भी अधिक प्रयत्न करे और इस प्रकार योजना के सफल परिपालन में अपने हिस्से का योग दे।

अर्थोपाय स्थिति में इस वर्ष सुधार होने का अधिकतर कारण राजस्व खाते में अधिशेष और पूंजीगत व्यय में बचत और राज्य सरकारों तथा अन्यों को दिये गये ऋण हैं जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। अब अनुमान है कि इस वर्ष विदेशी सहायता की रकम, बजट के ७४ करोड़ रुपये की रकम की तुलना में लगभग ५६ करोड़ रुपये होगी, किन्तु अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत सुधार होने से यह कमी न केवल पूरी हो गयी, बल्कि प्राप्ति में कुछ वृद्धि हो गयी। इस वर्ष दो ऋणों का परिशोधन आवश्यक था और दोनों को ६९ करोड़ रुपये की रकम से पूरी तरह चुका दिया गया।

आगामी वर्ष का सम्पूर्ण घाटा लगभग ३९० करोड़ रुपया आंका गया है। इस कमी का कारण राजस्व और पूंजी बजटों में विकास-व्यय के लिये धन की और अधिक व्यवस्था करना है। अगले साल के लिये १०० करोड़ रुपये के एक नये ऋण को सम्मिलित कर लिया गया है। सम्भवतः आगामी वर्ष छोटी-छोटी बचतों से ७० करोड़ रुपया और विदेशी सहायता से ८५ करोड़ रुपया प्राप्त होगा। अगले साल कोई ऋण नहीं पकेगा। 'देय ऋण प्रेषणाएं' शीर्षक के अधीन अन्य विविध लेन-देनों को ध्यान में रखते हुये, सम्पूर्ण घाटे को पूरा करने के लिये, इन अनुमानों के आधार पर, राजकोष हुंडियों में ३९० करोड़ की वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी।

आगामी वर्ष की अर्थोपाय स्थिति का सारांश यह है : सरकार को राजस्व की कमी की पूर्ति के लिये ५२ करोड़ रुपये की और पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों और अन्यों की ऋणसम्बन्धी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिये ७०३ करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति के लिये उसे बाजार ऋण से १०० करोड़ रुपये और छोटी बचतों से ७० करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। आगामी वर्ष के लिये प्रत्याशित विदेशी सहायता की रकम ८५ करोड़ रुपये है तथा अन्य विविध ऋणों और प्रेषण लेन-देनों से ११० करोड़ रुपये की प्राप्ति हो सकती है। इसके, बजट को सन्तुलित करने में, प्राप्त साधनों में ३९० करोड़ रुपये की कमी रह जायगी।

अब मैं आगामी वर्ष के लिये बजट प्रस्तावों को ले रहा हूं।

आगामी वर्ष की स्थिति, संक्षेप में, इस प्रकार है कि राजस्व खाते का घाटा ५१·८३ करोड़ रुपये आंका गया है और सम्पूर्ण घाटा ३९० करोड़ रुपये का। तात्कालिक प्रश्न यह है कि इस घाटे का कितना भाग अतिरिक्त करों से पूरा किया जाय।

मैंने राजस्व और पूंजी के मध्य व्यय के पुनर्वर्गीकरण के प्रश्न का पहले उल्लेख किया है। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि केन्द्र में हम पहले ही, कुछ समय के लिये, राज्यों को दिये जाने वाले अनेक अनुदानों को पूंजी में दिखलाते हैं, किन्तु वर्गीकरण के नियमों को अनुचित रूप से तोड़े-मरोड़े बिना राजस्व

से पूंजी की ओर और अधिक अन्तरण करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। मुझे यह भी विश्वास है कि योजना के परिपालन के लिये केन्द्र तथा राज्यों की प्रबन्ध-व्यवस्था के बहुत कुछ ठीक-ठाक हो जाने से हाल के वर्षों के व्यय में जो कमियां हुई हैं वे घटती जायंगी। आगामी वर्ष के अनुमान यथासम्भव सावधानी के साथ बनाये गये हैं : विशेषत:, जिन शीर्षकों में बराबर बचत दिखाई दी है उनके अन्तर्गत काफी कमी कर दी गयी है और विभिन्न विकास योजनाओं के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों की व्यवस्था, उन योजनाओं को वित्तपोषित करने के हेतु, प्रयोजनीय साधनों का अपना हिस्सा प्राप्त करने की राज्यों की क्षमता के समुचित निर्धारण के आधार पर की गयी है। इसलिये यद्यपि निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि कमियां बिलकुल दूर हो जायंगी या राजस्व-अनुमानों में परिवर्तन नहीं होंगे, फिर भी, अतीत की अपेक्षा घट-बढ़ की सीमा में कुछ कमी हो जाने की सम्भावना है। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि अगले साल की कुछ मांगों में जो कटौती हुई है वह भारी सिद्ध हो सकती है। मैं इस सिद्धान्त को फिर दोहराये बिना नहीं रह सकता कि जहां तक हो सके चालू खर्च को चालू करों से ही पूरा किया जाना चाहिये। इसलिये अगले साल राजस्व के घाटे को, यदि पूरी तरह नहीं, तो कम से कम काफ़ी सीमा तक कम करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त कर लगाने के मेरे प्रस्तावों का सम्बन्ध इसी उद्देश्य से है।

सब से पहले मैं उन परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा जो मैं सीमा-शुल्कों में करना चाहता हूं।

आयात-शुल्कों के सम्बन्ध में कई छोटे-छोटे परिवर्तन किये जा रहे हैं और मैं उनमें से केवल कुछ का ही उल्लेख करूंगा। शीशे में लगाने के काम आने वाले तरल सोने (लिक्विड गोल्ड) का आयात-शुल्क ३१ १/४ प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर ६२ १/२ प्रतिशत किया जा रहा है। बैटरी की बत्तियों (फ्लैश-लाइट) और उसके खोलों का आयात-शुल्क ३९ ३/८ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत किया जा रहा है। इन परिवर्तनों से इन वस्तुओं के देशी उद्योग-धन्धों को लाभ पहुंचेगा। खनिज तेल सम्बन्धी आयात-शुल्क सूची की मदों में भी कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं जिनका मुख्य उद्देश्य वर्तमान शीर्षकों को वैज्ञानिक संगति देना है। चश्मे के फ्रेमों और उनके हिस्सों से सम्बन्ध रखने वाली आयात-शुल्क सूची में भी संशोधन किया जा रहा है जिससे इस मद के अन्दर पूरे चश्मे भी आ जायें। इन प्रस्तावित परिवतनों से राजस्व में लगभग १ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी।

निर्यात-शुल्कों के सम्बन्ध में जो एकमात्र परिवर्तन मैं करना चाहता हूं उसका उद्देश्य चाय उद्योग को राहत पहुंचाना है। सदन को स्मरण होगा कि पिछले साल चाय के सम्बन्ध में निर्यात-शुल्क की एक खण्ड प्रणाली जारी की गयी थी। उस प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा यह इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता। इस बीच कई बातों से, जिन में अपेक्षाकृत अधिक और तीव्र विदेशी प्रतिस्पर्धा भी सम्मिलित है, १९५५ में हमारे चाय-निर्यात को ठेस पहुंची है। इसलिये इस उद्योग को कुछ राहत पहुंचाने और बीच दर्जे की चाय कि निर्यात बढ़ाने के लिये मेरा विचार है कि प्रति पौण्ड ३ रुपये ४ आने से लेकर ४ रुपये मूल्य तक के खण्ड का वर्तमान शुल्क २ आना प्रति पौण्ड घटा दिया जाय, अर्थात् ८ आना प्रति पौण्ड की वर्तमान दर से घटा कर ६ आना प्रति पौण्ड कर दिया जाय। इसका प्रभाव यह होगा कि प्रति पौण्ड २ रुपये ८ आने से ले कर ४ रुपये मूल्य तक की सभी किस्म की चाय पर ६ आना प्रति पौण्ड का समान शुल्क लग जायगा। एक अधिसूचना द्वारा, जो तत्काल जारी की जा रही है, इस परिवर्तन को लागू किया जा रहा है। निर्यातों के वर्तमान क्रम के आधार पर अनुमानत: लगभग १ करोड़ रुपये की राजस्वहानि होगी।

उत्पादन-शुल्कों में, मैं पहले वर्तमान शुल्कों के परिवर्तनों का उल्लेख करूंगा। मेरा मुख्य प्रस्ताव सभी किस्मों के सूती कपड़े पर लगे शुल्कों में ६ पाई प्रति वर्ग गज की वृद्धि करना है किन्तु मोटे कपड़े की धोतियों और साड़ियों पर लगे शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर जांच आयोग (टैक्सेशन इनक्वायरी कमिशन) ने सभी किस्मों के सूती कपड़ों पर लगे शुल्कों में वृद्धि करने की सिफारिश की थी

[श्री सी० डी० देशमुख]

और उसी के आधार पर मैंने पिछले साल के वित्त विधेयक में बीच के दर्जे के और मोटे सूती कपड़े पर लगे शुल्कों को ६ पाई प्रति वर्ग गज से बढ़ा कर एक आना प्रति वर्ग गज कर देने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु इस विषय में उस समय कहा गया कि कुछ समय से कृषि पदार्थों के मूल्य गिर रहे हैं और ग्रामीण जनता में क्रय शक्ति कम है। उस समय मिलों से भी कपड़े की निकासी घट गयी थी और उनके पास अनबिके कपड़े के भारी स्टाक जमा हो गये थे। फलतः प्रस्ताव वापस ले लिया गया। किन्तु उसके बाद स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। यद्यपि मिलों में बने सूती कपड़े का उत्पादन-स्तर पहले के सभी स्तरों से ऊंचा उठ गया है मिलों से कपड़े की निकासी भी क्रमशः बढी है। कपड़े की बढ़ती हुई मांग की पृष्ठभूमि में, इस स्थिति में और अधिक सुधार होने की सम्भावना है। कृषि पदार्थों के मूल्य भी बढ़े हैं। सभी प्रासंगिक बातों पर अच्छी तरह विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बीच के दर्जे और मोटे कपड़े के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि करना सर्वथा उचित है। अनुमान है कि प्रस्तावित वृद्धि से १४ १/२ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

साबुन, स्ट्राबोर्ड (घास की लुगदी से बने गत्ते) और आर्ट सिल्क (नकली रेशम) के कपड़ों के वर्तमान उत्पादन-शुल्कों के सम्बन्ध में भी मैं छोटे-छोटे परिवर्तन करना चाहता हूं।

साबुन पर लगने वाला शुल्क अभी तक उसी साबुन पर लगता है जो शक्ति (बिजली) की सहायता से बनाया जाता है। यह शुल्क पहले-पहल त्योरस लगाया गया था और तब से अब तक जो जांच-पड़ताल हुई है उससे पता लगा है कि बिजली की सहायता के बिना चलने वाले कारखाने काफी परिमाण में साबुन बना रहे हैं। इनमें से अपेक्षाकृत कुछ बड़े कारखाने बिजली से चलने वाले अपेक्षाकृत छोटे कारखानों के साथ खासा मुक़ाबला कर रहे हैं। इसलिये मैंने बिजली की सहायता के बिना चलने वाले कारखानों पर नये उत्पादन-शुल्क लगाने का विचार किया है जिनकी दरें बिजली की सहायता से चलने वाले कारखानों पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क की वर्तमान दरों से कुछ कम होंगी। छोटे पैमाने पर चलने वाले कारखानों को भी शुल्क से मुक्त करने के सम्बन्ध में यह विचार है कि बिजली की सहायता के बिना चलने वाले कारखानों को, बिजली से चलने वाले कारखानों की अपेक्षा कुछ अच्छी स्थिति में रखा जाय।

अभी तक स्ट्राबोर्ड उत्पादन-शुल्क से मुक्त है। जांच-पड़ताल से पता लगा है कि इस मुक्ति का कोई औचित्य नहीं है। स्ट्राबोर्ड और सस्ते मिलबोर्ड, अर्थात् लकड़ी की लुगदी से बने गत्ते एक दूसरे के साथ होड़ कर रहे हैं। कुछ सुसंगठित कारखाने, जिन्हें किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, काफी परिमाण में स्ट्राबोर्ड तैयार कर रहे हैं। इसलिये मैं स्ट्राबोर्ड पर उसी दर से शुल्क लगाना चाहता हूं जो अभी मिलबोर्ड पर लागू है, अर्थात् ६ पाई प्रति पौंड। छोटे उत्पादक को राहत देने के हेतु सरकारी अधिसूचना के आधार पर मैं किसी भी निर्माता द्वारा, वित्तीय वर्ष की अवधि में स्ट्राबोर्ड और सस्ती किस्म के मिल-बोर्ड की पहले ५०० टन की निकासी को शुल्क से मुक्त कर देना चाहता हूं।

आर्ट सिल्क के कपड़ों के सम्बन्ध में यह देखा गया है कि जिन कारखानों में २४ से अधिक करघों से काम नहीं लिया जाता उनको शुल्क-मुक्ति मिलने से उनकी स्थिति सूती या ऊनी कपड़े बनाने वाले छोटे-छोटे कारखानों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छी हो गयी है। इससे उन्हें कर देने वाले उद्योग धन्धों से अनुचित प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति प्राप्त हो गयी है। इसलिये मैंने इस मुक्ति को, इसके वर्तमान रूप में समाप्त कर देने का विचार किया है। एक सरकारी अधिसूचना द्वारा इसके रूप में परिवर्तन किया जा रहा है जिससे किसी भी निर्माता को पहले ९ करघों के उत्पादन पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

इन छोटे-छोटे परिवर्तनों से ५० लाख रुपये की वृद्धि हो जायगी।

नये उत्पादन-शुल्कों के लिये मैं केवल दो मदें ले रहा हूं और ये हैं——असारीय निर्गन्ध वनस्पति तेल (वेजिटेबल नान-एसेंशल आयल), और सभी प्रकार के डीजल तेल, वाष्पकारी तेल (वेपराइजिंग आयल) और भट्ठी के काम के तेल (फरनेस आयल)।

कर जांच आयोग (टैक्सेशन इन्क्वायरी कमिशन) ने उत्पादन-शुल्क लगाने के लिये जिन वस्तुओं की सिफ़ारिश की थी उनकी सूची में असारीय निर्गन्ध वनस्पति तेल भी दिये गये हैं। इसलिये मैं इस प्रकार के सभी तेलों पर आध आना प्रति पौंड का उत्पादन-शुल्क लगाना चाहता हूं। यह शेल्क केवल उन्हीं कारखानों पर लगाया जायगा, जो बिजली की सहायता से चलते हैं। इन में से भी, अधिसूचना द्वारा, किसी भी कारखाने से देश के अन्दर होने वाली खपत के लिये प्रति वर्ष पहले १२५ टन की निकासी को शुल्क से मुक्त कर दिया जायगा। इससे यह सुनिश्चित हो जायगा कि सभी घानियां और दूसरे छोटे २ कारखाने शुल्क देने से बच जायंगे। इससे ५ १/२ करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है।

अनुमान है कि बम्बई के तेल साफ़ करने के नये कारखानों में शीघ्र ही, देश की अपनी आवश्यकता से अधिक डीजल तेल और जलाने के दूसरे तेल बनने लगेंगे। इसलिये इन तैलों के आयात-शुल्क का स्थान उत्पादन-शुल्क को ले लेना चाहिये। जो उत्पादन-शुल्क मैं लगाना चाहता हूं वे इस प्रकार हैं—मुख्यतः भारी मोटर गाड़ियों के काम आने वाले 'हाई स्पीड' डीजल और वाष्पकारी तेल पर ४ आने प्रति गैलन और दूसरे डीजल तेलों तथा भट्टी के काम आने वाले तेलों (फरनेस आयल) पर क्रमशः ३० रुपये प्रति टन और १५ रुपये प्रति टन। इन नये शुल्कों से ४ १/२ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।

जहां आवश्यक होगा वहां प्रतिसंतुलनकारी सीमा-शुल्क लगाये जायंगे।

उत्पादन-शुल्कों में परिवर्तन करने से २५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अब मैं आय-कर का उल्लेख करूंगा। व्यक्तिगत कर-निर्धारण में मैं जो एकमात्र परिवर्तन करना चाहता हूँ वह है ७०,००० रुपये से अधिक की आमदनियों पर दिये जाने वाले अधि-कर (सुपर टैक्स) का ऊपर की ओर थोड़ा समायोजन, अर्थात थोड़ी सी वृद्धि। इस समायोजन से सब से ऊंचे खण्ड की आमदनियों, अर्थात् १,५०,००० रुपये से ऊपर की आमदनियों पर अधिकर ९१·९ प्रतिशत होगा, जबकि वर्तमान दर ८८·६ प्रतिशत है। इससे लगभग १ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता दूं कि कर जांच आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि आमदनी के सब से ऊंचे खण्ड पर लगभग ८६ प्रतिशत से अधिक कर न लगाया जाना चाहिये। किन्तु उसने साथ ही यह सिफ़ारिश भी की थी कि कर की इस दर के अतिरिक्त, २५,००० रुपये की आय पर क्रमशः बढ़ती हुई दर से अधिभार-सहित-अनिवार्य जमा (सरचार्ज-कम-कम्पल्सरी डिपाजिट) लगाया जाना चाहिये—अधिभार (सरचार्ज) के रूप में अधिकतम दर ५·६ प्रतिशत—और इतनी ही रकम जमा के रूप में। किन्तु आयोग की योजना में यह निर्दिष्ट किया गया था कि कुछ शर्तों के साथ, अधिभार के मुक़ाबले लम्बी अवधि, जैसे कि ४५ वर्ष के लिये, नाममात्र की ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिये और ४५ वर्ष बाद जमा रकम ब्याज सहित परिशोध्य होनी चाहिये। इस प्रकार किसी एक वर्ष में करदाता को जो वास्तविक अतिरिक्त रक़म देनी पड़ेगी उसका प्रतिनिधित्व इनमें से केवल एक द्वारा हो जाता है। कर-भार के रूप में आयोग की सिफ़ारिश का परिणाम ८६+५·६ प्रतिशत कर है, अर्थात् आय के सबसे ऊंचे खण्ड पर लगभग ९२ प्रतिशत। इन आमदनियों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्तावों से भी यही स्थिति रहेगी।

मैं पंजीकृत (रजिस्टर्ड) फर्मों पर भी कर लगाना चाहता हूं। आयकर अधिनियम दो प्रकार के भागीदारी फर्मों को ही वैध मानता है जो रजिस्टर्ड हैं और जो रजिस्टर्ड नहीं। रजिस्टर्ड फर्मों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि फर्म पर कोई कर नहीं लगाया जाता, किन्तु भागीदारों के हाथ में पहुंचे हुये इसके लाभ पर, भागीदारों के हिस्सों के अनुसार उन पर व्यक्तिगत रूप से कर लगने वाली दर के हिसाब से कर लगाया जाता है। अनरजिस्टर्ड, अर्थात् जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उन पर फर्म के एक रूप में उन्हीं दरों पर कर लगाया जाता है, जो व्यक्तिगत आमदनियों के सम्बन्ध में लागू होती हैं। इस प्रकार अनरजिस्टर्ड भागीदारों की अपेक्षा रजिस्टर्ड भागीदार लाभ में रहते हैं

[श्री सी० डी० देशमुख]

और साथ ही कोई निगम कर (कारपोरेशन टैक्स) भी नहीं देते, जो कम्पनियों को देना पड़ता है। मेरे विचार से इस प्रकार के रजिस्टर्ड फर्मों पर थोड़ा सा कर लगाना उचित होगा। मेरा प्रस्ताव है कि ऐसे कर की दर ७५,००० रुपये तक ९ पाई प्रति रुपया, १,५०,००० रुपये तक एक आना प्रति रुपया और इससे ऊपर की रकमों पर डेढ़ आना प्रति रुपया होनी चाहिये। फर्म के भागीदारों को, आय कर के प्रयोजन के लिये, इस कर के अपने आनुपातिक अंशों के लिये छूट मिलेगी, किन्तु अधिकर के प्रयोजन के लिये कोई छूट नहीं मिलेगी। जिससे कि छोटी-छोटी भागीदारियों पर इसका प्रभाव न पड़े, मैं ४०,००० रुपये तक की आमदनियों को कर से मुक्त रखना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में, जिन रजिस्टर्ड फर्मों की आमदनी ४०,००० रुपये या इससे कम है उन्हें यह नया कर नहीं देना पड़ेगा। अनुमान है कि इस कर से राजस्व में १ करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

प्रत्यक्ष करों का दूसरा क्षेत्र है निगमों (कारपोरेशन) पर लगने वाले कर। हमारे प्रत्यक्ष करों का आधा भाग इसी स्रोत से प्राप्त होता है और पिछले पांच वर्षों में कम्पनी करों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार जो विकास-व्यय हुआ है और द्वितीय योजना पर और भी अधिक व्यय करने का विचार है, उसको देखते हुये, मेरे विचार से कम्पनियों पर थोड़ा अतिरिक्त भार डालना पर्याप्त रूप से उचित होगा। इसलिये मैं तीन परिवर्तन करना चाहता हूं। पहला यह कि इस समय अनबंटे लाभ के सम्बन्ध में धारा २३-क की कम्पनियों के अलावा दूसरी कम्पनियों को आय-कर पर जो एक आने की छूट मिलती है वह बन्द कर दी जायगी। दूसरा यह कि भारतीय कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले अधिकर (सुपरटैक्स) की दर ज्यों की त्यों तो रहेगी, किन्तु, इसके अलावा, उनके द्वारा एक सीमा से आगे, अर्थात् ६ प्रतिशत लाभांश घोषित किये जाने पर उस लाभांश पर क्रमशः बढ़ता हुआ अधिकर लिया जायगा। मेरे विचार से यह दर, प्राप्त हिस्सा पूंजी (पेड-आप केपिटल) के ६ प्रतिशत से अधिक, किन्तु १० प्रतिशत तक के वितरण पर २ आना प्रति रुपया होनी चाहिये। इस प्रकार पूंजी के १० प्रतिशत से अधिक के वितरण पर अतिरिक्त अधिकर ३ आना प्रति रुपया होगा। तीसरा यह कि सभी बोनस-निर्गमों पर २ आने का कर लगाया जायगा। मैंने कर जांच आयोग की इस सिफारिश का समुचित ध्यान रखा है कि बोनस-हिस्सों पर कोई कर न लगना चाहिये। किन्तु मेरे विचार से इस प्रकार का कर लगाना पर्याप्त रूप से उचित है और यह उस योजना का एक अविच्छिन्न अंग है जिसे मैंने प्रस्तावित किया है।

प्रसंगतः, इस अवसर पर मैं उस क्रम को भी समाप्त करना चाहता हूं जिसे हमने १९५३ में प्रारम्भ किया था। वह क्रम था किसी विदेशी कम्पनी द्वारा, जो अपनी शाखा की मार्फत काम-काज करती है, दिये जाने वाले कर और एक सहायताकारी भारतीय कम्पनी की मार्फत काम करने वाली दूसरी कम्पनी—जो अपने सम्पूर्ण लाभ को लाभांश के रूप में विदेशी मूल (पेरेण्ट) कम्पनी के पास भेज देती है—द्वारा दिये जाने वाले कर के बीच समानता स्थापित करना। इस का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि अपनी शाखा की मार्फत काम करने वाली विदेशी कम्पनी द्वारा दिया जाने वाला कर ५३ प्रतिशत से बढ़ कर ६२ प्रतिशत हो जायगा।

एक और परिवर्तन मैं यह करना चाहता हूं कि पूरी तरह से या मुख्य रूप से निवेश कार्य (इन्वेस्टमेण्ट्स) करने वाली, धारा २३-क कम्पनी द्वारा दिये जाने वाले दण्ड अधिकर में वृद्धि कर दी जाय। मेरा विचार है कि इसे, अनबंटे लाभों की रक़म पर, रुपये में चार आने की वर्तमान दर से बढ़ा कर रुपये में आठ आना कर दिया जाय। धारा २३-क की दूसरी कम्पनियों पर लागू होने वाली दर ज्यों की त्यों रहेगी।

निगम कर में ये सब परिवर्तन करने का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि राजस्व में लगभग ८ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी। मुझे यह आशा भी है कि प्रस्तावित योजना से कुछ सीमा तक मुद्रा-बाहुल्य विरोधी प्रभाव पड़ेगा

इनके अतिरिक्त वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) में बहुत से दूसरे प्रस्ताव हैं जिन में से कुछ से करदाता को मिलती है और कुछ प्रस्तावों का उद्देश्य अपवंचन के द्वार बन्द कर देना है। सामान्यतः उनके द्वारा कर जांच आयोग की कुछ सिफारिशों का परिपालन किया गया है। मैं इन संशोधनों का ब्यौरा देकर सदन को उबाना नहीं चाहता, किन्तु सदस्यों की सुविधा के लिये मैंने बजट-पत्रों के साथ एक ज्ञापन लगा दिया है जिसमें विधेयक के उपबन्धों की विस्तार से व्याख्या की गयी है।

इस अवसर पर मैं इनमें से केवल एक संशोधन का उल्लेख करूंगा। सदन को स्मरण होगा कि उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा अनुसन्धान आयोग अधिनियम (इन्वेस्टिगेशन कमिशन ऐक्ट) की धारा ५ (४) के अवैध घोषित कर दिये जाने के कुछ समय बाद ही हम ने १७ जुलाई १९५४ को एक अध्यादेश जारी कर के आय कर अधिनियम में एक नयी धारा ३४ (१-क) का अधिनियम इसलिये किया कि हम उन मामलों को हाथ में ले सकें जिन्हें अवैध घोषित किये गये उपबन्ध के अनुसार चलाया गया था। इस अध्यादेश के अनुसार, जिसे बाद में संसद् द्वारा विधि का रूप दे दिया गया था, हम ने महायुद्ध के वर्षों के कर-अपवंचन के १ लाख रुपये से अधिक के सभी मामलों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त किया था। विधि के अनुसार इस अधिकार का प्रयोग केवल ३१ मार्च, १९५६ तक किया जा सकता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने दो निर्णय दिये हैं—एक अक्तूबर, १९५४, में जिस में अनुसन्धान आयोग अधिनियम की धारा ५ (१) को १७ जुलाई, १९५४ से अवैध घोषित किया गया है और दूसरा दिसम्बर, १९५५ में, जिस में इस धारा को २६ जनवरी, १९५० से अवैध घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभाग को फिर उन बहुसंख्यक मामलों को लेना पड़ेगा जिनके सम्बन्ध में अनुसन्धान आयोग ने पहले कार्रवाई की थी। अपने विधि सम्बन्धी परामर्शदाताओं के साथ हमने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न परिस्थिति पर सावधानी से विचार कर लिया है। परिणाम स्वरूप, अब यह विचार किया गया है कि विधि के वर्तमान उपबन्धों का फिर से प्रालेख तैयार किया जाय जिस से विभाग पुराने मामलों में फिर कार्रवाई कर सके। अधिकांश में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है—एकमात्र अन्तर यही है कि वर्तमान विधि के अनुसार, विभाग आठ वर्ष से अधिक के अपवंचन के मामलों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ तक ही अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है, जबकि प्रस्तावित संशोधन में कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा रही है। यह तीन कारणों से किया जा रहा है; पहला यह कि चूंकि उच्चतम न्यायालय का सबसे हाल का निर्णय दिसम्बर, १९५५ में हुआ है इसलिये विभाग के लिये यह सम्भव नहीं है कि उसके बाद के तीन महीने की छोटी सी अवधि में वह सभी नोटिस जारी कर दे; दूसरा यह कि बहुत से उच्च न्यायालयों में स्वयं धारा ३४(१-क) की वैधता को चुनौती दी जा रही है और यह मालूम नहीं कि इस विषय में हमें अन्तिम निर्णय कब मिलेगा; और अन्तिम यह कि कर जांच आयोग ने सिफारिश की है कि दूसरे देशों की तरह कर-अपवंचन के मामलों में कार्रवाई कर सकने के लिये समय सम्बन्धी कोई सीमा न होनी चाहिये। यह एक वांछनीय सुधार है जिस की बहुत समय से आवश्यकता थी। जब तक कर-अपवंचन की सम्पूर्ण राशि १ लाख रुपये से अधिक न होगी, ८ वर्ष बाद कार्रवाई करने के अधिकार का प्रयोग न किया जायगा और यदि किया जायगा, तो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की स्वीकृति से। इस से यह बात निश्चित हो जायगी कि पूरी पूरी छानबीन हो जाने के बाद ही अधिकारियों का प्रयोग किया जा रहा है और वह भी कर की भारी मात्रा के अपवंचन के सम्बन्ध में। यह भी विचार है कि आय-कर विभाग को तलाशी और खाते तथा कागजपत्र ज़ब्त करने के वे ही अधिकार दिये जायें जो अनुसन्धान आयोग (इन्वेस्टिगेशन कमिशन) को प्राप्त थे और जिन के सम्बन्ध में कर जांच आयोग ने सिफ़ारिश की है कि वे अधिकार विभाग को भी मिलने चाहिएं। पिछले डेढ़ साल के अनुभव से प्रकट हुआ है कि जब तक विभाग को ये अधिकार प्राप्त न हों कर-अपवंचन के मामलों में प्रभावपूर्ण ढंग से अनुसन्धान अर्थात् जांच-पड़ताल करना सम्भव नहीं हैं। मुझे सन्देह नहीं कि सदन बड़े परमाण में कर-अपवंचन को रोकने और उसका पता लगाने के लिये

[श्री सी० डी० देशमुख]

किये जाने वाले उपायों को अपना हार्दिक समर्थन प्रदान करेगा, और मैं सदन को विश्वास दिलाना हूं कि नये अधिकारों का तब तक प्रयोग न किया जायगा जब तक वे बहुत ही आवश्यक न जान पड़ें।

आय कर में इन परिवर्तनों का वास्तविक प्रभाव यह होगा कि राजस्व में १० करोड़ की वृद्धि हो जायगी जिसमें से राज्यों के हिस्से की रकम १·८ करोड़ रुपये होगी।

डाक और तार विभाग की डाक और तार शाखाएं कुछ वर्षों से घाटे पर काम कर रही थीं। ३१ मार्च १९५५ को समाप्त तीन वर्षों की अवधि में डाक शाखा में २२२ लाख रुपये का और तार शाखा में ६५ लाख रुपये का घाटा हुआ है और अनुमान है कि चालू वर्ष में इन दोनों शाखाओं को क्रमशः ४९ लाख रुपये और ८२ लाख रुपये का घाटा रहेगा। इन घाटों के मुख्य कारण ये हैं कि एक ओर तो प्रथम पंच वर्षीय योजना के अनुसार विभाग की विस्तार-योजनाओं के अंग के रूप में घाटा देने वाले डाक घर और तार घर खोले गये और दूसरी ओर अलाभकारी दरों पर महसूल लिये गये। इस समय जो महसूल लिये जाते हैं उनमें से बहुत से सेवा के लागत खर्च से काफी कम हैं। इसलिये सेवा के लागत खर्च ध्यान में रखते हुये डाक और तार की वर्तमान महसूल दरों की समीक्षा की गयी है और परिणामस्वरूप यह निश्चय किया गया है कि डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं की रजिस्ट्रेशन फ़ीस और अन्तर्देशीय तारों की महसूल दरें बढ़ा दी जायें। वर्तमान रजिस्ट्रेशन फ़ीस ६ आना प्रति वस्तु से बढ़ा कर ८ आना प्रति वस्तु कर दी जायगी और अन्तर्देशीय तारों का कम से कम महसूल 'आर्डिनरी' (साधारण) के लिये १२ आने से बढ़ा कर १३ आने और 'एक्सप्रेस' (विशेष) के लिये १ रुपया ८ आने से बढ़ाकर १ रुपया १० आने कर दिया जायगा। तारों की ये बढ़ी दरें वे ही हैं जो १ अप्रैल १९५० से पहले जारी थीं। अनुमान है कि इन वृद्धियों से राजस्व में ९५ लाख रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

प्रस्तावों के वास्तविक प्रभाव का सारांश यह है: सीमा-शुल्कों में परिवर्तन होने से राजस्व पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नये और बढ़े हुये उत्पादन शुल्कों से २५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। आय कर के परिवर्तनों से १० करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा जिसमें से राज्यों का हिस्सा १·८ करोड़ रुपये होगा और डाक महसूलों में परिवर्तन होने से ९५ लाख रुपये की प्राप्ति होगी। परिणाम यह होगा कि केन्द्रीय राजस्व में ३४·१५ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जायगी।

मेरे कर-प्रस्तावों के बाद भी राजस्व खाते में १७·६८ करोड़ रुपये का घाटा रह जायगा यह बड़ी रकम है, किन्तु राजस्व में थोड़ी सी अप्रत्याशित वृद्धि और खर्च में बचत अब भी सम्भव है, इसलिये इसे मैं अपूरित ही छोड़ रहा हूं। मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि आर्थिक विकास की विशालतर योजना से अतिरिक्त कर-उद्यम को जुदा नहीं किया जा सकता। कर जांच आयोग का खयाल था कि योजना पर ३,५०० करोड़ रुपया खर्च होगा। अब योजना का स्वरूप बढ़ गया है, इसलिये अनुरूप मात्रा में कर-उद्यम की आवश्यकता है। आयोग की अवधारणाओं से पता चलता है कि वास्तव में पिछली दो-तीन दशाब्दियों में राष्ट्रीय आय की तुलना में राष्ट्रीय कर-उद्यम में प्रायः कोई वृद्धि नहीं हुई। राष्ट्रीय आय के साथ कर-राजस्व के अनुपात को न्यूनाधिक स्थिर रखने के लिये भी, केन्द्र और राज्यों में, पांच वर्ष की अवधि में, ३५० करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु इस अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाना है। इस वर्ष कर-उद्यम के निमित्त मैंने जो सुझाव दिया है, मेरे विचार से, योजना की आवश्यकताओं को देखते हुये वह कम से कम और उसके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये।

अतिरिक्त करों को मिला कर अगले साल का सम्पूर्ण घाटा ३५६ करोड़ रुपये रहेगा। घाटे की अर्थ-व्यवस्था (डेफिसिट फाइनेंसिंग) की सीमितता के सम्बन्ध में मैंने पहले जो कुछ कहा है, मेरे विचार से उसका ध्यान रखना आवश्यक है। इस समय अर्थ-व्यवस्था (इकोनौमी) में कोई ऐसी भारी शिथिलता रह नहीं गयी जिसके कारण, जितना उचित है, उसके अधिक घाटे की अर्थ-व्यवस्था करने को उचित ठहराया जा सके। विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, एक सीमा तक घाटे की अर्थ-व्यवस्था न केवल ग्राह्य,

अपितु वांछनीय भी है। ग्राह्यता की सीमा के सम्बन्ध में विशेषज्ञों में मतभेद है, किन्तु यह मान लेना सर्वथा अवास्तविक होगा कि घाटे की इतनी बड़ी अर्थ-व्यवस्था को, मुद्रा-बाहुल्य का संकट लाये बिना, अधिक समय तक बनाये रखा जा सकता है। मुद्रा-बाहुल्य का मार्ग बहुत सरल है, किन्तु यह बाढ़ के ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिन्हें बाद में बन्द करना असम्भव हो जाता है। १९५६-५७ के लिये, घाटे की प्रस्तावित अर्थ-व्यवस्था से हम कुछ सीमा तक खतरा उठा रहे हैं, इसलिये हमें इसके प्रभाव पर सावधानी के साथ दृष्टि रखनी होगी और इसी प्रभाव के आधार पर बाद के कार्यक्रम को व्यवस्थित करना पड़ेगा।

जिस बजट को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति की ओर पहला कदम है। बड़े आयोजन के लिये बड़े उद्यम की आवश्यकता होती है और इसके सुन्दर समारम्भ से सफलता प्रायः निश्चित हो जायगी। प्रत्येक आधुनिक सरकार का सर्व-प्रथम और अनिवार्य कर्त्तव्य यह है कि वह जनता के जीवन-यापन के स्तरों को ऊँचा उठाये और इस प्रकार प्रगतिशील और न्यायपूर्ण आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे और यही उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। इस उद्देश्य को हमें लोकतन्त्रीय साधनों से प्राप्त करना है। योजना के पीछे शासन-शक्ति नहीं, जन-शक्ति है। लोकतन्त्र हमारे लिये साधन भी है और साध्य भी। यह हमारे उद्देश्य को स्पष्ट करता है और साथ ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनाये जाने वाले मार्गों और प्रणालियों का भी संकेत करता है।

समस्या केवल यह नहीं है कि आंकड़ों में प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ायी जाय, जो पिशाच-दीप की भांति केवल भ्रमोत्पादक होगी, बल्कि यह कि सबसे कम आमदनी वालों की आमदनी को किस प्रकार बढ़ाया जाय और नयी पीढ़ी के लोगों के लिये उन्नति और प्रगति के मार्ग कैसे खोले जायं जिससे वे अपनी शक्ति और योग्यता का पूर्ण उपयोग कर सकें। इसके लिये वर्तमान पीढ़ी के लोगों को त्याग करना पड़ेगा। उन्हें परिश्रम भी करना पड़ेगा और परिश्रम के फल की तात्कालिक इच्छा भी छोड़नी होगी। योजना, वास्तव में, एक 'यज्ञ' है—"अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्" (इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होओ; यह तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करे)। पूंजी-निर्माण, विकास के आधार-भूत ढाँचे की रचना और राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि के लिये आवश्यक औजारों और उपकरणों से लोक समुदाय को सुसज्जित करने की प्रक्रिया का यही सार है। हम अपने समस्त आदर्शवाद और व्या-वहारिक यथार्थवाद को जितनी अधिक मात्रा में इस महान् कार्य में लगायेंगे, उतनी ही अधिक सफलता हमें प्राप्त होगी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और कई भी योजनाएँ बनेंगी और जब, मेरे विचार से, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुकेंगे, तब कहीं हम सबके रहन-सहन के स्तरों में तथा देश की स्वयं अपनी गति से, अधिक वेग से आगे बढ़ने की क्षमता में स्पष्ट और असन्दिग्ध सुधार देख सकेंगे। यह योजना जनता के ऊपर जो भार डालती है वह किसी प्रकार हल्का नहीं है और न इसे अस्थायी कह कर इसके भार को हल्का किया जा सकता है। दूसरी ओर हमारे देशवासी स्वर्ण युग के द्वार पर खड़े हैं; हमें उनके लिए सुन्दर और वास्तविक निर्माण करना है और उसके लिये जितने धन की आवश्यकता है उसकी, बिना हिचकिचाहट स्वेच्छापूर्वक व्यवस्था करनी होगी। धन मुख्यतः उद्यम की माप के सिवा और कुछ नहीं; और हमारी धन सम्बन्धी गणना की सफलता, चाहे वह गणना कर निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी हो, चाहे घाटे की अर्थव्यवस्था के लिये और चाहे और किसी बात के लिये, विशेष रूप से लोकसमुदाय के उत्पादक प्रयत्न की मात्रा पर निर्भर है। मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सम्मान्य सदन के तथा समस्त देश के ऐसे ही सदनों के प्रत्येक सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कस कर देखे। अर्थात् वह यह न देखे कि सरकार अमुक-अमुक क्षेत्र से क्या-क्या ग्रहण करना चाहती है (वास्तव में सरकार अपने लिये तो कुछ ले ही नहीं सकती), बल्कि यह देखे कि वह प्रस्ताव देश के वास्तविक प्रयत्न को कहां तक आगे बढ़ा

[श्री सी० डी० देशमुख]

सकता है और यह भी देखे कि क्या उस प्रस्ताव के विकल्प में दूसरा कोई ऐसा प्रस्ताव भी हो सकता है जिससे अधिक त्याग के बिना ही उतना प्रयत्न सुलभ हो जाय ।

पहली योजना को जो सफलता मिली है, उससे, मैं समझता हूँ, यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश के लोग बड़े-बड़े काम करने और अपने लिये तथा अपनी सन्तान के लिये ऐसे भारत का, जो उसकी महान् परम्परा के योग्य हो, निर्माण करने के लिये आवश्यक परिश्रम की क्षमता रखते हैं और उसके लिये तैयार भी हैं । हमारा भाग्य अब हमारे हाथ है । इतिहास में हमारे देश की जनता असीम धैर्य और अध्यवसाय के लिये प्रसिद्ध है । उचित नेतृत्व मिलने पर वह आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाने में कभी नहीं चूकी । महानुभाव, यही जनता अब कमर कस कर खड़ी हो गयी है और अपने नवीन तथा अब तक के महानतम उद्यम के समारम्भ के लिये तत्पर है । हम लोगों से, जो उसके चुने हुये नेता और प्रतिनिधि हैं, वह साधिकार यह आशा रखती है कि हम उसको सर्वोत्तम परामर्श दें, उसका सच्चा पथप्रदर्शन करें और बुद्धिमानी के साथ उसका नेतृत्व करें ।

वित्त विधेयक*

†**श्री सी० डी० देशमुख**: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त विधेयक १६५६ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १६५६ -५७ को लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं वित्तीय वर्ष १६५६-५७ के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यान्वित करने वाले विधेयक** को पुरःस्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १ मार्च, १६५६ को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*तारीख २६-२-१६५६ के भारत के सूचनापत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफ़ारिशों के साथ पुरःस्थापित ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, २९ फरवरी, १९५६]

पृष्ठ

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४६७

१९५६-५७ के लिये दामोदर घाटी का बजट प्राक्कलन ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ४६७

पैंतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ४६७

प्रतिभूति संविदायें (विनियमन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

पारित विधेयक ४६८–९२

विक्री-कर विधियां मान्यीकरण विधेयक पर और आगे विचार हुआ ।

१ से ३ तक के खंड स्वीकृत हुए और विधेयक पारित हुआ ।

विचाराधीन विधेयक ४९२–५१०

जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर विचार किया गया ।

विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सामान्य आय-व्ययक का उपस्थापन ५१०–३२

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) ने १९५६-५७ के लिये भारत व सरकार की अनुमित प्राप्तियों का एक विवरण उपस्थापित किया ।

पुरःस्थापित विधेयक ५२३

वित्त विधेयक ।

गुरुवार, १ मार्च, १९५६ की कार्यावलि—

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों तथा जीवन बीमा (आपातिक उपबन्ध) विधेयक पर विचार तथा पारण ।

M84LSD—190—28-9-57—GIFP